Drishti IAS

दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स

(संग्रह)

जुलाई (भाग-1)

2025

C-171/2, Block-A, Sector-15, Noida

641, Mukherjee Nagar, Opp. Signature View Apartment, New Delhi

21, Pusa Road, Karol Bagh New Delhi

Tashkent Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh

Tonk Road, Vasundhra Colony, Jaipur, Rajasthan

Burlington Arcade Mall, Burlington Chauraha, Vidhan Sabha Marg, Lucknow

12, Main AB Road, Bhawar Kuan, Indore, Madhya Pradesh

E-mail : care@groupdrishti.in

Phone: +91-87501-87501

अनुक्रम

शासन व्यवस्था 5

- डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष.................................. 5
- प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों पर बहस................................ 8
- राष्ट्रीय खेल नीति 2025....................................12
- GST के 8 वर्ष...15
- निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास के लिये RDI योजना.......................................18
- भारत में अभिरक्षा में यातना 21
- MSME को सशक्त बनाने में सहकारिताओं की संभावनाओं को साकार करना..........................24
- भारत में विधायी कार्य-उत्पादकता 27
- निर्वाचन नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण............30
- महाराष्ट्र द्वारा हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में समाप्त करने का निर्णय 32
- मिज़ोरम का शरणार्थी संकट 35

2. सामाजिक न्याय 38

- UN वुमन और ग्लोबल जेंडर एजेंडा.....................38
- भारत विश्व स्तर पर चौथा 'सबसे समतामूलक देश'.....40
- विश्व जनसंख्या दिवस 2025 और भारत का युवा वर्ग......43

3. भारतीय अर्थव्यवस्था 46

- कृषि वानिकी को बढ़ावा हेतु नियम 46
- वैश्विक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली और MDB में सुधार......................................51
- रसायन उद्योग पर नीति आयोग की रिपोर्ट................54
- अंतराल को कम करना: भारत की गिग इकॉनमी का सुदृढ़ीकरण...............................58
- भारत के विकास के उत्प्रेरक के रूप में शहरी केंद्र......63
- GM फसलों के अवसर और चुनौतियाँ.................67
- घटती घरेलू बचत और बढ़ती देयता.......................72
- भारत में बुनियादी ढाँचा से संबंधित चुनौतियाँ............75
- भारत के कॉर्पोरेट निवेश में मंदी............................77

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध.................................. 81

- भारत-घाना संबंध 81
- भारत - त्रिनिदाद और टोबैगो संबंध 83
- 17वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन................................86
- भारत-अर्जेंटीना संबंध...89
- भारत-नामीबिया संबंध और अफ्रीका......................92
- भारत-ब्राज़ील संबंधों के पाँच स्थायी स्तंभ 96

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 100

- विज्ञान के माध्यम से राज्यों का सशक्तीकरण.......... 100

6. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 103

- प्लास्टिक अपशिष्ट: लोक स्वास्थ्य के लिये खतरा... 103
- बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025.................. 105
- ग्रेट निकोबार परियोजना के EIA में भूकंप के जोखिम का आकलन................................. 109
- UNFCCC में सुधार की मांग 111
- भारत में नदी प्रदूषण...................................... 114

7. आंतरिक सुरक्षा 118

- भारत में शरणार्थी, निर्वासन और संबंधित मुद्दे.......... 118

8. प्रिलिम्स फैक्ट्स 122

- भारत का वायु प्रदूषण संकट............................. 122
- क्वाड एट सी शिप ऑब्ज़र्वर मिशन..................... 124
- CITES के 50 वर्ष 126
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग............................. 128
- NER ज़िला SDG सूचकांक का दूसरा संस्करण . 130
- अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने हेतु VRRR नीलामी 132
- फोन टैपिंग की वैधता 133
- पिघलते ग्लेशियर ज्वालामुखी विस्फोट को ट्रिगर कर सकते हैं.................................... 134
- विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 और BioE3 नीति..... 137
- आदि कर्मयोगी और तलाश 141
- मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल............................ 142
- प्राकृतिक आपदाओं के लिये कटैस्ट्रफी बॉण्ड 146

9. रैपिड फायर.......................................149

- बोनट मकाक 149
- निज़ामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन 149
- बिहार में भारत की पहली मोबाइल ई-वोटिंग........... 151
- हूल दिवस... 153
- डिजिटल जीवाश्म-खनन और स्क्विड का विकास.... 154
- खराई ऊँट.. 155
- इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज 155
- लेजर सुरक्षा के लिये सागौन के पत्ते..................... 156
- पृथ्वी की सबसे प्राचीन ज्ञात चट्टानें..................... 156
- NCB का ऑपरेशन- MED MAX 158
- डेन्गीऑल.. 158
- करियाचल्ली द्वीप.. 160
- BHARAT अध्ययन: स्वस्थ वृद्धावस्था के जैव-सूचकों का मानचित्रण............................ 161

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- गार्सिनिया कुसुमाए... 162
- रासायनिक अस्त्र समझौता 163
- महाबोधि मंदिर 164
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य की विधायी शक्ति की पुष्टि......164
- अगली पीढ़ी के ऊर्जा भंडारण हेतु उच्च दक्षता वाली सामग्री... 165
- विषैले SO_2 का पता लगाने हेतु कम लागत वाला सेंसर.....166
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती..................... 167
- हैम रेडियो और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जीवन..... 168
- SEBI ने जेन स्ट्रीट पर लगाया प्रतिबंध 170
- हेल्गोलैंड 170
- भारत का पहला अश्व रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट............ 173
- सौर कोरोना में छोटे लूप................................. 173
- स्वदेशी 700 मेगावाट PHWRs हेतु परिचालन लाइसेंस.... 174
- भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय....... 176
- मच्छरों के नियंत्रण हेतु AI आधारित स्मार्ट प्रणाली .. 177
- फेनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक 179
- कोऑपरेटिव स्टैक: PACS के माध्यम से ग्रामीण योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन 180
- जीन-एडिटेडजापोनिका राइस............................ 180
- वेरा सी. रुबिन वेधशाला.................................. 181
- ग्रेट हॉर्नबिल 181
- पेथिया डिब्रूगढ़ेंसिस 183
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय.................... 183
- चुंबकीय क्षेत्र मापन में प्रगति 184
- स्वदेशी मीडियम ऑल्टिट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) ड्रोन 185
- सरिस्का टाइगर रिज़र्व.................................... 187
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) 188
- हिमालय और कश्मीर का जलवायु परिवर्तन........... 189
- वैश्विक HIV/AIDS के विरुद्ध लड़ाई और खतरे 190
- वुलर झील में कमल का पुनरुद्धार...................... 190
- INS निस्तार 192
- सिएरा लियोन का पहला यूनेस्को स्थल: गोला-तिवाई कॉम्प्लेक्स... 193
- ELV पर ईंधन प्रतिबंध हटाया 194
- अंडमान और निकोबार की जनजातियों की गणना..... 195
- ग्रे सील 196
- भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क 197
- अस्त्र मिसाइल... 197
- तालिस्मान सेबर अभ्यास 2025 198
- मछलीपट्टनम बंदरगाह का पुनरुद्धार.................... 199
- "ट्रेड वॉच क्वार्टरली" का तीसरा संस्करण 200
- असम के राइनो हॉर्न का DNA प्रोफाइलिंग.......... 201

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

शासन व्यवस्था

डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने **1 जुलाई, 2025** को भारत के **डिजिटल इंडिया** पहल के सफलतापूर्वक **10 वर्ष पूरे होने की सराहना** की, जो **डिजिटल विभाजन को** कम करने और **प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिये वर्ष 2015** में शुरू की गई एक **प्रमुख पहल है**।

- **पिछले दशक (2015-25)** में **डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट पहुँच, शासन, वित्तीय समावेशन** और **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में** क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे भारत विश्व की **तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था** बन गया है।

डिजिटल इंडिया की शुरुआत से अब तक की उपलब्धियाँ क्या हैं?

- **डिजिटल अवसंरचना:**
  - **दूरसंचार एवं इंटरनेट वृद्धि:** वर्ष 2014 और वर्ष 2025 के बीच, **टेलीफोन कनेक्शन 93.3 करोड़** से बढ़कर **120 करोड़ हो गए** (**टेली-घनत्व 75.23%** से बढ़कर 84.49% हो गया), जबकि **इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं में 285%** की वृद्धि हुई तथा **ब्रॉडबैंड कनेक्शन में 1,452%** की वृद्धि हुई।
  - **5G क्रांति:** केवल **22 महीनों** में **4.74 लाख 5G टावर** स्थापित किये गए, जो **99.6% ज़िलों को कवर करते हैं**, जबकि **डेटा की लागत 308 रुपए/GB (2014)** से घटकर **9.34 रुपए/GB (2022)** हो गई।
  - **ग्रामीण भारत के लिये भारतनेट परियोजना: 2.18 लाख ग्राम पंचायतों** को **6.92 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर** के माध्यम से जोड़ा गया है और **4G कनेक्टिविटी** अब पूरे भारत में **6,15,836 गाँवों तक पहुँच गई है।**
- **डिजिटल वित्त:**
  - **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI):** अप्रैल 2025 तक, **UPI के माध्यम से 1,867.7 करोड़ लेन-देन** संपन्न हुए, जिनका कुल मूल्य **24.77 लाख करोड़ रुपए** रहा। यह आँकड़ा **वर्ष 2023 के वैश्विक वास्तविक समय लेन-देन का 49% दर्शाता है।** वर्तमान में, यह प्रणाली 7 से अधिक देशों में सक्रिय है।
  - **आधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT):** अप्रैल 2025 तक, **142 करोड़ आधार आईडी** तैयार की गई, जिससे **DBT के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए** हस्तांतरित किये जा सके तथा इससे **5.87 करोड़ फर्जी राशन कार्ड** और **4.23 करोड़ डुप्लिकेट LPG कनेक्शन हटा दिये गए।**
  - **ONDC और GeM:** वर्ष 2025 तक **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) से लाखों विक्रेता** जुड़ चुके होंगे, जबकि **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) में** 22.5 लाख से अधिक **विक्रेता** और **1.6 लाख सरकारी खरीदार शामिल** हैं।
  - **AI और सेमीकंडक्टर: इंडियाAI मिशन (2024-29) ने AI नवाचार, कंप्यूटिंग क्षमता, स्टार्टअप** और **नैतिक AI ढाँचे को** बढ़ावा देने के लिये मई 2025 तक **34,000** से अधिक GPU तैनात किये हैं, जो **इंडियाAI इनोवेशन सेंटर, AIकोश, फ्यूचर स्किल्स** तथा **सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI** जैसे स्तंभों पर आधारित हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- भारत **सेमीकंडक्टर मिशन** **50% पूंजी सहायता** के साथ **चिप और डिस्प्ले विनिर्माण को** समर्थन देता है, **1.55 लाख करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं को** मंज़ूरी (5 निर्माणाधीन हैं) दी गई है।
- **नागरिक सशक्तीकरण:** **कर्मयोगी भारत** और **iGOT ने 1.21 करोड़ अधिकारियों को** शामिल किया है और **3.24 करोड़ शिक्षण प्रमाण-पत्र जारी किये हैं**, जबकि **डिजिलॉकर** (**53.92 करोड़ उपयोगकर्त्ताओं के साथ**) तथा **उमंग ऐप** (**8.34 करोड़ उपयोगकर्त्ताओं** के साथ **23 भाषाओं** में **2,300 से अधिक सेवाएँ प्रदान करना**) जैसे प्लेटफार्मों ने डिजिटल पहुँच और अधिकार को बढ़ाया है।
  - **भाषिनी** **35 से अधिक भारतीय भाषाओं का** समर्थन करके, **1,600 AI मॉडल** प्रस्तुत करके, **IRCTC** और **NPCI** जैसी सेवाओं के साथ एकीकरण करके डिजिटल प्लेटफार्मों में **भाषायी बाधाओं का खंडन कर** रही है, जिससे डिजिटल सेवाओं में **भाषायी समावेशिता को** बढ़ावा मिल रहा है।

डिजिटल इंडिया पहल क्या है?

- **परिचय:** **डिजिटल बुनियादी ढाँचे को** मज़बूत करने, **सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सुनिश्चित करने** और **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज** तथा **ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था** में बदलने के लिये **1 जुलाई, 2015** को डिजिटल इंडिया पहल शुरू की गई थी।
- **उद्देश्य:**
  - **डिजिटल विभाजन को कम करना:** **डिजिटल इंडिया का उद्देश्य डिजिटल रूप से सशक्त नागरिकों और** प्रौद्योगिकी तक **सीमित पहुँच** वाले लोगों के बीच की खाई को कम करना है।
  - **समावेशी डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करना:** यह डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में **समान भागीदारी को बढ़ावा देता है, जिससे** सभी के लिये **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा** और **सरकारी सेवाओं तक पहुँच सक्षम होती है।**
  - **आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:** **प्रौद्योगिकी और नवाचार का** लाभ उठाकर, यह पहल **राष्ट्रव्यापी आर्थिक विकास का समर्थन** करती है।
  - **जीवन की गुणवत्ता में सुधार:** इसका उद्देश्य **दैनिक जीवन** के प्रमुख क्षेत्रों में **प्रौद्योगिकी** को एकीकृत करके **जीवन स्तर को ऊपर उठाना है**।
- **डिजिटल इंडिया पहल के नौ स्तंभ:**
  - **ब्रॉडबैंड हाईवे:** इसका उद्देश्य बेहतर **कनेक्टिविटी के लिये देश भर में हाई-स्पीड इंटरनेट का विस्तार करना है**।
  - **मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुँच:** यह **डिजिटल समावेशन को** बढ़ावा देने के लिये दूर-दराज़ के क्षेत्रों में **मोबाइल कवरेज सुनिश्चित करता है**।
  - **पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम: यह वहनीय पहुँच** और **डिजिटल साक्षरता में** सुधार के लिये वंचित क्षेत्रों में **सामान्य सेवा केंद्र** स्थापित करता है ।
  - **ई-गवर्नेंस:** यह बेहतर **दक्षता, पारदर्शिता** और **नागरिक सहभागिता के लिये सरकारी सेवाओं को सुव्यवस्थित** करता है।
  - **ई-क्रांति:** यह **MyGov.in** जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से **सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन वितरित करता है, जिससे पहुँच में** वृद्धि होती है।
  - **सभी के लिये सूचना:** यह **अभिलेखों के डिजिटलीकरण** और नवाचार के लिये **खुले डेटा को बढ़ावा देता है।**
  - **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण:** यह **स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देता है**, आयात को कम करता है और **रोज़गार सृजन करता है**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नौकरियों के लिये IT:** यह **डिजिटल साक्षरता** और **कौशल भारत** जैसे मिशनों के माध्यम से **युवाओं में IT कौशल का निर्माण करता है।**
- **अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम: यह ऑनलाइन प्रमाण-पत्र, डिजिटल उपस्थिति** और **सार्वजनिक वाई-फाई** जैसी तत्काल डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करता है।

- **प्रमुख उपलब्धियाँ:**
  - **डिजिटल इंडिया पहल: आधार** (अद्वितीय **12-अंकीय बायोमेट्रिक ID**), **भारतनेट** (ग्रामीण क्षेत्रों में **हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड**), **डिजिटल लॉकर** (दस्तावेज़ों का **सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज**), **भीम UPI (सुरक्षित डिजिटल भुगतान)**, **eSign** (डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके **ऑनलाइन दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर**), **MyGov** (शासन में **नागरिक भागीदारी) आदि।**

डिजिटल इंडिया पहल से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **डिजिटल डिवाइड:** भारत का डिजिटल विकास असमान बना हुआ है, **ग्रामीण इंटरनेट पहुँच** और **डिजिटल साक्षरता** केवल **37%** (2023) है, जो क्षेत्रों तथा सामाजिक-आर्थिक समूहों में भारी अंतर को उजागर करता है।
- **साइबर सुरक्षा खतरे:** बढ़ते डिजिटल उपयोग के कारण **13.91 लाख साइबर सुरक्षा घटनाएँ** (2022) हुई हैं, लेकिन भारत को **8 लाख साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है,** जो कमज़ोर **साइबर सुरक्षा को उजागर** करता है।
- **डेटा गोपनीयता: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के बावजूद, प्रवर्तन** और **डेटा दुरुपयोग को** लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं, जिसमें **61% कंपनियाँ** कथित तौर पर सहमति मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं।
- **बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ: कम ब्रॉडबैंड स्पीड, अनियमित 5G** और **खराब फाइबर-ऑप्टिक कवरेज,** विशेष रूप से दूर-दराज़ के क्षेत्रों में, डिजिटल पहुँच को सीमित करते हैं, मोबाइल इंटरनेट स्पीड (2024) में भारत 25वें स्थान पर था।
- **विनियामक चुनौतियाँ: बार-बार नीतिगत बदलाव, क्षेत्राधिकारों का ओवरलैप होना** और **स्पेक्ट्रम नीलामी में देरी से** 5G रोलआउट में बाधा आती है तथा **डेटा स्थानीयकरण लागत के साथ व्यवसायों पर बोझ पड़ता है।**
- **सार्वजनिक डिजिटल प्रणाली के मुद्दे: CoWIN** और **आधार जैसे प्लेटफॉर्म को** विशेष रूप से गैर-शहरी क्षेत्रों में **मापनीयता, सटीकता** एवं **धोखाधड़ी की चुनौतियों का** सामना करना पड़ता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** डिजिटल विकास ने **ई-अपशिष्ट को 1.01 मीट्रिक टन (2019-20)** से बढ़ाकर **1.751 मीट्रिक टन (2023-24)** कर दिया है, जिससे कमज़ोर **ई-अपशिष्ट प्रबंधन** तथा डेटा केंद्रों में **उच्च ऊर्जा उपयोग के कारण स्थिति और खराब हो गई है।**

डिजिटल इंडिया पहल को और मज़बूत करने हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **डिजिटल डिवाइड को पाटना: भारतनेट परियोजना** और **पीएम-वाणी** के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में **डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विस्तार करना, उपकरणों पर सब्सिडी देना** और पहुँच बढ़ाने के लिये **क्षेत्रीय भाषा की सामग्री को बढ़ावा** देना।
  - **सहायक तकनीक को** अनिवार्य बनाना, **किफायती इंटरनेट का समर्थन करना** तथा **हाशिये पर पड़े समूहों** के लिये **सुगम्य भारत को डिजिटल इंडिया** के साथ एकीकृत करना।
- **साइबर सुरक्षा को बढ़ाना:** एक **व्यापक रणनीति विकसित करना, साइबर सुरक्षित भारत का विस्तार करना कौशल भारत** के तहत पेशेवरों को प्रशिक्षित करना और **पीएलआई**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

योजनाओं के माध्यम से **स्वदेशी साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करना।**

- **डेटा गोपनीयता को मज़बूत करना: DPDP अधिनियम, 2023 को प्रभावी ढंग से लागू करना, क्षेत्रीय डेटा संरक्षण कार्यालय स्थापित करना** और **डेटा स्थानीयकरण** दिशा-निर्देशों को स्पष्ट करना।
- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना: साइबर जागरूकता** और डिजिटल **कौशल प्रशिक्षण को** बढ़ावा देने के लिये, आउटरीच में **सामुदायिक चैंपियनों की** भागीदारी के साथ **PMGDISHA कार्यक्रम का विस्तार किया जाना।**
- **ई-कचरा प्रबंधन: स्वच्छ भारत को ई-अपशिष्ट संग्रहण** से जोड़ने के लिये एक राष्ट्रीय ढाँचा बनाना, **हरित स्टार्टअप का समर्थन करना** और **पीएलआई को पर्यावरण अनुकूल तकनीक** तक विस्तारित करना।
- **डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एकीकरण: सेवा वितरण में** सुधार और **नौकरशाही देरी को कम करने के लिये आधार, यूपीआई** तथा **डिजीलॉकर** जैसे प्लेटफार्मों को जोड़ें।

निष्कर्ष

अपनी 10 वर्ष की यात्रा में **डिजिटल इंडिया** ने सेवा वितरण, आर्थिक सशक्तीकरण और नागरिक भागीदारी में क्रांतिकारी बदलाव किया है। हालाँकि **डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। रणनीतिक सुधारों, समावेशी बुनियादी ढाँचे और मज़बूत विनियमन के साथ, डिजिटल इंडिया विकसित भारत की आधारशिला** बन सकता है, जिससे न्यायसंगत और सतत् डिजिटल विकास संभव हो सकेगा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. डिजिटल इंडिया ने तकनीकी अंतर को पाट दिया है, लेकिन अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के डिजिटल परिवर्तन (2015-2025) के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों पर बहस

चर्चा में क्यों?

आपातकाल के दौरान **42वें संशोधन अधिनियम, 1976** के माध्यम से **संविधान की प्रस्तावना** में" **समाजवादी**" और "**पंथनिरपेक्ष**" शब्दों को शामिल किये जाने पर एक नई बहस शुरू हो गई है। आलोचकों का तर्क है कि इन शब्दों को **व्यापक परामर्श के बिना शामिल किया गया** था और **ये भारत के अंतर्निहित पंथनिरपेक्ष सभ्यतागत लोकाचार के साथ सुमेलित नहीं हैं।**

- इस चर्चा से उनकी **संवैधानिक वैधता और समकालीन प्रासंगिकता पर प्रश्न पुनः उठ खड़े हुए हैं।**

भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है?

- **परिचय:** प्रस्तावना भारत के संविधान का **परिचयात्मक वक्तव्य** है, जो उन **मूल मूल्यों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और उद्देश्यों को रेखांकित करता है,** जिन पर **संविधान** आधारित है।
  - यह **लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है** और **संविधान की भावना को समझने की कुंजी के रूप में कार्य करता है।**
  - भारतीय संविधान में अंतर्निहित दर्शन को **उद्देश्य प्रस्ताव में संक्षेपित किया गया था, जिसे 22 जनवरी, 1947** को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
- **'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों का समावेश: मूलतः जब 26 जनवरी, 1950** को संविधान लागू हुआ तो **प्रस्तावना में** भारत को एक **प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया**, जो निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध था:
  - **न्याय** (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक),
  - **स्वतंत्रता** (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की),

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **समानता** (स्थिति और अवसर की), और
- **बंधुत्व** (व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्रीय एकता का आश्वासन)।
- **राष्ट्रीय आपातकाल, (1975-77)** के दौरान अधिनियमित 42**वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना** में '**समाजवादी**' और '**पंथनिरपेक्ष**' शब्द जोड़े।
  - **समाजवादी शब्द मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल** के माध्यम से असमानता को कम करने और **वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करने के लिये राज्य की प्रतिबद्धता** को दर्शाता है।
  - **पंथनिरपेक्षता ने सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान** के सिद्धांत की पुष्टि की तथा यह सुनिश्चित किया कि **राज्य किसी भी धर्म का समर्थन किये बिना धार्मिक मामलों में तटस्थता बनाए रखे।**
- "**राष्ट्र की एकता और अखंडता**" अभिव्यक्ति में "**एकता**" **के साथ** "**अखंडता**" शब्द भी जोड़ा गया।
  - यद्यपि आपातकाल के दौरान किये गए अनेक परिवर्तनों को बाद में **44 वें संशोधन (1978)** के माध्यम से उलट दिया गया, तथापि **प्रस्तावना में किये गए संशोधन यथावत बने रहे।**

भारतीय संदर्भ में 'पंथनिरपेक्षता' का क्या अर्थ है?

- भारतीय **पंथनिरपेक्षता** एक **अनूठा और समावेशी मॉडल है,** जो **सभी धर्मों के लिये समान सम्मान और व्यवहार सुनिश्चित करता** है। यह **अंतर-धार्मिक और अंतर-धार्मिक वर्चस्व को रोकने का प्रयास करता है,** जबकि यह सुनिश्चित करता है कि **राज्य सभी धर्मों से सैद्धांतिक दूरी बनाए** रखे। धर्म-विरोधी होने के बजाय यह **बहुलवाद, सहिष्णुता और संवैधानिक नैतिकता को कायम रखता है।**
- **भारतीय पंथनिरपेक्षता की त्रिस्तरीय रणनीति (3-Fold Strategy):**
  - **सिद्धांत आधारित दूरी (Principled Distance): भारतीय राज्य धार्मिक निरपेक्षता बनाए रखता है और किसी भी धर्म का पक्ष या प्रचार नहीं करता।**
    - **सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा या उत्सव** की अनुमति नहीं।
    - **न्यायालयों या सार्वजनिक कार्यालयों** में धार्मिक प्रतीकों का उपयोग निषिद्ध।
    - सार्वजनिक जीवन में **सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार** सुनिश्चित किया जाता है।
    - राज्य सभी धार्मिक विश्वासों से समान दूरी बनाए रखता है।
  - **अहस्तक्षेप (Non-Interference):** राज्य **धार्मिक भावनाओं का सम्मान** करता है और जब तक कोई धार्मिक प्रथा **मौलिक अधिकारों या संविधान** का उल्लंघन नहीं करता तब तक उसमें **अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता।**
    - **उदाहरण:** धार्मिक समुदायों को अपने **पूजा स्थलों और त्योहारों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता।**
  - **चयनात्मक हस्तक्षेप (Selective Intervention):** राज्य उन धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करता है, जो **संवैधानिक मूल्यों** जैसे **समानता, सम्मान और न्याय** के विरुद्ध होती हैं।
    - **उदाहरण: अस्पृश्यता का उन्मूलन** (अनुच्छेद 17), **व्यक्तिगत कानूनों में सुधार** (जैसे: लैंगिक समानता सुनिश्चित करना), **महिलाओं को समान उत्तराधिकार अधिकार** देने वाले कानून आदि।
- **42 वें संशोधन, 1976 से पहले पंथनिरपेक्षता:** वर्ष 1976 में हुए **42वें संशोधन** से पहले संविधान की **प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द स्पष्ट रूप से नहीं था,** लेकिन **पंथनिरपेक्षता की भावना** संविधान में **गहराई से निहित** थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- प्रमुख प्रावधानों में अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 और 16 (धर्म के आधार पर **भेदभाव का निषेध**), अनुच्छेद 25-28 (धार्मिक स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता (एक निर्देशात्मक सिद्धांत) शामिल थे, जो सामूहिक रूप से भारतीय राज्य के पंथनिरपेक्ष स्वरूप को सुदृढ़ करते हैं।

- **भारतीय बनाम पश्चिमी (अमेरिकी) पंथनिरपेक्षता (Indian vs. Western (US) Secularism):**

भारतीय पंथनिरपेक्षता और पश्चिमी पंथनिरपेक्षता के बीच मुख्य अंतर

पहलू (Aspect)	पश्चिमी मॉडल	भारतीय मॉडल
राज्य और धर्म के बीच संबंध	**कड़ा पृथक्करण** – धर्म और राज्य **परस्पर अनन्य क्षेत्रों** में कार्य करते हैं।	**सैद्धांतिक दूरी** – राज्य और धर्म के बीच **लचीला संबंध**।
धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप	जब तक धर्म **कानूनी सीमाओं** में रहता है, राज्य हस्तक्षेप नहीं करता।	राज्य **पुनरुद्धार के लिये हस्तक्षेप** कर सकता है। यदि धार्मिक प्रथाएँ प्रतिगामी या भेदभावपूर्ण हों (जैसे, **अस्पृश्यता का उन्मूलन, सती प्रथा पर प्रतिबंध, बाल विवाह पर रोक**)।
धार्मिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता / शिक्षा	राज्य द्वारा धार्मिक संस्थाओं को **कोई आर्थिक सहायता नहीं** दी जाती।	राज्य **अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों** को **अनुच्छेद 29 और 30** के तहत सहायता प्रदान कर सकता है।
धार्मिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन	धर्म **पूरी तरह निजी** है; **सार्वजनिक नीति या संस्थानों में कोई स्थान नहीं।**	धर्म को **सार्वजनिक जीवन** में स्थान प्राप्त है, **संवैधानिक निगरानी** के साथ (जैसे, **धार्मिक अवकाश, वक्फ/धरोहर बोर्ड**)।
पंथनिरपेक्षता का उद्देश्य	**तटस्थता और हस्तक्षेप न करना** सुनिश्चित करना।	**समान सम्मान और सुधार** सुनिश्चित करना, **एकरूपता थोपे बिना**।

संविधान में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल करने में प्रमुख दुविधाएँ क्या थीं?

- **संवैधानिक भूमिका बनाम वैचारिक उद्घोषणा: डॉ. भीमराव अंबेडकर** का मानना था कि संविधान को **शासन के ढाँचे** के रूप में कार्य करना चाहिये, न कि **स्थिर वैचारिक प्रतिबद्धताओं** को थोपना चाहिये।
  - उन्होंने तर्क दिया कि **सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों** को समय के साथ जनता की इच्छाओं के माध्यम से विकसित होना चाहिये, न कि संविधान द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिये।
- **प्रतीकात्मकता का खतरा: पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़ना एक प्रतीकात्मक संकेत होगा,** जिसका वास्तविक प्रभाव नहीं होगा।
  - उन्होंने कहा कि **पंथनिरपेक्षता को केवल शब्दों में घोषित नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि इसका पालन किया जाना चाहिये और इसका संरक्षण किया जाना चाहिये।**
- **गलत व्याख्या का भय:** कई सदस्य, जैसे **लोकनाथ मिश्र और एच.वी. कामथ** आशंकित थे कि यदि 'पंथनिरपेक्ष' शब्द को स्पष्ट रूप से जोड़ा गया तो यह धर्म-विरोधी या नास्तिकता के रूप में गलत समझा जा सकता है, जिससे **गहन आध्यात्मिक** तथा **विविध समाज में धार्मिक समुदायों** की विच्छिन्नता हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **विधायी लचीलेपन की आवश्यकता:** कुछ लोगों का मानना था कि 'पंथनिरपेक्ष' शब्द को संविधान में शामिल करने से **राज्य की भावी विधायी स्वतंत्रता** सीमित हो सकती है, विशेष रूप से जब **सामाजिक न्याय** के लिये धार्मिक प्रथाओं में **सुधार** आवश्यक हो (जैसे – **अस्पृश्यता का उन्मूलन** या **व्यक्तिगत कानूनों में सुधार**)।

भारतीय संविधान में 'समाजवादी' या 'पंथनिरपेक्ष' शब्द को शामिल करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हैं?

समावेशन के समर्थन में तर्क

- **संविधान मूल रूप से पंथनिरपेक्ष और समाजवादी है: 42वें संशोधन,** 1976 से पहले भी, **पंथनिरपेक्षता और समाजवाद** संविधान के विभिन्न प्रावधानों में **अंतर्निहित** थे।
- **अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25-28** धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और **धर्म के आधार पर भेदभाव** को निषिद्ध करते हैं।
- **नीति निदेशक सिद्धांत (भाग IV)** में समाजवादी लक्ष्य प्रतिबिंबित होते हैं, जैसे कि **संपत्ति का न्यायसंगत वितरण, सामाजिक न्याय** और **राज्य द्वारा जनकल्याण सुनिश्चित करना**।
- **ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ:** प्रस्तावना में '**पंथनिरपेक्षता**' और '**समाजवाद**' शब्दों को शामिल करना **भारत की धार्मिक तटस्थता तथा उस समय की राजनीतिक इच्छा की पुष्टि करता है। 42वें संविधान संशोधन,** 1976 के माध्यम से इन मूल्यों को संविधान में दर्ज किया गया, जिन्हें बाद में **44वें संशोधन, 1978 द्वारा भी बरकरार रखा गया।**
- **न्यायिक समर्थन:**
  - **केशवानंद भारती मामला (1973)** में **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने **पंथनिरपेक्षता** और **समाजवाद** को **संविधान की मूल संरचना का हिस्सा घोषित** किया, जिसे **संसद द्वारा भी हटाया या संशोधित नहीं किया जा सकता।**
  - **एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने **पंथनिरपेक्षता को भारतीय लोकतंत्र की एक मूल विशेषता के रूप में पुनः पुष्टि की।**
  - **मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) में निहित समाजवादी उद्देश्य संविधान के लिये मौलिक हैं और कुछ मामलों में **अनुच्छेद 39 (b) और 39 (c) समाजवाद और आर्थिक न्याय की रक्षा के लिये अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता प्राप्त कर सकते हैं।**
  - **डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2024)** मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने प्रस्तावना में "**समाजवादी**" और "**पंथनिरपेक्ष**" शब्दों की प्रविष्टि को चुनौती देने वाली **याचिकाओं को खारिज** कर दिया तथा इन शब्दों की वैधता और संविधान के अनुरूप होने की पुष्टि की।

समावेशन के विरुद्ध तर्क

- **मूल इरादे के विरुद्ध:** आलोचकों का तर्क है कि **डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं** का मानना था कि "**समाजवादी**" और "**पंथनिरपेक्ष**" जैसे मूल्य पहले से ही संविधान के प्रावधानों में अंतर्निहित हैं, इसलिये इनका स्पष्ट रूप से समावेशन अनावश्यक था।
  - उन्होंने यह तर्क दिया कि **आपातकाल (1976)** के दौरान इन शब्दों को शामिल किया जाना **संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़** और लोकतंत्र के दमन के बीच संविधानिक मूल्यों के "**विश्वासघात**" के समान था।
- **पश्चिमी विचारधाराओं की प्रभावी उपस्थिति:** विशेषज्ञों और आलोचकों का तर्क है कि **समाजवाद** और **पंथनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणाएँ** हैं, जो **भारतीय सभ्यता** की मूल भावना से मेल नहीं खातीं। वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि भारतीय आध्यात्मिक परंपराएँ **धर्म के साथ "सकारात्मक संरेखण"** को बढ़ावा देती हैं, जो पश्चिमी पंथनिरपेक्षता में देखे गए **सख्त चर्च-राज्य पृथक्करण** के विपरीत है।
- **प्रक्रियात्मक चिंताएँ: संविधान के प्रारूपण की प्रक्रिया के अंत में अपनाई गई और 26 नवंबर, 1949 को औपचारिक रूप से अधिनियमित** की गई **प्रस्तावना, संविधान की मूल भावना** और **मूलभूत दृष्टिकोण** का प्रतिनिधित्व करती है।
  - आलोचकों का तर्क है कि प्रस्तावना में पूर्वव्यापी संशोधन करना उसकी **पवित्रता को समाप्त** करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

निष्कर्ष

प्रस्तावना में '**समाजवादी**' और '**पंथनिरपेक्ष**' शब्दों को शामिल किया जाना एक **संवैधानिक बहस** का विषय बना हुआ है, जो **मूल उद्देश्य** और विकसित होते **लोकतांत्रिक मूल्यों** के बीच के गतिशील तनाव को दर्शाता है। यद्यपि **सर्वोच्च न्यायालय** ने इन्हें **मूल संरचना सिद्धांत** का हिस्सा माना है, फिर भी **प्रक्रियात्मक वैधता**, **वैचारिक अधिरोपण** और **सभ्यतागत दृष्टिकोण** को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं। **भारतीय संविधान** की भावना को बनाए रखने के लिये **संवैधानिक नैतिकता**, **बहुलवाद** और **पंथनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक आदर्शों** को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को पंथनिरपेक्षता के सिद्धांतों के साथ संतुलित करने में शामिल संवैधानिक और दार्शनिक चुनौतियों की समीक्षा कीजिये।

राष्ट्रीय खेल नीति 2025

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (खेलो भारत नीति 2025)** को मंज़ूरी दे दी है, जो **राष्ट्रीय खेल नीति 2001** का स्थान लेगी। यह नीति भारत को **वैश्विक खेल महाशक्ति** बनाने के लिये एक रोडमैप प्रस्तुत करती है, जिसका विशेष ध्यान **वर्ष 2036 के ओलंपिक** पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (NSP 2025) के प्रमुख स्तंभ क्या हैं?

- **NSP 2025 के स्तंभ:**
  - **वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता:** यह नीति ज़मीनी स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक खेलों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसमें प्रतिभा की प्रारंभिक पहचान, प्रतिस्पर्द्धी लीगों और बुनियादी ढाँचे का विकास तथा विश्व-स्तरीय प्रशिक्षण और कोचिंग व्यवस्था की स्थापना शामिल है।
    - साथ ही, यह राष्ट्रीय खेल महासंघों की सुशासन प्रणाली को मज़बूत करने, खेल विज्ञान व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने तथा कोचों, अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ को प्रशिक्षित करने का भी लक्ष्य रखती है।
  - **आर्थिक विकास के लिये खेल:** यह स्तंभ खेल पर्यटन, स्टार्टअप्स और निजी निवेश को बढ़ावा देता है, जिससे भारत वैश्विक खेल अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को सुदृढ़ कर सके।
  - **सामाजिक विकास के लिये खेल:** यह नीति खेलों के माध्यम से सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने पर बल देती है — विशेष रूप से हाशिये पर मौजूद समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके, पारंपरिक और स्थानीय खेलों को पुनर्जीवित करके, प्रवासी भारतीयों की सहभागिता तथा स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देकर।
  - **जन आंदोलन के रूप में खेल:** खेलों को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिये नीति का उद्देश्य अभियानों के माध्यम से जन भागीदारी और फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देना, संस्थानों के लिये फिटनेस सूचकांक शुरू करना तथा पूरे देश में खेल सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना है।
  - **शिक्षा के साथ एकीकरण (NEP 2020):** यह नीति **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के अनुरूप है और स्कूल पाठ्यक्रमों में खेलों को एकीकृत करने तथा शिक्षकों को प्रारंभिक स्तर पर खेलों में रुचि विकसित करने हेतु प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखती है।
- **रणनीतिक रूपरेखा:**
  - **शासन:** राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (NSP 2025) का उद्देश्य खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये एक **कानूनी और विनियामक ढाँचे** की स्थापना करना है।
  - **निजी क्षेत्र की भागीदारी: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)**, **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** और नवाचार आधारित वित्तपोषण पहलों के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
  - **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** प्रदर्शन की निगरानी तथा कार्यक्रम वितरण के लिये **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)**, **डेटा एनालिटिक्स** और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **निगरानी और मूल्यांकन:** नियमित प्रगति की समीक्षा हेतु **प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI)** और समयबद्ध लक्ष्य के साथ एक **राष्ट्रीय निगरानी ढाँचे** की स्थापना करना।
- **राज्यों के लिये मॉडल नीति:** यह नीति **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी ताकि वे अपनी खेल नीतियाँ तैयार या अद्यतन कर सकें जो राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हों।

भारत की खेल नीति किस प्रकार विकसित हुई है?

- **वर्ष 1947 के बाद भारत में खेलों की स्थिति: वर्ष 1951 में** भारत ने पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी की, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर उसकी महत्त्वाकांक्षाओं का संकेत मिला। **वर्ष 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद (AICS)** का गठन किया गया, जो सरकार को सलाह देने और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिये बनाई गई थी।
  - हालाँकि, सीमित वित्तीय सहायता के कारण भारतीय खिलाड़ी प्राय: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाते थे।
  - सीमित सरकारी समर्थन के बावजूद **मिल्खा सिंह, गुरबचन सिंह, प्रवीण कुमार सोबती**, और **कमलजीत संधू** जैसे खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में भारत को गौरव दिलाया। वहीं, 1920 से 1980 के दशक तक **भारतीय पुरुष हॉकी टीम** ओलंपिक में पूरी तरह से हावी रही।
- **भारत की खेल नीति की शुरुआत: वर्तमान युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (MYAS)** की शुरुआत **वर्ष 1982 में नई दिल्ली में IX एशियाई खेलों के दौरान खेल विभाग** के रूप में हुई थी। **वर्ष 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष** के दौरान इसका नाम बदलकर **युवा मामले एवं खेल विभाग** कर दिया गया।
  - वर्ष 2000 में इसे एक पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिया गया और बाद में इसे युवा मामले एवं खेल के रूप में दो विभागों में विभाजित कर दिया गया।
  - **वर्ष 1984** में भारत ने पहली बार **राष्ट्रीय खेल नीति (NSP)** लागू की, जिसका उद्देश्य **बुनियादी ढाँचे का विकास, जन भागीदारी** और **प्रशिक्षण स्तर पर उत्कृष्टता** को बढ़ावा देना था।
    - इसमें **शिक्षा के साथ खेलों के एकीकरण** की बात की गई, जिसे बाद में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** में औपचारिक रूप दिया गया।
  - **वर्ष 1986** में **भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)** की स्थापना नीति के क्रियान्वयन हेतु की गई।
  - **वर्ष 1986 से 2000** के बीच खेल एक **राज्य सूची का विषय** होने के कारण असमान रूप से लागू हुए; बजट सीमित था और सार्वजनिक या निजी भागीदारी बहुत कम थी।
- **उदारीकरण के बाद भारतीय खेलों पर प्रभाव (1991 के बाद): वर्ष 1991 के** आर्थिक सुधारों और **केबल टेलीविज़न** के आगमन ने खेलों की दृश्यता तथा लोकप्रियता में भारी वृद्धि की, विशेष रूप से **शहरी मध्यम वर्ग** के बीच, जिसने अब खेलों को केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं रखा।
  - इसके जवाब में, **वर्ष 1997 की ड्राफ्ट खेल नीति** में प्रस्ताव दिया गया कि राज्य सामूहिक खेलों पर तथा केंद्र श्रेष्ठ एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करे, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया।
- **21वीं सदी में भारतीय खेल: वर्ष 2001** में एक संशोधित **राष्ट्रीय खेल नीति** लाई गई, जिसका उद्देश्य **जन भागीदारी** और **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन** में सुधार था।
  - जबकि खेलों को बजटीय सहायता प्राप्त हुई, ओलंपिक पदक सीमित रहे - **राठौर (2004), बिंद्रा (2008), विजेंदर तथा मुक्केबाजी में विजेंदर सिंह (2008)** और **मैरी कॉम (2012)** से कांस्य पदक।
  - **राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (2011)** लागू की गई, जिसका उद्देश्य खेल महासंघों में सुधार लाना और **डोपिंग व प्रशासन** से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना था, लेकिन इसे लागू करने में कई बाधाएँ आईं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **प्रमुख खेल योजनाएँ:**
  - **टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (2014):** उच्च स्तरीय खिलाड़ियों को कोचिंग और अन्य सहायता देना।
  - **खेलो इंडिया (2017):** स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में प्रतिभा की पहचान और विकास करना।
  - **फिट इंडिया मूवमेंट (2019):** ज़मीनी स्तर पर फिटनेस को प्रोत्साहित किया गया।

भारत की खेल प्रणाली में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **शासन और नैतिक विफलताएँ:** भारत की खेल शासन प्रणाली राजनीतिक हस्तक्षेप, **लालफीताशाही** और **पेशेवर दृष्टिकोण की कमी** से ग्रस्त है। प्रबंधन की विफलताओं, जैसे **भारतीय कुश्ती महासंघ में यौन उत्पीड़न का मामला (2023)** और **अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (2022) द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ (IOA)** का निलंबन, प्रणालीगत समस्याओं को उजागर करते हैं।
  - खिलाड़ियों को अपर्याप्त समर्थन, जैसा कि **विनेश फोगाट** द्वारा एक मामूली वज़न संबंधी समस्या के कारण ओलंपिक योग्यता से वंचित रह जाने जैसी घटनाओं में देखा गया, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और योजना निर्माण में मौजूद खामियों को उजागर करता है।
- **क्रिकेट-केंद्रित खेल बाज़ार:** क्रिकेट मीडिया, प्रायोजन और वित्तपोषण पर हावी है। वर्ष 2023 में भारत के खेल बाज़ार में क्रिकेट का हिस्सा 87% था, जबकि फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन जैसे सभी अन्य खेलों के लिये मात्र 13% ही उपलब्ध रहा।
  - एथलेटिक्स, हॉकी या कुश्ती जैसे अन्य खेलों को बहुत ही कम दृश्यता और निवेश प्राप्त होता है।
- **एथलीट का कम प्रतिनिधित्व:** यद्यपि भारत ने **पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों** में अब तक का **सबसे बड़ा दल- 117 खिलाड़ियों** को भेजा, फिर भी यह संख्या अमेरिका (594), फ्राँस (572) और ऑस्ट्रेलिया (460) जैसे देशों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है।
  - यह भारत की विशाल जनसंख्या के बावजूद ज़मीनी स्तर पर प्रतिभा खोज और प्रारंभिक चरण में खिलाड़ियों के विकास में बनी रहने वाली खामियों को उजागर करता है।
- **संरचित प्रतिभा खोज का अभाव:** भारत में ज़मीनी स्तर की प्रतिभा खोज के लिये एक सुव्यवस्थित प्रणाली का अभाव है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की प्रतिभाएँ प्रायः अनदेखी रह जाती हैं।
  - उदाहरण के लिये, भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम की खोज संयोगवश हुई थी, जो यह दर्शाता है कि संगठित प्रतिभा खोज प्रणाली की आवश्यकता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **भागीदारी में लैंगिक असमानता:** महिलाओं को कम अवसर, बुनियादी ढाँचे की कमी और सामाजिक कलंक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - सुरक्षा संबंधी चिंताओं, प्रेरणादायक उदाहरणों की कमी और शरीर की छवि से जुड़ी समस्याओं के कारण 49% लड़कियाँ खेलों से बाहर हो जाती हैं, जो लड़कों की तुलना में छह गुना अधिक है। 21% महिला खिलाड़ी बाल्यावस्था में दुर्व्यवहार का अनुभव होने की बात स्वीकार करती हैं, जो सुरक्षित और समान भागीदारी (यूनेस्को, 2024) को बाधित करता है ।
- **शैक्षणिक विषयों पर अत्यधिक ज़ोर:** सांस्कृतिक दबाव के कारण खेलों की तुलना में शैक्षणिक कैरियर को प्राथमिकता दी जाती है। अभिभावक और विद्यालय प्रायः खेल को अनिवार्य नहीं बल्कि अतिरिक्त पाठ्यक्रम मानते हैं। इससे प्रारंभिक खेल सहभागिता और शारीरिक साक्षरता सीमित हो जाती है।

भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **ज़मीनी स्तर पर प्रतिभा पहचान को सुदृढ़ करना:** ग्रामीण, जनजातीय और वंचित क्षेत्रों में संरचित प्रतिभा खोज कार्यक्रम शुरू किये जाएँ। **'खेलो इंडिया'** और **'फिट इंडिया मूवमेंट'** जैसी पहलों का उपयोग करते हुए निचले स्तर से ऊपर की ओर बढ़ने वाला दृष्टिकोण अपनाया जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ऑस्ट्रेलिया की टैलेंट सर्च प्रोग्राम जैसी मॉडल योजनाओं को अपनाया जाए, जो **विद्यालयों में शारीरिक परीक्षणों के माध्यम से संभावित ओलंपिक खिलाड़ियों की पहचान** करती हैं।
- **खेल अवसंरचना को उन्नत करना:** ज़िला और ब्लॉक स्तर पर समावेशी एवं सुलभ खेल सुविधाओं का विकास किया जाए।
  - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रसाधन योजना (PM-USPY) का विस्तार कर विश्वविद्यालयों में खेलों को एकीकृत किया जा सकता है।
- **खेल प्रशासन में सुधार:** राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) में स्वायत्तता, पारदर्शिता और व्यावसायिकता सुनिश्चित की जाए। महासंघों के प्रमुख पदों पर राजनेताओं के स्थान पर खेल विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए।
- **खेलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** खेलों में लड़कियों और महिलाओं के लिये सुरक्षित और समावेशी वातावरण सुनिश्चित किया जाए। लैंगिक लेखा परीक्षण, शिकायत निवारण तंत्र, और राष्ट्रीय टीमों में समान वेतन सुनिश्चित किया जाए।
  - यूनेस्को की "खेल और लैंगिक समानता कार्ययोजना" (2024) का उद्देश्य खेलों में हिंसा का उन्मूलन करना और वैश्विक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।
- **प्रौद्योगिकी और खेल विज्ञान का उपयोग करना:** क्रिकेट से परे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), वियरेबल्स (wearables) और डेटा विश्लेषण का उपयोग प्रदर्शन की निगरानी और चोटों की रोकथाम हेतु किया जाए।
  - पोषण, मनोविज्ञान और जैव-यांत्रिकी समर्थन के लिये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किये जाएँ।
  - चीन और ब्रिटेन जैसे देश ओलंपिक प्रशिक्षण के लिये उन्नत प्रयोगशालाओं और डेटा प्रणालियों का उपयोग करते हैं।
- **खेल संस्कृति और जन-जागरूकता को बढ़ावा देना:** खेलों को एक कैरियर और जीवनशैली के रूप में सामान्य बनाने के लिये जनसंचार माध्यमों के माध्यम से व्यापक प्रचार अभियान चलाए जाएँ। सामुदायिक खेल महोत्सव, स्कूल लीग और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का नियमित आयोजन किया जाए।
- **निगरानी और मूल्यांकन को संस्थागत रूप देना:** खेल उपलब्धियों की निगरानी हेतु केंद्र और राज्य स्तर पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) निर्धारित किये जाएँ। प्रगति के आकलन के लिये रियल-टाइम डैशबोर्ड और तृतीय-पक्ष ऑडिट का उपयोग किया जाए।
  - NSP 2025 एक राष्ट्रीय खेल मूल्यांकन रूपरेखा की परिकल्पना करता है, जिसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत का एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में रूपांतरण केवल नीतियों से संभव नहीं है, इसके लिये प्रभावी क्रियान्वयन, जवाबदेही और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। NSP 2025 और 2036 ओलंपिक की आकांक्षा के साथ भारत एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। यदि इसे सुधारों, समावेशिता और निवेश का समर्थन प्राप्त हो, तो खेल राष्ट्रीय विकास का एक सशक्त इंजन बन सकते हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिये। भारतीय खेल प्रणाली में बनी रहने वाली प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिये तथा प्रणालीगत सुधारों का सुझाव दीजिये।

GST के 8 वर्ष

चर्चा में क्यों?

माल और सेवा कर (GST) के **1 जुलाई 2017** को लागू होने के **8 वर्ष पूर्ण होने पर,** विशेषज्ञ **कर एकीकरण और डिजिटलीकरण** में इसकी **सफलता** को स्वीकार करते हैं और साथ ही **सरलीकरण, दरों को युक्तिसंगत बनाने** और **अनुपालन भार में कमी लाने** की आवश्यकता पर बल देते हैं।

विगत 8 वर्षों में GST की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?

- **राजस्व में रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि: GST राजस्व** में निरंतर वृद्धि हुई है, जो **औसत मासिक संग्रह 1.84 लाख करोड़** रुपए के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में उच्चतम सकल संग्रह **22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह वृद्धि **मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हो गई है**, जो **बेहतर अनुपालन, कर चोरी में कमी** और **आर्थिक औपचारिकता में हुए सुधार को परिलक्षित करती है।**
- **डिजिटल परिवर्तन और अनुपालन दक्षता:** GST का **डिजिटलीकरण किया गया है** जिसमें **मैनुअल फाइलिंग** से लेकर **ई-इनवॉइसिंग**, **रियल-टाइम क्रेडिट मिलान, स्वचालित रिटर्न** और **ई-वे बिल जैसी सुविधाएँ शामिल हैं जिससे त्रुटियों और धोखाधड़ी की संभावना** कम हो गई है।
  - पूर्व में **MSME इसको लेकर संशय में थे किंतु वर्तमान में इसे ऋण, सरकारी खरीद** और **राष्ट्रीय बाज़ार के अभिगम** का प्रवेश द्वार मानते हैं।
- **विस्तारित करदाता आधार:** 30 **अप्रैल, 2025** तक भारत में **1.51 करोड़ से अधिक सक्रिय GST पंजीकरण दर्ज थे जो वर्ष 2017 के 65 लाख पंजीकरण** में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
  - यह वृद्धि **अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण** करने और कर अनुपालन में सुधार लाने में GST की सफलता को रेखांकित करती है।
- **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस:** GST से **अंतर-राज्यीय कर बाधाएँ समाप्त हुईं, रसद लागत में कमी आई** और **आपूर्ति शृंखला दक्षता का वर्द्धन हुआ,** जबकि **प्रवेश करों** और **चुंगी (Octroi)** की समाप्ति से **व्यापार लागत** में और अधिक बचत हुई है।
  - GST के **'एक राष्ट्र, एक कर'** ढाँचे के माध्यम से **बहुस्तरीय कर प्रणाली** को प्रतिस्थापित किया गया, जिससे **कैस्केडिंग प्रभाव** कम हो गया, जबकि **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)** तंत्र से **निर्बाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित हुआ, व्यापार लागत में कमी आई** और **प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिला।**
- **कुशल रिफंड प्रसंस्करण: सीमा शुल्क ICEGATE पोर्टल** के माध्यम से स्वचालित **एकीकृत GST (IGST) रिफंड** प्रसंस्करण में तेज़ी आई है और रिफंड की प्रक्रिया अब केवल **एक सप्ताह का समय लगता है। वित्त वर्ष 2025 में 1.18 लाख करोड़ रुपए का संवितरण किया गया,** जिससे **निर्यातकों की चलनिधि में वृद्धि हुई।**

माल एवं सेवा कर (GST) क्या है?

- **GST: 101वें संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से **अनेक केंद्रीय और राज्य करों को GST** के अंतर्गत शामिल कर समग्र भारत में **एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली** की शुरुआत की गई।
  - **GST** सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर अधिरोपित **मूल्य-योजित कर (Value-Added Tax)** है।
- इसने **उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सेवा कर** जैसे **केंद्रीय करों** तथा **VAT, केंद्रीय बिक्री कर** एवं **विलासिता कर** जैसे **राज्य करों का स्थान लिया।**

मुख्य विशेषताएँ:

- **आपूर्ति-आधारित कराधान:** GST का अधिरोपण **वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है,** जबकि इससे पूर्व कर **विनिर्माण, बिक्री या सेवा प्रावधान** पर अधिरोपित किये जाते थे।
- **अभिप्राय-आधारित प्रणाली:** GST **अभिप्राय-आधारित उपभोग कर के रूप में कार्य करता है,** जो पूर्व के **मूल-आधारित कराधान** मॉडल का स्थान लेता है।
- **बहुविध कर स्लैब:** GST **पाँच अलग-अलग दरों पर लगाया जाता है- 0%, 5%, 12%, 18% और 28%**जिसमें **GST परिषद** द्वारा **उत्पाद वर्गीकरण** का निर्धारण किया जाता है।
- **दोहरी संरचना:** GST की **दोहरी संरचना** है, जहाँ **केंद्र (CGST)** और **राज्य (SGST) दोनों एक ही लेनदेन मूल्य** पर कर का अधिरोपण करते हैं।
  - **वस्तुओं और सेवाओं** के आयात को **अंतर्राज्यीय आपूर्ति** माना जाता है और इस पर लागू **सीमा शुल्क** के अतिरिक्त **IGST** भी इसमें शामिल होता है।
- **शासन: GST परिषद** एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था है। **माल एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) GST पोर्टल** के लिये एक आईटी प्रणाली प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- केंद्र और राज्य GST परिषद की अनुशंसाओं के आधार पर CGST, SGST और IGST दरें निर्धारित करते हैं।

वर्तमान GST ढाँचे में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **वस्तुओं का बहिष्करण:** पेट्रोलियम उत्पादों एवं मानव उपभोग हेतु शराब को अब भी GST के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप करों की दोहरावयुक्त प्रकृति (Tax Cascading) और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की अनुपलब्धता के कारण नकदी प्रवाह से जुड़ी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
  - जब राज्य **राज्य सूची की प्रविष्टि 54** और **अनुच्छेद 366(12A)** के अंतर्गत **मूल्य वर्धित कर (VAT)** लगाते हैं, तब यदि इसे **GST के तहत शामिल** किया जाता है, तब **राजस्व हानि** और **राजकोषीय स्वायत्तता** को लेकर चिंताएँ उठती हैं।
- **माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) में विलंब:** लंबे समय से लंबित **माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT)** को हाल ही में अधिसूचित किया गया है, फिर भी यह कई राज्यों में अभी भी क्रियाशील नहीं है। इसके कारण उच्च न्यायालयों में अपीलों की लंबित संख्या, निर्णय प्रक्रिया में लंबा विलंब तथा करदाताओं के लिये अनिश्चितता बनी हुई है।
- **जटिल कर दर संरचना:** वर्तमान में GST में पाँच प्रमुख कर स्लैब हैं, साथ ही 0.25%, 1% तथा 3% की विशेष दरें (मुख्यत: सोना, चाँदी और हीरे के लिये) लागू हैं। इससे वर्गीकरण संबंधी विवाद, बार-बार होने वाला विधिक वाद-विवाद, तथा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले क्षेत्रों में कार्यशील पूँजी से जुड़ी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
  - हालाँकि मूल उद्देश्य तीन-दर प्रणाली को तार्किक रूप देना था, लेकिन विशेषज्ञों की सिफारिशों और **GST परिषद** में हुई चर्चाओं के बावजूद इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।
- **प्रक्रियात्मक एवं अनुपालन संबंधी समस्याएँ:** स्वचालन और डिजिटलीकरण में प्रगति के बावजूद, प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें मामूली मुद्दों पर उच्च-मूल्य के मुकदमे, अत्यधिक नियमन और बार-बार नियमों में बदलाव के साथ जटिल अधिसूचनाएँ शामिल हैं।
- विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रक्रियागत समस्याएँ प्राय: सरकार के सरलीकरण के व्यापक प्रयासों पर भारी पड़ती हैं।
- **व्याख्या संबंधी अस्पष्टताएँ:** GST के अंतर्गत मध्यस्थ सेवाओं, अंतर-कंपनी लेनदेन और कर्मचारी स्थानांतरण की व्याख्या में अस्पष्टता परिपत्रों के बावजूद बनी हुई है, जिसके कारण अनुपालन में अस्पष्टता, परिचालन संबंधी बाधाएँ और व्यवसायों के लिये मुकदमेबाज़ी का जोखिम बढ़ रहा है।

वर्तमान GST ढाँचे में सुधार के लिये कौन-से सुधार लागू किये जा सकते हैं?

- **चरणबद्ध दृष्टिकोण:** पेट्रोलियम को शामिल करने के लिये चरणबद्ध दृष्टिकोण प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के साथ शुरू हो सकता है, राजस्व-तटस्थ दर और राज्यों के लिये एक अस्थायी मुआवज़ा तंत्र का उपयोग करना, सुचारू एकीकरण सुनिश्चित करने के लिये एक वैध रणनीति है।
  - जबकि **अनुच्छेद 366 (12A)** मानव उपभोग के लिये शराब को GST से बाहर रखता है, उच्च हस्तांतरण हिस्सेदारी की पेशकश करके इसके समावेश को सुगम बनाया जा सकता है,
    - कम निर्भरता वाले राज्यों में पायलट परियोजनाएँ शुरू करना, तथा आम सहमति बनाने के लिये दीर्घकालिक राजकोषीय सुरक्षा प्रदान करना।
- **GST स्लैब दर का युक्तिकरण:** **उत्क्रमी शुल्क संरचना' (Inverted Duty Structure)** को दूर करने के लिये रिफंड प्रक्रिया में तेज़ी, इनपुट टैक्स (विशेषकर कृत्रिम रेशा - Man-made fiber) में पुनर्संतुलन, तथा मुआवज़ा उपकर (Compensation Cess) की पुन: समीक्षा की जानी चाहिये, जिसमें इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना या फिर उच्चतम GST स्लैब में समाहित करना शामिल हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **विवाद समाधान प्रणाली को सशक्त करना:** लंबित अपीलों को उच्च न्यायालयों से शीघ्र निपटाने और विरोधाभासी व्याख्याओं को रोकने के लिये GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) को पूरे देश में सक्रिय किया जाना चाहिये, जिसके लिये न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों की प्रक्रिया को तीव्र किया जाना आवश्यक है।
- छोटे-मोटे मामलों पर मुकदमों को कम करने के लिये, प्रारंभिक प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर दंड को माफ करने के लिये एक **क्षमा योजना** लागू कीजिये और अस्पष्टताओं पर **अनिवार्य परिपत्र** जारी कीजिये।
- **डिजिटल एकीकरण:** जीएसटी नेटवर्क (GSTN) को आईसीईगेट (ICEGATE), विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) से जोड़ते हुए सिंगल-विंडो अनुपालन प्रणाली लागू की जाये, जिससे रियल-टाइम डेटा साझा करने के साथ-साथ स्वत:-भरे गये रिटर्न की सुविधा प्राप्त हो सके।
- **AI आधारित जाँच प्रणाली** का उपयोग करते हुए रिफंड और ऑडिट की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जाये, जैसे कि निर्यातकों को 15 दिनों के भीतर रिफंड दिया जाना।
- **नये क्षेत्रों में कर आधार का विस्तार:** अगली पीढ़ी के GST सुधारों के तहत क्रिप्टो-एसेट्स, कार्बन क्रेडिट्स एवं डिजिटल वस्तुओं/सेवाओं जैसे उभरते क्षेत्रों को स्वच्छ, एकरूप और वैश्विक मानकों के अनुरूप करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

GST ने भारत के कर ढाँचे में एक बड़ा परिवर्तन किया है, जिससे **राजस्व में वृद्धि** एवं **आर्थिक औपचारिकता** को बढ़ावा मिला है। हालाँकि, **पेट्रोलियम उत्पादों की बहिष्कृति, दरों की जटिलता** और **विवादों के समाधान में विलंब** जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिये आवश्यक है कि **बहिष्कृत क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से शामिल किया जाये, कर दरों का सरलीकरण किया जाये, विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाये** तथा **डिजिटल एकीकरण को सशक्त किया जाये**। ये सुधार GST प्रणाली को वास्तव में **"एक राष्ट्र, एक कर"** को सुनिश्चित करेंगे और भारत के **5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनने के लक्ष्य को सशक्त आधार प्रदान करेंगे।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. जबकि जीएसटी ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाया है, फिर भी इसकी संरचनात्मक और परिचालन संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।" इस कथन की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिये तथा सुधार हेतु उपाय सुझाइये।

निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास के लिये RDI योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **1 लाख करोड़ रुपए की अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना** को मंज़ूरी दी, जिसका उद्देश्य **निजी क्षेत्र को बुनियादी अनुसंधान में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करना** है, जिससे **नवीन उत्पाद और प्रौद्योगिकियाँ** विकसित होंगी।

अनुसंधान विकास एवं नवाचार (RDI) योजना क्या है?

- **परिचय:** यह **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय** की एक पहल है, जिसका उद्देश्य **नवीन प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने** के लिये **बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान** में **निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना** है।
  - यह **निजी क्षेत्र के लिये बनाया गया एक विशेष कोष है,** जबकि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मुख्य रूप से **शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान** प्रदान करता है।
- **दायरा:** यह **जोखिम को कम करके** और निजी अभिकर्त्ताओं को रियायती निधि प्रदान करके **उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा** देता है। निधियों का उपयोग **चार प्रमुख तरीकों** से किया जाएगा:
  - **निजी अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को बढ़ावा देना,** विशेष रूप से **जैव प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, ड्रोन** और **जलवायु परिवर्तन** जैसे **उभरते क्षेत्रों में;**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **प्रौद्योगिकी तत्परता** के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से **परिवर्तनकारी परियोजनाओं को वित्तपोषित करना;**
- **महत्त्वपूर्ण या रणनीतिक रूप से आवश्यक प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण का समर्थन करना;** तथा
- **डीप टेक क्षेत्र में स्टार्टअप्स** के लिये वैकल्पिक वित्तपोषण चैनल के रूप में **डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना करना।**

- **प्रशासन एवं शासन: प्रधानमंत्री** की अध्यक्षता में **ANRF का शासी बोर्ड RDI योजना** के लिये **समग्र रणनीतिक दिशा** प्रदान करेगा, जबकि **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** इसके कार्यान्वयन के लिये **नोडल विभाग** के रूप में कार्य करेगा।
  - ANRF के अंतर्गत एक **विशेष प्रयोजन निधि (SPF) निधियों के संरक्षक** के रूप में कार्य करेगी, जो मुख्य रूप से **द्वितीय स्तर के निधि प्रबंधकों** को **दीर्घकालिक रियायती ऋण** वितरित करेगी।
    - ये प्रबंधक **कम या शून्य ब्याज दर वाले ऋणों** के माध्यम से **अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं** को वित्तपोषित करेंगे, **स्टार्ट-अप** के लिये **इक्विटी समर्थन** प्रदान करेंगे, तथा **डीप-टेक या अन्य RDI-केंद्रित फंड्स ऑफ फंड्स (FoF)** में योगदान दे सकते हैं।
- **वित्तपोषण संरचना:** यह धनराशि **केंद्रीय बजट** के माध्यम से **ANRF को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण** के रूप में आवंटित की जाएगी, जिसका उपयोग **गुणक प्रभाव उत्पन्न करने** के लिये किया जाएगा।
  - धन केवल एक निश्चित स्तर के **विकास और बाज़ार क्षमता** वाले उत्पादों को ही प्रदान किया जाएगा, जिसमें **उच्च जोखिम वाली TRL-4 (तकनीकी तत्परता स्तर-4)** परियोजनाएँ भी शामिल हैं, जिन्हें प्रायः वित्तीय सहायता का अभाव होता है।

नोट:
- भारत का **अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (GERD) वर्ष 2011 में 60,196 करोड़ रुपए** से बढ़कर **वर्ष 2021 में 1.27 लाख करोड़ रुपए** हो गया, लेकिन यह **GDP का 0.64% ही है।**
- लक्ष्य यह है कि **भारत का निजी क्षेत्र** अंततः **बुनियादी अनुसंधान** में **सरकारी वित्त पोषण से आगे निकल जाए,** जैसा कि **उन्नत प्रौद्योगिकी वाले देशों** में देखा गया है।
- **पेटेंट फाइलिंग** में भारत **विश्व स्तर पर छठे स्थान** पर है, **वर्ष 2023 में 64,480 आवेदन** हुए, जो **वर्ष 2013-14 में 42,951** से अधिक है।

भारत में अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **निजी क्षेत्र द्वारा कम अनुसंधान एवं विकास व्यय:** भारत का उद्योग जगत अनुसंधान एवं विकास में **सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.2% निवेश** करता है, जो **अमेरिका (2.7%), दक्षिण कोरिया (3.9%)** और **UK (2.1%)** से काफी कम है, क्योंकि कई व्यवसाय **दीर्घकालिक अनुसंधान की तुलना में अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता** देते हैं।
- **कमज़ोर उद्योग-अकादमिक सहयोग: अकादमिक क्षेत्र और उद्योग** के बीच **सहयोग विश्वास की कमी** और दृष्टिकोण में असंगति के कारण बाधित होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रायः **सैद्धांतिक अनुसंधान** पर केंद्रित रहते हैं जबकि उद्योग क्षेत्र **व्यावसायिक रूप से तैयार समाधान** चाहता है।
  - इसके अतिरिक्त, **बौद्धिक संपदा (IP) स्वामित्व पर विवाद** प्रभावी साझेदारी में बाधा डालते हैं।
- **बाज़ार एवं वित्तपोषण चुनौतियाँ: कम वाणिज्यिक व्यवहार्यता,** विशेष रूप से **प्रारंभिक चरण या गहन तकनीक नवाचारों में,** कॉर्पोरेट निवेश को बाधित करती है।
  - **"वैली ऑफ डेथ" चरण (प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर 3-6)** — जब प्रौद्योगिकियाँ प्रयोगशाला से बाज़ार की ओर बढ़ती हैं — प्रायः **अल्पवित्तपोषित** रह जाता है और **उपेक्षित** कर दिया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

- सार्वजनिक वित्तपोषण (जैसे, DST, MeitY योजनाएँ) पर भी अत्यधिक निर्भरता है, जबकि निजी कंपनियों को रक्षा और रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास में प्रवेश संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें बड़े पैमाने पर DRDO का प्रभुत्व है।
- **अपर्याप्त IP संरक्षण और प्रवर्तन:** लंबी पेटेंट स्वीकृतियाँ (3-6 वर्ष) और **उच्च मुकदमेबाज़ी लागत** नवाचार को बाधित करती हैं, जबकि **कमज़ोर प्रवर्तन फार्मा जेनरिक** और **सॉफ्टवेयर पाइरेसी** जैसे क्षेत्रों में **राजस्व हानि** का कारण बनती है।
- **कुशल अनुसंधान एवं विकास प्रतिभा की कमी:** **बेहतर अवसरों** की तलाश में शीर्ष शोधकर्त्ताओं के विदेश जाने के कारण **प्रतिभा पलायन** जारी है, जबकि AI और **उन्नत सामग्री** जैसे क्षेत्रों में **कौशल असंतुलन** घरेलू अनुसंधान एवं विकास क्षमता को सीमित करता है।
  - इसके अतिरिक्त, **उन्नत प्रयोगशालाओं** (जैसे, **सेमीकंडक्टर फैब्स, बायोटेक लैब्स**) की स्थापना की **उच्च लागत** और **सरकारी वित्त पोषित बुनियादी ढाँचे** (जैसे, CSIR लैब्स) तक **सीमित पहुँच निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास को और अधिक प्रतिबंधित** करती है।
- **न्यून जोखिम लेने की प्रवृत्ति:** **असफलता का भय** और **पदानुक्रमित कार्यस्थल** जैसी सांस्कृतिक बाधाएँ **जोखिम लेने को** हतोत्साहित करती हैं और **शोधकर्त्ता की रचनात्मकता** को क्षीण कर देती हैं।

निजी क्षेत्र भारत में अनुसंधान और नवाचार को कैसे बढ़ावा दे सकता है?

- **अनुसंधान एवं विकास निवेश में वृद्धि:** भारत का **अनुसंधान एवं विकास व्यय अमेरिका** (3.46%), **जापान** (3.30%), **इज़राइल** (5.56%), और **दक्षिण कोरिया** (4.93%) जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
  - इस अंतर को कम करने के लिये, **निजी कंपनियाँ अनुसंधान एवं विकास निवेश** बढ़ा सकती हैं, विशेष रूप से **फार्मा, IT, नवीकरणीय ऊर्जा** और **उन्नत विनिर्माण** में, और IITs, IISc, NITs जैसे संस्थानों और CSIR, DRDO और ISRO जैसी प्रयोगशालाओं के साथ **सहयोगात्मक अनुसंधान** में संलग्न हो सकती हैं।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** कॉर्पोरेट्स सरकार के साथ मिलकर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये **संयुक्त नवाचार निधि** (जैसे, **अटल इनोवेशन मिशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन**) को बढ़ावा दे सकते हैं।
  - वे **प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों** (जैसे, T-Hub, C-CAMP) में निवेश करके और **कॉर्पोरेट एक्सेलेरेटर्स** (जैसे, **स्टार्टअप्स के लिये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल लॉन्चपैड**) के साथ साझेदारी करके **स्टार्टअप्स का समर्थन** भी कर सकते हैं।
- **कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल (CVC):** कॉर्पोरेट्स **डीप-टेक स्टार्टअप्स** (AI, बायोटेक, क्वांटम, स्पेस टेक) में निवेश कर सकते हैं और नवाचार और पैमाने में तीव्रता लाने के लिये **मेंटरशिप, फंडिंग** और **वैश्विक बाज़ार तक पहुँच** प्रदान कर सकते हैं।
- **नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना:** **कॉरपोरेट क्षेत्र नवाचार को प्रोत्साहित करने** हेतु **विघटनकारी प्रौद्योगिकियों** पर केंद्रित **इन-हाउस नवाचार प्रयोगशालाएँ** स्थापित कर सकता है, और **कर्मचारियों को पेटेंट दाखिल करने के लिये प्रेरित** कर सकता है, जैसा कि **बौद्धिक संपदा सृजन में विप्रो, HCL और बायोकॉन** जैसे उदाहरणों में देखा गया है।
  - **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि** का एक भाग **STEM शिक्षा, ग्रामीण नवाचार** और **ज़मीनी स्तर पर अनुसंधान एवं विकास** के लिये अधिदेशित करना।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना:** निजी क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों (जैसे कृषि, स्वास्थ्य सेवा, रसद) में **AI, IoT और ब्लॉकचेन** जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष

1 लाख करोड़ रुपए की RDI योजना निजी **अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करके** भारत **के नवाचार अंतर को** पाटने के लिये एक **परिवर्तनकारी पहल है। रणनीतिक वित्तपोषण, गहन तकनीक फोकस** तथा **संस्थागत समर्थन** के साथ, इसका उद्देश्य **अनुसंधान-संचालित अर्थव्यवस्था को** उत्प्रेरित करना है। हालाँकि, **निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुधारों, साझेदारियों** और **नवाचार-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से मज़बूत किया जाना चाहिये।**

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के नवाचार लक्ष्यों को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है? RDI योजना के संदर्भ में परीक्षण कीजिये।

भारत में अभिरक्षा में यातना

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु में हुई अभिरक्षा में मृत्यु ने एक बार फिर अभिरक्षा में यातना के मुद्दे को प्रमुखता से उजागर कर दिया है।

अभिरक्षा में यातना क्या है?

- **परिचय: अभिरक्षा/हिरासत में यातना (Custodial Torture)** का तात्पर्य उन व्यक्तियों को **शारीरिक या मानसिक पीड़ा** पहुँचाने से है, जो पुलिस या किसी अन्य प्राधिकरण की अभिरक्षा में होते हैं।
  - यह **मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा का गंभीर उल्लंघन है** तथा प्रायः अभिरक्षा में मृत्यु का कारण बनता है — यानी जब कोई व्यक्ति अभिरक्षा में रहते हुए मर जाता है।
- **अभिरक्षा में यातना के प्रकार:**
  - **शारीरिक यातना (Physical Torture): मारपीट, बिजली के झटके देना, दम घोंटना, यौन हिंसा, जबरन तनावपूर्ण स्थिति में रखना और चिकित्सकीय देखभाल से वंचित करना।**
  - **मानसिक प्रताड़ना (Psychological Torture): धमकियाँ, अपमान, नींद से वंचित करना, एकांत कारावास और मृत्युदंड की धमकी (Mock executions)।**
  - अत्यधिक दबाव डालकर **निरुद्धों से अपराध स्वीकार करवाना।**
- **भारत में अभिरक्षा में यातना:**
  - **अभिरक्षा में मृत्युः वर्ष 2016 से 2022 के बीच, तमिलनाडु** (दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक) ने **490 अभिरक्षा में मृत्यु** की रिपोर्ट की, जबकि पूरे देश में यह आँकड़ा **11,656 रहा।** उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक **2,630 मृत्यु** दर्ज की गईं।
  - **निवारक निरोध कानून (Preventive Detention Law) का दुरुपयोग:** वर्ष 2022 में, **तमिलनाडु ने निवारक कानूनों** के तहत 2,129 लोगों को अभिरक्षा में लिया, जो **पूरे भारत की कुल संख्या का लगभग आधा** है।
    - **अनुसूचित जातियों (SC) पर अत्यधिक यातना:** तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या केवल 20% होने के बावजूद अभिरक्षा में लिये गए लोगों में उनका अनुपात 38.5% रहा, जो उनके खिलाफ अभिरक्षा में अत्यधिक हिंसा को दर्शाता है।

अभिरक्षा में यातना के विरुद्ध संवैधानिक और विधिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 14: अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता** सुनिश्चित करता है तथा यह पुष्टि करता है कि विधि प्रवर्तन एजेंसियों या अधिकारियों सहित कोई भी विधि से ऊपर नहीं है।
- **अनुच्छेद 21: अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार** की गारंटी देता है, जिसमें यातना तथा अन्य **क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड से स्वतंत्रता** भी शामिल है।
- **अनुच्छेद 20(1): अनुच्छेद 20(1)** यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जो उस समय विधि के तहत अपराध नहीं था जब वह किया गया था। यह अत्यधिक या **भूतलक्षी दंड** को प्रतिबंधित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अनुच्छेद 20(3):** अनुच्छेद 20(3) किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये विवश किये जाने से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी आरोपी से यातना या दबाव द्वारा स्वीकारोक्ति नहीं करवाई जा सके।

विधिक प्रावधान

- **भारतीय न्याय संहिता (2023) की धारा 120:** यह उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो किसी संस्वीकृति या जानकारी प्राप्त करने के लिये जानबूझकर हिंसा या प्रपीड़न के माध्यम से चोट या गंभीर चोट पहुँचाते हैं।
- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS, 2023) की धारा 35:** यह प्रावधान करता है कि **गिरफ्तारी और अभिरक्षा केवल वैध कारणों तथा प्रलेखित प्रक्रिया** के अनुसार ही की जानी चाहिये।
- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (2023) की धारा 22:** यह ऐसे सभी स्वीकारोक्तियों को अमान्य घोषित करता है जो **उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या किसी वादे** के तहत की गई हों।

अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945:** यह प्रावधान करता है कि **कैदियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए** तथा यह सुनिश्चित करता है कि उनके **मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रताएँ** नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) के तहत सुरक्षित रहें (भारत इसका हस्ताक्षरकर्त्ता है)।
- **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948):** यह व्यक्तियों को **यातना, क्रूर व्यवहार और जबरन गायब किये जाने (Enforced disappearances)** से संरक्षण प्रदान करती है तथा **सम्मान व सुरक्षा के अधिकार की गारंटी** देती है।

अभिरक्षा में यातना पर अंकुश लगाने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **विशिष्ट यातना-विरोधी कानून का अभाव: भारत ने वर्ष 1997 में** UNCAT पर हस्ताक्षर तो किये हैं, लेकिन अब तक उसे **अनुमोदित** नहीं किया है।
  - हालाँकि **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993** जैसे कुछ कानूनों में यातना को अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया गया है, लेकिन यातना को अपराध घोषित करने वाला कोई **स्वतंत्र, विशिष्ट कानून** नहीं है। इससे वर्तमान प्रावधान **अस्पष्ट, अपर्याप्त और कड़ी सज़ा से रहित रहते हैं।**
- **कमज़ोर प्रवर्तन और दंड से मुक्ति: वर्ष 2017 से 2022 के बीच** अभिरक्षा में मृत्यु के **345 न्यायिक जाँच मामलों** में केवल **123 गिरफ्तारियाँ और 79 चार्जशीट** दाखिल हुईं, लेकिन **एक भी दोषसिद्धि (Conviction) नहीं हुई।**
  - **अवैध अभिरक्षा, यातना या मृत्यु से जुड़े 74 मानवाधिकार उल्लंघन मामलों** में पुलिस के विरुद्ध केवल **3 दोषसिद्धि दर्ज की गई।**
- **अधिभारित संस्थाएँ: मानवाधिकार आयोग** (NHRC/SHRC) के पास **बाध्यकारी शक्तियों** का अभाव है और वे सरकारी वित्त पोषण पर निर्भर हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।
  - **जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़** (**130% क्षमता** पर) और स्वतंत्र निगरानी की कमी अनेक राज्यों में प्रभावी **पुलिस शिकायत प्राधिकरण** का अभाव, ऐसे हालात उत्पन्न करते हैं जो **उत्पीड़न** और **अमानवीय व्यवहार** को बढ़ावा देते हैं।
- **पीड़ितों में प्रतिहिंसा का भय:** पीड़ित प्राय: प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराने से बचते हैं क्योंकि उन्हें प्रतिहिंसा का भय, **कानूनी सहायता का अभाव** और शिकायत दर्ज करते समय **धमकियों** का सामना करना पड़ता है।
  - **हाशिये पर मौजूद समूह** (दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी) विशेष रूप से **असुरक्षित** हैं क्योंकि **पीड़ित संरक्षण** और **मुआवज़ा तंत्र** अपर्याप्त हैं।
- **न्यायिक और प्रणालीगत विफलताएँ:** लंबी न्यायिक प्रक्रियाएँ, **अत्यधिक भारग्रस्त न्यायालयों**, साक्षियों को डराए जाने और त्वरित न्यायालयों की अपर्याप्तता के कारण अभिरक्षा में मृत्यु के मामलों में न्याय में देरी होती है।
  - इसके अतिरिक्त, **डी.के. बसु दिशानिर्देशों (1996)** जिनमें **गिरफ्तारी मेमो, चिकित्सकीय परीक्षण** और **कानूनी सहायता की अनिवार्यता** शामिल है - का कमज़ोर

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अनुपालन, साथ ही मजिस्ट्रेटी जाँचों की अक्षमता, प्रणालीगत विफलता और जवाबदेही लागू करने या पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है।

अभिरक्षा में यातना रोकने के लिये मुख्य सिफारिशें

- **भारत का विधि आयोग:** अपनी 273वीं रिपोर्ट (2017) में **भारत के विधि आयोग** ने **UNCAT** 1984, की पुष्टि करने तथा उसके प्रावधानों को लागू करने हेतु एक विशिष्ट कानून बनाने की सिफारिश की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यातना को दंडनीय अपराध घोषित करना अत्यंत आवश्यक है।
  - आयोग ने सरकार के विचारार्थ एक मसौदा **यातना निवारण विधेयक, 2017** भी प्रस्तुत किया।
- **न्यायिक निर्णय:**
  - ***डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामला, 1997:*** इस निर्णय में अभिरक्षा में यातना की रोकथाम और गिरफ्तारी तथा अभिरक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये दिशानिर्देश निर्धारित किये गए।
    - इसने यह पुष्टि की कि यद्यपि **पुलिस को जाँच करने का अधिकार** है, लेकिन उन्हें **थर्ड डिग्री तरीकों के प्रयोग की अनुमति नहीं** है, और यदि किसी **लोक सेवक द्वारा अभिरक्षा में हिंसा की जाती है, तो राज्य को भी उत्तरदायी ठहराया जाता है।**
  - ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव मामला, 1985:*** **अभिरक्षा में यातना** की घटनाओं में **दोषमुक्ति सिद्ध करने की ज़िम्मेदारी संबंधित पुलिस अधिकारी** पर होती है।
  - ***नंबी नारायणन मामला, 2018:*** इस निर्णय में झूठे अभियोजन और अभिरक्षा में हुए दुरुपयोग से उत्पन्न गंभीर मानसिक प्रभावों पर बल दिया गया।
- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC):** NHRC ने सिफारिश की कि **ज़िला मजिस्ट्रेट** और **पुलिस अधीक्षक** को **अभिरक्षा में यातना की किसी भी घटना** की सूचना **24 घंटे के** भीतर **महासचिव** को देनी चाहिये।
  - अनुपालन में विफलता को **घटना को छिपाने या दबाने के प्रयास** के रूप में देखा जा सकता है।

भारत में अभिरक्षा में यातना की समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ बनाना:** यातना निवारण हेतु एक **व्यापक कानून** बनाया जाए, जिसमें स्पष्ट **दंडात्मक प्रावधान** तथा **पीड़ितों के लिये मुआवज़े** की व्यवस्था हो, और जो **UNCAT मानकों** के अनुरूप हो।
  - भारत को **UNCAT की पुष्टि** भी करनी चाहिये, जिससे यातना के अंत के प्रति उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता मज़बूत हो।
- **संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करना:** अभिरक्षा में यातना में शामिल पुलिसकर्मियों के विरुद्ध **त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई** की जाए। **पुलिस अभिरक्षा और संवेदनशील पूछताछ** से संबंधित मामलों के निपटान के लिये ज़िला स्तर पर विशेष इकाइयों की स्थापना की जाए।
- **पुलिस संरचना में सुधार:** पुलिस विभाग में **कानून प्रवर्तन और पूछताछ** के कार्यों को अलग किया जाए, ताकि **हितों का टकराव** कम हो और **अभिरक्षा में दुरुपयोग** की घटनाएँ कम हों।
  - पुलिस कर्मियों को **वैध पूछताछ विधियों** तथा यातना के दुष्परिणामों के बारे में **मानवाधिकार प्रशिक्षण** दिया जाए। **न्यायिक मजिस्ट्रेटों** को **निष्पक्ष रिमांड प्रक्रिया** और **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों** पर प्रशिक्षण दिया जाए।
- **स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था: न्यायिक मजिस्ट्रेटों** को अभिरक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं और पूछताछों की निगरानी अनिवार्य रूप से सौंपी जाए। **अभिरक्षा में यातना और मृत्यु** की शिकायतों के निपटारे हेतु **स्वतंत्र जाँच एजेंसियों** की स्थापना की जाए, ताकि निष्पक्ष और प्रभावी जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

अभिरक्षा में यातना भारत में एक **गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन** बनी हुई है, जिसे **कानूनी खामियों, संस्थागत दंडमुक्ति और प्रणालीगत विफलताओं** ने और भी गंभीर बना दिया है। इस समस्या को समाप्त करने के लिये **कानूनों को सशक्त बनाना (जैसे**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कि BNS/BNSS सुधार, UNCAT की पुष्टि), **स्वतंत्र निगरानी** सुनिश्चित करना, तथा **पुलिस की जवाबदेही** तय करना अत्यंत आवश्यक है। **तत्काल कार्रवाई** के बिना **अभिरक्षा में मृत्यु** और **यातनाएँ अनियंत्रित** रूप से जारी रहेंगी।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. "संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, भारत में अभिरक्षा में यातना संस्थागत दंडमुक्ति के कारण बनी हुई है।" इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये एवं सुधारों का सुझाव दीजिये।

MSME को सशक्त बनाने में सहकारिताओं की संभावनाओं को साकार करना

चर्चा में क्यों?

भारत **अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस** (5 जुलाई, 2025) **मना रहा है** और **सहकारिता मंत्रालय के चार वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिये विशेष रूप से कारीगरों को सशक्त बनाने** तथा **समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने** के लिये **पीएम विश्वकर्मा योजना** जैसी पहलों के माध्यम से **सहकारी समितियों** और **MSME की क्षमता का दोहन करने** पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

भारत में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहकारी समितियाँ किस प्रकार योगदान दे सकती हैं?

- **वित्तीय सशक्तीकरण और संसाधन पूलिंग:** सहकारिताएँ MSME को **वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने की अनुमति** देती हैं, जिससे उच्च ब्याज वाले अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता कम हो जाती है।
  - उदाहरण के लिये, **पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगर सहकारी समितियाँ** व्यक्तिगत उधारकर्त्ताओं की तुलना में **कम ब्याज दरों** (5-7%) पर ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
  - **इसके अतिरिक्त सहकारी समितियाँ MSME को मशीनरी और कच्चे माल** जैसे संसाधनों को साझा करने में मदद करती हैं, जिससे लागत कम होती है तथा **विशेष रूप से लघु उत्पादकों के लिये परिचालन दक्षता** में सुधार होता है।
- **उन्नत बाज़ार पहुँच: सहकारी समितियाँ सामूहिक विपणन, ब्रांडिंग** और **गुणवत्ता प्रमाणन** के माध्यम से **MSME को बड़े बाज़ारों** तक पहुँचने में मदद कर सकती हैं।
  - इससे **दृश्यता** और **प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ती है,** जिससे **छोटे व्यवसायों को अपनी पहुँच बढ़ाने** तथा राष्ट्रीय **एवं वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच प्राप्त करने में मदद मिलती है।**
- **प्रौद्योगिकी अपनाना: सहकारी समितियाँ कौशल उन्नयन** (जैसे- **बढ़ईगीरी, मृद्भांड, सिलाई**) और **डिजिटल उपकरण** तथा **स्वचालन** जैसी **आधुनिक तकनीकों** के लिये **क्लस्टर-स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र** स्थापित कर सकती हैं।
- **सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल: सहकारी समितियाँ पीएम विश्वकर्मा** जैसी **सरकारी योजनाओं** के लिये एक प्रभावी **वितरण तंत्र के रूप में कार्य कर सकती हैं,** जिससे MSME, विशेष रूप से **कारीगरों को वित्तीय, तकनीकी** और **बाज़ार समर्थन** प्राप्त हो सके।
  - यह **एकीकरण MSME विकास** के उद्देश्य से सरकारी पहलों की **पहुँच** और **प्रभाव को** बढ़ाता है।
- **सतत् एवं समावेशी विकास: लिज्जत पापड़** और **सेवा** जैसी **MSME सहकारी समितियाँ महिला उद्यमियों को** सशक्त बनाती हैं तथा **ग्रामीण सशक्तीकरण का समर्थन करती हैं,** जबकि **अपशिष्ट-साझाकरण** एवं **पुनर्चक्रण पहल परिपत्र अर्थव्यवस्था** को बढ़ावा देती हैं।

भारत में सहकारिता क्या है?

- **सहकारी समितियाँ जन-केंद्रित उद्यम** हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी सामान्य **आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं** की प्राप्ति के लिये किया जाता है।
  - **कृषि, ऋण, डेयरी, आवास और मत्स्य पालन** जैसे **विभिन्न क्षेत्रों में 800,000 से अधिक सहकारी समीतियों के साथ भारत का सहकारिता नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों** में से एक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

- भारत में सहकारिता क्षेत्र का विकास:
  - **प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56):** व्यापक **सामुदायिक विकास के लिये सहकारी समितियों को बढ़ावा** दिया गया।
  - **बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002:** **बहु-राज्य सहकारी समितियों के गठन** एवं उसकी कार्यप्रणाली हेतु प्रावधान करता है।
  - **वर्ष 2011 का 97वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम:** सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया (अनुच्छेद 19)।
    - सहकारी समितियों पर **राज्य की नीति का एक नया निदेशक सिद्धांत प्रस्तुत** किया गया (अनुच्छेद 43-B)।
    - संविधान में **"सहकारी समितियाँ" शीर्षक से एक नया भाग IX-B जोड़ा** गया (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।
    - **बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) को नियंत्रित करने वाले कानून** बनाने के लिये संसद को अधिकार दिया गया और साथ ही अन्य सहकारी **समितियों के लिये राज्य विधानसभाओं को अधिकार सौंपा** गया।
    - **केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना (2021): सहकारी मामलों की ज़िम्मेदारी सँभाली** गई, जिसकी देख-रेख पहले कृषि मंत्रालय करता था।
    - **बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2022:** इसका उद्देश्य **बहु-राज्य सहकारी समितियों हेतु विनियमन** बढ़ाना है।
- प्रमुख योगदान:
  - **रोज़गार सृजन:** सहकारी समितियाँ भारत में 13.3% प्रत्यक्ष रोज़गार उपलब्ध कराती हैं, 8.14 लाख समितियों के 29 करोड़ सदस्य इसमें शामिल हैं तथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आजीविका का सृजन करती हैं।
  - **कृषि विकास:** सहकारी समितियाँ 15% अल्पकालिक कृषि ऋण वितरित करती हैं, 30% चीनी उत्पादन का प्रबंधन करती हैं और 35% उर्वरक वितरण का प्रबंधन करती हैं।
  - **वित्तीय समावेशन:** 20% सहकारी समितियाँ बैंकिंग से जुड़ी हैं, जिससे वे किसानों और छोटे व्यवसायों को किफायती ऋण उपलब्ध कराती हैं, जिससे दूर-दराज़ के क्षेत्रों में वित्तीय पहुँच बढ़ती है।
  - **खाद्य सुरक्षा:** अमूल, नेफेड और इफको जैसी सहकारी समितियाँ दुग्ध उत्पादन, डेयरी निर्यात और कृषि उत्पादों के वितरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - **महिला सशक्तीकरण:** सेवा और लिज्जत पापड़ जैसी सहकारी संस्थाएँ महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बढ़ावा देती हैं।

भारत की प्रमुख सहकारी संस्थाएँ:

- **प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS):** ये लघु अवधि की सहकारी ऋण संरचना की स्थानीय इकाइयाँ हैं, जो किसानों को **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों**, **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** और **NABARD** से जोड़ती हैं।
- **अमूल (आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड):** यह एक दुग्ध उत्पादक संघ है और **श्वेत क्रांति (White Revolution)** का अग्रणी है। गुजरात के दुग्ध उत्पादकों का यह महासंघ भारत को **विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक** बनाने में सहायक बना।
- **IFFCO (भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था):** यह विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्थाओं में से एक है, जो पूरे देश के किसानों को **उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक और कृषि इनपुट** प्रदान करती है।
- **HOPCOMS (बागवानी उत्पादकों की सहकारी विपणन एवं प्रसंस्करण सोसायटी):** यह अपने **फार्म उत्पाद विक्रय केंद्रों** के लिये प्रसिद्ध है, जो किसानों को **उचित मूल्य** दिलाने में सहायता करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **लिज्जत पापड़ (श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़):** यह एक **महिला सहकारी संस्था** है, जो महिलाओं को **पापड़ उत्पादन** के माध्यम से **आर्थिक सशक्तीकरण** प्रदान करती है।

भारत में MSME को सशक्त बनाने में सहकारी समितियों की प्रभावशीलता को कौन-सी चुनौतियाँ सीमित करती हैं?

- **गलत धारणाएँ:** कई MSME मालिक सहकारी संस्थाओं को **सरकार द्वारा नियंत्रित या राजनीतिक निकाय** मानते हैं, न कि व्यापार को बढ़ावा देने वाले माध्यम के रूप में।
  - **उत्पादक सहकारी**, **ऋण समितियाँ** और **विपणन महासंघों** जैसे विभिन्न सहकारी मॉडल के विषय में जागरूकता की कमी है।
- **कमज़ोर वित्तीय सहायता:** सहकारी बैंकों को प्राय: **तरलता संकट (Liquidity crisis)** का सामना करना पड़ता है, जिससे MSME को ऋण देना सीमित हो जाता है। वहीं, पारंपरिक बैंक सहकारी संस्थाओं को **जोखिम भरा** मानते हैं और **क्रेडिट इतिहास की कमी** के कारण उन्हें ऋण देने से हिचकिचाते हैं।
- **विनियामक जटिलता: सहकारी समितियाँ अधिनियम, राज्य सहकारी कानून** और **GST अनुपालन** जैसे अनेक नियमों की मौजूदगी से **जटिलता तथा भ्रम** उत्पन्न होता है। अत्यधिक **नौकरशाही** के कारण **पंजीकरण** और **संचालन संबंधी अनुमोदन** में देरी होती है।
- **डिजिटल अपनाने की कमी:** कई सहकारी संस्थाएँ एकाकी रूप में कार्य करती हैं, जिससे वे पैमाने की अर्थव्यवस्था का लाभ नहीं उठा पातीं। साथ ही, **तकनीक का सीमित उपयोग** (जैसे कि डिजिटल लेखांकन, ई-कॉमर्स) उनकी **बाज़ार तक पहुँच** को भी सीमित कर देता है।
- **प्रशासनिक कमियाँ:** कई सहकारी संस्थाओं में **पारदर्शिता, जवाबदेही** और **आंतरिक लेखा परीक्षा** की कमी होती है, जिससे **MSME के लिये विश्वसनीय मध्यस्थ** के रूप में उनकी भूमिका कमज़ोर हो रही है।

भारत में MSME को सशक्त बनाने के लिये सहकारी संस्थाओं को मज़बूत करने हेतु किन उपायों की आवश्यकता है?

- **नीतिगत और विनियामक सुधार: सहकारी समितियों में शामिल MSME को कर संबंधी लाभ (जैसे: कम GST दरें) प्रदान की जाएँ, उन्हें सार्वजनिक खरीद (Public Procurement) में प्राथमिकता दी जाए,** अनुपालन बोझ को कम किया जाए (जैसे: सरल GST फाइलिंग की सुविधा) और राज्य कानूनों को **राष्ट्रीय सहकारी नीति 2023** के समरूप किया जाए।
- वित्तीय और ऋण सहायता: गैर-कृषि MSME के लिये प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को सुदृढ़ कर सहकारी बैंकिंग तक पहुँच का विस्तार किया जाए। सहकारी समितियों को MUDRA, CGTMSE और NABARD से जोड़ा जाए। साथ ही, सहकारी फिनटेक प्लेटफॉर्म और डिजिटल बैंकिंग प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए।
- बुनियादी ढाँचे का उन्नयन: ई-कॉमर्स एकीकरण (जैसे: ONDC, GeM) जैसे डिजिटल उपकरणों को अपनाया जाए। उत्पादन, परीक्षण और पैकेजिंग के लिये साझा सुविधा केंद्र/कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किये जाएँ। साथ ही, लॉजिस्टिक्स सहकारी समितियों का निर्माण कर परिवहन लागत को कम किया जाए।
- **मार्केट लिंकेज और ब्रांडिंग: "कॉपमेड" लेबल** के माध्यम से **सामूहिक ब्रांडिंग और प्रमाणन** को बढ़ावा देना और सहकारी समितियों को **अमेज़ॅन कारीगर** जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़कर ई-कॉमर्स को बढ़ावा दें तथा निर्यात क्लस्टर विकसित करने चाहिये।
- **जागरूकता और जनसंपर्क:** मीडिया के माध्यम से सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिये **'आत्मनिर्भर MSME हेतु सहकारी समितियाँ'** जैसे राष्ट्रीय अभियान शुरू करें और SHG, FPO तथा **उद्योग संघों** की भागीदारी से **स्थानीय स्तर पर जनसक्रियता** को बढ़ावा दिया जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष

नीतिगत सुधारों, **डिजिटल अपनाने** और **वित्तीय समावेशन** से सशक्त बनी **सहकारी संस्थाएँ**, भारत में **MSME सशक्तीकरण** को क्रांतिकारी रूप से बदल सकती हैं। यदि **शासन संबंधी कमियों** को दूर किया जाए और **बाज़ार से जुड़ाव** को बेहतर बनाया जाए, तो ये संस्थाएँ विशेष रूप से **हस्तशिल्पकारों** और **महिला उद्यमियों** के लिये **समावेशी विकास** को आगे बढ़ा सकती हैं। **सहकारी संस्थाओं** तथा **प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना** जैसी पहलों के बीच की **सहभागिता**, भारत के **आत्मनिर्भर भारत** के विज़न को साकार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. चर्चा कीजिये कि भारत में एमएसएमई को सशक्त बनाने में सहकारी समितियाँ किस प्रकार परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती हैं।

भारत में विधायी कार्य-उत्पादकता

चर्चा में क्यों?

लोकसभा अध्यक्ष ने शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायी कार्य-उत्पादकता में वृद्धि तथा विमर्श की गुणवत्ता को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत में विधायी कार्य-उत्पादकता की स्थिति क्या है?

- **विधायी कार्य-उत्पादकता से** तात्पर्य उस **दक्षता और प्रभावशीलता** से है जिसके साथ **संसद और राज्य विधानमंडल** जैसे विधायी निकाय अपने **मुख्य कार्यों जैसे- कानून निर्माण, कार्यकारी निरीक्षण, बजट अनुमोदन और राष्ट्रीय/सार्वजनिक महत्त्व** के मुद्दों पर बहस करते हैं।

स्थिति:

- **बैठक के दिनों की संख्या:** संसद के बैठक दिनों की संख्या घटकर पहले लोकसभा में **लगभग 135 दिन प्रतिवर्ष से 17वीं लोकसभा में लगभग 55 दिन प्रतिवर्ष** रह गई है।
- **प्रत्येक बैठक की अवधि:** गहन विधायी विचार-विमर्श के लिये लंबी बैठकें आवश्यक हैं। हालाँकि **वर्ष 2023 के बजट सत्र में**, **लोकसभा** और **राज्यसभा** क्रमशः निर्धारित समय का केवल **33%** तथा **24%** ही कार्य कर पाएंगी, जिससे यह वर्ष 1952 के बाद से छठा सबसे छोटा बजट सत्र बन जाएगा ।
- **उपस्थित सदस्यों की संख्या: 17वीं लोकसभा (2019-2024)** के दौरान **सांसदों की औसत उपस्थिति जहाँ 79%** रही, वहीं संसदीय बहसों में उनकी सक्रिय भागीदारी अपेक्षाकृत कम देखी गई; इस अवधि में सांसदों ने औसतन केवल **45 बहसों** में भाग लिया।
- **व्यवधान का स्तर:** बार-बार **होने वाले व्यवधान**, जैसे- **नारेबाज़ी** और **बहिर्गमन**, बहस के समय को काफी कम कर देते हैं। **15वीं लोकसभा (2009-14) में व्यवधानों के कारण निर्धारित समय का 30%** से अधिक समय बर्बाद हुआ, जिससे **विधायी कार्य-उत्पादकता** बुरी तरह प्रभावित हुई।
- **संसदीय समितियों द्वारा जाँच: 17वीं लोकसभा** में, केवल **10% विधेयक समितियों को भेजे गए, जो 14वीं लोकसभा (60%), 15वीं (71%)** और **16वीं (25%) की** तुलना में काफी कम है, जहाँ केवल **14 विधेयकों** की समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, हाल के वर्षों में समितियों के भीतर **बढ़ते दलीय मतभेदों ने द्विदलीय जाँच को कमज़ोर** कर दिया है, जिससे विधायी समीक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।
- **विचार-विमर्श की कार्यप्रणाली:** कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने के लिये आवश्यक *प्रश्नकाल* और *शून्यकाल* जैसे उपकरण या तो अपर्याप्त रूप से उपयोग किये गए या पूरी तरह अनुपस्थित रहे। **17वीं लोकसभा में प्रश्नकाल लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में मात्र 9%** निर्धारित समय में ही संचालित हुआ।
- **सांसदों के निजी विधेयकों की प्रस्तुति:** स्वतंत्रता के बाद से अब तक 300 से अधिक निजी विधेयक प्रस्तुत किये गए हैं, लेकिन इनमें से केवल 14 ही पारित हुए हैं। अंतिम निजी विधेयक वर्ष 1970 में पारित हुआ था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **संविधानिक प्रावधानों में देरी: अनुच्छेद 93 के अंतर्गत उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) का पद 17वीं लोकसभा** के पूरे कार्यकाल में रिक्त रहा, जबकि संविधान में इसे "यथाशीघ्र" चुने जाने की आवश्यकता बताई गई है।
- **सहमति-आधारित कानून निर्माण में गिरावट: सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनाने की परंपरा काफी कमज़ोर हो गई है,** जिससे महत्त्वपूर्ण विधेयकों को **न्यूनतम बहस तथा निरंतर बाधाओं** के बीच पारित किया जा रहा है।
  - वर्ष 1950 से अब तक केवल 3 **बार संयुक्त बैठक** का उपयोग किया जाना, उन व्यवस्थाओं के क्षरण को दर्शाता है जो **विधायी गतिरोधों** को सुलझाने के लिये बनाई गई थीं।

विधायिका की निम्न कार्य-उत्पादकता के प्रमुख निहितार्थ क्या हैं?

- **निगरानी की कमज़ोरी: बैठक के दिनों की कमी, निरंतर बाधाएँ और प्रश्नकाल का अपर्याप्त उपयोग** कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने की विधायिका की क्षमता को कमज़ोर करता है, जिससे **संसदीय निगरानी कमज़ोर पड़ती है** तथा बिना जाँच के निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है।
- **कम गुणवत्ता वाला कानून निर्माण:** संसदीय समितियों को दरकिनार कर विधेयकों को बिना पर्याप्त बहस के जल्दबाज़ी में पारित करना **कानून की गहनता, वैधता और प्रभावशीलता** से समझौता करता है, जिससे **न्यायिक समीक्षा तथा कार्यान्वयन में चुनौतियों** का जोखिम बढ़ जाता है।
- **विपक्ष का हाशिये पर जाना:** बहस के लिये **सीमित समय, निजी विधेयकों की अनुपस्थिति और विपक्ष की भागीदारी पर रोक समावेशी कानून निर्माण को कमज़ोर करती है,** सहमति बनाने की प्रक्रिया को बाधित करती है तथा लोकतंत्र में असहमति की भूमिका को कमज़ोर करती है।
- **लोक विश्वास में गिरावट:** विधायी प्रणाली की अक्षमता की धारणा लोकतांत्रिक संस्थानों में नागरिकों के विश्वास को कमज़ोर करती है, जिससे **राजनीतिक उदासीनता, मतदान में कमी और संस्थागत वैधता का क्षरण** होता है।
- **कार्यपालिका का अतिक्रमण:** विधायिका की भागीदारी कम होने से **कार्यपालिका को अध्यादेशों, अधीनस्थ कानूनों और कार्यकारी आदेशों** के माध्यम से संसद को दरकिनार करने का अवसर मिलता है, जिससे **संवैधानिक शक्तियों** का संतुलन बिगड़ता है तथा **नियंत्रण एवं संतुलन प्रणाली** कमज़ोर होती है।

भारत में विधायी कार्य-उत्पादकता में सुधार के लिये क्या उपाय किये गए हैं?

- **सांसदों के लिये आचार संहिता: सांसदों (संसद सदस्यों)** के आचरण को नियंत्रित करने के लिये एक औपचारिक आचार संहिता निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य **संसद की गरिमा बनाए रखना, अवरोधों को कम करना और विधायी कार्य में रचनात्मक भागीदारी को बढ़ावा देना है।**
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना:** संसद ने विधायी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये **डिजिटल उपकरणों** को अपनाया है। कार्यवाही का सीधा प्रसारण सार्वजनिक निगरानी को बढ़ाता है, जिससे **सांसदों की जवाबदेही और अनुशासित व्यवहार को प्रोत्साहन** मिलता है।
  - **ई-विधान (NeVA)** जैसी पहलें सभी **राज्य विधानसभाओं को कागज़रहित** बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं, जिससे **रियल-टाइम अपडेट** और **विधायी कार्य में पारदर्शिता में सुधार** सुनिश्चित होता है।
- **संसदीय समिति प्रणाली को सुदृढ़ करना:** एक सशक्त संसदीय समिति प्रणाली, जिसमें विभाग से संबंधित स्थायी समितियाँ शामिल हैं, **विधेयकों, नीतियों और कार्यपालिका की गतिविधियों** की विस्तृत जाँच के लिये उपयोग की जाती है।
  - यह **विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल करने की अनुमति देती है** तथा विधायी चर्चाओं की गुणवत्ता और गहराई को मज़बूत बनाती है।
- **अनुशासनात्मक तंत्र: अनुशासनहीन व्यवहार** से निपटने के लिये संसद नियमों का उल्लंघन करने वाले **सांसदों के निलंबन या निष्कासन** जैसे अनुशासनात्मक उपाय लागू करती है। इनका उद्देश्य **सदन की गरिमा बनाए रखना और कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालित** करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **विधायकों के लिये क्षमता निर्माण: लोक सभा सचिवालय, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च और गैर-सरकारी संगठनों (NGO)** जैसे निकायों द्वारा आयोजित **प्रशिक्षण सत्र, कार्यशालाएँ एवं हैंडबुक,** विधायकों को प्रक्रियाओं तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का ज्ञान प्रदान करते हैं।

भारत में विधायी कार्य-उत्पादकता में सुधार के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- **संस्थागत अनुशासन और नियमित कार्यप्रणाली: संसद के लिये न्यूनतम बैठक दिवसों को** अनिवार्य बनाया जाए तथा पूर्वानुमान तथा समयबद्ध विचार-विमर्श सुनिश्चित करने हेतु **वार्षिक विधायी कैलेंडर प्रकाशित** किये जाएं।
  - आचरण को मानकीकृत करने और विधायी शिष्टाचार को बनाए रखने के लिये सभी स्तरों पर **प्रक्रिया के आदर्श नियमों को** अपनाना।
- **समितियाँ एवं विधायी समीक्षा: सभी स्तरों पर स्थायी एवं विषय समितियों को** विधेयकों, बजटों और नीतियों की गहन समीक्षा/जाँच करने के लिये सशक्त बनाना।
  - महत्त्वपूर्ण विधेयकों के लिये **समिति के संदर्भ अनिवार्य** बनाना। कानून निर्माण प्रक्रिया में आरंभिक चरण में ही विशेषज्ञों और हितधारकों की राय शामिल करने हेतु **पूर्व-विधायी परामर्शों को संस्थागत** बनाना।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** सांसदों की **उपस्थिति, बहस में भागीदारी तथा मतदान रिकॉर्ड की** निगरानी एवं प्रकाशन करना, बेहतर जवाबदेही के लिये **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 का उपयोग करना।**
  - अनुशासनात्मक शक्तियों के माध्यम से व्यवधानों को रोकने के लिये **पीठासीन अधिकारियों को** सशक्त बनाना। पारदर्शिता और जनता का विश्वास बढ़ाने हेतु कार्यवाही की **लाइव स्ट्रीमिंग तथा अभिलेखीकरण अनिवार्य करना।**
- **संवाद और क्षमता निर्माण:** सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति बनाने को प्रोत्साहित करके **व्यवधान** से संवाद की ओर बदलाव को बढ़ावा देना।
  - विधायी गुणवत्ता और सूचित भागीदारी में सुधार के लिये पहली बार प्रतिनिधियों को **प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास** प्रदान करना।
- **नागरिक सहभागिता और मान्यता:** ईमानदारी और जनसेवा में निहित **युवा नेतृत्व को** बढ़ावा देना। **पुरस्कारों, अनुदानों और मानेसर सम्मेलन** जैसे मंचों के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विधायकों को सम्मानित करें ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके।
- **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना: पारदर्शिता, समावेशिता और विधायी जानकारी तक पहुँच** को बढ़ावा देने वाले **IPU (अंतर-संसदीय संघ) मानकों को** अपनाना।
  - **निश्चित बैठक दिवसों और अनिवार्य समिति जाँच** के **UK और जर्मन मॉडल का** अनुकरण करना।
  - **प्रक्रियागत और नैतिक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने** के लिये **कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके** जैसे देशों के साथ **सांसद/विधायक विनिमय कार्यक्रम** शुरू करना।
  - **आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन** (Organisation for Economic Cooperation and Development-OECD) की संसद से प्रेरित बेंचमार्किंग प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, जिसमें विधायी प्रदर्शन पर सार्वजनिक डैशबोर्ड शामिल हों।

निष्कर्ष

लोकतांत्रिक जवाबदेही, गुणवत्तापूर्ण कानून निर्माण और **उत्तरदायी शासन** के लिये विधायी कार्य-उत्पादकता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। **डिजिटल एकीकरण** और **समिति सुधारों** में प्रगति के बावजूद, **व्यवधान, कम जाँच** और **कम बैठकें** जैसी समस्याएँ प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं। **संस्थागत अनुशासन को मजबूत करना, द्विदलीय संवाद को बढ़ावा देना और नागरिक भागीदारी को बढ़ाना, विकसित भारत @2047 को साकार** करने के लिये सभी स्तरों पर विधायिकाओं को सशक्त बनाने हेतु आवश्यक है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में विधायी कार्य-उत्पादकता में गिरावट के लिये जिम्मेदार प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिये और इसे मजबूत करने हेतु समग्र उपायों का प्रस्ताव करें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निर्वाचन नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने बिहार में मतदाता सूची के **भारतीय निर्वाचन आयोग** (ECI) के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समीक्षा की और मतदाता गणना के लिये **आधार**, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज़ों के रूप में स्वीकार करने का सुझाव दिया।

- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने **याचिकाकर्त्ताओं** की **इस दलील को खारिज कर दिया** कि भारत के निर्वाचन आयोग के पास संशोधन करने का **अधिकार नहीं** है।

निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:** निर्वाचन नामावली (**जिसे मतदाता सूची** या **निर्वाचक रजिस्टर** भी कहा जाता है) एक विशिष्ट **निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र और पंजीकृत मतदाताओं की आधिकारिक सूची है।**
  - इसका उपयोग **मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने** तथा चुनावों के दौरान **निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है।**
  - मतदाता सूचियाँ ECI द्वारा **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RP अधिनियम), 1950 के तहत तैयार** की जाती हैं।
  - इसमें **गैर-नागरिकों** (**धारा 16**) **को शामिल नहीं किया गया है** तथा **18 वर्ष या उससे अधिक** आयु के **नागरिकों को शामिल किया गया है** जो **सामान्यतः निर्वाचन क्षेत्र** (**धारा 19**) में निवास करते हैं।
- **विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में: SIR** एक **केंद्रित, समयबद्ध घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन** प्रक्रिया है, जो प्रमुख चुनावों से पहले मतदाता **सूचियों को अद्यतन** और **सही करने** के लिये **बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) द्वारा संचालित की जाती है।**
  - **नये पंजीकरण, विलोपन** और **संशोधन की** अनुमति देकर यह सुनिश्चित करता है कि **मतदाता सूची सटीक, समावेशी** और **विसंगतियों से मुक्त** हो।
  - **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950** की **धारा 21 भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची** तैयार करने और संशोधित करने का अधिकार देती है, जिसमें **दर्ज कारणों** के साथ किसी भी समय **विशेष संशोधन करना भी शामिल है।**
- **एसआईआर का संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची** तैयार करने और चुनाव कराने का **पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने** की शक्ति प्रदान करता है।
  - **अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की** गारंटी देता है, जिसके तहत **18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान** का अधिकार है, जब तक कि उन्हें **आपराधिक दोषसिद्धि, विकृत मस्तिष्क** या **भ्रष्टाचार** के कारण कानून द्वारा **अयोग्य घोषित न कर** दिया जाए।
- **न्यायिक स्थिति:** ***मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त मामले, 1977*** में सर्वोच्च न्यायालय ने **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव** सुनिश्चित करने के लिये **अनुच्छेद 324** के तहत **ECI की व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा**, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर **पुनर्मतदान का आदेश देना भी शामिल है**, और इस बात पर जोर दिया कि **अनुच्छेद 329(b)** के अनुसार चुनावों के दौरान **न्यायिक समीक्षा प्रतिबंधित है।**
  - इसमें स्पष्ट किया गया कि यदि **अनुच्छेद 327 और 328** के तहत कानून किसी भी पहलू पर मौन हैं तो **भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है ।**
  - साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि यद्यपि **प्राकृतिक न्याय** का सिद्धांत महत्त्वपूर्ण है, फिर भी **असाधारण परिस्थितियों** में **ECI त्वरित और व्यावहारिक निर्णय** ले सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पूर्ववर्ती मतदाता सूची पुनरीक्षण:** देश के विभिन्न भागों में **वर्ष 1952-56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004** में **विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR)** आयोजित किये गए थे। **बिहार** में अंतिम SIR **वर्ष 2003** में आयोजित किया गया था।

नोट:
- **अनुच्छेद 327** संसद को विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 328** राज्य की विधानमंडल को उसके अपने चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है।

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) की आवश्यकता क्यों होती है?

- **त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची:** SIR का उद्देश्य **अपात्र मतदाताओं को हटाना, नव पात्र या पूर्व में छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ना** और **मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारना होता है,** ताकि सूची सटीक हो और धोखाधड़ी को रोका जा सके।
  - SIR **प्रवासियों** तथा **स्थानांतरित जनसंख्या** के लिये **पुनः पंजीकरण** को सरल बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची **संशोधित निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं** के अनुसार अद्यतन रहे।
- **लोकतांत्रिक वैधता की रक्षा:** SIR "**वन पर्सन, वन वोट अर्थात् एक व्यक्ति, एक वोट**" के सिद्धांत को सशक्त करता है। यह **फर्जी और दोहराए गए मतदाताओं** को हटाकर **लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता का विश्वास** बनाए रखने में सहायक होता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जाँच की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
- **मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहन:** SIR **जागरूकता अभियानों** के माध्यम से नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देता है और **डोर-टू-डोर सर्वेक्षण** तथा **ऑनलाइन पंजीकरण विकल्पों** के माध्यम से मतदाता पंजीकरण को सुलभ बनाता है — विशेष रूप से **वंचित वर्गों** को लाभ पहुँचाता है।
- **प्रौद्योगिकी और नीतिगत सुधारों को अपनाना:** SIR, मतदाता सूचियों के **डिजिटल एकीकरण को प्रोत्साहित करता है** और प्रवासी मतदाताओं के लिये **रिमोट वोटिंग** जैसी नीतिगत पहलों को लागू करने में सहायक होता है, जिससे सुलभता तथा दक्षता में सुधार होता है।
  - उदाहरण के लिये, **बिहार** भारत का पहला राज्य बना जिसने **E-SECBHR ऐप** के माध्यम से नगरपालिका चुनावों में **मोबाइल ई-वोटिंग** की पायलट परियोजना शुरू की। इसमें **ब्लॉकचेन, फेशियल रिकग्निशन, बायोमेट्रिक स्कैनिंग** और **वोटर आईडी सत्यापन** जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया।

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी चिंताएँ क्या हैं?

- **व्यापक मताधिकार वंचन का जोखिम: आधार, राशन कार्ड** या यहाँ तक कि **मतदाता पहचान पत्र** जैसे व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाले पहचान पत्रों को अस्वीकार करना, **वंचित वर्गों** पर अनुपातहीन रूप से प्रभाव डाल सकता है।
  - परंपरागत रूप से, **मतदाता सूची में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों** को उनके **सामान्य निवास स्थान** के आधार पर शामिल किया जाता है, लेकिन वर्तमान प्रक्रिया में उनके **जन्म स्थान** को भी ध्यान में रखा जा रहा है।
- **प्रवासी श्रमिकों पर प्रभाव: प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और अस्थायी श्रमिकों** के बार-बार स्थान परिवर्तन के कारण निवास का प्रमाण प्रस्तुत करना कठिन हो जाता है, जिससे उनकी मतदाता सूची से बहिष्करण का जोखिम बढ़ जाता है।
- **नागरिकों के गुप्त राष्ट्रीय रजिस्टर का संदेह:** जन्म प्रमाण पत्र या वंशानुगत दस्तावेज़ों की मांग को **परोक्ष रूप से नागरिकता परीक्षण** के रूप में देखा जा रहा है, जिससे **हाशिये पर और अल्पसंख्यक समुदायों** के व्यवस्थित बहिष्करण की आशंका बढ़ जाती है।
  - यह आशंका जताई जा रही है कि SIR को **पक्षपातपूर्ण ढंग से लागू किया जा सकता है,** जिससे **चुनावी अखंडता और समावेशी प्रतिनिधित्व** कमज़ोर हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- **जन परामर्श की कमी: शीर्ष स्तर पर कार्यान्वयन और अत्यधिक दस्तावेज़ीकरण** आवश्यकताओं के कारण **सार्वभौमिक मताधिकार** को नुकसान पहुँचने का खतरा है, विशेष रूप से **अशिक्षित और निराश्रित लोगों** के लिये।

SIR प्रक्रिया की अखंडता और सटीकता को किस प्रकार मज़बूत किया जा सकता है?

- **समावेशी दस्तावेज़ीकरण नीतियाँ:** हालाँकि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, फिर भी यह वंचित समुदायों के लिये **सबसे सुलभ पहचान पत्र** है। इसलिये इसे **निवास प्रमाणन** के लिये स्वीकार किया जाना चाहिये तथा इसे पूर्ववर्ती अभिलेखों (legacy data) से क्रॉस-वेरिफिकेशन द्वारा पूरक किया जाना चाहिये।
- सुदृढ़ सत्यापन और डेटा सटीकता: त्रुटिरहित और पारदर्शी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को सुनिश्चित करने के लिये, **सुरक्षा उपायों के साथ आधार-वोटर आईडी लिंकिंग**, **BLO द्वारा घर-घर सत्यापन** और **राज्य निर्वाचन आयोग** जैसे चुनावी प्राधिकरणों द्वारा नियमित ऑडिट किया जाना चाहिये।
- **राजनीतिक और कानूनी सहमति:** चुनाव आयोग (ECI) को सभी हितधारकों, जिसमें **नागरिक समाज** भी शामिल हो, से परामर्श करना चाहिये तथा **SIR से जुड़े नियमों और अंतिम तिथियों** को स्पष्ट करने के लिये **जन-जागरूकता अभियान** चलाने चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, **विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा न्यायिक निगरानी** और **निर्वाचन नामांकन अधिकारियों (EROs)** के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश अत्यंत आवश्यक हैं, ताकि **संवैधानिक सुरक्षा उपायों** को बनाए रखा जा सके तथा **मनमाने ढंग से मतदाताओं के बहिष्करण** को रोका जा सके।
- **प्रौद्योगिकी-आधारित सुरक्षा उपाय: AI-सक्षम विसंगति पहचान (Anomaly Detection)** के माध्यम से संदेहास्पद विलोपन/जोड़ (जैसे किसी एक क्षेत्र से एक साथ कई नाम हटना) की पहचान की जाए। **ब्लॉकचेन-आधारित मतदाता लॉग** लागू किए जाएँ और **वास्तविक समय ट्रैकिंग डैशबोर्ड** उपलब्ध कराया जाए, ताकि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान छेड़छाड़ को रोका जा सके।
- **समावेशिता के उपाय: वंचित समूहों (जैसे विकलांग, आदिवासी समुदाय)** के लिये विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए। बहुभाषी हेल्पलाइन शुरू की जाए और पुनरीक्षण के बाद नमूना सर्वेक्षण (sample surveys) कराए जाएँ, ताकि सटीक नामांकन सुनिश्चित किया जा सके और बहिष्करण को न्यूनतम किया जा सके।

निष्कर्ष:

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) मतदाता सूचियों की त्रुटिरहितता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें **सटीकता और समावेशिता** के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हालाँकि **सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग (ECI)** के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा है, फिर भी **मतदाता अधिकार** से वंचित होने और **पूर्वाग्रह (bias) को लेकर चिंताएँ** बनी हुई हैं। **प्रौद्योगिकी आधारित सत्यापन**, **राजनीतिक सहमति**, और **न्यायिक निगरानी** जैसे उपाय **SIR** की **पारदर्शिता और निष्पक्षता** को मज़बूत कर सकते हैं, जिससे **लोकतांत्रिक वैधता** के लिये एक **न्यायसंगत और विश्वसनीय मतदाता सूची** सुनिश्चित की जा सकती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. *मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) चुनावी निष्पक्षता के लिये आवश्यक है, लेकिन यह बहिष्करण की चिंताएँ भी उत्पन्न करता है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।*

महाराष्ट्र द्वारा हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में समाप्त करने का निर्णय

चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र सरकार ने मराठी और अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को **अनिवार्य तीसरी भाषा** के रूप में अनिवार्य करने वाले अपने सरकारी संकल्प (GR) को रद्द कर दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यद्यपि यह कदम **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** के अनुरूप था, जो **त्रि-भाषा फार्मूले** के माध्यम से बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है, लेकिन भाषायी पहचान, सांस्कृतिक आधिपत्य और कार्यान्वयन की व्यवहार्यता पर चिंताओं के कारण इसे वापस ले लिया गया।
- सरकार ने त्रिभाषा नीति का अध्ययन करने के लिये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री **डॉ. नरेंद्र जाधव** की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है।

त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन में क्या मुद्दे हैं?

- **शैक्षणिक चुनौतियाँ:** तंत्रिका विज्ञान संबंधी शोध, प्रारंभिक अवस्था में ही बहुभाषाओं से परिचय (2-8 वर्ष की आयु) का समर्थन करता है, लेकिन यह औपचारिक कक्षा निर्देश के समान नहीं है।
  - प्रभावी अधिगम के लिये बच्चों को अतिरिक्त भाषाएँ सीखने से पहले अपनी मातृभाषा में मूलभूत साक्षरता विकसित करना आवश्यक होता है।
  - कक्षा 1 से तीन भाषाओं को शामिल करने से प्राथमिक भाषा में मूल साक्षरता कमज़ोर हो सकती है।
- **संघीय चिंताएँ:** शिक्षा **समवर्ती सूची** का विषय है। राज्य से उचित परामर्श के बिना हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाना शैक्षिक मामलों में संघीय भावना को कमज़ोर करता है।
  - **त्रिभाषा नीति** की आलोचना इस आधार पर की गई है कि इसमें क्षेत्रीय भाषाओं की कीमत पर हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसे भाषायी केंद्रीकरण के कार्य के रूप में देखा गया।
  - द्रविड़ आंदोलन से प्रेरित होकर **तमिलनाडु ने वर्ष 1968 में त्रिभाषा फार्मूले को खारिज करते हुए दो भाषाओं** (तमिल और अंग्रेज़ी) **की नीति** अपनाई। यह रुख आज भी जारी है। वर्ष 2019 में, तमिलनाडु के कड़े विरोध के कारण NEP, 2020 के मसौदे से हिंदी की अनिवार्यता हटा दी गई थी।
- **नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य से विचलन:** नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 मुख्य रूप से प्रारंभिक वर्षों में **मातृभाषा ('R1')** में शिक्षण पर ज़ोर देती है, साथ ही एक **दूसरी भाषा ('R2' - जो R1 के अलावा कोई अन्य भाषा हो)** को शामिल करने की बात करती है, न कि प्रारंभिक स्तर पर तीन भाषाओं के अध्ययन की।
- **सांस्कृतिक और सामाजिक चिंताएँ:** सिविल सोसाइटी समूहों का तर्क है कि **हिंदी को अनिवार्य बनाए जाने से स्थानीय जनजातीय या अल्पसंख्यक भाषाओं** के उपयोग को हतोत्साहित किया जा सकता है।
  - आलोचकों ने इसे **"पारदर्शिता रहित निर्णय प्रक्रिया"** बताते हुए **"हिंदी को परोक्ष रूप से अनिवार्य करना"** करार दिया है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि **कुछ राज्य-स्तरीय नीतियाँ**, जो हिंदी को अनिवार्य बनाती हैं, **विशेषज्ञ भाषा समितियों या जन-संलग्न हितधारकों से उचित परामर्श के बिना** लागू की गई हैं।
- **प्रशासनिक और बुनियादी ढाँचे संबंधी समस्याएँ:** कई स्कूलों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, **तीनों भाषाओं के लिये योग्य शिक्षकों की कमी** है, जिससे **शिक्षण की गुणवत्ता असमान** हो जाती है।
  - तीन भाषाओं के लिये **आयु-उपयुक्त और समन्वित पाठ्यक्रम** तैयार करना भी एक चुनौती है, विशेषकर प्रारंभिक स्तर पर। इससे **छात्रों और शिक्षकों दोनों पर अतिरिक्त बोझ** पड़ सकता है, जो अंततः **रटकर सीखने (Rote learning)** तथा **कम समझ** जैसी समस्याएँ उत्पन्न करता है।

नोट: कोठारी आयोग (1964-66) ने एक **सामान्य शैक्षिक ढाँचे** के माध्यम से **राष्ट्रीय एकता** और **सांस्कृतिक आदान-प्रदान** को बढ़ावा देने के लिये **त्रिभाषा सूत्र (Three-Language Formula)** का प्रस्ताव दिया था। बाद में इसे **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968** में अपनाया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नई शिक्षा नीति 2020 में भाषा को लेकर क्या प्रावधान किये गए हैं?

- **शिक्षण का माध्यम:** NEP 2020 यह सिफारिश करती है कि कम से कम **कक्षा 5** तक और यदि संभव हो तो **कक्षा 8 और उससे आगे तक, मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा** को **शिक्षण का माध्यम** बनाया जाए।
    - NEP 2020 **द्विभाषिक शिक्षण (Bilingual teaching)** को बढ़ावा देती है, विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी के साथ-साथ घरेलू भाषा या मातृभाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **बहुभाषावाद:** NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित वर्तमान **त्रिभाषा सूत्र** NEP, 1968 से काफी अलग है, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेज़ी और एक आधुनिक भारतीय भाषा (अधिमानत: दक्षिणी भाषाओं में से एक) तथा गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेज़ी एवं एक क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन पर ज़ोर दिया गया था।
    - इसके विपरीत, **NEP 2020** में कहा गया है कि यह **त्रिभाषा सूत्र** में अधिक अनुकूलन प्रदान करता है और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी।
    - इसके साथ ही, यह नीति **शास्त्रीय भाषाओं** जैसे **तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम** और अन्य को त्रिभाषा सूत्र का हिस्सा बनाने के लिये भी प्रोत्साहित करती है।
- **विदेशी भाषाएँ: NEP 2020** माध्यमिक स्तर पर छात्रों को **कोरियाई, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश** जैसी **विदेशी भाषाएँ सीखने का विकल्प** प्रदान करती है।
    - **केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)** ने यह निर्देश दिया है कि **कक्षा 10 तक छात्र दो भारतीय भाषाएँ** सीखेंगे, जबकि **कक्षा 11 और 12 में** वे **एक भारतीय भाषा तथा एक विदेशी भाषा** का चयन कर सकते हैं।

स्कूलों में मातृभाषा

- **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT)** द्वारा किये गए आठवें **अखिल भारतीय स्कूली शिक्षा सर्वेक्षण (AISES) से** पता चलता है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के प्रयोग में गिरावट आई है। प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2009 में 86.62% स्कूलों में मातृभाषा का प्रयोग किया गया, जो वर्ष 2002 में 92.07% से कम है।
    - यह गिरावट ग्रामीण (92.39% से 87.56%) और शहरी (90.39% से 80.99%) दोनों क्षेत्रों में देखी गई है।

भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **अनुच्छेद 29:** नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा और संस्कृति के संरक्षण के अधिकार की रक्षा करता है।
- **अनुच्छेद 343: देवनागरी लिपि में हिंदी को** संघ की आधिकारिक भाषा घोषित करता है, 1950 से 15 वर्षों (बाद में कानून द्वारा बढ़ाया गया) तक आधिकारिक उद्देश्यों के लिये अंग्रेजी के निरंतर उपयोग की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 346:** राज्यों के बीच और संघ के साथ **पत्र-व्यवहार हेतु राजभाषा का निर्धारण करता** है। यदि संबंधित राज्य सहमत हों तो हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 347: राष्ट्रपति को किसी भाषा को** किसी राज्य या उसके भाग की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की अनुमति देता है, यदि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इसकी मांग करता है।
- **अनुच्छेद 350A :** राज्यों को भाषायी अल्पसंख्यक बच्चों के लिये मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 350B:** भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट करने के लिये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त **भाषायी अल्पसंख्यकों हेतु एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।**
- **अनुच्छेद 351:** संघ को हिंदी को बढ़ावा देने तथा अन्य भारतीय भाषाओं के तत्त्वों से समृद्ध करने का दायित्व देता है।
- **आठवीं अनुसूची:** इसमें हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अन्य सहित 22 **आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है,** जिन्हें "अनुसूचित भाषाएँ" कहा जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

त्रिभाषा नीति के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हैं?

पक्ष के तर्क

- **बहुभाषावाद और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा:** कई भाषाएँ सीखने से स्मृति, समस्या-समाधान तथा समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होता है।
- बच्चों की लचीले ढंग से सोचने और विविध दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता को बढ़ाता है।
- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा: त्रि-भाषा नीति विभिन्न भाषायी समूहों के बीच संचार को प्रोत्साहित करती है। यह विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों को भारत की सांस्कृतिक और भाषायी विविधता को समझने तथा उसका सम्मान करने में मदद करती है।
- बेहतर नौकरी की संभावनाएँ: कई भाषाओं को जानने से पर्यटन, प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और मीडिया जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़ जाते हैं।

विपक्ष में तर्क

- **राजनीतिक संवेदनशीलता:** कुछ राज्यों में इस नीति को हिंदी थोपने के रूप में देखा जाता है, जिससे क्षेत्रीय पहचान की राजनीति और "भूमिपुत्रों" की भावना को बढ़ावा मिलता है, जो स्थानीय अधिकारों, भाषा और संस्कृति को प्राथमिकता देता है।
- **छात्रों और स्कूलों पर बोझ:** छात्र पहले से ही बुनियादी साक्षरता के साथ संघर्ष करते हैं, तीसरी अनिवार्य भाषा उन पर बोझ बढ़ा सकती है। एकभाषी परिवारों के बच्चों को यह तनावपूर्ण या भ्रमित करने वाला लग सकता है।
- क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ: असंबंधित भाषाओं (जैसे, हरियाणा में तमिल) को लागू करने के प्रयास कमज़ोर योजना एवं मांग के अभाव के कारण विफल रहे हैं।

शिक्षा में समावेशी और प्रभावी भाषा नीति के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होने चाहिये?

- **संस्थागत तैयारी:** केवल नई भाषाएँ जोड़ने के बजाय आधारभूत साक्षरता, शिक्षण की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- **संतुलित बहुभाषावाद:** त्रिभाषा नीति का कार्यान्वयन सभी गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू करने तक सीमित नहीं होना चाहिये।
  - इसके स्थान पर, पारस्परिक भाषा अधिग्रहण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये — जैसे कि उत्तर भारतीय छात्र केंद्रीय विद्यालयों में द्रविड़ या आदिवासी भाषाएँ सीखें। इससे आपसी सम्मान का भाव प्रकट होगा, न कि बहुसंख्यक विशेषाधिकार।
- **भाषा अधिग्रहण को कौशल एवं रोज़गार क्षमता से जोड़ें:** भाषा शिक्षण को व्यावसायिक तथा डिजिटल कौशल के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये, विशेषकर अंग्रेज़ी और हिंदी जैसी भाषाओं के लिये, जो राष्ट्रीय स्तर पर गतिशीलता उपलब्ध कराती हैं।
  - इसी प्रकार, राज्य स्तरीय रोज़गार और सार्वजनिक सेवाओं में क्षेत्रीय भाषाओं में दक्षता को भी मान्यता और प्रोत्साहन मिलना चाहिये।
- **भाषा को सामाजिक न्याय के साधन के रूप में बढ़ावा देना:** भाषा अधिग्रहण का उद्देश्य शिक्षार्थी को **सशक्त बनाना** होना चाहिये, न कि उसे राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा का माध्यम बनाना।
  - भाषाई पदानुक्रम के स्थान पर भाषाई समानता को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और प्रत्येक भारतीय भाषा को एक संसाधन के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये, न कि एक बाधा के रूप में।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. शिक्षा में भाषा का उद्देश्य सशक्तीकरण होना चाहिये, न कि थोपना। इस कथन का मूल्यांकन कीजिये।

मिज़ोरम का शरणार्थी संकट

चर्चा में क्यों?

मिज़ोरम वर्ष 2021 में **म्याँमार में हुए सैन्य तख्तापलट** के बाद से बढ़ते शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है, और म्याँमार, बांग्लादेश तथा मणिपुर से आए हज़ारों लोगों को शरण दे रहा है।

- वर्ष 2025 के आरंभ में म्याँमार के चिन राज्य से लगभग **4,000 शरणार्थी सशस्त्र संघर्ष** के बाद **मिज़ोरम में प्रवेश कर** गए, जिससे राज्य की पहले से ही नाज़ुक मानवीय स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मिज़ोरम शरणार्थियों के आगमन को किस प्रकार नियंत्रित और प्रबंधित कर रहा है?

- **जातीय संबंध और मानवीय आधार:** मिज़ोरम में सीमा पार आवागमन लंबे समय से सामान्य रहा है, विशेषकर वर्ष 1968 में **'फ्री मूवमेंट रेजीम' (FMR)** के औपचारिक रूप से लागू होने से पहले से ही।
    - मिज़ोरम की प्रमुख **मिज़ो समुदाय** का म्याँमार के **चिन**, बांग्लादेश के **बॉम** और मणिपुर के **कुकी-ज़ो** समुदायों से गहरा **जातीय, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध** है, ये सभी **ज़ो (Zo) जातीय समूह** का हिस्सा हैं।
    - इस साझा पहचान के कारण **एकजुटता की भावना** उत्पन्न हुई है, और विशेषकर म्याँमार से आए शरणार्थियों को मिज़ो समुदाय ने सहानुभूति और सहयोग प्रदान किया है।
- **सामुदायिक सहायता: यंग मिज़ो असोसिएशन (YMA)**, चर्च समूहों और स्थानीय नागरिकों जैसे विभिन्न संगठनों ने शरणार्थियों को **खाद्य, आश्रय और बुनियादी आवश्यकताएँ** प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाई है।
    - राज्य की **नागरिक प्रतिक्रिया सहानुभूतिपूर्ण** रही है, हालाँकि इस संकट ने **स्थानीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव** भी डाला है।
- **मिज़ोरम सरकार की स्थिति: जातीय और मानवीय कारणों** का हवाला देते हुए मिज़ोरम सरकार ने अब तक शरणार्थियों को **निर्वासित नहीं किया है।**
    - हालाँकि, **स्थानीय स्तर पर बढ़ते दबाव** के कारण कुछ गाँवों ने शरणार्थियों की **आवाजाही और व्यापार** पर **प्रतिबंध** लगा दिये हैं, यह कहते हुए कि इससे **कानूनी उल्लंघन** और **सीमा सुरक्षा** को खतरा हो सकता है।
- **केंद्र सरकार से सीमित सहायता:** प्रारंभ में **संकोच** के बावजूद केंद्र सरकार ने मिज़ोरम को इस संकट से निपटने के लिये **8 करोड़ रुपए की राहत राशि** प्रदान की।
    - हालाँकि, स्थानीय प्रशासन ने इस सहायता को अपर्याप्त बताते हुए असंतोष जताया है, क्योंकि यह राशि तेज़ी से बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने के लिये पर्याप्त नहीं मानी जा रही है।

मिज़ोरम में शरणार्थियों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढाँचा क्या है?

- वर्ष 1951 के **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन** और इसके **1967 प्रोटोकॉल** के अनुसार, शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो अपने **मूल देश के बाहर** है और किसी **उत्पीड़न के उचित और वास्तविक भय** के कारण अपने देश **वापस लौटने** में असमर्थ या अनिच्छुक है। यह भय किसी के नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता, या राजनीतिक विचारों पर आधारित हो सकता है।
    - वह व्यक्ति जिसके **शरणार्थी होने का दावा अभी तक कानूनी रूप से** मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है।
    - **शरणार्थी अवैध प्रवासी नहीं होते** हैं, क्योंकि वे **उत्पीड़न से भागते हैं**, जबकि **अवैध प्रवासी** बेहतर **आर्थिक अवसरों** की तलाश में **स्वेच्छा से** सीमा पार करते हैं।
- **भारत का रुख:** भारत **वर्ष 1951** के शरणार्थी सम्मेलन या इसके वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है तथा भारत में कोई **राष्ट्रीय शरणार्थी कानून** भी नहीं है।
    - भारत में शरणार्थियों को मुख्यत: **विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 (Foreigners Act)** के तहत नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा भारत में शरणार्थियों से निपटने के लिये निम्नलिखित कानूनों का प्रयोग होता है:
        - भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1920
        - कैदियों की प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (Repatriation of Prisoners Act)
        - पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950
- **FMR और सीमा नियंत्रण: FMR भारत और म्याँमार के बीच 1968** में हुई एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जो पहाड़ी जनजातियों के सदस्यों को सीमा पार जाने की अनुमति प्रदान करती है। इसका उद्देश्य सीमा पार सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखना, व्यापार को बढ़ावा देना और **भारत की एक्ट ईस्ट नीति** का समर्थन करना है।
    - मूल रूप से 40 किलोमीटर की यात्रा की अनुमति थी, लेकिन बाद में सीमा को घटाकर 10 किलोमीटर कर दिया गया। असम राइफल्स म्याँमार सीमा की सुरक्षा करती है, जबकि राज्य के अधिकारी FMR के तहत सीमा पास जारी करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- सीमा क्षेत्र के निवासी वीजा या पासपोर्ट के बिना यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिये **QR कोड-युक्त सीमा पास** जरूरी है। **बायोमेट्रिक डेटा** एकत्र कर **केंद्रीकृत पोर्टल** पर अपलोड किया जाता है, जिससे लोगों को **नकारात्मक सूची** (Negative List) से मिलान किया जा सके।
- हालाँकि इस योजना का उद्देश्य सकारात्मक है, लेकिन **सुरक्षा, तस्करी और अवैध प्रवासन** की चिंताओं के चलते इस पर नियंत्रण कठोर कर दिया गया है।

- **UNHCR:** **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR)** के साथ पंजीकृत शरणार्थियों को सीमित सुरक्षा और सेवाएँ मिलती हैं, लेकिन उनके पास सरकारी दस्तावेज़ नहीं होते।
  - इस कारण से वे भारत में **कल्याणकारी योजनाओं** का लाभ नहीं उठा सकते साथ ही बैंक खाता भी नहीं खोल सकते, जिससे वे **सामाजिक और आर्थिक रूप** से वंचित रह जाते हैं।

नोट: मिज़ोरम (परिवार रजिस्टरों का रखरखाव) विधेयक, 2019, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का उद्देश्य **राज्य में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और निगरानी** करना है। यह विधेयक **मिज़ो नागरिकों, शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर** करने में मदद करने के लिये लाया गया है।

शरणार्थी और शरण चाहने वालों के मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने हेतु कौन-से उपाय आवश्यक हैं?

- **कानूनी सुधार:** शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर करने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून लागू करना। मानवीय कानून के तहत निष्पक्ष सुनवाई और सुरक्षा के अधिकार सुनिश्चित करना।
  - यदि **मिज़ोम परिवार रजिस्टर रखरखाव विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी** मिल जाती है, तो यह स्थानीय स्तर पर पहचान और विनियमन के लिये एक मॉडल बन सकता है।
- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** राज्य-स्तरीय **विदेशी पंजीकरण अधिकारियों (FRO)** को स्पष्ट दिशा-निर्देशों और प्रशिक्षण से सशक्त बनाना। समय पर शरणार्थी स्थिति निर्णय के लिये **गृह मंत्रालय और UNHCR** के बीच समन्वय स्थापित करना।
  - शरणार्थियों के प्रति प्रतिक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिये गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और मिज़ोरम सरकार को शामिल करते हुए एक **समर्पित अंतर-मंत्रालयी शरणार्थी समन्वय** कार्य बल की स्थापना करना।
- **सामुदायिक एकीकरण:** समावेशी स्थानीय विकास योजनाओं को बढ़ावा देना तथा वास्तविक शरणार्थियों के लिये बुनियादी सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  - महिलाओं और बच्चों जैसे कमज़ोर समूहों को तस्करी और शोषण से बचाना।
- **बुनियादी ढाँचे और शिविर प्रबंधन को मज़बूत करना:** शरणार्थियों को वर्तमान में अस्थायी आश्रयों में रखा जाता है, जहाँ स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक उनकी पहुँच सीमित है।
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और UNHCR के सहयोग से अस्थायी स्वागत केंद्र स्थापित करना। शरणार्थियों के आगमन और सेवा आवश्यकताओं पर नज़र रखने के लिये एक शरणार्थी डेटा प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करना।
- **सीमा प्रबंधन:** संवेदनशील सीमाओं की निगरानी के लिए स्मार्ट फेंसिंग तकनीक का उपयोग करें, साथ ही आश्रय चाहने वालों के लिए मानवीय गलियारों को सुनिश्चित करना।
  - स्थानीय पुलिसिंग और सामुदायिक भागीदारी को मज़बूत करना ताकि जातीय प्रोफाइलिंग किये बिना आपराधिक गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. "जातीय एकजुटता राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं होनी चाहिये।" मिज़ोरम की शरणार्थी प्रतिक्रिया के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

सामाजिक न्याय

UN वुमन और ग्लोबल जेंडर एजेंडा

चर्चा में क्यों?

बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच की 30वीं वर्षगाँठ, महिला, शांति और सुरक्षा (WPS) पर UNSC संकल्प 1325 के 25वें वर्ष तथा अपनी स्वयं की 15वीं वर्षगाँठ की पूर्व संध्या पर यूनाइटेड नेशंस वुमन ने चेतावनी दी कि बढ़ती हिंसा, निर्धनता में वृद्धि तथा बढ़ते डिजिटल एवं राजनीतिक अंतराल के कारण महिला अधिकारों के समक्ष "ऐतिहासिक और अनिश्चित क्षण" बना हुआ है।

UN वुमन के अनुसार महिलाओं के समक्ष प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **राजनीतिक प्रतिक्रिया और प्रतिनिधित्व का अभाव:** वर्ष 2024 में लगभग **4 में से 1 देश में महिला अधिकारों के खिलाफ प्रतिक्रिया** देखने को मिली। पुरुषों को उपलब्ध **विधिक अधिकारों** की तुलना में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 64% है तथा **51% देशों द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य** करने से रोका जाता है।
  - इसके अतिरिक्त, लगभग **75% सांसद** पुरुष हैं और **वर्ष 2021-2022** में आधिकारिक रूप से केवल **4% विकास सहायता, लैंगिक समानता** पर केंद्रित थी।
- **हिंसा का असंगत प्रभाव:** वर्ष 2023 में **85,000 महिलाओं और बालिकाओं की जानबूझकर हत्या** की गई जिसमें **प्रत्येक 10 मिनट में एक की हत्या उनके साथी या करीबी रिश्तेदार** द्वारा की गई।
  - **वर्ष 2020 और 2023** के बीच **10 में से 8 शांति वार्ताओं** और **10 में से 7 मध्यस्थता प्रयासों में कोई भी महिला** शामिल नहीं (जो शांति प्रक्रियाओं से उनके निरंतर बहिष्कार का परिचायक है) थी।
- **आर्थिक असमानता:** वैश्विक स्तर पर महिलाओं को **समान कार्य** हेतु पुरुषों की तुलना में **20% तक कम वेतन** मिलता है और इनके द्वारा पुरुषों की तुलना में **2.5 गुना अधिक अवैतनिक देखभाल कार्य** किया जाता है।
- **खाद्य एवं शिक्षा संबंधी असुरक्षा: पुरुषों की तुलना में 47.8 मिलियन अधिक महिलाएँ मध्यम/गंभीर खाद्य असुरक्षा** की स्थिति में हैं **जबकि विश्व स्तर पर 1/3 खाद्यान्न** का उत्पादन करने वाले **छोटे पैमाने के किसानों** में अधिकांश महिलाएँ हैं।
  - **119 मिलियन बालिकाओं को स्कूली शिक्षा** और **39% युवतियों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा** नहीं मिल पाती है।
- **जलवायु संवेदनशीलता: वर्ष 2050** तक **जलवायु परिवर्तन** के कारण 158 मिलियन **से अधिक महिलाएँ और बालिकाएँ चरम निर्धनता** की स्थिति में आ सकती हैं जबकि विश्व भर में **पर्यावरण मंत्रियों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 28%** है।
- **स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच: प्रतिदिन लगभग 800 महिलाओं की गर्भावस्था से संबंधित रोकथाम योग्य समस्याओं** से मृत्यु हो जाती है।

भारत में महिला सशक्तीकरण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

- **महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) कम होना:** भारत में **FLFPR वर्ष 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हुई है,** फिर भी यह वैश्विक औसत (50%) और पुरुषों की भागीदारी (77.2%) से काफी कम है। इसके पीछे **सामाजिक मान्यताएँ, देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियाँ** और **लचीले रोज़गार विकल्पों की कमी** प्रमुख कारण हैं।
- **घरेलू कार्यभार:** महिलाएँ प्रति दिन **236 मिनट** अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं, जबकि पुरुष केवल **24 मिनट**। इससे महिलाओं की **शिक्षा, कौशल विकास** और **औपचारिक रोज़गार** तक पहुँच सीमित हो जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **लैंगिक वेतन असमानता:** शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में **29.4% कम** कमाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर 51.3% तक है।
  - साथ ही, **81% महिलाएँ असंगठित क्षेत्र** में कार्यरत हैं, जहाँ **नौकरी की सुरक्षा और लाभ** नहीं मिलते।
- **डिजिटल असमानता:** महिलाओं में केवल **54% के पास मोबाइल फोन** है, जबकि पुरुषों में यह संख्या **82%** है। **इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाएँ केवल 33% हैं,** जबकि पुरुषों में **57%** (NFHS-5)। इससे **शिक्षा, रोज़गार** और **डिजिटल वित्त** तक उनकी पहुँच बाधित होती है।
- **लैंगिक-आधारित हिंसा:** भारत में **वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4.4 लाख** अपराध दर्ज हुए। **NFHS-5** (2019-21) के अनुसार, **29.3% विवाहित महिलाएँ (18-49 आयु वर्ग)** घरेलू हिंसा की शिकार हुईं।

बीजिंग घोषणा पत्र और कार्रवाई मंच (BPfA) क्या है?

- **परिचय: बीजिंग घोषणा पत्र और कार्रवाई मंच (1995)** को **चीन के बीजिंग शहर में आयोजित चौथे विश्व महिला सम्मेलन** के दौरान अंगीकार किया गया था। यह **महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिये एक ऐतिहासिक वैश्विक रूपरेखा** है।
  - यह दस्तावेज़ **कानूनी संरक्षण, आवश्यक सेवाओं तक पहुँच, युवाओं की भागीदारी** और **सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने** जैसे रणनीतिक उद्देश्यों पर केंद्रित है।
  - भारत भी इस घोषणापत्र का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
- **कार्रवाई के क्षेत्र:** इस घोषणा पत्र में **12 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों** की पहचान की गई है, जिनमें लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिये तत्काल ध्यान और कार्रवाई की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों के लिये रणनीतियाँ तय की गई हैं ताकि **सभी को समान अवसर** मिल सकें। प्रमुख फोकस क्षेत्र में शामिल हैं:
- **बीजिंग+30 एक्शन एजेंडा:** यह **बीजिंग घोषणा पत्र और कार्रवाई मंच (BPfA)** की **30वीं वर्षगांठ (1995-2025)** का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य इसकी **कार्यान्वयन की समीक्षा तथा मूल्यांकन** करना है।

यूएन वूमेन

- **स्थापना और अधिदेश: यूएन वूमेन**, जुलाई 2010 में **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा स्थापित किया गया था। यह **संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण** के लिये कार्यरत है। यह संस्था **UN सुधार एजेंडा** के अंतर्गत चार पूर्ववर्ती निकायों के एकीकरण से बनी:
  - महिलाओं की प्रगति हेतु प्रभाग (DAW)
  - महिलाओं की प्रगति के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (INSTRAW)
  - लैंगिक मुद्दों और महिलाओं की प्रगति पर विशेष सलाहकार का कार्यालय (OSAGI)
  - संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष (UNIFEM)।
- **मुख्य मिशन:**
  - **शासन और नेतृत्व: निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना।**
  - **आर्थिक सशक्तीकरण:** महिलाओं के लिये **समान वेतन, गरिमापूर्ण कार्य** और **आर्थिक आत्मनिर्भरता** को सुनिश्चित करना।
  - **महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अंत: लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करना।**
  - **शांति एवं मानवीय कार्रवाई: संघर्ष समाधान, आपदा प्रतिक्रिया और शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना।**

महिलाओं और शांति एवं सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव (2000)

- **परिचय: 31 अक्तूबर, 2000** को सर्वसम्मति से पारित यह प्रस्ताव एक **ऐतिहासिक कानूनी ढाँचा** है, जो संघर्षों के दौरान **महिलाओं और बालिकाओं पर असमान रूप से पड़ने वाले प्रभाव** को मान्यता देता है और उन्हें **लैंगिक-आधारित हिंसा, विशेष रूप से यौन हिंसा, से संरक्षण** प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देता है।
- **प्रस्ताव के प्रमुख स्तंभ:** यह प्रस्ताव शांति निर्माण में **महिलाओं की भागीदारी**, लैंगिक-आधारित हिंसा से सुरक्षा, **लैंगिक-संवेदनशील संघर्ष** निवारण, तथा राहत और पुनर्वास प्रयासों में महिलाओं और बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने पर बल देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिये संयुक्त राष्ट्र महिला ने क्या समाधान प्रस्तावित किये हैं?

- **प्रतिबद्धता और नेतृत्व को सशक्त बनाना:** यह **नवीनीकृत राजनीतिक इच्छाशक्ति, लैंगिक-संवेदनशील व्यवस्थाओं**, भेदभावपूर्ण कानूनों के उन्मूलन, और महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने का आह्वान करता है, जिसमें जलवायु कार्रवाई में महिलाओं की भागीदारी भी शामिल है।
- **लैंगिक समावेशी शांति निर्माण:** यह संघर्ष की रोकथाम, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी, और विशेष रूप से संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु अधिक निवेश की आवश्यकता पर बल देता है।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** यह **समान कार्य के लिये समान वेतन**, भेदभाव-निरोधी कानूनों, और देखभाल संबंधी अवैतनिक कार्यभार को कम करने व वर्ष 2035 तक 30 करोड़ नौकरियों के सृजन हेतु **देखभाल अवसंरचना** में निवेश का समर्थन करता है।
- **गरीबी और खाद्य असुरक्षा का उन्मूलन:** यह सामाजिक सुरक्षा उपायों (नकद सहायता, मातृत्व अवकाश, पेंशन) और कृषि व वेतन के क्षेत्र में लैंगिक अंतर को समाप्त करने वाली नीतियों पर बल देता है।
- **शिक्षा और प्रौद्योगिकी तक पहुंच का विस्तार:** यह शिक्षा लागत में कमी, नकद प्रोत्साहन, सुरक्षित शिक्षण वातावरण, डिजिटल पहुँच और ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने की सिफारिश करता है, साथ ही लैंगिक समानता हेतु सार्वजनिक-निजी निवेश बढ़ाने की बात करता है।

निष्कर्ष

बीजिंग घोषणा और **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव** 1325 जैसे वैश्विक संकल्पों के बावजूद, महिलाएँ लगातार **प्रतिरोध, हिंसा** और **बहिष्करण** का सामना कर रही हैं। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिये सरकारों को कानूनी सुधार, आर्थिक सशक्तीकरण, समावेशी शांति निर्माण और जलवायु न्याय को लागू करना आवश्यक है। इस दिशा में हुई गिरावट को पलटने और प्रगति सुनिश्चित करने के लिये सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त वित्तीय संसाधन और महिलाओं का नेतृत्व अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में बाधाओं की जाँच कीजिये। नीतिगत हस्तक्षेपोः से इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता हैं?

भारत विश्व स्तर पर चौथा 'सबसे समतामूलक देश'

चर्चा में क्यों?

भारत न केवल **विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** है बल्कि आज यह सर्वाधिक समतामूलक समाजों में से एक भी है। विश्व बैंक के अनुसार, **भारत का गिनी सूचकांक** 25.5 है, जो इसे **स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस** के बाद दुनिया का **चौथा सबसे समतामूलक देश** बनाता है।

गिनी सूचकांक क्या है?

- गिनी सूचकांक या गिनी गुणांक का विकास **वर्ष 1912 में इतालवी सांख्यिकीविद् कोराडो गिनी द्वारा किया गया था।** यह **किसी देश में घरों या व्यक्तियों के बीच आय, संपत्ति या उपभोग के वितरण को मापता है।**
  - ग्राफिक रूप से गिनी इंडेक्स को लॉरेंज कर्व से समझाया जा सकता है। लॉरेंज कर्व प्राप्तकर्त्ताओं की संचयी संख्या से प्राप्त कुल आय का संचयी प्रतिशत दर्शाता है, जो सबसे गरीब व्यक्ति या परिवार से शुरू होता है।
  - गिनी गुणांक **लॉरेंज वक्र और पूर्ण समानता की रेखा (45 डिग्री की रेखा) के बीच** के क्षेत्र को मापता है, जिसका मान 0 (पूर्ण समानता) से 1 (अधिकतम असमानता) तक होता है या **प्रतिशत के रूप में व्यक्त किये जाने पर 0 से 100 तक होता है** (जहाँ 0 पूर्ण समानता को दर्शाता है और 100 अधिकतम असमानता को दर्शाता है)। कम गिनी मूल्य एक अधिक समतामूलक समाज को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **भारत और गिनी सूचकांक: भारत का गिनी सूचकांक वर्ष 2011 में 28.8 था, जो वर्ष 2022 में लगातार घटकर 25.5** हो गया, जो सामाजिक समानता में निरंतर प्रगति को दर्शाता है।
- **भारत का 25.5** स्कोर इसे ***"मध्यम रूप से कम असमानता"*** श्रेणी में रखता है (गिनी स्कोर 25 और 30 के बीच)।
- उल्लेखनीय रूप से भारत उच्च असमानता स्कोर वाले देशों से आगे है, जिनमें चीन (35.7) और अमेरिका (41.8) शामिल हैं।
- **भारत के लिये महत्त्व:** भारत अब सभी G7 और G20 देशों की तुलना में अधिक समान स्थान पर है।
- यह कम स्कोर भारत के अत्यधिक असमान समाज की पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है, विशेष रूप से जब इसे शहरी-ग्रामीण और अंतर-राज्यीय असमानताओं के माध्यम से देखा जाता है।
- यह व्यापक आय वृद्धि को दर्शाता है (विशेष रूप से निम्न आय वर्ग में)।

भारत की इक्विटी सफलता के पीछे के प्रमुख कारक कौन-से हैं?

- **गरीबी में कमी: विश्व बैंक की स्प्रिंग, 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट** के अनुसार, वर्ष 2011 से अब तक 171 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है।
- विश्व बैंक ने वैश्विक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अपनी वैश्विक चरम गरीबी सीमा को **2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन से संशोधित कर 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन (2021 की कीमतों के आधार पर)** कर दिया है। यह नया मानक बुनियादी जीवन की अधिक यथार्थवादी लागत को दर्शाता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में 171 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की हिस्सेदारी, जो जून 2025 तक अत्यधिक गरीबी की वैश्विक सीमा थी, 2011-12 के 27.1% से तेज़ी से गिरकर 2022-23 में केवल 2.3 प्रतिशत रह गई।
- निरपेक्ष रूप से अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घटकर 75.24 मिलियन हो गई।
- **समानता के लिये कल्याणकारी योजनाएँ:**
  - **प्रधानमंत्री जन धन योजना:** वित्तीय समावेशन भारत के सामाजिक समानता प्रयासों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रहा है।
    - **25 जून, 2025 तक 55.69 करोड़** से ज़्यादा लोगों के पास जन धन खाते थे, जो उन्हें सरकारी लाभों और औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक सीधी पहुँच दिलाते हैं।
  - **आधार और डिजिटल पहचान:** आधार ने पूरे देश के निवासियों की एक अद्वितीय डिजिटल पहचान बनाई है। **3 जुलाई, 2025 तक 142 करोड़** से अधिक आधार कार्ड जारी किये जा चुके हैं। यह व्यवस्था विश्वसनीय प्रमाणीकरण के माध्यम से सही समय पर सही व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने को सुनिश्चित करके कल्याण के वितरण की रीढ़ बनती है।
  - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** DBT प्रणाली ने कल्याणकारी भुगतानों को सुव्यवस्थित किया है, जिससे लीकेज और देरी कम हुई है। **मार्च 2023 तक संचयी बचत ₹3.48 लाख करोड़** तक पहुँच चुकी है, जो इसकी दक्षता और पैमाने को दर्शाता है।
  - **आयुष्मान भारत:** आयुष्मान भारत योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। 3 जुलाई, 2025 तक 41.34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किये जा चुके हैं।
    - **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन** ने इस प्रयास को और अधिक सशक्त बनाया है, जिसके तहत अब तक **79 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य खाते** बनाए जा चुके हैं, जो व्यक्तियों को **डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं** से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं।
  - **स्टैंड-अप इंडिया:** जुलाई 2025 तक **2.75 लाख से अधिक आवेदनों को स्वीकृति** दी जा चुकी है, जिनके लिये कुल **62,807 करोड़** रुपए वितरित किये गए है। यह पहल **वंचित समुदायों के व्यक्तियों को सशक्त** बनाती है, ताकि वे अपनी शर्तों पर **आर्थिक विकास में भागीदारी** कर सकें।
  - **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):** वर्ष 2024 तक यह योजना **80.67 करोड़ लाभार्थियों** तक पहुँच चुकी है, जिसमें **निशुल्क खाद्यान्न** प्रदान किया जा रहा है, ताकि संकट के समय **कोई भी व्यक्ति पीछे न रहे**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना:** परंपरागत शिल्पकार और कारीगर भारत की आर्थिक एवं सांस्कृतिक विरासत के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। **प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना** उन्हें **बिना गारंटी ऋण, टूलकिट, डिजिटल प्रशिक्षण** और **विपणन सहायता** प्रदान कर समर्थन देती है।
  - जुलाई 2025 तक इस योजना के तहत **29.95 लाख व्यक्तियों ने पंजीकरण** कराया है, जिससे **आजीविका की सुरक्षा** में सहायता मिली है और **ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में समावेशी विकास** को बढ़ावा मिला है।

भारत की समानता से जुड़ी उपलब्धियों को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ और संरचनात्मक चिंताएँ क्या हैं?

- **निम्न असमानता सूचकांक के बावजूद उच्च गरीबी: 3.65 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की** गरीबी रेखा (जो निम्न-मध्य आय वाले देशों के लिये उपयुक्त है) के आधार पर **वर्ष 2022 में भारत की गरीबी दर 28.1%** थी।
  - अब भी **300 मिलियन से अधिक व्यक्ति गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं**, जो **समानता संबंधी दावों की स्थिरता पर सवाल खड़े करते हैं।**
- **वेतन और आय में असमानता:** वेतन असमानता अभी भी गंभीर बनी हुई है — **शीर्ष 10% व्यक्ति, निचले 10% की तुलना में 13 गुना अधिक** कमाते हैं (2023–24)।
  - वर्ष 2023 में आय के लिये गिनी गुणांक **0.410** है, जो **वर्ष 1955 में 0.371** था, जिससे दीर्घकालिक आय असमानता में वृद्धि स्पष्ट होती है।
  - **सबसे संपन्न 1% व्यक्तियों** के पास **देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक** है, जबकि **निचले 50%** के पास केवल **3%** संपत्ति है।
  - ये आँकड़े **गंभीर आय और संपत्ति असमानता** को उजागर करते हैं, जिसे **25.5 के गिनी सूचकांक जैसे उपभोग-आधारित उपाय पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं।**
- **पुरानी गरीबी रेखा:** भारत अब भी **रंगराजन समिति द्वारा वर्ष 2014 में तय की गई गरीबी रेखा** (शहरी क्षेत्रों में **प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 1407 रुपए** और ग्रामीण क्षेत्रों में **972 रुपए**) पर निर्भर है, जो **वर्तमान जीवन-यापन की वास्तविक लागत को सही तरीके से नहीं दर्शाती।**
  - यदि कोई अद्यतन मानक नहीं अपनाया गया तो कल्याणकारी योजनाएँ वास्तविक रूप से गरीब व्यक्तियों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुँच पाएँगी।
- **अवसरों तक असमान पहुँच: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल पहुँच** और **रोज़गार** के क्षेत्र में असमानताएँ अब भी बनी हुई हैं, विशेषकर **ग्रामीण जनसंख्या, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST)** तथा **अप्रवर्तित (अनौपचारिक) श्रमिकों** के लिये।
  - **उपभोग में सुधार** के बावजूद, **परिणामों में समानता** अब भी सीमित है।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय गरीबी रेखा में संशोधन करना:** वर्तमान गरीबी रेखा अब प्रासंगिक नहीं रह गई है। इसे **वर्ष 2024-25 की जीवन-यापन लागत, मुद्रास्फीति** और **शहरीकरण की प्रवृत्तियों** को ध्यान में रखते हुए **पुनः निर्धारित** किया जाना चाहिये।
- **श्रम बाज़ार सुरक्षा को मजबूत करना: न्यायसंगत वेतन, सामाजिक सुरक्षा** और **श्रम अधिकारों के प्रवर्तन** को सुनिश्चित किया जाए, विशेष रूप से **अविनियमित (अनौपचारिक) क्षेत्र** में, जो देश की **80% से अधिक कार्यबल** को रोज़गार देता है।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना: सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री श्री योजना (PM SHRI), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** और **पोषण योजनाओं** में बजटीय आवंटन बढ़ाया जाए, ताकि **पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही गरीबी तथा असमानता** को प्रभावी रूप से दूर किया जा सके।
- **डिजिटल डिवाइड को कम करना: डिजिटल विभाजन को समाप्त करना: भारतनेट** का विस्तार करें, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दें और किफायती स्मार्टफोन/इंटरनेट तक पहुँच सुनिश्चित करें ताकि डिजिटल समानता प्राप्त हो सके, विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं व महिलाओं के लिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- **लैंगिक असमानता:** महिलाओं के अवैतनिक श्रम को महत्त्व देने के लिये आर्थिक और नीतिगत उपाय प्रदान करें। अवसरों में लैंगिक अंतर को कम करने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भूमि और ऋण तक महिलाओं की पहुँच में सुधार करना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत का गिनी स्कोर 25.5 है जो संतुलित आर्थिक सुधार और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से असमानता को कम करने में वास्तविक प्रगति को दर्शाता है। जन धन, DBT और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने पहुँच में सुधार किया है जबकि स्टैंड-अप इंडिया और पीएम विश्वकर्मा योजना ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। भारत का मॉडल दिखाता है कि समावेशी नीतियों के साथ विकास और समानता एक साथ आगे बढ़ सकती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक समानता वाले देशों में स्थान दिया गया है। इस उपलब्धि में योगदान देने वाले प्रमुख नीतिगत उपायों और कल्याणकारी योजनाओं की जाँच कीजिये।

विश्व जनसंख्या दिवस 2025 और भारत का युवा वर्ग

चर्चा में क्यों?

11 जुलाई को मनाया जाने वाला **विश्व जनसंख्या दिवस वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र** द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य **जनसंख्या से जुड़े मुद्दों और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों** के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

- विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम है: "**युवाओं को एक निष्पक्ष और उम्मीद भरी दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिये सशक्त बनाना (Empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world)**", जिसका उद्देश्य युवाओं को यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।

भारत में युवाओं की स्थिति क्या है?

- **युवा जनसंख्या प्रोफाइल:** UNICEF के अनुसार, भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है, जिसमें 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के **371 मिलियन** लोग शामिल हैं।
  - **जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह (2021)** के अनुसार, वर्ष 2021 में 15 से 29 वर्ष की आयु वाले युवा देश की कुल जनसंख्या का **27.2%** थे, लेकिन अनुमान है कि यह अनुपात **वर्ष 2036 तक घटकर 22.7%** रह जाएगा।
- **जनसांख्यिकीय महत्त्व:** युवाओं की बड़ी जनसंख्या **श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ाती** है और **निर्भरता अनुपात को कम करती है,** जिससे देश को **जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)** प्राप्त होता है।
- **नीति एवं शासन: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय** के अधीन **युवा मामले विभाग** युवाओं से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के लिये **नोडल एजेंसी** है।
  - इसके दो उद्देश्य हैं - **व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण**।
- **युवा नीति का विकास:**
  - **राष्ट्रीय युवा नीति, 1988:** यह भारत की पहली संगठित युवा नीति थी, जिसने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को रेखांकित किया और उनके **व्यक्तित्व तथा कौशल विकास** पर विशेष ध्यान दिया।
  - **राष्ट्रीय युवा नीति 2003:** यह नीति वर्ष 1988 की नीति का स्थान लेने के लिये लाई गई थी। इसमें युवाओं की आयु सीमा **13 से 35 वर्ष** के रूप में परिभाषित की गई और इसका उद्देश्य था **देशभक्ति, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता** को बढ़ावा देना।
  - **राष्ट्रीय युवा नीति 2014:** यह नीति वर्ष **2003 की नीति** का स्थान लेने के लिये लाई गई थी। इसमें युवाओं की आयु सीमा **15 से 29 वर्ष** निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को इस प्रकार **सशक्त बनाना** है कि वे अपनी **पूर्ण**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

क्षमताओं का विकास कर सकें और भारत को **वैश्विक मंच पर अग्रणी** बनाने में योगदान दे सकें। इस नीति में **5 प्रमुख उद्देश्य** और **11 प्राथमिकता वाले क्षेत्र** निर्धारित किये गए हैं।

- **राष्ट्रीय युवा नीति 2024:** सरकार ने **राष्ट्रीय युवा नीति (NYP) 2014 को अद्यतन किया है** और **NYP 2024 के लिये एक मसौदा जारी किया है,** जिसमें **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** के अनुरूप युवा विकास के लिये 10-**वर्षीय दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:**
- वर्ष 2030 तक युवा विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है।
- **कॅरियर और जीवन कौशल** को बढ़ाने के लिये **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)** के साथ समन्वय किया गया है।
- **नेतृत्व, स्वयंसेवा (वॉलंटियरिंग) और प्रौद्योगिकी-संचालित सशक्तीकरण** को प्रोत्साहित किया गया है।
- **मानसिक और प्रजनन स्वास्थ्य, खेल तथा फिटनेस** पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
- हाशिये पर मौजूद युवाओं के लिये **सुरक्षा, न्याय और सहायता** सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

भारत की युवा जनसंख्या क्या अवसर प्रस्तुत करती है?

- **जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ:** युवाओं की बहुलता वाली जनसंख्या से **निर्भरता अनुपात घटता है** और **आर्थिक रूप से सक्रिय नागरिकों** की संख्या बढ़ती है, जिससे **GDP तथा प्रति व्यक्ति आय** में वृद्धि संभव होती है।
  - **विश्व बैंक** और **नीति आयोग** के अनुसार, यदि इस संभावना का सही उपयोग किया जाए तो **वर्ष 2030 तक भारत की GDP में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की बढ़ोतरी हो सकती है।
- **नवाचार और उद्यमिता:** युवा उद्यमियों की अगुवाई में भारत का **स्टार्टअप इकोसिस्टम** तेज़ी से विकसित हुआ है। **स्टार्टअप इंडिया** जैसी पहलों ने **युवा-केंद्रित नवाचार संस्कृति** को बढ़ावा दिया है।
- **वैश्विक कार्यबल में बढ़त:** भारत की युवा श्रम शक्ति, **तकनीक, स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग** क्षेत्रों में **वैश्विक प्रतिभा की कमी** को पूरा कर सकती है। **कम श्रम लागत** के चलते भारत **उत्पादन और सेवा क्षेत्रों का वैश्विक केंद्र** बनता जा रहा है।
  - **उदाहरण के लिये, वृद्ध होती जनसंख्या की बढ़ती चुनौती** का सामना कर रहे **जर्मनी और जापान** जैसे देश अब **कुशल श्रमिकों की कमी** को पूरा करने के लिये **भारत के युवाओं** की ओर रुख कर रहे हैं।
- **सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव:** भारतीय युवा पारंपरिक रूढ़ियों को चुनौती दे रहे हैं, **लैंगिक समानता को बढ़ावा** दे रहे हैं और **सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत** बन रहे हैं। साथ ही, वे **फिल्मों, संगीत और डिजिटल सामग्री** के माध्यम से वैश्विक स्तर पर **भारत की सॉफ्ट पावर** को भी विस्तार दे रहे हैं।
  - **उदाहरण के लिये, पिंजरा तोड़ (Pinjra Tod)** जैसे **युवा-नेतृत्व वाले आंदोलन** महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिये संघर्ष कर रहे हैं।
- **लोकतंत्र को सशक्त बनाना:** **राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)** जैसी पहलों के माध्यम से युवाओं को शामिल करना **नागरिक जागरूकता, नेतृत्व क्षमता** और **लोकतांत्रिक जवाबदेही** को मज़बूत करता है।
  - उदाहरण के लिये, **स्वच्छ भारत अभियान** के माध्यम से प्रधानमंत्री ने युवाओं को **स्वच्छता, व्यवहार परिवर्तन** और **सामुदायिक नेतृत्व** के प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में संगठित किया।

भारत में युवाओं के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ:** भारत में **अनचाहे गर्भधारण (36%)** और **अपूर्ण प्रजनन लक्ष्यों (30%) की उच्च दर है,** जिसमें **23% महिलाएँ दोनों समस्याओं से पीड़ित हैं** ।
  - हालाँकि **बाल विवाह** में कमी आई है, फिर भी यह **NFHS-5** के अनुसार **राष्ट्रीय स्तर पर 23.3%** है।
- **लैंगिक असमानता: पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताएँ** युवा महिलाओं की **शिक्षा, रोज़गार** और **निर्णय लेने की स्वतंत्रता** को सीमित करती हैं। कई **महिलाएँ लैंगिक-संवेदनशील कार्यस्थल, कौशल प्रशिक्षण** और **आर्थिक आत्मनिर्भरता** से वंचित रहती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **मानसिक स्वास्थ्य संकट:** युवा वर्ग बढ़ते **तनाव, दुश्चिंता तथा अवसाद** के साथ-साथ **सहायता की पहुँच सीमित और निरंतर कलंक** के कारण **मानसिक स्वास्थ्य संकट** का सामना कर रहा है।
- **वर्ष 2020-22** के बीच **भारत में 15-29 वर्ष की आयु के 60,700 से अधिक युवाओं की आत्महत्या से मृत्यु हुई**, जो **विश्व में सबसे अधिक** है।
- **रोज़गार संकट: शिक्षा और नौकरी के बीच कौशल का अंतर** बढ़ता जा रहा है, जिससे **शिक्षित युवाओं में बेरोज़गारी** बढ़ रही है। कई युवा मज़बूरी में **गिग इकोनॉमी** की अस्थिर नौकरियों मे कार्य कर रहे हैं, जिनमें **लाभ और सुरक्षा की कमी** होती है।
- **मादक द्रव्यों का सेवन:** युवा वर्ग **साथियों के दबाव और तनाव** के कारण **नशीले पदार्थों की लत** के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहा है तथा **पर्याप्त पुनर्वास सुविधाओं की कमी के कारण** यह समस्या और भी बदतर हो रही है।

युवाओं से संबंधित सरकार की प्रमुख पहलें:

- राष्ट्रीय युवा नीति-2014
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- युवा: युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिये प्रधानमंत्री की योजना
- पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही)
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

भारत में युवाओं को सशक्त बनाने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

- **शिक्षा में क्रांति:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत रटकर याद करने की प्रणाली को बदलकर **आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान क्षमता** को बढ़ावा देना, **डिजिटल साक्षरता** सुनिश्चित करना तथा **व्यावसायिक प्रशिक्षण** (Vocational Training) को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना है।
- **रोज़गार से जुड़ा कौशल विकास:** **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (PM-NAPS)** के अंतर्गत बड़ी कंपनियों में शिक्षुता के अवसरों को प्रोत्साहित करना, उभरते क्षेत्रों में **कौशल उन्नयन मिशन** शुरू करना और वित्तीय सहायता के माध्यम से **युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना।**
- **स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच:** सुलभ **मानसिक स्वास्थ्य सहायता स्थापित करना**, पौष्टिक भोजन के माध्यम से **पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क गर्भनिरोधकों के साथ प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना।**
- **खेल और कला क्षेत्र में अवसंरचना विकास:** ग्रामीण प्रशिक्षण सुविधाओं को मज़बूत करके, **युवा कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके** और प्रतिभाशाली युवाओं के लिये **अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर खेल एवं कला अवसंरचना का** विस्तार करना।
- **डिजिटल सशक्तीकरण:** इंटरनेट पहुँच का विस्तार करके, **युवाओं में डिजिटल कौशल का निर्माण करके** और समावेशी डिजिटल विकास के लिये **डिजिटल इंडिया को मज़बूत करके डिजिटल विभाजन को कम करना।**

निष्कर्ष

भारत का युवा वर्ग विश्व में सबसे बड़ा है और परिवर्तनकारी **जनसांख्यिकीय लाभांश** प्रदान करता है। इस संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिये भारत को **बेरोज़गारी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और लैंगिक असमानता** जैसी चुनौतियों का समाधान करना होगा, साथ ही **शिक्षा, कौशल एवं नवाचार** को भी बढ़ावा देना होगा। **रणनीतिक नीतियाँ और समावेशी विकास** युवाओं को सशक्त बना सकते हैं, जिससे वे भारत की वैश्विक प्रगति के अग्रदूत बन सकें तथा **सतत् विकास एवं समान प्रगति** सुनिश्चित हो सके।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने के उपाय सुझाइए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारतीय अर्थव्यवस्था

कृषि वानिकी को बढ़ावा हेतु नियम

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने **कृषि भूमि पर वृक्षों की कटाई हेतु आदर्श नियम** जारी किये हैं जिनका उद्देश्य अनुमोदन का सरलीकरण करना, **कृषि वानिकी को बढ़ावा देना**, ग्रामीण क्षेत्रों में आय वर्द्धन करना तथा प्राकृतिक वनों पर दबाव को कम करना है।

- इन नियमों में पारदर्शिता और निगरानी के लिये रिमोट सेंसिंग तथा इमेज रिकग्निशन के साथ एक **डिजिटल पोर्टल** अनिवार्य किया गया है। यह UNFCCC, CBD के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और **SDG 2, 13 और 15** की प्राप्ति में सहायक है।

कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी आदर्श नियमों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **सरलीकृत विनियम:** कृषि भूमि पर वृक्ष पंजीकरण, कटाई और प्रकाष्ठ (इमारती लकड़ी) के परिवहन के लिये एक समान प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं जिसमें विधिक स्पष्टता को लेकर राज्य की परस्पर विरोधी नियमों को रद्द कर दिया गया।
- **NTMS पोर्टल:** केंद्रीकृत **राष्ट्रीय प्रकाष्ठ प्रबंधन प्रणाली** (National Timber Management System-NTMS) किसानों को अपने बागानों का पंजीकरण कराने, वृक्षों की कटाई हेतु परमिट के लिये आवेदन करने और **जियो-टैग्ड डेटा, KML फाइलों तथा फोटो** का उपयोग करके आवेदनों को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करती है।
- **वृक्ष-आधारित वर्गीकरण: 10 से अधिक वृक्षों** की कटाई हेतु पैनलबद्ध एजेंसियों द्वारा भौतिक सत्यापन की आवश्यकता होगी, जबकि **10 या इससे कम वृक्षों** के बारे में किसान स्वत:कृत अनापत्ति पत्र (NOC) के लिये NTMS पोर्टल पर स्वयं घोषणा कर सकेंगे।
- **संस्थागत तंत्र:**
  - कृषि वानिकी को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2016 की काष्ठ आधारित उद्योग दिशा-निर्देश के अंतर्गत **राज्य स्तरीय समिति (SLC)**।
  - अनुपालन के उद्देश्य से सूचीबद्ध एजेंसियों की निगरानी हेतु **प्रभागीय वन अधिकारियों (DFO)** का नियोजन।
- **प्रौद्योगिकी-संचालित अनुवीक्षण:** रियल टाइम अनुवीक्षण और पारदर्शिता के लिये **रिमोट सेंसिंग, इमेज रिकग्निशन और डिजिटल साधनों** का उपयोग।
- **बाज़ार संबद्धता: स्थानीय स्रोतों से प्राप्त काष्ठ** के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे आयात कम होता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिये उच्च मूल्य वाली प्रजातियों (जैसे, सागौन, नीलगिरी, चिनार) की कृषि को बढ़ावा दिया जाता है।

कृषि वानिकी क्या है?

- **कृषि वानिकी** (वृक्षों और फसलों की संयुक्त कृषि) एक **भूमि उपयोग प्रणाली** है, जिसमें **कृषि उत्पादकता, आजीविका और पर्यावरणीय संधारणीयता** में सुधार के लिये **एक ही भूमि क्षेत्र** पर **फसलों और/या पशुधन के साथ वृक्षों का रोपण** किया जाता है।
  - वृक्षों को कृषि के साथ एकीकृत कर, इससे भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होता है तथा **पर्यावरण-अनुकूल विधियों** से **ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, 2014** के माध्यम से भारत में **कृषि वानिकी को औपचारिक रूप से बढ़ावा दिया गया।**
- भारत में कृषि वानिकी **28.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र** में विस्तृत है, जो **देश के कुल भूमि क्षेत्र का 8.65% है।**

पहलू	सामाजिक वानिकी (Social Forestry)	कृषि वानिकी (Agroforestry)
परिभाषा	स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पारंपरिक वनों के बाहर वानिकी।	एक ही भूमि पर वृक्षों का फसलों और/या पशुधन के साथ एकीकरण।
प्रमुख उद्देश्य	ग्रामीण और वंचित समुदायों की ईंधन, चारा और लकड़ी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति।	कृषि उत्पादकता, आजीविका और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार।
लक्षित समूह	सामूहिक/सामुदायिक लाभ पर केंद्रित, विशेषकर निर्धन और सीमांत लोग।	मुख्यत: व्यक्तिगत किसानों को बेहतर भूमि उपयोग के माध्यम से लाभ।
उदाहरण	ग्राम की सामुदायिक भूमि, परती भूमि, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण।	निजी खेतों/फार्म्स में फसलों के साथ फलदार वृक्ष/चारा उगाना।
नीतिगत समर्थन	सामुदायिक वनीकरण कार्यक्रमों और संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से समर्थन।	**राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति,** 2014 द्वारा संस्थागत समर्थन।

- **घटक:**
  - **कृषि भूमि और खेतों में वृक्ष रोपण**, जो चारा, ईंधन, लकड़ी, फल या आय का स्रोत प्रदान करते हैं।
  - **वृक्ष और फसलों का संयोजन**, जैसे कोको, कॉफी, ऑयल पाम और रबर।
  - वन्य क्षेत्रों में या उनके निकट कृषि करना, जिससे वन समीप भूमि का सतत् रूप से प्रबंधन करने में मदद मिलती है।
- **कृषि वानिकी के प्रकार:**
  - **फार्म वानिकी:** इसका आशय **किसानों द्वारा अपनी भूमि पर वृक्षों की खेती** से है जो प्राय: वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये होती है।
    - कृषि कार्यों के साथ वानिकी को एकीकृत करने के लिये **राष्ट्रीय कृषि आयोग (NCA)** (1976) द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया गया।
  - **विस्तरण वानिकी:** हरित आवरण का विस्तार करने के लिये **गैर-वनीय, अवक्रमित क्षेत्रों** में वृक्षारोपण करना।
    - **मिश्रित वानिकी:** इसमें **बंजर भूमि या गांव की सार्वजनिक भूमि** पर ईंधन, चारा और फलों के वृक्षों का संयोजन शामिल है।
    - **वातरोधक: पवन, सूर्यप्रकाश** और **मृदा अपरदन** से सुरक्षा के लिये **वृक्ष/झाड़ियों** की कतारें।
    - **रेखीय वृक्षारोपण (लीनियर स्ट्रिप प्लान्टेशन): सड़कों, नहरों और रेलवे लाइनों** के किनारे रोपित किये जाने वाले तेज़ी से बढ़ने वाले वृक्ष।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

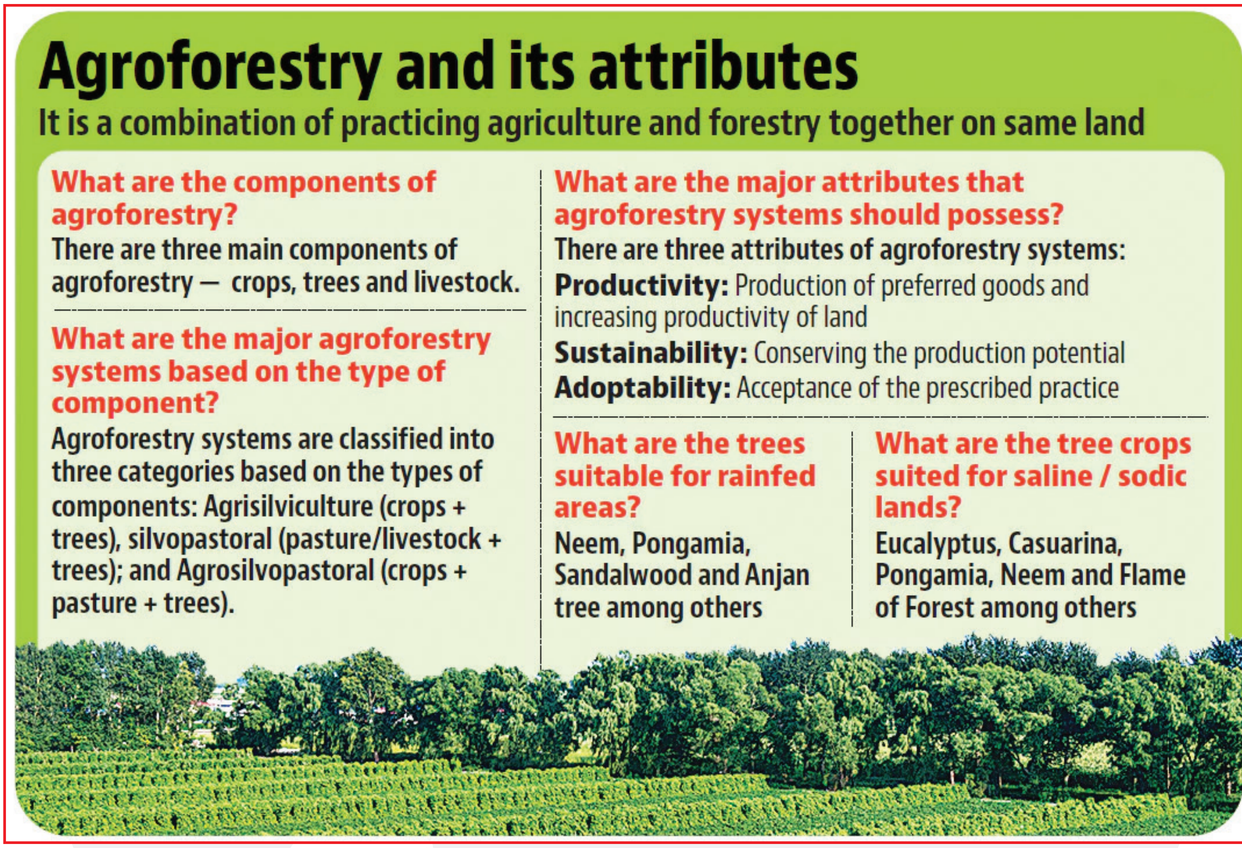

कृषि वानिकी के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- **आर्थिक योगदान:** कृषि वानिकी से भारत की काष्ठ ईंधन की लगभग **आधी आवश्यकताएँ, लघु काष्ठ की दो-तिहाई मांग, कागज़ की लुगदी के लिये कच्चे माल का 60%** और हरे चारे की लगभग **9-11% मांग** की पूर्ति होती है।
  - यह **फल, चारा, ईंधन, फाइबर, उर्वरक और लकड़ी** जैसे विविध उत्पादों के माध्यम से **ग्रामीण आजीविका की दृष्टि से सशयक है,** जिससे **आय, खाद्य सुरक्षा और फसल विफलता के प्रति अनुकूलन क्षमता बढ़ती है।**
- **पर्यावरणीय लाभ:**
  - **कार्बन पृथक्करण और जलवायु शमन:** पर्याप्त समर्थन के साथ कृषि वानिकी से **वर्ष 2030 तक 2.5 बिलियन टन से अधिक CO_2 समतुल्य कार्बन** को संग्रहित किया जा सकता है। एकीकृत **वनरोपण और पुनर्वनीकरण (ARR) परियोजनाएँ कार्बन सिंक** के रूप में प्रमुख भूमिका निभाने, **भूमि पुनरुद्धार** तथा **जलवायु अनुकूलन** का समर्थन करने और वर्ष 2070 तक भारत के **शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य** को प्राप्त करने में निर्णायक हैं।
  - **मृदा उर्वरता में सुधार: कृषि वानिकी प्रणालियों के तहत नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़** प्रतिवर्ष लगभग 50-100 किलोग्राम नाइट्रोजन/हेक्टेयर/वर्ष संग्रह करने में सक्षम हैं। **पत्तियों के अपघटन** से ह्यूमस बनता है, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है और मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होता है जिससे **रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम** होती है और जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **पारिस्थितिकी स्थिरता:** कृषि वानिकी से **मृदा स्वास्थ्य, जल प्रतिधारण, पोषक चक्रण** एवं **जैवविविधता में सुधार** होता है जिससे कृषि रसायनों पर निर्भरता कम होती है।
  - इससे विविध प्रजातियों को आश्रय मिलने के साथ **एकीकृत कीट प्रबंधन** में सहायता मिलती है, जिससे प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण के साथ पारिस्थितिकी स्थिरता के माध्यम से **जलवायु अनुकूलन** को बढ़ाता मिलता है।
- **वैश्विक प्रतिबद्धताओं हेतु समर्थन:** कृषि वानिकी से भारत के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों (जैसे **वर्ष 2030 तक 2.5-3 बिलियन टन CO_2-समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना** और **26 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करना**) में योगदान मिलता है।
  - यह 17 **सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) में से 9 के अनुरूप** भी है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्द्धन: कृषि वानिकी बायोमास आधारित धारणीय ऊर्जा** के उत्पादन के साथ स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देने पर केंद्रित है।

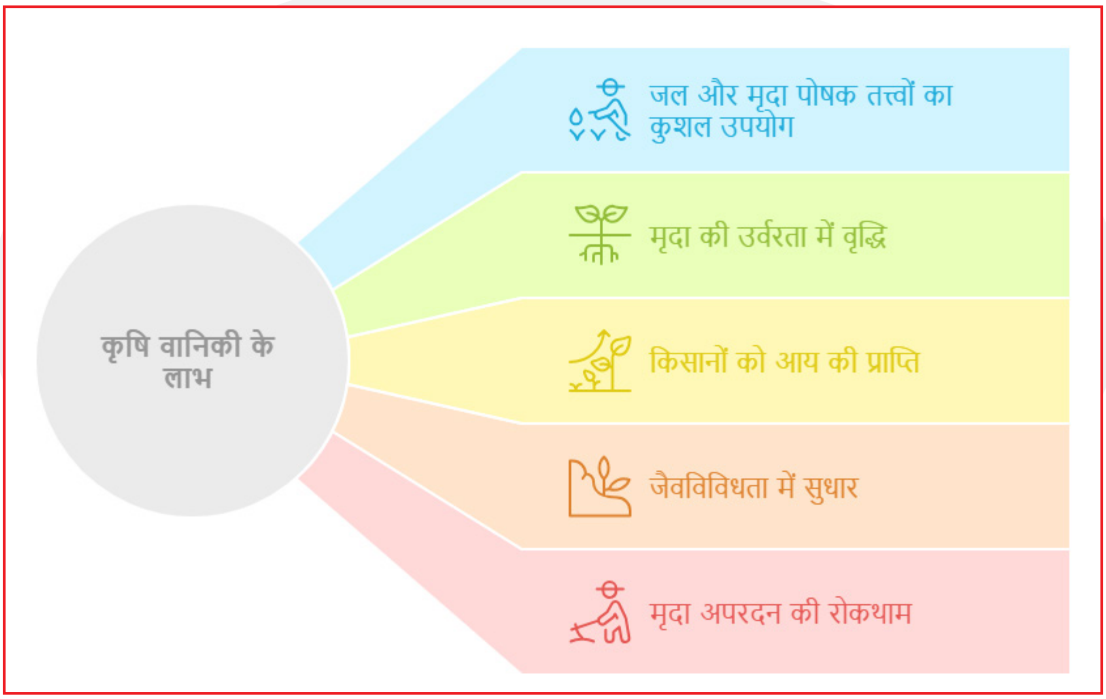

कृषि वानिकी से संबंधित सरकार की प्रमुख पहल क्या हैं?

- **राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (NAP), 2014:** भारत समर्पित कृषि वानिकी नीति अपनाने वाला पहला देश बन गया है, जो **निजी और सामुदायिक भूमि पर एकीकृत कृषि-वानिकी प्रणालियों को बढ़ावा** देता है।
  - इसके तहत **मंत्रिस्तरीय अभिसरण, सरलीकृत कटाई और पारगमन नियम, संस्थागत समर्थन (जैसे, CAFRI)** और **अनुसंधान-विस्तार संबंधों** का आह्वान किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इस नीति द्वारा **कृषि वानिकी उप-मिशन (SMAF)** का आधार तैयार हुआ तथा **ASEAN, रवांडा, नेपाल और इथियोपिया** में इसी प्रकार की नीतियों को प्रेरणा मिली।
- **कृषि वानिकी उप-मिशन (SMAF), 2016:** **राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA)** के तहत शुरू किये गए SMAF का उद्देश्य पौधों की **खरीद, वृक्षारोपण, संरक्षण और विस्तार** हेतु प्रोत्साहन (विशेष रूप से **छोटे और सीमांत किसानों को**) प्रदान करके **कृषि भूमि पर वृक्षारोपण** को बढ़ावा देना है।
    - यह **MNREGA, RKVY** और **नाबार्ड** जैसी योजनाओं के साथ एकीकृत है।
- **अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP), 1983:** यह ICAR द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क है जो भारत के विविध **कृषि-जलवायु क्षेत्रों** के अनुकूल **कृषि वानिकी प्रणालियों के विकास और सुधार** पर केंद्रित है।
- **GROW:** **नीति आयोग** द्वारा शुरू की गई **GROW (ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री)** का लक्ष्य **वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि** का पुनरुद्धार करने के साथ **पेरिस समझौते** के तहत भारत के **2.5-3 बिलियन टन CO_2-समतुल्य कार्बन सिंक लक्ष्य** में योगदान करना है।
    - यह राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर हस्तक्षेप का मार्गदर्शन करने के क्रम में **भुवन पोर्टल** पर **रिमोट सेंसिंग, GIS** और **कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक (ASI)** का उपयोग करने पर केंद्रित है।

कृषि वानिकी नीति के प्रभावी उपयोग में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **विनियामक एवं संस्थागत विखंडन: विभिन्न राज्यों में वृक्षों की कटाई और परिवहन नियमों** में भिन्नता, साथ ही **वानिकी, कृषि एवं ग्रामीण विकास** विभागों के बीच समन्वय की कमी, नीति के एकरूप क्रियान्वयन में बाधा बनती है।
- **जागरूकता एवं तकनीकी क्षमता की कमी:** किसान **नीति के लाभों, पारिस्थितिकीय महत्त्व** और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति जागरूक नहीं हैं।
    - **प्रशिक्षित विस्तार कर्मचारियों की कमी** तथा प्रजातियों के चयन, वृक्षारोपण तकनीक और **एकीकृत कीट प्रबंधन पर वैज्ञानिक ज्ञान तक सीमित पहुँच** के कारण इसे अपनाना कठिन हो गया है।
- **वित्तीय और बाज़ार से जुड़ी बाधाएँ: उच्च प्रारंभिक निवेश,** दीर्घ निर्माण अवधि, बीमा और कृषि वानिकी-विशिष्ट ऋण योजनाओं का अभाव इसे वित्तीय रूप से जोखिमपूर्ण बनाता है।
    - **लकड़ी-आधारित उद्योगों** से कमज़ोर जुड़ाव और मूल्य सुनिश्चितता की अनुपस्थिति लाभप्रदता को घटाती है।
- **डिजिटल और निगरानी अंतराल: कम डिजिटल साक्षरता और सीमित कनेक्टिविटी, नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम (NTMS)** के उपयोग को सीमित करती हैं।
    - वास्तविक समय में निगरानी की कमी से छोटे किसानों के लिये **निगरानी, पारदर्शिता और अनुपालन** प्रभावित होता है।
- **अनुसंधान एवं अवधारणा संबंधी बाधाएँ:** क्षेत्र-विशिष्ट **अनुसंधान एवं विकास (R&D), वृक्ष-फसल मॉडल और जलवायु-अनुकूल प्रजातियों** पर अध्ययन की कमी, साथ ही **किसानों का जोखिम से बचने का व्यवहार और लाभ को लेकर अनिश्चितता, उनके आत्मविश्वास** तथा बड़े पैमाने पर अपनाने को प्रभावित करते हैं।

कृषि वानिकी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- **विनियामक सुधार:** वृक्ष की कटाई और परिवहन नियमों के लिये एक समान राष्ट्रीय ढाँचा तैयार किया जाए और राज्यों में नीति के एकरूप क्रियान्वयन हेतु पूर्ण रूप से क्रियाशील **राज्य स्तरीय समितियों (SLC)** के माध्यम से समन्वय को मज़बूत किया जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **जागरूकता एवं क्षमता निर्माण: कृषि विज्ञान केंद्र (KVK),** ICAR एवं वन विभागों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये जाएँ, ताकि किसानों और विस्तार कार्यकर्त्ताओं को नीति के लाभ, **जलवायु-अनुकूलन मॉडल व एकीकृत कीट प्रबंधन** के विषय में शिक्षित किया जा सके।
- **वित्तीय और बाज़ार समर्थन: कृषि वानिकी-विशेष ऋण व बीमा योजनाएँ** लागू की जाएँ, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए तथा लकड़ी-आधारित उद्योगों के साथ **बाय-बैक व्यवस्था (Buy-back arrangements)** स्थापित की जाए ताकि लाभप्रदता बढ़े और वित्तीय जोखिम कम हो।
- **डिजिटल पहुँच और निगरानी:** ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया जाए ताकि **नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम (NTMS)** पोर्टल का उपयोग बढ़ सके और **वास्तविक समय में निगरानी, ट्रेसबिलिटी एवं अनुपालन के लिये GIS, रिमोट सेंसिंग तथा AI आधारित उपकरणों** का एकीकरण किया जाए।
- **अनुसंधान और प्रदर्शन:** उत्पादक एवं जलवायु-संवेदनशील प्रजातियों पर क्षेत्र-विशिष्ट **अनुसंधान एवं विकास (R&D)** में निवेश किया जाएँ तथा मॉडल कृषि वानिकी फार्म स्थापित किये जाएँ ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन हो, जोखिम की धारणा कम हो और किसानों का आत्मविश्वास बढ़े।

निष्कर्ष

मॉडल नियम **जलवायु-अनुकूल कृषि, ग्रामीण आय सृजन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण** के एक उपकरण के रूप में कृषिवानिकी को मुख्यधारा में लाने के लिये एक रूपांतरणकारी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। भारत के कृषि और पर्यावरण परिदृश्य में इनकी पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिये, **संस्थागत समन्वय, डिजिटल सशक्तीकरण और बाज़ार विकास के माध्यम** से कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना अत्यंत आवश्यक होगा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. कृषि-वानिकी में भारत की लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने, ग्रामीण आय को बढ़ाने और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने की क्षमता है। इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये और एक व्यवहार्य कार्य योजना का सुझाव दीजिये।

वैश्विक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली और MDB में सुधार

चर्चा में क्यों?

स्पेन के सेविले में आयोजित **चौथे अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त पोषण सम्मेलन (FFD4)** में **भारत के वित्त मंत्री ने समानता, समावेशिता** और **सतत् विकास** को बढ़ावा देने के लिये **वैश्विक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों** और **बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB)** में सुधार की वकालत की।

संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली क्या है?

- **परिचय: संप्रभु क्रेडिट रेटिंग** किसी देश की **ऋण-योग्यता** का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है, जो निवेशकों को **राजनीतिक जोखिमों** सहित उस देश के ऋण में निवेश के **जोखिम स्तर** के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
  - **बाह्य ऋण बाज़ारों** तक पहुँच बनाने के अलावा, देश **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने** के लिये भी ऐसी रेटिंग की तलाश करते हैं।
- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ: तीन बड़ी वैश्विक रेटिंग एजेंसियां स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P), मूडीज** और **फिच रेटिंग्स** हैं, जो सभी **संयुक्त राज्य अमेरिका** में स्थित हैं।
  - अन्य उल्लेखनीय एजेंसियों में **DBRS** (कनाडा), **JCR** (जापान) और **डागोंग** (चीन) शामिल हैं।
- **रेटिंग स्केल:** क्रेडिट रेटिंग **AAA (उच्चतम)** से **D (डिफॉल्ट)** तक होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- AAA से BBB- (S&P/फिच) या Aaa से Baa3 (मूडीज़) तक की रेटिंग को **निवेश योग्य श्रेणी** माना जाता है; इससे नीचे की रेटिंग को **सट्टात्मक (Speculative) या जंक ग्रेड** की श्रेणी में रखा जाता है।

S&P	Moody's	Fitch	Score
	Investment grade		
AAA	Aaa	AAA	1
AA+	Aa1	AA+	2
AA	Aa2	AA	3
AA-	Aa3	AA-	4
A+	A1	A+	5
A	A2	A	6
A-	A3	A-	7
BBB+	Baa1	BBB+	8
BBB	Baa2	BBB	9
BBB-	Baa3	BBB-	10

- **प्रयुक्त पैरामीटर:** संप्रभु क्रेडिट रेटिंग देश की GDP विकास दर, राजकोषीय घाटा और **सार्वजनिक ऋण स्तर, मुद्रास्फीति और मौद्रिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता और शासन, भुगतान संतुलन (BoP),** और चालू खाता शेष सहित **विदेशी भंडार** जैसे प्रमुख पैरामीटर पर आधारित होती है।
- **रेटिंग का प्रभाव: उच्च रेटिंग** से सरकारों के लिये **ऋण लेने की लागत** कम हो जाती है और **निवेशकों का विश्वास** बढ़ता है।
  - डाउनग्रेड **से** उधार लेने की लागत बढ़ जाती है और **पूंजी का बहिर्गमन** हो सकता है।
- **भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग:** भारत की **संप्रभु क्रेडिट रेटिंग मूडीज** द्वारा **Baa3** तथा **S&P** और **फिच** द्वारा **BBB-** पर है, जो कि **निम्नतम निवेश ग्रेड** को दर्शाती है, जबकि **भारत का कहना है कि उसके मज़बूत समष्टि आर्थिक मूलभूत आधार उच्च रेटिंग के पात्र हैं।**

भारत में संप्रभु क्रेडिट रेटिंग (SCR)

- भारत में **छह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं,** अर्थात् **CRISIL, ICRA, CARE, SMERA, फिच इंडिया और ब्रिकवर्क रेटिंग्स।**
- **प्रत्येक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनियों, सरकारों, गैर-लाभकारी संस्थाओं** और **प्रतिभूतियों** जैसी संस्थाओं का आकलन करने के लिये अपनी स्वयं की पद्धति का उपयोग करती है।
  - वे **वित्तीय विवरण, ऋण स्तर, पुनर्भुगतान इतिहास** और **ऋण पात्रता** जैसे कारकों का मूल्यांकन करते हैं, तथा निवेशकों को **सूचित निवेश निर्णय** लेने के लिये अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
- **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992** के **SEBI (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999** भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को नियंत्रित करते हैं।
- **केयरएज (मूल कंपनी केयर रेटिंग्स लिमिटेड)** संप्रभु रेटिंग सहित **वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र** में प्रवेश करने वाली **पहली भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी** बन गई।

भारत वर्तमान संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली में सुधार क्यों चाहता है?

- **विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रति पूर्वाग्रह: मज़बूत समष्टि आर्थिक मूलभूत आधार** होने के बावजूद **भारत की ऋण रेटिंग BBB-** (जंक स्थिति से बस एक स्तर ऊपर) पर बनी हुई है, जबकि **इटली और स्पेन** जैसे देशों को, जिनकी **वृद्धि दर कम** है और **ऋण स्तर अधिक** है, इससे **बेहतर क्रेडिट रेटिंग** प्राप्त है।
  - उदाहरणस्वरूप, **इटली का ऋण-GDP अनुपात औसतन 118%** है, फिर भी उसे **S&P द्वारा BBB रेटिंग** प्राप्त है, जबकि **भारत को BBB-** रेटिंग दी गई है, जबकि उसका **ऋण-GDP अनुपात केवल 80%** है।
  - दिसंबर 2023 में **वित्त मंत्रालय के अर्थशास्त्रियों** ने **तीन प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसियों** से यह प्रश्न उठाया कि **भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान से**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

बढ़कर पाँचवें स्थान पर पहुँच जाने के बावजूद, पिछले 15 वर्षों से उसकी रेटिंग को निवेश योग्य श्रेणी की न्यूनतम सीमा पर स्थिर क्यों रखा गया है।

- **दोषपूर्ण ऋण मूल्यांकन:** भारत का ऋण अधिकांशत: **घरेलू और कम जोखिम वाला** होने के बावजूद, रेटिंग एजेंसियाँ उसका मूल्यांकन **विदेशी मुद्रा ऋण** के रूप में करती हैं और प्राय: **भारत की उच्च वृद्धि दर** की उपेक्षा कर देती हैं, जबकि यही वृद्धि दर भारत के ऋण को **जापान या अमेरिका** जैसी **स्थिर अर्थव्यवस्थाओं** की तुलना में अधिक **धारणीय** बनाती है।
- **अवधारणात्मक कारकों पर अत्यधिक ज़ोर:** क्रेडिट रेटिंग प्राय: **राजनीतिक स्थिरता** जैसे **व्यक्तिपरक कारकों** पर आधारित होती है, जो **पक्षपातपूर्ण या पुरानी** हो सकती हैं, जबकि **भारत की मज़बूत GDP वृद्धि दर, 600 अरब डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा भंडार स्थिति**, तथा GST एवं दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (IBC) जैसे **प्रमुख सुधारों** को प्राय: **अपेक्षित महत्त्व नहीं** दिया जाता।
- **प्रो-साइक्लिकल डाउनग्रेड:** आर्थिक तनाव (जैसे, कोविड-19) के दौरान, एजेंसियाँ अक्सर **देशों को डाउनग्रेड** कर देती हैं जिससे जब फंड की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब ऋण लेने की लागत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिये **वर्ष 2020 में** मूडीज़ ने **प्रोत्साहन उपायों** के बावजूद **भारत की रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3** कर दी।
- **हितों का टकराव: मूडीज, S&P, फिच** सहित अधिकांश वैश्विक रेटिंग एजेंसियों को उन संस्थाओं द्वारा भुगतान किया जाता है जिनकी वे रेटिंग करती हैं, जिससे **विश्वसनीयता एवं स्वतंत्रता** के साथ **विकसित देशों के प्रति पूर्वाग्रह संबंधी चिंताएँ** उत्पन्न होती हैं।
  - **ग्लोबल साउथ के नेतृत्व वाले विकल्पों का अभाव** होने से सॉवरेन ऋण मूल्यांकन में **संतुलित दृष्टिकोण सीमित** हो रहा है।
- **प्रमुख संकटों की भविष्यवाणी करने में विफलता:** रेटिंग एजेंसियाँ **वर्ष 2008 के वित्तीय संकट** की भविष्यवाणी करने में विफल रहीं तथा उन्होंने जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों को उच्च रेटिंग प्रदान की। इससे **इनकी विश्वसनीयता को नुकसान** पहुँचने के बाद भी इनके आकलन अभी भी **वैश्विक पूंजी प्रवाह को व्यापक** रूप से प्रभावित करते हैं।
  - **संप्रभु रेटिंग पद्धतियों में पारदर्शिता** का भी अभाव है तथा एक **समान वैश्विक मानक** के अभाव से **वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता** प्रभावित होती है।

संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली में सुधार के लिये कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?

- **पारदर्शिता में वृद्धि:** रेटिंग एजेंसियों को **GDP वृद्धि, ऋण-से-GDP अनुपात** और **राजनीतिक स्थिरता** जैसे प्रमुख मैट्रिक्स को दिये गए वेटेज के बारे में बताना चाहिये और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा पूर्वाग्रह को रोकने के क्रम में **स्वतंत्र ऑडिट** की व्यवस्था होनी चाहिये।
  - इन्हें अपने आकलन में **देश-विशिष्ट कारकों** को भी शामिल करना चाहिये, जैसे **भारत की घरेलू ऋण प्रोफाइल** और **जनसांख्यिकीय लाभांश।**
- **वस्तुनिष्ठता में वृद्धि: धारणा-आधारित मैट्रिक्स की जगह ठोस आँकड़ों** (जैसे, **मुद्रास्फीति नियंत्रण, विदेशी मुद्रा भंडार, डिजिटल बुनियादी ढाँचे**) का उपयोग करना चाहिये और अधिक **गतिशील आकलन** के क्रम में **GST संग्रह** तथा **UPI लेनदेन** जैसे **रियल टाइम संकेतकों को** एकीकृत करने हेतु **AI और बिग डेटा** का उपयोग किया जाना चाहिये।
- **वैकल्पिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ (CRAs): पश्चिमी प्रभुत्व का मुकाबला करने के क्रम में भारत, BRICS** या **G20 देशों** सहित **ग्लोबल साउथ** से **रेटिंग एजेंसियों के उद्भव को** प्रोत्साहित कर सकता है साथ ही वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने के क्रम में **CRISIL और ICRA** जैसी **भारतीय एजेंसियों को प्रभावी** बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नियामक निरीक्षण एवं जवाबदेहिता:** रेटिंग प्रथाओं का लेखापरीक्षण एवं विनियमन करने हेतु संभवतः **IMF** या **G20 के अधीन,** एक **वैश्विक पर्यवेक्षी निकाय** का निर्माण किया जा सकता है।
- **गैर-आर्थिक संकेतकों को शामिल करना:** क्रेडिट रेटिंग में **जलवायु अनुकूलन, डिजिटल क्षमता** और **नीतिगत सुधारों** जैसे **मापदंडों** को शामिल किया जाना चाहिये, जिससे **दीर्घकालिक स्थिरता** एवं **सुधारों** का आकलन करने के क्रम में राजकोषीय मैट्रिक्स से परे फोकस को व्यापक बनाया जा सके।
- **समकक्ष तुलनात्मकता को बढ़ावा देना: तीव्र वृहद आर्थिक परिवर्तनों** को प्रतिबिंबित करने के क्रम में रेटिंग को **रियल टाइम** में अद्यतन किया जाना चाहिए तथा **धारणा विषमता को न्यूनतम करने के लिये समकक्ष तुलनात्मक डैशबोर्ड** शुरू किये जाने चाहिये।

निष्कर्ष

भारत, पक्षपातपूर्ण संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली में सुधार के साथ MDB में सुधारों का समर्थक है। **बुनियादी तत्त्वों की मज़बूती** के बावजूद **स्थिर रेटिंग** और **अस्थिर फंडिंग** के साथ भारत **पश्चिमी प्रभुत्व** का मुकाबला करने के क्रम में **पारदर्शिता, डेटा-संचालित आकलन** तथा **वैकल्पिक एजेंसियों की मांग** का समर्थक है। इससे संबंधित **सुधारों में रियल टाइम संकेतक, जलवायु अनुकूलन** और **नियामक निरीक्षण** को शामिल किया जाना चाहिये ताकि **निष्पक्ष वैश्विक वित्तपोषण सुनिश्चित** होने के साथ **वास्तविक आर्थिक क्षमताओं** का लाभ उठाया जा सके।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. वर्तमान संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली की सीमाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण करते हुए इसे विकासशील देशों के लिये न्यायसंगत बनाने हेतु उपाय सुझाइये।

रसायन उद्योग पर नीति आयोग की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट '**रसायन उद्योग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना** (Chemical Industry: Powering India's Participation in Global Value Chains)' शीर्षक से जारी की है, जिसमें **भारत को वैश्विक रसायन विनिर्माण की महाशक्ति बनाने हेतु एक महत्त्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।**

- रिपोर्ट का लक्ष्य है कि **भारत वर्ष 2040 तक वैश्विक रसायन मूल्य श्रृंखलाओं (GVC) में 12% हिस्सेदारी** हासिल करे और **1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन** प्राप्त करे।

भारत में रसायन उद्योग की स्थिति क्या है?

- **वैश्विक स्तर पर स्थिति:** भारत **विश्व का छठा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक देश** है और यह **विनिर्माण GDP में 7% से अधिक** का योगदान देता है।
  - यह क्षेत्र **फार्मा, वस्त्र, कृषि और निर्माण** जैसे महत्त्वपूर्ण उद्योगों को समर्थन प्रदान करता है।
- **फीडस्टॉक उपयोग:** भारत में थोक रसायनों के उत्पादन में **अत्यधिक सांद्रता** देखी जाती है, जहाँ **87% बेंजीन** का उपयोग **ऐल्किलबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और क्यूमीन** के लिये होता है। जबकि वैश्विक प्रवृत्ति में केवल **25% बेंजीन** का इस प्रकार उपयोग होता है और शेष **जटिल व्युत्पन्नों** में जाता है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) में कम हिस्सेदारी:** भारत की वैश्विक रसायन मूल्य श्रृंखला में हिस्सेदारी मात्र 3.5% है और वर्ष 2023 में **31 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का व्यापार घाटा रहा।
  - यह क्षेत्र अभी भी **विखंडित** है, मुख्य रूप से **MSME इकाइयों के प्रभुत्व में है** और इसका विकास **गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु** में केंद्रित है।
- **कौशल और नवाचार की कमी:** विशेष रूप से **हरित रसायन शास्त्र, नैनो प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सुरक्षा** जैसे क्षेत्रों में **30% कुशल पेशेवरों की कमी** है।
  - **अनुसंधान एवं विकास (R&D)** में निवेश **उद्योग की कुल आय का केवल 0.7%** है, जबकि वैश्विक औसत 2.3% है, जिससे **उच्च मूल्य और सतत् रसायनों में नवाचार** सीमित हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **आयात पर निर्भरता:** यह क्षेत्र **आयात पर अत्यधिक निर्भर** है तथा **60% से अधिक आवश्यक सक्रिय औषधीय सामग्री (API)** चीन से और अन्य **फीडस्टॉक खाड़ी देशों से आयात** किये जाते हैं।
- **विनियामक बाधाएँ:** अनुमोदनों में **12 से 18 महीनों** तक की देरी होती है, जिससे **परिचालन लागत बढ़ जाती है और परियोजनाओं की गति धीमी पड़ती है।**

भारत के रसायन उद्योग में क्या अवसर हैं?

- **घरेलू मांग में वृद्धि:** भारत की **उपभोक्ता और औद्योगिक वृद्धि कृषि रसायनों** (भारत चौथा सबसे बड़ा उत्पादक), **फार्मास्युटिकल्स** (तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक), और **निर्माण व ऑटोमोबाइल क्षेत्र** (पेंट, चिपकाने वाले पदार्थ, पॉलिमर) में मांग को बढ़ावा दे रही है।
   - **रिफाइनरी विस्तार** (जैसे रिलायंस, नायरा, BPCL) **पेट्रोकेमिकल उत्पादन** को और अधिक गति देगा।
- **रोज़गार सृजन:** यह क्षेत्र **वर्ष 2030 तक 7 लाख कुशल रोज़गार सृजित** कर सकता है, विशेष रूप से **पेट्रोकेमिकल्स, अनुसंधान और लॉजिस्टिक्स** जैसे क्षेत्रों में।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव:** भारत चीन से स्थानांतरित हो रहे वैश्विक रसायन व्यापार का लाभ उठा सकता है, विशेष रूप से **डाई एवं पिगमेंट्स, सर्फैक्टेंट, वस्त्र रसायन और इलेक्ट्रॉनिक रसायन** (जो **अर्धचालक व EV बैटरी निर्माण** में उपयोग होते हैं) में।
- **हरित एवं सतत् रसायन:** वैश्विक स्तर पर **जैव-आधारित एवं हरित रसायनों** की ओर रुझान बढ़ रहा है, जिससे **बायोप्लास्टिक और बायो-लुब्रिकेंट्स** की मांग बढ़ रही है। भारतीय **शर्करा और बायोमास संसाधनों** की उपलब्धता इन **जैव-आधारित रसायनों** के उत्पादन में सहायक हो सकती है।

रसायन उद्योग की वर्ष 2030 की आकांक्षाओं हेतु 4 स्तंभ

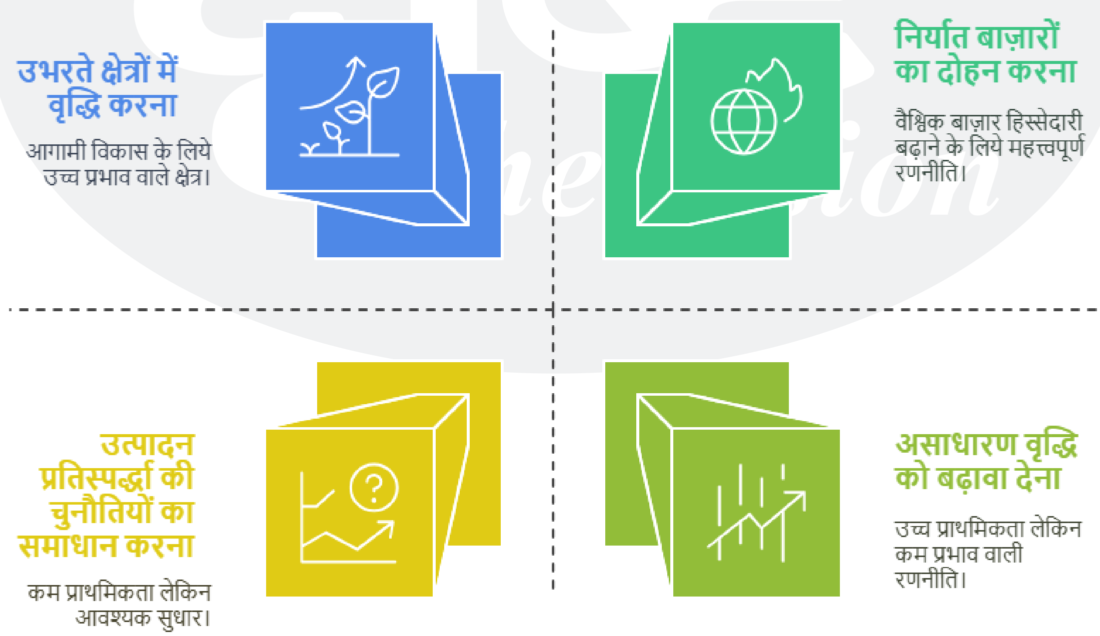

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

रासायन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित नीतिगत हस्तक्षेप क्या हैं?

- **विश्व-स्तरीय रासायन हब: साझा अवसंरचना** और **व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF)** हेतु एक **समर्पित रासायनिक निधि** के साथ **सशक्त समिति** का गठन कर रासायन हब स्थापित किये जाएँ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **बंदरगाह अवसंरचना:** बंदरगाहों के लिये एक **रासायनिक समिति** का गठन किया जाए तथा **8 उच्च-सम्भावित रासायनिक क्लस्टरों** का विकास किया जाए, ताकि **लॉजिस्टिक्स** और **निर्यात क्षमताओं** को सशक्त किया जा सके।
- **ओपेक्स (OPEX) सब्सिडी योजना: आयात में कमी, निर्यात क्षमता, एकल स्रोत पर निर्भरता**, तथा **अंतिम बाज़ार की महत्ता** के आधार पर **वृद्धिशील उत्पादन** को प्रोत्साहित करने हेतु **ओपेक्स सब्सिडी योजना** लागू की जाए।
- **प्रौद्योगिकियों का विकास एवं उपयोग:** DCPC के माध्यम से **उद्योग- शैक्षणिक सहयोग** हेतु **अनुसंधान एवं विकास (R&D) निधियों** का वितरण कर **आत्मनिर्भरता और नवाचार** को बढ़ावा दिया जाए; और **तकनीकी अंतर** को पाटने हेतु **बहुराष्ट्रीय कंपनियों** (MNC) के साथ **साझेदारी** की जाए।
- **पर्यावरण मंज़ूरी में तेज़ी:** DPIIT के तहत एक **ऑडिट समिति** के माध्यम से **पर्यावरणीय मंज़ूरियों (EC)** की प्रक्रिया को **सरल** और **त्वरित** बनाया जाए, ताकि **अनुपालन** सुनिश्चित किया जा सके।
- **सुरक्षित मुक्त व्यापार समझौते (FTA): महत्त्वपूर्ण कच्चे माल** और **फीडस्टॉक्स** पर **शुल्क छूट** और **शुल्क कोटा** के साथ **लक्षित FTA** अपनाए जाएँ; **FTA जागरूकता, उत्पत्ति प्रमाण प्रक्रिया**, और **निर्यात प्रतिस्पर्द्धा** को बेहतर बनाया जाए।
- **प्रतिभा एवं कौशल उन्नयन:** कुशल श्रमिकों की बढ़ती माँग को पूरा करने हेतु **ITI** और **विशेष प्रशिक्षण संस्थानों** का विस्तार किया जाए; **पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिमर विज्ञान** और **औद्योगिक सुरक्षा** जैसे विषयों में पाठ्यक्रमों हेतु **उद्योग-शैक्षणिक भागीदारी** को सुदृढ़ किया जाए।

रसायन उद्योग को समर्थन देने के लिये भारत की पहल

- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** महत्त्वपूर्ण **प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों (KSM), औषधि मध्यवर्ती** और **सक्रिय औषधीय संघटकों (API)** के **घरेलू निर्माण** को बढ़ावा देने हेतु **PLI योजना** का उद्देश्य **ग्रीनफील्ड संयंत्रों** की स्थापना को प्रोत्साहित कर देश में उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- **PCPIR: पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (PCPIR)**, जिसे **पारादीप** में स्थापित किया गया है, ने अब तक **8.84 अरब अमेरिकी डॉलर** के निवेश आकर्षित किये हैं, जिससे लगभग **40,000 लोगों को रोज़गार** प्राप्त हुआ है।
- **जन औषधि केंद्र: सरकार** का लक्ष्य 25,000 **जन औषधि केंद्र** खोलने का है, ताकि आम जनता को **किफायती दरों पर दवाइयाँ सुलभ** कराई जा सकें।

रसायन उद्योग को मज़बूत करने के लिये क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- **वैश्विक एकीकरण:** भारतीय रासायनिक मानकों को **वैश्विक मानदंडों** के अनुरूप लाने हेतु **पारस्परिक मान्यता समझौतों (MRA)** पर हस्ताक्षर किये जाएँ, तथा बाज़ार तक पहुँच और **ब्रांड निर्माण** के लिये एक **समर्पित रासायनिक निर्यात प्रोत्साहन परिषद** की स्थापना की जाए।
- **सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करना:** रासायनिक क्लस्टरों में सुरक्षा और अनुपालन को बढ़ाने के लिये **कड़े सुरक्षा मानदंडों** को लागू किया जाए तथा रीयल-टाइम निगरानी प्रणाली को अपनाया जाए।
  - **अपशिष्ट पुनर्चक्रण**, कम उत्सर्जन प्रक्रियाओं के माध्यम से **हरित और संधारणीय रसायन विज्ञान** को बढ़ावा देना, तथा **शून्य तरल अपशिष्ट (ZLD)** और **स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकियों** को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
- **वित्तीय एवं निवेश समर्थन: MSME रासायनिक विनिर्माताओं** के लिये कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर पूंजी तक पहुँच को सरल बनाया जाए, तथा **विशेष रासायनिक स्टार्टअप** के लिये **उद्यम पूंजी निधि** को प्रोत्साहित किया जाए; साथ ही, सब्सिडी युक्त बीमा योजनाओं के माध्यम से जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित किया जाए।
- **कौशल विकास:** प्रक्रिया सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकी पर केंद्रित उद्योग-उन्मुख रासायन अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के माध्यम से **कार्यबल को उन्नत** किया जाए।
  - **प्रक्रिया सुरक्षा प्रबंधन (PSM) ऑडिट** को अनिवार्य बनाकर तथा **रासायनिक दुर्घटना नियम, 1996** को और अधिक सख्ती से लागू करके सुरक्षा प्रोटोकॉल को बेहतर बनाना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष

भारत का **रासायन उद्योग**, जो **GDP वृद्धि का एक प्रेरक** है, वर्ष 2030 तक नीतिगत हस्तक्षेपों जैसे **रासायन हब, OPEX सब्सिडी, मुक्त व्यापार समझौते (FTA)**, और **अनुसंधान एवं विकास (R&D)** को बढ़ावा देकर एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है। **आयात पर निर्भरता, नियामकीय बाधाएँ**, और **स्थिरता संबंधी चुनौतियों** को पार करने के लिये **वैश्विक एकीकरण**, **सुरक्षा प्रवर्तन**, **हरित रसायन विज्ञान** और **कौशल विकास** की आवश्यकता है, ताकि **1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाज़ार की क्षमता** प्राप्त की जा सके।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न. भारत को रासायन उद्योग में वैश्विक नेता बनाने हेतु वर्तमान स्थिति, चुनौतियों तथा आवश्यक नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिये।

अंतराल को कम करना: भारत की गिग इकॉनमी का सुदृढ़ीकरण

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में **गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स** को औपचारिक रूप से मान्यता देने के साथ उनके लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया गया है। हालाँकि **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** के तहत अभी भी इनके लिये **समर्पित वर्गीकरण का अभाव** है जिससे नीतिगत लक्ष्य और डेटा स्पष्टता के बीच अंतर होने से **समावेशी एवं प्रभावी नीति-निर्माण में बाधा** आती है।

गिग इकॉनमी क्या है और इसके वर्गीकरण में वर्तमान अंतराल क्या है?

- **गिग इकॉनमी:** गिग इकॉनमी **अल्पकालिक, लचीले** और **लक्ष्य आधारित कार्य से संबंधित** एक **श्रम बाज़ार** है जिसे अक्सर **डिजिटल प्लेटफॉर्मों द्वारा सुगम** बनाया जाता है।
  - **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** की **धारा 2(35)** के अनुसार, गिग वर्कर "वह व्यक्ति है जो **पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के इतर** कार्य करता है या **कार्य व्यवस्था में भाग** लेता है तथा **ऐसी गतिविधियों से आय का सृजन** करता है।"
  - ये आमतौर पर **फ्रीलांसर** या **स्वतंत्र ठेकेदार** होते हैं जिन्हें नियमित वेतन के बजाय प्रति कार्य के अनुसार भुगतान किया जाता है। इसके उदाहरणों में **फूड डिलीवरी, राइड-हेलिंग** और **ऑनलाइन फ्रीलांस सेवाएँ** शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

- **प्रमुख पहलू:**

भारत में गिग वर्कर का वर्गीकरण

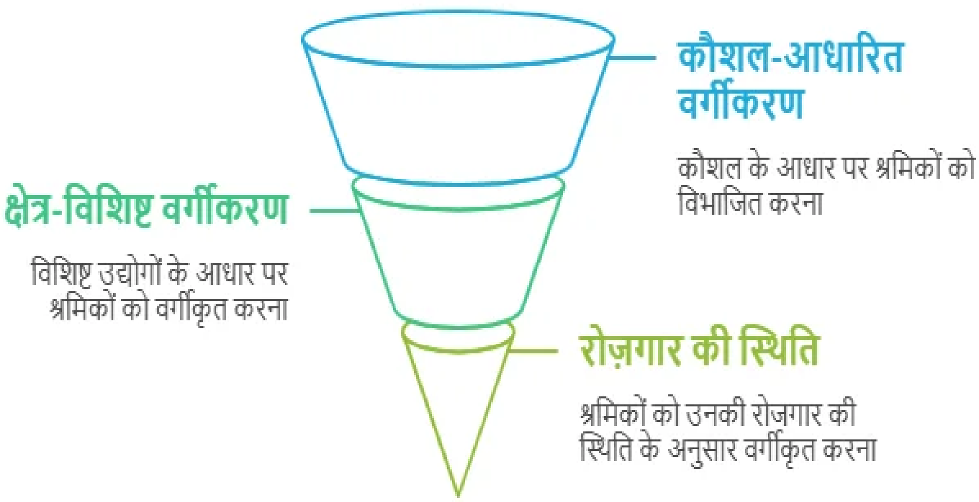

- **स्थिति और वर्गीकरण अंतराल:** भारत में वर्ष 2020-21 में **7.7 मिलियन** गिग वर्कर थे, जिनके **वर्ष 2029-30 तक 23.5 मिलियन** तक पहुँचने का अनुमान है (**नीति आयोग**), जिनमें से अधिकांश **मध्यम-कौशल वाले रोज़गार में संलग्न होंगे)।**
- हालाँकि PLFS में गिग श्रमिकों के लिये कोई अलग वर्गीकरण नहीं है लेकिन उन्हें **स्व-नियोजित** या **आकस्मिक श्रमिकों** जैसी व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत रखा गया है।
- यद्यपि गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को तकनीकी रूप से "**आर्थिक गतिविधि**" के अंतर्गत शामिल किया गया है लेकिन उनकी **विशिष्ट कार्य स्थितियों (एल्गोरिदम नियंत्रण, औपचारिक अनुबंधों की कमी, अनियमित घंटे** और **बहु-प्लेटफॉर्म जुड़ाव**) को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है।
- **वर्गीकरण में** इस **अंतराल** के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं:
  - **कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिलना** (क्योंकि PLFS डेटा से लाभार्थियों को लक्षित किया जाता है)।
  - **रोज़गार की स्थिति का अनुचित प्रदर्शन** (रोज़गार की असुरक्षा और आय की अस्थिरता का ठीक से पता नहीं चल पाता है)।
  - **नीतिगत कमियाँ** (साक्ष्य-आधारित श्रम सुधारों का अप्रभावी होना)।
  - **विधिक अस्पष्टता से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत प्रवर्तन प्रभावित** होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

PLFS के घटक और उद्देश्य

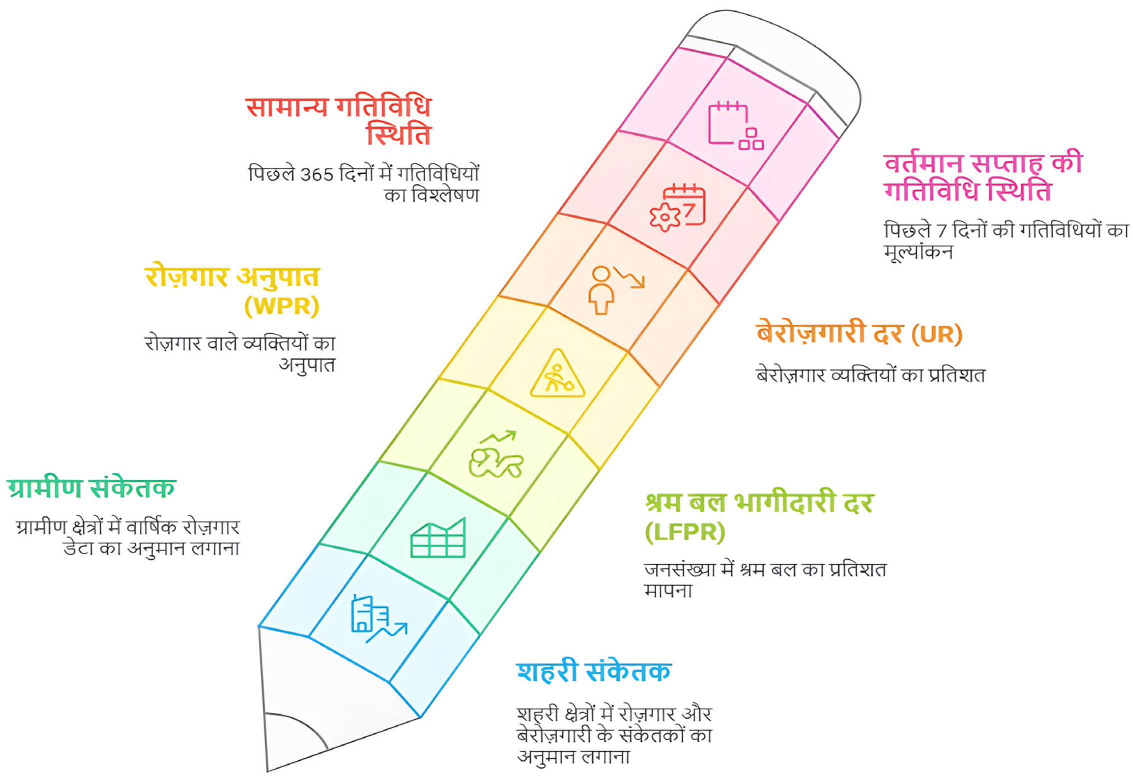

भारत में गिग इकॉनमी को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- **डिजिटल पहुँच का विस्तार: 936 मिलियन से अधिक इंटरनेट** और **650 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्त्ताओं के साथ** (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) **सुलभ कनेक्टिविटी से अधिक लोग गिग वर्क** के क्रम में डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने में सक्षम हो रहे हैं।
- **ई-कॉमर्स और स्टार्टअप में वृद्धि: स्टार्टअप और ऑनलाइन व्यवसायों** के उदय से **लॉजिस्टिक्स, कंटेंट, मार्केटिंग** एवं **डिलीवरी सेवाओं** में **अनुकूल श्रम** की मांग में वृद्धि हुई है।
- **सुविधा आधारित उपभोक्ता मांग:** शहरी उपभोक्ता तीव्रता से **फूड डिलीवरी** और **ऑनलाइन शॉपिंग** जैसी **त्वरित सेवाओं** को पसंद कर रहे हैं जिससे इस संदर्भ में गिग वर्कर्स की भूमिकाएँ बढ़ रही हैं।
- **कम लागत वाले श्रम की उपलब्धता: उच्च बेरोज़गारी, अर्द्ध-कुशल श्रमिकों** की अधिकता और **सीमित सामाजिक सुरक्षा** के कारण कई लोग आजीविका के विकल्प के रूप में **कम वेतन वाले गिग कार्यों** का रुख करते हैं।
- **कार्य संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव: युवा कर्मचारी** पारंपरिक कार्यों की तुलना में गिग कार्य से संबंधित **अनुकूलन, दूरस्थ कार्य की सुविधा** और **कार्य-जीवन संतुलन** की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

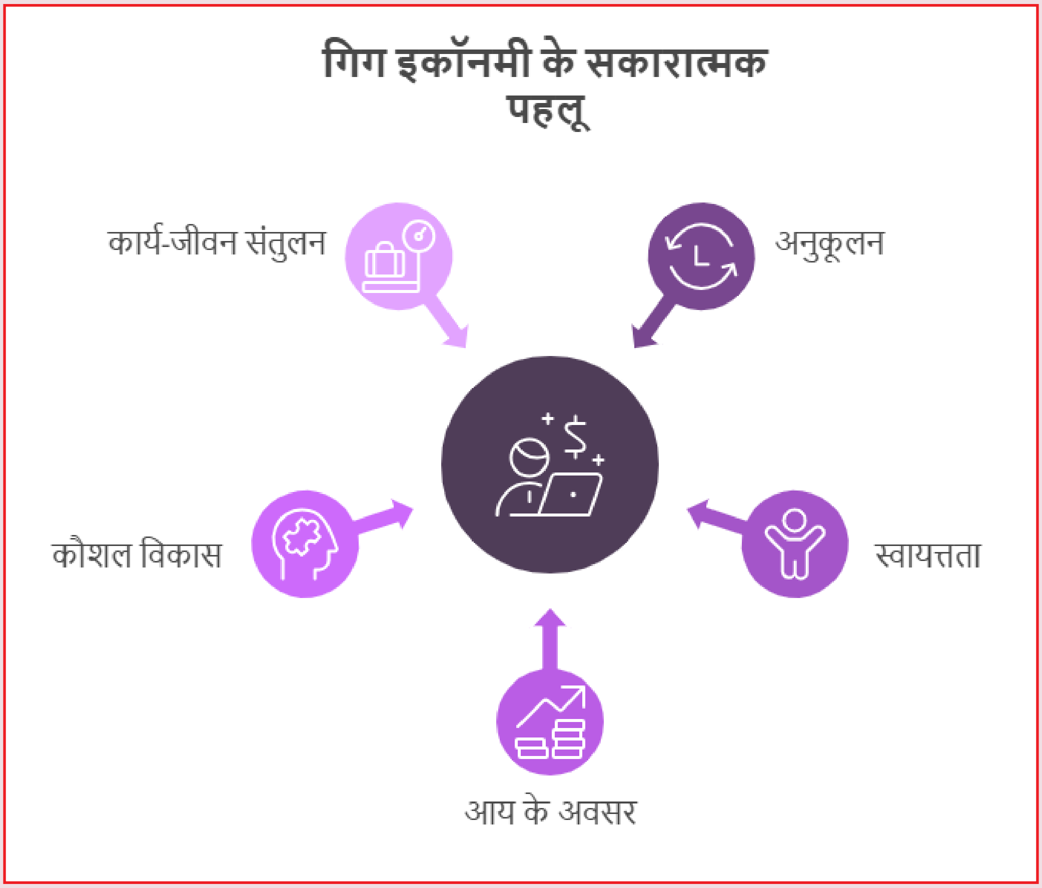

भारत की आर्थिक संवृद्धि में गिग इकॉनमी का क्या महत्त्व है?

- **अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन:** गिग प्लेटफॉर्म (जैसे- **ज़ोमैटो, स्विगी**) **कृषि और अनौपचारिक क्षेत्रों से श्रमिकों को संलग्न कर निश्चित आय** में भूमिका निभाते हैं।
    - वर्ष 2023 में फेस्टिवल सीज़न में **40-50% तक आय में वृद्धि देखी गई,** जो आर्थिक प्रभाव और क्षेत्रीय अनुकूलन का परिचायक है।
- **कार्यबल भागीदारी में समावेशन:** गिग इकॉनमी से **हाशिये पर स्थित समूहों** (विशेषकर **महिलाओं और ग्रामीण श्रमिकों**) के लिये **वित्तीय स्वायत्तता** और **सामाजिक गतिशीलता** को बढ़ावा मिलता है।
    - लगभग 28% गिग वर्कर **महिलाएँ** हैं जिनमें से कई **अर्बनक्लैप** जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से **अनुकूल, होम-बेस्ड सर्विस (विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में) में संलग्न** हैं।
- **उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र:** 80% से अधिक गिग श्रमिक **स्व-नियोजित** हैं जो **उबर** जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से **उद्यमशील मानसिकता** को बढ़ावा देने के साथ **परिवहन, वितरण और फ्रीलांसिंग** में नवाचार को बढ़ावा देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **डिजिटल और आर्थिक विकास:** गिग इकॉनमी **स्मार्टफोन, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं** के बढ़ते उपयोग के माध्यम से **डिजिटलीकरण को बढ़ावा** देने में सहायक है। गिग कार्य को मुख्यधारा में एकीकृत करके, इससे **तकनीक-आधारित आर्थिक विकास** को समर्थन मिलेगा।
  - **वर्ष 2023** में **ब्लिंकिट** और **स्विगी** जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से त्योहारों के दौरान **आय में 40-50% की वृद्धि** दर्ज की गई, **जिससे ई-कॉमर्स एवं उपभोग** को बढ़ावा देने में गिग श्रमिकों की भूमिका पर प्रकाश पड़ता है।
- **कर राजस्व और औपचारिकता:** गिग प्लेटफॉर्म **डिजिटल लेन-देन** के माध्यम से भुगतान को औपचारिक बनाकर भारत के **कर आधार को बढ़ावा देने में भूमिका** निभाते हैं और सरकार को पहले से **कर-मुक्त आर्थिक गतिविधियों का लाभ** उठाने में सक्षम बनाते हैं।
  - **वर्ष 2024** में सरकार ने इस क्षेत्र की निगरानी और प्रबंधन के क्रम में गिग श्रमिकों के लिये **ई-श्रम पंजीकरण सहित नियामक ढाँचे** की शुरुआत की।
  - **आयुष्मान भारत (PM-JAY)** जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत इनके समावेशन से कार्यबल और भी अधिक संस्थागत हुआ तथा **क्षेत्रीय विस्तार हेतु** नवीन रास्ते खुले।

भारत में गिग इकॉनमी के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** के तहत गिग श्रमिकों को मान्यता दी गई है लेकिन निश्चित कार्य घंटे, न्यूनतम मज़दूरी और विवाद समाधान के साथ **पूर्ण श्रम अधिकारों की गारंटी नहीं** दी गई है।
  - नीति आयोग की वर्ष 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि 90% गिग श्रमिकों में बचत का अभाव होने के साथ ये आपात स्थिति के दौरान असुरक्षित स्थिति में होते हैं।
  - **आयुष्मान भारत PM-JAY और ई-श्रम** जैसी मौजूदा योजनाओं के बाद भी इसमें संलग्न कार्मिकों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है।
  - PM-JAY के तहत अस्पताल में भर्ती की स्थिति को कवर किया जाता है। ई-श्रम द्वारा दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है लेकिन इसमें आय सुरक्षा, सवेतन अवकाश या पेंशन का अभाव रहने से व्यापक सामाजिक सुरक्षा में अंतराल पर प्रकाश पड़ता है।
- **आय अस्थिरता और शोषणकारी स्थितियाँ:** भारत में गिग श्रमिक **प्रतिमाह 15,000-20,000 रुपए** (अक्सर न्यूनतम मज़दूरी से भी कम) कमाते हैं।
  - 70% से अधिक लोग प्लेटफॉर्म कमीशन के कारण वित्तीय तनाव का सामना करते हैं। ***"प्रिज़नर्स ऑन व्हील्स" रिपोर्ट*** *से* पता चलता है कि 78% लोग एल्गोरिदमिक दबाव में **रोज़ाना 10 घंटे** से अधिक कार्य करते हैं जिससे उन्हें शारीरिक एवं मानसिक थकावट होती है।
- **मनमाना डिएक्टिवेशन और ग्राहक उत्पीड़न: 83% कैब ड्राइवरों** और **87% डिलीवरी कर्मचारियों** द्वारा अचानक अकाउंट डिएक्टिवेशन से आय में कमी के साथ असुरक्षा उत्पन्न हुई।
  - इसके अतिरिक्त, **72% ड्राइवरों** और **68% डिलीवरी कर्मचारियों को ग्राहकों के दुर्व्यवहार** का सामना करना पड़ा, जिससे **शिकायत निवारण** तथा **प्लेटफॉर्म की जवाबदेहिता** से संबंधित कमी पर प्रकाश पड़ता है।

गिग वर्कर्स से संबंधित भारत की प्रमुख पहल

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
- ई-श्रम पोर्टल
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
- राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023

भारत की गिग इकॉनमी से संबंधित अंतराल को दूर करने हेतु क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- **समावेशी डेटा और औपचारिकता: प्लेटफॉर्म निर्भरता** और **बहु-ऐप उपयोग** जैसी गिग कार्य सुविधाओं को स्पष्ट रूप से कैप्चर करने के क्रम में **PLFS कोड** को अपडेट करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- लक्षित कल्याण के क्रम में **तकनीक-सक्षम सर्वेक्षणों को ई-श्रम डेटाबेस** के साथ एकीकृत करना चाहिये।
- **पेंशन, बीमा** और **क्षेत्रवार लाभ ट्रैकिंग** से संबंधित एकीकृत **डिजिटल पहचान के रूप में ई-श्रम** का विस्तार करना चाहिये।

- **विधिक और सामाजिक सुरक्षा ढाँचा: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित किया गया है लेकिन इसमें **न्यूनतम मज़दूरी, कार्यों के निश्चित घंटे** एवं **सामूहिक सौदेबाज़ी** जैसे **मूल श्रम अधिकारों** के प्रावधानों का अभाव है।
  - **सभी अधिकारों** को सुनिश्चित करने के लिये एक मज़बूत विधिक ढाँचे की आवश्यकता है।
- **सुरक्षा एवं श्रमिक संरक्षण** अधिदेश के तहत पारदर्शी समाधान प्रक्रिया के साथ **समय पर समाधान की गारंटी** प्रदान करनी चाहिये।
- **प्रोत्साहन और राज्य स्तरीय पहल:** सामाजिक सुरक्षा और उचित वेतन मानदंडों का अनुपालन करने वाले प्लेटफॉर्मों को कर छूट, सब्सिडी एवं निविदा वरीयता प्रदान करने के साथ स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना चाहिये।
  - **कौशल विकास, श्रमिक सहायता केंद्र** और **श्रमिक आवास** जैसी **राज्य-विशिष्ट नीतियों** को अनुमति देनी चाहिये।
  - **राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार अधिनियम** इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा ले सकते हैं।

जैसे-जैसे भारत **5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था** की ओर बढ़ रहा है, **डिजिटल कार्यबल** का लाभ लेना निर्णायक है। हालाँकि PLFS में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिये अलग-अलग वर्गीकरण की कमी से नीति-निर्माण में इनकी भूमिका में कमी आती है। भारत के उभरते कार्यबल हेतु **समावेशी और न्यायसंगत श्रम तथा सामाजिक कल्याण नीतियों** को सुनिश्चित करने के क्रम में सुरक्षात्मक विधि के साथ-साथ **डेटा सिस्टम को मज़बूत** करना आवश्यक है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इनके कल्याण को बेहतर करने तथा श्रम सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत उपाय बताइये।

भारत के विकास के उत्प्रेरक के रूप में शहरी केंद्र

चर्चा में क्यों?

भारत तेज़ी से **शहरीकरण** के दौर से गुज़र रहा है, जहाँ **वर्ष 2035 तक शहरी जनसंख्या 67.5 करोड़** तक पहुँचने की उम्मीद है तथा **वर्ष 2045 तक इसमें 7 करोड़ लोग और** जुड़ सकते हैं। यह तेज़ी से होती शहरीकरण की प्रक्रिया आने वाले दशकों तक भारत की **आर्थिक और सामाजिक दिशा** को आकार प्रदान करेगी।

- हालाँकि **भारतीय शहरों में मौजूद शहरी चुनौतियाँ** इस परिवर्तन की पूरी संभावनाओं को प्राप्त करने में अब भी **बाधा** बनी हुई हैं।

भारत के आर्थिक भविष्य के लिये शहर केंद्र पर क्यों हैं?

- **आर्थिक इंजन:** शहर भारत के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 60%** योगदान देते हैं, जबकि वे **केवल 3% भू-भाग पर स्थित** हैं। यह उन्हें उत्पादकता और नवाचार के केंद्र के रूप में दर्शाता है।
  - **मुंबई, दिल्ली, बंगलूरू, चेन्नई और हैदराबाद** सहित केवल **15 शहर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** में 30% का योगदान करते हैं। इन शहरों से **वर्ष 2047** तक GDP वृद्धि में अतिरिक्त **1.5%** योगदान की उम्मीद है।
- **समूहन के लाभ:** शहरी क्षेत्रों में **अधिक जनसंख्या घनत्व** से **अधिक आर्थिक उत्पादन, बेहतर रोज़गार सृजन** और **उद्योगों एवं सेवाओं के समूहों** के माध्यम से **नवाचार** को बढ़ावा मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत की बढ़ती शहरी आबादी से **हर साल अतिरिक्त 1.5% आर्थिक उत्पादकता वृद्धि** की उम्मीद है, जो **राष्ट्रीय उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि** को संभव बनाएगी।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** सुव्यवस्थित शहर **व्यापार सुगमता** में सुधार करते हैं, **विदेशी निवेश** को आकर्षित करते हैं तथा भारत को **वर्ष 2026 तक 5 ट्रिलियन डॉलर** तथा **वर्ष 2047 तक 40 ट्रिलियन डॉलर** की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सहयोग करते हैं।
- **आवश्यक ढाँचागत कुशलता:** शहरी क्षेत्रों में **परिवहन, आवास, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स** की प्रभावी व्यवस्थाएँ ऑपरेशनल लागत को कम करती हैं तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं।
- **नवप्रवर्तन केंद्र:** शहर **स्टार्टअप्स, अनुसंधान एवं विकास (R&D)** और **प्रौद्योगिकी को अपनाने** को बढ़ावा देते हैं, जिससे वे **डिजिटल तथा सेवा क्षेत्रीय परिवर्तन** के प्रमुख केंद्र बनते हैं।
- **सामाजिक अवसर: शहरीकरण गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच** के लिये मार्ग प्रदान करता है तथा आर्थिक विकास को बेहतर मानव विकास परिणामों से जोड़ता है।

शहरी भारत के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **भीड़भाड़ और यातायात प्रबंधन:** शहरी निवासियों को प्रतिदिन औसतन **1.5 से 2 घंटे ट्रैफिक जाम** में फँसे रहना पड़ता है। यह भीड़भाड़ न केवल **प्रदूषण बढ़ाती है**, बल्कि **समय की बर्बादी** और **उत्पादकता में कमी** का कारण भी बनती है।
  - भारत के अधिकांश शहरों में **समग्र, कुशल और एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली** की कमी है, जिसके कारण **निजी वाहनों पर अत्यधिक निर्भरता** रहती है तथा ट्रैफिक की समस्या और बढ़ जाती है।
    - उदाहरण के लिये, झारखंड की राजधानी **राँची में 1.46 मिलियन** की आबादी के लिये केवल 41 बसें हैं।
  - **एशियाई विकास बैंक** के अनुसार, शहरी परिवहन की अकुशलता, रसद में देरी और खराब बुनियादी ढाँचे के कारण भारत को **प्रतिवर्ष 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक का नुकसान होता है।
- **वायु प्रदूषण: वर्ष 2023 में**, विश्व के **50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 42** भारत के हैं, जबकि वर्ष 2022 में यह संख्या 39 थी। **खराब वायु गुणवत्ता** के प्राथमिक कारणों में वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, निर्माण कार्य से **उत्पन्न धूलकण** और **बायोमास** का जलना शामिल हैं।
  - इससे **श्वसन रोगों** का खतरा बढ़ता है, जिससे **दिल्ली, मुंबई और बंगलूरू** जैसे शहरों में लाखों लोग प्रभावित होते हैं।
- **जल संकट:** भारत की लगभग **आधी नदियाँ प्रदूषित** हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में **स्वच्छ जल की उपलब्धता** गंभीर रूप से प्रभावित होती है। अपर्याप्त जलशोधन तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन से जल संसाधनों पर और दबाव पड़ता है।
  - इसके अतिरिक्त, **पुराने पाइपलाइन सिस्टम** के कारण शहरी क्षेत्रों में **40-50% पानी का नुकसान** हो जाता है।
- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** भारतीय शहरों में प्रतिदिन **1,50,000 टन से ज़्यादा ठोस अपशिष्ट** उत्पन्न होता है, लेकिन इसका केवल एक छोटा-सा हिस्सा ही स्थायी रूप से संसाधित किया जाता है। कई शहरों में प्रभावी अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण प्रणालियों का अभाव है।
  - खराब अपशिष्ट प्रबंधन से प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी खतरे और अस्वच्छ शहरी वातावरण में योगदान होता है, जिससे शहर रहने लायक नहीं रह जाते।
- **स्वच्छता की कमी:** कई शहरी क्षेत्रों, विशेषकर अनौपचारिक बस्तियों में **उचित स्वच्छता सुविधाओं की** कमी है।
  - कई शहरों में **अपर्याप्त सीवेज** प्रणालियाँ और जल निकायों में **सीवेज रिसाव** एक चुनौती बनी हुई है।
- **किफायती आवास की कमी:** भारत में **10 मिलियन किफायती घरों की कमी है और यह संख्या वर्ष 2030 तक तीन गुनी होने की उम्मीद है।** शहरी **गरीब लोग अक्सर**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अनौपचारिक बस्तियों या मलिन बस्तियों में रहते हैं, जहाँ स्वच्छ पानी, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है।

  - इस बढ़ती कमी के कारण न केवल भीड़भाड़ वाली झुग्गियाँ बनती हैं, बल्कि **शहरी बस्तियाँ भी** बनती हैं, जिससे सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ती हैं तथा **सांप्रदायिक या धार्मिक हिंसा** की संभावना बढ़ जाती है।
  - इसके अतिरिक्त, शहरी स्थान की बढ़ती मांग के कारण संपत्ति की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे किफायती आवास कई लोगों के लिये दुर्गम हो जाता है।
- **शहरी बाढ़:** कई शहरों में अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था, वर्षा जल निकासी नालियों पर अतिक्रमण और तेज़ी से **शहरीकरण के कारण शहरी बाढ़ का सामना** करना पड़ता है।
  - **केरल में वर्ष 2018 की बाढ़ और चेन्नई में वर्ष 2015 की बाढ़** इस बात के प्रमुख उदाहरण हैं कि शहरी बुनियादी ढाँचा चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिये किस तरह संघर्ष करता है।
- **कमज़ोर नगरपालिका वित्त: भारतीय शहर स्थानीय करों और नगर निगम बॉण्डों** के माध्यम से पर्याप्त राजस्व जुटाने में विफल रहते हैं। **अधिकांश नगरपालिकाएँ केंद्रीय सरकार के फंड** पर निर्भर रहती हैं, जो अक्सर अपर्याप्त या अक्षम रूप से उपयोग किये जाते हैं।
  - कई शहर शहरी विकास परियोजनाओं के लिये केंद्र सरकार के वित्तपोषण पर निर्भर रहते हैं, लेकिन आवंटित धनराशि अक्सर अपर्याप्त होती है या उसका अकुशल उपयोग किया जाता है।
- **डिजिटल अवसंरचना की कमी:** सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग और सियोल जैसे देशों के शहरों की तुलना में भारत में इंटरनेट स्पीड बहुत कम है।
  - इससे डिजिटल व्यवसायों की वृद्धि बाधित होती है और समग्र आर्थिक विकास धीमा हो जाता है।
- **शहरी ऊष्मा द्वीप:** उच्च तापमान के कारण **एयर कंडीशनर** का अत्यधिक उपयोग होता है, जिससे बिजली की मांग बढ़ती है और कार्बन उत्सर्जन में इजाफा होता है।
  - इससे **स्वास्थ्य जोखिम, हरित आवरण में कमी, जैवविविधता पर प्रभाव, जल संसाधनों पर दबाव, बाढ़ का खतरा** और **शहरी संरचना पर प्रभाव** जैसे कई गंभीर परिणाम सामने आते हैं।

शहरी क्षेत्र में विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये भारत की कौन-सी पहल हैं?

- स्मार्ट सिटीज़
- अमृत मिशन
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी
- पीएम स्वनिधि योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम
- दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

भारत के शहरी भविष्य के लिये किन सुधारों की आवश्यकता है?

- **शहरी बुनियादी ढाँचे को मुख्य राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचे के रूप में समझना:** शहरी बुनियादी ढाँचे जैसे गतिशीलता, जल, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को राजमार्गों, बंदरगाहों तथा ऊर्जा ग्रिड के समान दर्जा दिया जाना चाहिये।
  - स्मार्ट शहरों और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को "**रणनीतिक अवसंरचना**" के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये ताकि दीर्घकालिक पूंजी निवेश और नीतिगत समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके।
- **औद्योगिक गलियारों के साथ शहरी विस्तार को समन्वित करना:** आवास, वाणिज्य और परिवहन के बीच के अंतर को कम करने के लिये ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डिवेलपमेंट को बढ़ावा देना आवश्यक है। परिवहन, ज़ोनिंग और आर्थिक योजना का स्थानिक एकीकरण कर के संवहनीय, रहने योग्य और उत्पादक शहरी-औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **एकीकृत, तकनीक-सक्षम शहरी शासकीय निकायों का निर्माण करना:** शहरी नियोजन और अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। शहरी शासन निकायों को निजी क्षेत्र के नेतृत्व को शामिल करना चाहिये तथा जवाबदेही में सुधार के लिये सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये।
  - **रियल-टाइम प्रदर्शन डैशबोर्ड** और **अर्बन डिजिटल ट्विन्स** (शहर का एक गतिशील डिजिटल संस्करण जो उन्नत तकनीकों से डेटा अंतर्दृष्टि प्रदान करता है) शहरी प्रणालियों के **उत्तरदायी और पारदर्शी प्रबंधन** को सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **स्वच्छता और अवशिष्ट प्रबंधन को राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकता बनाना:** स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन आर्थिक मुद्दे हैं।
  - जैसे **तिरुपुर जल PPP परियोजना** ने **BOOT मॉडल** के माध्यम से उद्योगों और नागरिकों को जल आपूर्ति सफलतापूर्वक प्रदान की, वैसे ही **उद्योग-प्रेरित मॉडल** को **अवशिष्ट प्रबंधन, परिपथीय अर्थव्यवस्था और विकेंद्रीकृत स्वच्छता** में भी अपनाया जा सकता है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का पुनर्पूंजीकरण:** वर्तमान शहरी परिप्रेक्ष्य में **PPP को पुनर्परिभाषित** करने की आवश्यकता है, ताकि लंबी अवधि की निजी पूंजी को मौजूदा (ब्राउनफील्ड) ढाँचागत परियोजनाओं और नई (ग्रीनफील्ड) परियोजनाओं दोनों में आकर्षित किया जा सके।
  - जोखिम-न्यूनन उपाय जैसे **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding)** और **शहरी चुनौती निधि (Urban Challenge Fund)** इस तरह के निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- **आधुनिक शहरों की डिजिटल अवसंरचना का सह-निर्माण करना:** उद्योगों को सरकार के साथ मिलकर शहरों की **डिजिटल संरचना** विकसित करनी चाहिये, जिसमें **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** आधारित अवसंरचना नियोजन और **स्वचालित निर्माण स्वीकृति प्रणाली** जैसी सुविधाएँ शामिल हों।
  - यह डिजिटल अवसंरचना **दक्षता, पारदर्शिता और विश्वास** को बढ़ावा दे सकती है तथा **शहरी विकास की गति** को तीव्र कर सकती है।
- **शहरों में जलवायु सहनशीलता को सुदृढ़ करना:** शहरी नियोजन में जलवायु सहनशीलता को एकीकृत किया जाना चाहिये, जिसके अंतर्गत **बाढ़-रोधी अवसंरचनाएँ और ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनाएँ** जैसी अनुकूलनशील अधोसंरचनाओं का निर्माण शामिल है। **ग्रीन रूफ्स (हरी छतें), शहरी वानिकी और हरित स्थान जैसे उपायों** से **हीट आइलैंड प्रभाव** को कम किया जा सकता है तथा शहरी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है।
- **शहरी सुधार में समाज की भूमिका:** शहरी सुधार केवल व्यवस्थाओं के सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की सक्रिय भागीदारी से भी जुड़ा हुआ है। सुधारों को **नागरिकों और उद्योगों के साथ मिलकर सह-निर्मित** किया जाना चाहिये।
  - ऐसे **भागीदारी आधारित ढाँचे**, जो नीति, जनता और निजी पूंजी को एक साथ जोड़ते हैं, शहरों की **सहनशीलता** तथा **वैधता** सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं। इस प्रकार के सहयोग शहरों को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सशक्त बनाती हैं, साथ ही वे **राष्ट्रीय प्रगति** में भी योगदान देती हैं।

निष्कर्ष

भारतीय शहर क्षेत्रीय विकास के महत्त्वपूर्ण प्रेरक हैं, लेकिन इन्हें अवसंरचना, स्थिरता और शासन संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। **सतत् शहरी नियोजन**, **बेहतर सार्वजनिक परिवहन** और **संसाधनों के कुशल प्रबंधन** जैसे- उपाय **सतत् विकास लक्ष्य (SDG)** 11 (सतत् शहर), SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) तथा SDG 10 (असमानताओं को कम करना) को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक हैं, जिससे **समान एवं समावेशी शहरी विकास** सुनिश्चित हो सके।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न. शहरीकरण भारत के लिये एक अवसर और चुनौती दोनों है। चर्चा कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

GM फसलों के अवसर और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

चल रही व्यापार वार्ताओं के बीच, अमेरिका भारत पर **आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों** के लिये अपने कृषि बाज़ार को खोलने के लिये दबाव डाल रहा है। हालाँकि, भारत ने दृढ़ता से कहा है कि **कृषि और डेयरी क्षेत्र 'पवित्र सीमा रेखाएँ'** हैं और चेतावनी दी है कि GM फसलों के आयात की अनुमति देने से किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें क्या हैं?

- **जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) फसलें** वे पौधे हैं जिनके **DNA को आधुनिक** जैव-प्रौद्योगिकी **तकनीकों द्वारा संशोधित** किया जाता है, ताकि उनमें **कीट प्रतिरोध, सूखा सहनशीलता या पोषण वृद्धि** जैसे वांछनीय गुण जोड़े या बढ़ाए जा सकें।
- **वैश्विक स्वीकृति:** जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) फसलों की वाणिज्यिक शुरुआत सबसे पहले **वर्ष 1994** में अमेरिका में हुई थी, जब **Flavr Savr टमाटर को बाज़ार** में लाया गया। इसे धीरे पकने के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया था।
    - **इंटरनेशनल सर्विस फॉर द एक्विजिशन ऑफ एग्री-बायोटेक एप्लिकेशन्स (ISAAA)** के अनुसार, **वर्ष 2019 तक 29 देशों के 1.7 करोड़ से अधिक किसान 190 मिलियन हेक्टेयर** से अधिक भूमि पर GM फसलों की खेती कर रहे थे।
- **भारत में नियामक ढाँचा:** भारत में GM फसलों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए **"खतरनाक सूक्ष्मजीवों, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण से संबंधित नियम (Rules, 1989)"** के तहत नियंत्रित किया जाता है।
    - यह नियम **GMOs (जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गैनिज़्स)** से जुड़ी सभी गतिविधियों जैसे **अनुसंधान और बड़े पैमाने पर उपयोग**, जिसमें **निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री और निर्यात** शामिल हैं, के लिये **एक व्यापक नियामक ढाँचा** प्रदान करता है।
    - ये नियम **आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों**, उनसे संबंधित उत्पादों, **खाद्य वस्तुओं** पर लागू होते हैं तथा **कोशिका संकरण** एवं **जैव-इंजीनियरिंग** जैसी **नई जीन तकनीकों** को भी कवर करते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर भारत की **जैव-सुरक्षा व्यवस्था** स्थापित की गई है।

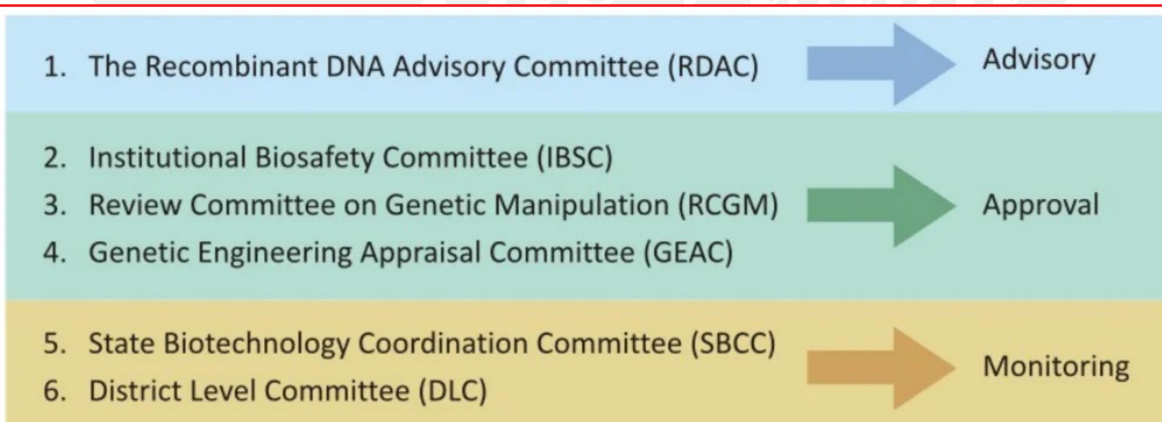

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें-जीएम फसलें (Genetically Modified Crops-GM Crops)

परिचय:
- पौधों के आनुवंशिक संशोधन का अर्थ है **पौधे के जीनोम में DNA के एक विशिष्ट खंड को शामिल करना**, जिससे इसे नई या अलग विशेषताएँ प्राप्त होती हैं
- इस प्रकार संशोधित फसलों को **ट्रांसजेनिक फसल** भी कहते हैं

उद्देश्य:
- उपज में वृद्धि
- शाकनाशियों (herbicides) के प्रति सहिष्णुता में वृद्धि
- पोषण मात्रा में सुधार
- रोग/सूखे के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करना

वैश्विक रूप से खेती:
- जीएम फसलों की खेती करने वाले शीर्ष 5 देश- **संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत और कनाडा**
- प्रमुख जीएम फसलें- **सोयाबीन, मक्का, कपास तथा कैनोला**

भारत में जीएम फसलें:
- बीटी कपास- **एकमात्र जीएम फसल जिसे मंजूरी मिली है** (भारत के कुल कपास क्षेत्र का 90%) (गुलाबी बॉलवर्म के खिलाफ प्रतिरोध)
- **एचटी बीटी कपास- ग्लाइफोसेट** (शाकनाशी) के खिलाफ प्रतिरोध
- **डीएमएच-11 सरसों- व्यावसायिक उपयोग** (उच्च उपज) के लिये अनुशंसित
- **गोल्डन राइस-** जीएम चावल की संभवतः सबसे अच्छी किस्म **(विटामिन A)**

चिंताएँ:
- जीएम बीज की लागत में हेराफेरी
- बीजों से व्यवहार्य परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं
- कीट-प्रतिरोधी पौधे गैर-लक्षित प्रजातियों को भी नुकसान पहुँचाते हैं
- इंटरमिक्सिंग से प्राकृतिक पौधों के आंतरिक महत्त्व का अतिक्रमण होता है

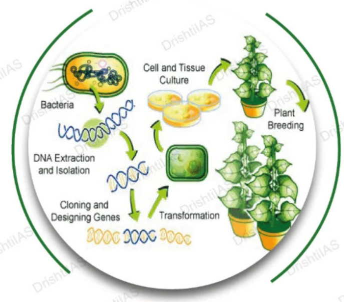

जीएम फसलों का विनियमन

संवैधानिक प्रावधन
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अंतर्गत **खतरनाक सूक्ष्म जीव (HM) आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक जीव अथवा कोशिकाओं का उत्पादन, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियमावली, 1989**

संवैधानिक निकाय:
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन **जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकनज समिति (GEAC)**- जीएम फसलों के वाणिज्यिक निर्गमन को प्रशासित करती है
- पुनः संयोजक डीएनए सलाहकार समिति (RDAC)
- संस्थागत जैव सुरक्षा समिति (IBSC)
- आनुवंशिक हेरफेर पर समीक्षा समिति (RCGM)
- राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति (SBCC)

जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल (2000)
- यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पादित **जीवित संशोधित जीवों** (Living Modified Organisms) द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करने का उद्देश्य रखता है।
- **भारत** इस प्रोटोकॉल का एक **हस्ताक्षरकर्त्ता** है।

भारत में GM फसलों को अपनाने की स्थिति क्या है?

- **स्वीकृत GM फसल: बीटी कपास** भारत में वाणिज्यिक खेती के लिये स्वीकृत एकमात्र **जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) फसल** है, जिसे वर्ष 2002 में अनुमति दी गई थी। वर्तमान में यह भारत के कपास क्षेत्रफल के 90% से अधिक, यानी लगभग 1.2 करोड़ हेक्टेयर में उगाई जाती है।
  - **बीटी कपास** के कारण **वर्ष 2002 से 2014** के बीच **193% उत्पादन में वृद्धि** हुई, जिससे भारत **वर्ष 2011-12 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक** बन गया।
  - इसने **किसानों की आय बढ़ाने** और **कीटनाशकों के उपयोग को कम करने** में भी योगदान दिया।
  - हालाँकि, **वर्ष 2015 के बाद से कपास की उत्पादकता में गिरावट** आई है, जो **वर्ष 2013-14 में 566 किलोग्राम/हेक्टेयर** थी, वह **वर्ष 2023-24 में घटकर लगभग 436 किलोग्राम/हेक्टेयर** रह गई है।
  - अब भारत **चीन और ब्राज़ील से पीछे** हो गया है, जिसका प्रमुख कारण **कीटों की पुनः वृद्धि** और **GM तकनीकों को समय पर अपडेट** न किया जाना बताया जा रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **लंबित GM फसल अनुमोदन:**
  - **बीटी बैंगन: वर्ष 2009 में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)** द्वारा अनुमोदित, लेकिन सार्वजनिक और राजनीतिक चिंताओं के कारण इसे स्थगित रखा गया।
  - **HT-Bt कपास (शाकनाशी सहनशील):** यह एक **शाकनाशी-सहिष्णु** GM किस्म है, जिसे भारत में व्यावसायिक उपयोग के लिये अनुमोदित नहीं किया गया है, लेकिन **गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश** सहित कई राज्यों में इसकी अवैध रूप से खेती की जाती है। अनुमान है कि यह **कुल कपास क्षेत्रफल का 15-25%** कवर करता है।
  - **GM सरसों (DMH-11):** इसे **वर्ष 2022 में पर्यावरणीय मंज़ूरी** दी गई थी, लेकिन इसकी **व्यावसायिक शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय और नियामक संस्थाओं (GEAC) से अनुमति मिलने तक इसका व्यापक स्तर पर उपयोग रोका गया है।**
  - **अन्य फसलें: चना, अरहर और गन्ना** जैसी फसलों की **GM किस्में अनुसंधान, फील्ड ट्रायल** तथा नियामक विचार-विमर्श के विभिन्न चरणों में हैं।

आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- **उन्नत कीट एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता:** Bt कपास जैसी **GM फसलें अपने भीतर ही कीटनाशक** उत्पन्न करती हैं, जिससे बोलवर्म जैसे कीटों पर प्रभावी नियंत्रण होता है।
  - **कीटनाशकों के उपयोग में कमी** से लागत घटती है, उत्पादन बढ़ता है और **पर्यावरणीय क्षति भी कम होती है,** विशेषकर कीट-प्रभावित क्षेत्रों में।
- **जलवायु अनुकूल और संसाधन दक्षता:** GM फसलें **सूखा, लवणीयता (Salinity) और अत्यधिक तापमान** को सहन करने के लिये विकसित की जाती हैं, जो **जलवायु परिवर्तन** के संदर्भ में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
  - उदाहरण के लिये **केन्या** में **सूखा-सहिष्णु मक्का** की उत्पादकता शुष्क मौसम में भी बेहतर रही है।
  - **इसके अतिरिक्त C4 राइस और नाइट्रोजन-कुशल किस्में** जैसी GM फसलों का लक्ष्य **कम पानी, उर्वरक और भूमि** का उपयोग करते हुए **अधिकतम उत्पादन** प्राप्त करना है।
- **पोषण संवर्द्धन (बायोफोर्टिफिकेशन):** GM प्रौद्योगिकी आवश्यक पोषक तत्त्वों से युक्त फसलों के विकास को सक्षम बनाती है, जिससे **छिपी हुई भूख की समस्या** का समाधान होता है।
  - **उदाहरण: गोल्डन राइस** (विटामिन A के लिये बीटा-कैरोटीन), **आयरन युक्त चावल** और **जिंक युक्त गेहूँ, सीमित आहार विविधता** और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों तक खराब पहुँच वाले देशों में कुपोषण को लक्षित करते हैं।
- **कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी: लंबी शेल्फ-लाइफ वाली GM फसलें** (जैसे फ्लेवर सेवर टमाटर) **कटाई के बाद होने वाली क्षति को कम करती हैं,** विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ **ठंडा भंडारण और रेफ्रिजरेशन की सुविधाएँ नहीं हैं।**
  - शाकनाशी-सहिष्णु फसलें **बिना जुताई वाली खेती** को संभव बनाती हैं, जिससे **मिट्टी का कटाव, कार्बन उत्सर्जन में कमी** और **पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण** संभव होता है।
- **चिकित्सा और पर्यावरणीय सफाई में नवाचार:** GM फसलों पर बायोफार्मिंग के लिये शोध किया जा रहा है, जैसे कि **केला तथा आलू जैसे पौधों में वैक्सीन एवं चिकित्सकीय यौगिकों का उत्पादन,** जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की लागत घट सकती है व पहुँच बढ़ सकती है।
  - इसके अलावा **फाइटोरेमिडिएशन** (यानि पौधों द्वारा प्रदूषकों की सफाई) के लिये GM पौधों जैसे **संशोधित पॉपलर** का उपयोग किया जा रहा है, जो **भारी धातुओं और विषाक्त तत्त्वों को अवशोषित** कर सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

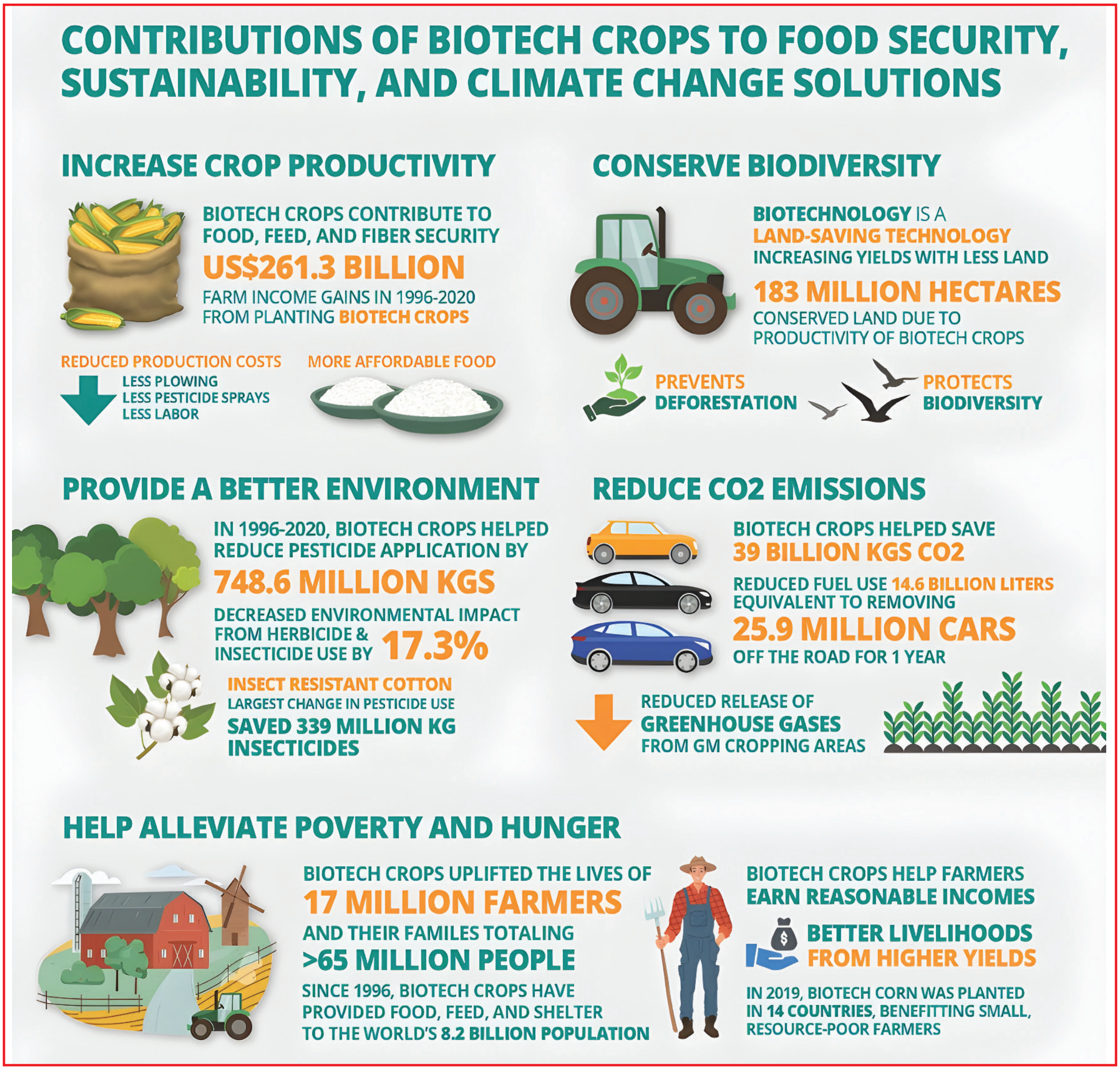

भारत में GM फसलों को अपनाने से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** GM फसलें जंगली प्रजातियों में जीन प्रवाह (Gene Flow) का कारण बन सकती हैं, जिससे **शाकनाशी (हर्बीसाइड)-प्रतिरोधी सुपरवीड्स** विकसित हो सकते हैं। वहीं, बीटी फसलें गैर-लक्ष्यित कीटों को नुकसान पहुँचा सकती हैं तथा एकल फसलीकरण के कारण जैवविविधता में कमी ला सकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में **संभावित एलर्जेंस, पोषण संबंधी बदलाव** तथा **दीर्घकालिक सुरक्षा** शामिल हैं, जैसा कि **StarLink मक्का प्रकरण (2000)** में देखा गया था, जहाँ केवल पशु चारे के लिये स्वीकृत GM मक्का का उपयोग **मानव खाद्य श्रृंखला में किया जाने लगा** था।
- **नियामक और नीतिगत बाधाएँ:** भारत में GM फसलों को मंजूरी देने में देरी **नियामक अस्पष्टता, दीर्घकालिक प्रतिबंध और राजनीतिक झिझक** के कारण होती है, यहाँ तक कि **Bt ब्रिंजल तथा GM मस्टर्ड** जैसी वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत फसलों के लिये भी।
  - **कॉटन सीड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (2015)** जैसी नीतियाँ और **अनिवार्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रावधानों** ने निजी अनुसंधान एवं विकास (R&D) को हतोत्साहित किया है, जिससे **जैव-प्रौद्योगिकी नवाचार** में रुकावट आई है।
- **सामाजिक-आर्थिक और नैतिक मुद्दे:** छोटे किसानों के लिये **बाज़ार पर एकाधिकार, बीज पर निर्भरता** और **उच्च कृषि लागत** जैसी चिंताएँ बनी रहती हैं।
  - नैतिक पहलुओं में **"ईश्वर की भूमिका निभाने (Playing God)** जैसी आलोचना, खाद्य संप्रभुता, और सामुदायिक अधिकार शामिल हैं, जो सार्वजनिक स्वीकार्यता को प्रभावित करते हैं।
  - मोनसेंटो (अमेरिका स्थित कृषि जैव प्रौद्योगिकी कंपनी) द्वारा GM बीजों पर **बौद्धिक संपदा अधिकारों** के प्रवर्तन जैसे मामलों ने **भारत, अमेरिका और कनाडा** में विशेषता **शुल्क, बीज संप्रभुता तथा पेटेंट योग्यता** पर वैश्विक विवादों को जन्म दिया है।
- **सह-अस्तित्व, संदूषण और अवैध कृषि:** GM और गैर-GM फसलों का सह-अस्तित्व **पराग-परिवर्तन (Cross-pollination)** के कारण चुनौतियाँ उत्पन्न करता है, जिससे **जैविक प्रमाणन** तथा **बाज़ार तक पहुँच** पर जोखिम उत्पन्न होता है (जैसे **वर्ष 2013 का ओरेगन GM गेहूँ मामला**)।
  - **भारत में**, HT-Bt कॉटन को **गैरकानूनी रूप से लगभग 25% कपास क्षेत्रफल** पर उगाया जा रहा है, जिससे **जैव-सुरक्षा संबंधी जोखिम** उत्पन्न हो रहे हैं और **अनियमित बीजों की कालाबाज़ारी हो रही है।**
- **प्रतिरोध का विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** GM विशेषताओं के अत्यधिक उपयोग ने **कीटों और खरपतवारों में प्रतिरोध** उत्पन्न कर दिया है, जिससे Bt कॉटन और **ग्लाइफोसेट-प्रतिरोधी फसलों** की प्रभावशीलता कम हो गई है तथा **निरंतर नवाचार** की आवश्यकता बढ़ गई है।
  - भारत के **कपास निर्यात में गिरावट** और **वर्ष 2024-25 में शुद्ध आयातक बनने** से संकेत मिलता है कि **GM तकनीक को अपनाने में देरी** तथा **नवाचार की रुकावट** के कारण भारत की **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता घट रही है।**

भारत में GM फसलों को ज़िम्मेदारीपूर्वक अपनाने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

- **पारदर्शी, विज्ञान-आधारित विनियमन:** भारत को अपने GM फसलों की अनुमोदन प्रक्रिया को **समयबद्ध, साक्ष्य-आधारित** और **स्वतंत्र प्राधिकरण** द्वारा संचालित करना चाहिये, जिसमें **विभिन्न हितधारकों की भागीदारी** हो।
  - पारदर्शी **फील्ड परीक्षण**, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा, **स्वतंत्र निगरानी**, दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन और **नियमित पारिस्थितिक समीक्षा** जैव-सुरक्षा तथा जैव विविधता की चिंताओं को दूर करने के लिये आवश्यक हैं।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास (R&D) को सशक्त बनाना: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** मॉडल के तहत **जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान** को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, ताकि नवाचार और जनहित के बीच संतुलन बना रहे। **कॉटन सीड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (2015)** और अनिवार्य **तकनीकी हस्तांतरण नियमों** जैसे हतोत्साहित करने वाले प्रावधानों में सुधार किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- भारतीय परिस्थितियों और पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप **क्षेत्र-विशिष्ट GM फसलों के विकास** का समर्थन किया जाना चाहिये, जिसमें **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) साझा करने की स्पष्ट व्यवस्था** हो और **बायोफोर्टिफाइड (पोषण-संपन्न) फसलों के अनुसंधान एवं विकास (R&D)** के लिये **वित्तीय सहायता में वृद्धि** करना।
- **समावेशी और उत्तरदायी GM फसल शासन: किसान-केंद्रित नीतियों को** अपनाना, **गुणवत्तापूर्ण बीजों** तक पहुँच, प्रशिक्षण, बीमा और निर्णय लेने में भागीदारी सुनिश्चित करना, साथ ही **बीज एकाधिकार को रोकना** तथा **राष्ट्रीय जीन बैंक** के माध्यम से **स्वदेशी किस्मों को संरक्षित करना।**
  - **GM और गैर-GM फसलों के सह-अस्तित्व** को सुनिश्चित करने के लिये **बफर ज़ोन** तथा **पृथक्करण दूरी** निर्धारित करना। इसके अलावा, **GM लेबलिंग, जन-जागरूकता** और **गैरकानूनी कृषि के खिलाफ सख्त प्रवर्तन** को लागू करना।
- **वैश्विक मानक और पोषण पर केंद्रित दृष्टिकोण: जैव-सुरक्षा मानकों और व्यापार विनियमों** को समान रूप से लागू करने के लिये **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी** की जाएँ। **सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी** को दूर करने के लिये **बायोफोर्टिफाइड GM फसलों** जैसे **गोल्डन राइस, आयरन-युक्त दालें** और **जिंक-संपन्न गेहूँ** को प्राथमिकता दें। **स्वास्थ्य विशेषज्ञों** के साथ मिलकर **पायलट कार्यक्रम** शुरू करें ताकि इन फसलों के **वास्तविक स्वास्थ्य लाभों को प्रदर्शित** किया जा सके।

निष्कर्ष

भारत के जीन संवर्धित फसलों का विकास, Bt कॉटन की सफलता और एक लंबे नीतिगत गतिरोध से चिह्नित है, जो वैज्ञानिक संभावना तथा नियामक झिझक के बीच के तनाव को दर्शाता है। **जलवायु चुनौतियों, पोषण की कमी** तथा **व्यापारिक असुरक्षाओं** के दौर में, अब एक **विज्ञान-आधारित, किसान-केंद्रित** और **नवाचार-सक्षम नीति दृष्टिकोण** अपनाना अनिवार्य है। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री **अटल बिहारी वाजपेयी ने** ठीक ही कहा था, ***"वॉट आईटी इज़ टू इंडिया, बीटी इज़ टू भारत (What IT is to India, BT is to Bharat)"***, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे अब कार्यरूप में परिणत किया जाना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या के बीच आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं? इनके व्यापक रूप से अपनाए जाने से जुड़ी संभावनाओं और जोखिमों का मूल्यांकन कीजिये।

घटती घरेलू बचत और बढ़ती देयता

चर्चा में क्यों?

भारत का **घरेलू बचत प्रारूप** एक **महत्त्वपूर्ण परिवर्तन** से गुजर रहा है, जिससे **दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता** और **घरेलू पूंजी निर्माण** को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।

भारत में घरेलू बचत की वर्तमान प्रवृत्ति क्या है?

- **घटती सकल बचत दर:** भारत की **सकल घरेलू बचत दर** वर्ष 2011–12 में GDP का 34.6% थी, जो वर्ष 2022–23 में घटकर **29.7%** रह गई — यह पिछले **चार दशकों में सबसे निम्न स्तर** है। जबकि घरेलू निवल बचत जो पारंपरिक रूप से **कुल बचत का 60%** होती है, उसमें भी गिरावट आई है।
- **बढ़ता घरेलू ऋण:** वित्त वर्ष 2023–24 में **घरेलू देयता (ऋण)** GDP के **6.4%** तक पहुँच गया, जो वर्ष 2007 के **उच्चतम स्तर (6.6%)** के करीब है। यह वृद्धि मुख्यत: **उपभोग, आवास और शिक्षा के लिये ऋण** लेने के कारण हुई है।
- **बचत प्रारूप में बदलाव: भौतिक बचत** (जैसे स्वर्ण, स्थावर संपदा) **वर्ष 2019-20 के 59.7% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 71.5% हो गई।** वहीं, **वित्तीय बचत 40.3% से घटकर 28.5% रह गई है।**
  - वित्तीय बचत के अंतर्गत, **बैंक जमा** का हिस्सा **वित्त वर्ष 2011-12** में जहाँ **58%** था, वह घटकर **वित्त वर्ष 2022-23** में **37%** रह गया। वहीं, **इक्विटी और**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

म्यूचुअल फंडों में निवेश लगभग **दोगुना** हो गया — जो **वित्त वर्ष 2020-21 में 1.02 लाख करोड़** रुपए था, वह **2022-23 में बढ़कर 2.02 लाख करोड़** रुपए हो गया।

- **शहरी बनाम ग्रामीण अंतर:** शहरी परिवार अब तेज़ी से **वित्तीय साधनों** (जैसे म्यूचुअल फंड, इक्विटी) में निवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्राप्त है। वहीं, **ग्रामीण परिवार अब भी नकदी और भौतिक संपत्तियों** को प्राथमिकता देते हैं, जो **वित्तीय समावेशन में अंतर** को उजागर करता है।
- **कोविड-19 के बाद और मुद्रास्फीतिक दबाव:** **कोविड-19** के दौरान व्यय में गिरावट के कारण **बचत में अस्थायी बढ़ोतरी** हुई थी, लेकिन **अर्थव्यवस्था खुलने के बाद यह प्रवृत्ति पलट गई। उच्च मुद्रास्फीति** के कारण **व्यक्तिगत आय (Disposable income)** में गिरावट आई और **कम वास्तविक ब्याज दरों** ने पारंपरिक बचत विकल्पों **(जैसे सावधि जमा)** को **कम आकर्षक** बना दिया।

घरेलू बचत और घरेलू ऋण

- **परिचय:** घरेलू बचत से तात्पर्य है कि किसी परिवार की व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जो उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता, बल्कि भविष्य के लिये सुरक्षित रखा जाता है। यह सामान्यतः बैंक जमा, निवेश, बीमा या **भौतिक संपत्तियों** (जैसे स्वर्ण या संपत्ति) के रूप में होती है।
- **प्रकार:** भारत में घरेलू (HH) बचत में **निवल वित्तीय बचत (NFS) और भौतिक बचत** शामिल हैं।
  - NFS की गणना सकल वित्तीय बचत (GFS) से वित्तीय देयता (वार्षिक उधार) को घटाकर की जाती है, जिसमें **मुद्रा, जमा, बीमा, भविष्य निधि और पेंशन निधि** (P&PF), शेयर व डिबेंचर, लघु बचत तथा अन्य शामिल हैं।
  - भौतिक बचत में मुख्य रूप से **आवासीय स्थावर संपदा** (लगभग दो-तिहाई) और HH-क्षेत्र के उत्पादकों के स्वामित्व वाली **मशीनरी/उपकरण** शामिल हैं।
- **घरेलू ऋण:** इससे तात्पर्य उन सभी **ऋणों से है जो किसी परिवार (या परिवारों की सेवा करने वाले गैर-लाभकारी संगठनों)** द्वारा लिये गए हैं, जिन्हें **निर्धारित भविष्य की तारीख तक मूलधन या ब्याज सहित ऋणदाताओं को चुकाना अनिवार्य होता है।**
- **घरेलू बचत से संबंधित पहल:** **सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)** आदि।

कम घरेलू बचत दर और बढ़ते घरेलू ऋण के क्या निहितार्थ हैं?

- **घरेलू पूंजी निर्माण में कमी:** **घरेलू बचत** में कमी, जो **निवेश और पूँजी निर्माण** का एक प्रमुख स्रोत होती है, **सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को धीमा** कर सकती है तथा **विदेशी पूँजी (जैसे FDI, बाह्य ऋण)** पर निर्भरता बढ़ा सकती है, जिससे **बाह्य जोखिमों** की संभावना और अधिक बढ़ जाती है।
- **उपभोग-संचालित विकास: कम बचत अधिक उपभोग व्यय** को दर्शाती है, जो **अल्पकालिक मांग को तो बढ़ा सकती है,** किंतु **दीर्घकालिक निवेश क्षमता को घटा** देती है। इससे **ऋण-आधारित विकास को अस्थिर** बना सकता है, जैसा कि **वर्ष 2008 की अमेरिका की सबप्राइम संकट** में देखा गया था।
- **राजकोषीय और मौद्रिक नीति पर दबाव: निजी बचत** में गिरावट सरकार को उच्च करों या व्यय में कटौती के माध्यम से **सार्वजनिक बचत बढ़ाने के लिये विवश** कर सकती है, जबकि **RBI के समक्ष एक दुविधा उत्पन्न होती है—निम्न ब्याज दरें** बचत को हतोत्साहित करती हैं, जबकि **उच्च दरें ऋण की लागत बढ़ा** देती हैं।
- **घरेलू ऋण तनाव में वृद्धि:** घरेलू ऋण में वृद्धि, विशेष रूप से **असुरक्षित ऋण, क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत ऋण** के माध्यम से, **ऋण चूक** और संभावित **ऋण जाल** के जोखिम को बढ़ाती है यदि आय आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ती है, जिससे **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA)** बढ़ जाती हैं।
- **सामाजिक एवं असमानता संबंधी चिंताएँ: कम बचत** घरेलू **आपात स्थिति** से निपटने की क्षमता को कमज़ोर बनाती है तथा आवश्यकताओं के लिये **ऋण पर निर्भरता** बढ़ाती है, जिससे

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

दीर्घकालिक वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न होती है। साथ ही **भविष्य निधि/पेंशन जैसी पारंपरिक बचत** में गिरावट तथा **बाज़ार-आधारित निवेश** की ओर झुकाव **वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा** की आशंका को बढ़ा देता है।

बचत का विरोधाभास

- **परिचय:** **बचत का विरोधाभास** (या **मितव्ययिता का विरोधाभास**) एक **आर्थिक सिद्धांत** है जो यह सुझाव देता है कि **पैसा बचाना** एक व्यक्ति के लिये अच्छा है, लेकिन **यदि प्रत्येक कोई एक साथ अधिक बचत करता है,** तो यह **समग्र अर्थव्यवस्था को नुकसान** पहुँचा सकता है।
- **मुख्य विचार:** जब परिवार **अधिक बचत करते हैं और व्यय में कटौती करते हैं,** तो **समग्र मांग** घट जाती है, जिससे **उत्पादन में कमी** आती है। इसके परिणामस्वरूप व्यवसाय **रोज़गार और आय में कटौती** करते हैं।
  - परिणामस्वरूप, **आय में गिरावट** के कारण अर्थव्यवस्था की **समग्र बचत बढ़ने के बजाय घट** सकती है।
  - उदाहरण के लिये, **मंदी** के दौरान, यदि लोगों को **नौकरी छूटने का डर** रहता है और वे व्यय करने के बजाय **अधिक बचत** करते हैं, तो **व्यवसायों को कम राजस्व** प्राप्त होता है → **श्रमिकों की छँटनी होती है** → **बेरोज़गारी बढ़ती है** → **आय घटती है** → **बचत घटती** है।
- **सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास:** इस अवधारणा को जॉन मेनार्ड कीन्स ने **वर्ष 1936 में** अपनी प्रभावशाली कृति, ***द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी*** में विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया।
  - कीन्सियन अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि **उपभोक्ता व्यय आर्थिक विकास को गति देता है,** तथा **बचत को इन बाज़ारों के लिये वस्तुओं के उत्पादन हेतु निवेश** में **परिवर्तित** किया जाता है।
  - हालाँकि, यदि **उपभोक्ता मांग अपर्याप्त है,** तो इससे ऐसे निवेशों में गिरावट आ सकती है, जिससे **आर्थिक विकास बाधित** हो सकता है।

भारत में सतत् घरेलू बचत बनाए रखने के लिये कौन-सी रणनीति अपनाई जा सकती है?

- **वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता में सुधार:** विद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार करें ताकि बचत की आदतें, निवेश से जुड़े जोखिम तथा ऋण प्रबंधन की समझ विकसित की जा सके। साथ ही, निम्न-आय वर्ग के परिवारों के बीच **सुकन्या समृद्धि योजना** तथा डाकघर योजनाओं जैसे कम-जोखिम वाले बचत साधनों को प्रोत्साहित किया जाये।
  - **छोटी बचत** (जैसे, ऐप्स के माध्यम से आवर्ती जमा) के लिये **UPI**, **जन धन** और **e-RUPI** का लाभ उठाना ।
- **कर एवं ब्याज दर प्रोत्साहन:** दीर्घकालिक बचत के लिये कर कटौती में वृद्धि, तथा **मुद्रास्फीति-सूचकांकित बांड** शुरू करने से सुरक्षित निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है , क्रय शक्ति की सुरक्षा हो सकती है, तथा वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है।
- **सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मज़बूत करना:** अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये पेंशन कवरेज (**अटल पेंशन योजना**, NPS) का विस्तार करना और **निम्न आय वर्ग** के लिये **वृद्धावस्था निर्भरता जोखिम को** कम करने के लिये सब्सिडी वाली सेवानिवृत्ति योजनाएँ प्रदान करना ।
- **उत्तरदायी ऋण विनियमन:** लापरवाह उधारी और ऋण जाल से बचाव हेतु असुरक्षित ऋणों (क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत ऋण) पर सख्त RBI मानदंड लागू किये जायें, जिनमें **ऋण-से-आय (Debt-to-Income - DTI)** अनुपात की अधिकतम सीमा तथा पारदर्शी ऋण मूल्य निर्धारण शामिल हो, ताकि उधारी को उत्तरदायी बनाया जा सके।
  - लक्ज़री ऋणों पर उच्च जोखिम भार लागू किया जाये और बुरी ऋण प्रवृत्तियों (आकस्मिक व्यय) की तुलना में अच्छी ऋण शिक्षा (गृह ऋण) को बढ़ावा दिया जाये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उत्पादक निवेश को प्रोत्साहित करना:** स्वर्ण मुद्रीकरण योजनाओं जैसे **सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड** को प्रोत्साहित कर निष्क्रिय संपत्तियों को उपयोग में लाया जाये, और रियल एस्टेट में सट्टा गतिविधियों पर नियंत्रण के लिये किफायती आवास नीतियों को लागू किया जाये।
  - **सट्टा व्यापार को विनियमित करते हुए, दीर्घकालिक इक्विटी होल्डिंग्स** के लिये **कर प्रोत्साहन** (**LTCG लाभ का विस्तार**) प्रदान करना।

निष्कर्ष

भारत में घटती घरेलू बचत और बढ़ता ऋण आर्थिक स्थिरता के लिये खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। सततता सुनिश्चित करने के लिये ऐसी नीतियाँ आवश्यक हैं जो वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दें, बचत को प्रोत्साहित करें, लापरवाही से ऋण वितरण को नियंत्रित करना और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना। उपभोग-आधारित वृद्धि को विवेकपूर्ण बचत एवं ऋण प्रबंधन के साथ संतुलित करना दीर्घकालिक लचीलापन, समावेशी विकास के साथ-साथ बदलते वित्तीय परिदृश्य में संवेदनशीलताओं को कम करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में घरेलू बचत दर में गिरावट दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के लिये जोखिम उत्पन्न करती है। इसके कारणों का विश्लेषण कीजिये तथा स्थायी बचत को पुनर्जीवित करने हेतु नीतिगत उपाय सुझाइये।

भारत में बुनियादी ढाँचा से संबंधित चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

संरचनात्मक विफलता के कारण **वडोदरा** में **महिसागर नदी पुल** के ढहने से 20 लोगों की मौत हो गई, जो देशभर में हो रही ऐसी घटनाओं के बीच **बुनियादी ढाँचे** की गुणवत्ता को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है।

भारत के खराब बुनियादी ढाँचे के ऐसे ही उदाहरण:

- **गुजरात:** वर्ष 2022 में मोरबी सस्पेंशन ब्रिज गिरने से **135 लोगों** की मृत्यु हो गई।
- **महाराष्ट्र:** कल्याण-शिल रोड पर स्थित पलावा पुल को उद्घाटन के दो घंटे के भीतर ही संरचनात्मक दोषों के कारण बंद करना पड़ा, जबकि **इंद्रायणी नदी** पर बना **पुणे** का पैदल यात्री पुल पर्यटकों के भार से ढह गया।
- **असम:** जून 2025 में भारी बारिश के दौरान दो **ओवरलोडेड ट्रकों** के पार करने के बाद **हरांग पुल** ढह गया, जिससे **बराक घाटी का त्रिपुरा, मिज़ोरम और मणिपुर** से संपर्क कट गया।
- **मध्य प्रदेश:** भोपाल में ऐशबाग रेल ओवरब्रिज, जिसमें **90 डिग्री का खतरनाक मोड़** है, ने जनता में आक्रोश उत्पन्न कर दिया है।
- **बिहार:** वर्ष 2024 में केवल 20 दिनों के भीतर कम-से-कम 12 पुल गिर गए। वर्ष 2025 में **गंडक नदी पर स्थित मंगर का बिछली पुल** गिरने से लगभग **80,000 निवासी अलग-थलग** पड़ गए।

भारत की खराब बुनियादी अवसरंचना के पीछे कौन-से कारण हैं?

- **भ्रष्टाचार और खराब सामग्री: ठेकेदार माफिया और रिश्वत** (करार के लिये इनाम) **राजनीतिक रूप से जुड़ी फर्मों को अधिक लाभ** के लिये **खराब गुणवत्ता वाली सामग्री** का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
  - बिहार जैसे राज्यों में **"घोस्ट प्रोजेक्ट्स"** (कागज़ों पर बने लेकिन ज़मीनी हकीकत में नहीं) और **फंड के दुरुपयोग के कारण कमज़ोर संरचनाएँ** बनती हैं, जैसे पूर्णिया में ज़मीन घोटाले के लिये अवैध रूप से बना **"घोस्ट ब्रिज"**।
- **खराब रखरखाव और अधिक भार:** पुराने पुलों की अनदेखी, जैसे मोरबी और इंद्रायणी नदी पर बने पुल, समय पर निरीक्षण और सुदृढ़ीकरण (reinforcement) न होने के कारण ढह गए।
  - **असम के हरांग पुल** में देखा गया कि **ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और भारी वाहनों की निगरानी न होने** से पुल टूट गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **इंजीनियरिंग खामियां : भोपाल के ऐशबाग रेल ओवरब्रिज** और **इंदौर के निर्माणाधीन पुल** में देखी गई **खराब योजना** के परिणामस्वरूप **असुरक्षित बुनियादी ढाँचा** का उजागर हुआ है।
  - विशेषज्ञ निरीक्षण और **तकनीकी समीक्षा के अभाव के कारण** कई परियोजनाओं में **संरचनात्मक खामियाँ** उत्पन्न हो जाती हैं।
- **जवाबदेही की कमी: मोरबी और महिसागर** जैसी आपदाओं के बाद भी जवाबदेही का अभाव देखने को मिलता है, जहाँ **अधिकारियों और ठेकेदारों** को शायद ही कभी दंडित किया जाता है।
  - **अपर्याप्त सुरक्षा नियम** और **स्ट्रिक्ट ब्रिज ऑडिट** के अभाव के कारण असुरक्षित संरचनाएँ उपयोग में बनी रहती हैं।
- **जलवायु एवं पर्यावरणीय कारक: असम और बिहार** में **बाढ़** तथा नदी कटाव ब्रिज की नींव को कमज़ोर हो जाती है, फिर भी **निवारक कार्रवाई का अभाव है**।
  - **मुंबई और पुणे** जैसे शहरों में **अनियोजित शहरीकरण** के कारण बुनियादी अवसरंचना पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप: अधूरी परियोजनाओं का जल्दबाज़ी में उद्घाटन (जैसे पलावा ब्रिज), सुरक्षा जाँच को दरकिनार कर किया जाता है।**
  - नौकरशाही देरी और निधि विवाद सहित **राज्य-केंद्र कुप्रबंधन** के कारण कई बुनियादी अवसरंचना परियोजनाएँ रुकी हुई हैं।

भारत में बुनियादी अवसरंचना के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **राजमार्ग और सड़कें:** भारत के पास **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क** (संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद) है। वर्ष 2024 तक **राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई** 1,46,145 **किलोमीटर** तक पहुँच चुकी है।
- **रेलवे:** भारत की पहली **बुलेट ट्रेन परियोजना,** जिसे 280 **किमी/घंटा** की गति के लिये डिज़ाइन किया गया है, **वर्ष 2026 तक** पूरी होने की उम्मीद है।
  - **पिछले दशक** में, **कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे** जैसी कुछ घटनाओं के बावजूद, **गंभीर रेल दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट** दर्ज की गई है।
- **नागरिक उड्डयन:** भारत **विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार** है। देश में **संचालित हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 में 74 से बढ़कर वर्ष 2024 में 157** हो गई है।
  - **क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)-उड़ान** के तहत **दिसंबर 2024 तक लाखों यात्रियों को लाभ** प्राप्त हुआ है।
- **समुद्री क्षेत्र:** भारत का लक्ष्य है कि **वह वर्ष 2047 तक विश्व के शीर्ष पाँच जहाज़ निर्माण राष्ट्रों में शामिल** हो।
  - **गैलेथिया बे मेगा पोर्ट** और **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा** जैसी प्रमुख परियोजनाएँ व्यापारिक संपर्क को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रगति पर हैं।
- **शहरी मेट्रो: मेट्रो नेटवर्क वर्ष 2014 में 248 किमी से बढ़कर वर्ष 2024 तक 945 किमी** तक पहुँच चुका है। यह अब **21 शहरों में संचालित** हो रहा है और **प्रतिदिन 1 करोड़ यात्रियों** को सेवाएँ प्रदान कर रहा है।
  - **नमो भारत ट्रेन**, **दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर** पर, क्षेत्रीय संपर्क को मज़बूत करती है और **शहरी परिवहन** को बेहतर बनाती है।
- **रोपवे विकास: पर्वतमाला परियोजना** के तहत **वित्त वर्ष 2024-25 तक लगभग 60 किमी लंबाई की रोपवे परियोजनाओं** को स्वीकृति देने की योजना थी, जिनमें **वाराणसी अर्बन रोपवे और गौरीकुंड-केदारनाथ रोपवे** शामिल हैं।

बुनियादी अवसंरचना के विकास हेतु सरकारी पहल

- **पीएम गति शक्ति योजना**
- **भारतमाला परियोजना**
- **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)**
- **सागरमाला परियोजना**
- **उड़े देश का आम नागरिक (UDAN)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत अपनी बुनियादी अवसरंचना के विकास को कैसे बेहतर और सुदृढ़ कर सकता है?

- **कठोर गुणवत्ता नियंत्रण:** सभी प्रमुख बुनियादी अवसरंचना परियोजनाओं जैसे **ब्रिज, राजमार्ग और बाँधों** की **IIT** जैसे स्वतंत्र संस्थानों द्वारा ऑडिट कराई जानी चाहिये तथा **खराब निर्माण कार्य में लिप्त कंपनियों पर आजीवन प्रतिबंध** लगाया जाना चाहिये।
  - **ब्लॉकचेन के माध्यम से वास्तविक समय में निधि निगरानी** (रियल-टाइम फंड ट्रैकिंग) को लागू किया जाए ताकि **भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे** और **पारदर्शिता सुनिश्चित** हो सके।
- **उन्नत इंजीनियरिंग और सामग्री को अपनाना: जापान के भूकंप-रोधी पुलों से प्रेरणा** लेते हुए, बाढ़-प्रवण क्षेत्रों जैसे **असम और बिहार** में **फाइबर-प्रबलित पॉलिमर (Fiber-Reinforced Polymers)** और **जंग-रोधी मिश्र धातुओं** (Corrosion-Resistant Alloys) जैसी **उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों** का उपयोग करना।
  - **दरारें, तनाव और अतिभार का** पता लगाने हेतु पुलों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिये **AI और IoT-आधारित सेंसर** अपनाना।
- **निर्माण से रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करना: भारत को ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम (BMS)** का उपयोग करते हुए एक **सक्रिय रखरखाव दृष्टिकोण** अपनाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि **पूंजीगत व्यय का** एक निश्चित हिस्सा **परिचालन और रखरखाव** के लिये आवंटित किया जाए।
  - **राज्यों को बिहार की ब्रिज मेंटेनेंस नीति 2025** की तरह **संरचित रखरखाव नीतियों को** लागू करना चाहिये, जिसमें **IIT ऑडिट** और **सेंसर-आधारित निगरानी शामिल हो।**
- **बुनियादी ढाँचे की योजना को सुदृढ़ करना: एकीकृत, डेटा-संचालित बुनियादी ढाँचे की योजना के लिये पीएम गति शक्ति के तहत GIS-आधारित राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उपयोग करना और पूर्वानुमानित योजना, रसद अनुकूलन और अड़चन का पता लगाने हेतु AI उपकरणों का विस्तार करना।**
- **बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण को गहन बनाना: PPP मॉडल को** प्रोत्साहित करते हुए **उच्च सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को** बनाए रखना तथा नए बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के लिये **ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण** करना।
  - **दीर्घकालिक संस्थागत निवेश को** आकर्षित करने के लिये **म्यूनिसिपल बॉण्ड, इनविट्स, ग्रीन बॉण्ड** और **मिश्रित वित्त को** बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

भारत का बुनियादी ढाँचा **विरोधाभासी तेज़ी से विस्तार** के साथ-साथ **स्पष्ट विफलताओं** का सामना कर रहा है। जहाँ **राजमार्ग, महानगर** और **विमानन क्षेत्र** में प्रगति हुई है, वहीं बार-बार **पुलों के ढहने से गुणवत्ता नियंत्रण, भ्रष्टाचार** तथा **रखरखाव** में गहरी **व्यवस्थागत खामियाँ उजागर** होती हैं। **समावेशी** तथा **संरचनात्मक रूप से सुदृढ़** विकास सुनिश्चित करने के लिये **नियोजन, क्रियान्वयन** एवं **पारदर्शिता** में **तत्काल सुधार** आवश्यक हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में बार-बार होने वाली बुनियादी ढाँचे की विफलताओं के पीछे प्रमुख कारणों को हाल के उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये।

भारत के कॉर्पोरेट निवेश में मंदी

चर्चा में क्यों?

सरकारी समर्थन के बावजूद भारत में कॉरपोरेट निवेश में मंदी बनी हुई है। जून 2025 में **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)** की वृद्धि दर 9 महीने के निचले स्तर **1.2%** पर आ गई, जिससे **औद्योगिक गतिविधियों** में गिरावट आई है तथा भारत की वृद्धि और रोज़गार की संभावनाओं को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

भारत में कॉर्पोरेट निवेश मंद क्यों है?

- **माँग में कमी:** निवेश के फैसले मुख्य रूप से अपेक्षित माँग से प्रेरित होते हैं। कर-सुधारों **(2019 में कॉर्पोरेट कर में 30% से 22% की कटौती) के बाद ज़्यादा मुनाफ़े के बावजूद,** कम उपभोक्ता माँग ने विस्तार को हतोत्साहित किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में बताया गया है कि कॉर्पोरेट मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन **नियुक्तियों और वेतन वृद्धि** कम रही है तथा मशीनरी क्षेत्र में निजी क्षेत्र का **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF)** चार वर्षों में केवल 35% बढ़ा है। माँग में सुधार के बिना, केवल मुनाफा निवेश के लिये प्रोत्साहन नहीं है।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** की **मौद्रिक नीति समिति (MPC)** ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये **ब्याज दरों में कटौती** और **तरलता में ढील** दी, लेकिन **कमज़ोर मांग** के कारण **व्यावसायिक विश्वास** प्रभावित हुआ है। मांग के अभाव में कंपनियाँ ऋण लेने से बचती हैं, क्योंकि उन्हें कम लाभ मिलने का डर रहता है।
- क्षमता का कम उपयोग आगे निवेश को हतोत्साहित करता है, क्योंकि कंपनियाँ मौजूदा परिसंपत्तियों को अधिक कुशलता से संचालित करना पसंद करती हैं।

- **GDP के मुकाबले निम्न निवेश अनुपात:** हाल के वर्षों में **कॉर्पोरेट निवेश और GDP का अनुपात** काफी कम रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में, कॉर्पोरेट निवेश GDP का 12% रहा, जबकि विकास के वर्षों (2004-2008) के दौरान यह अनुपात **16%** था।
  - यह गिरावट **दीर्घकालिक विकास संभावनाओं में कम होते विश्वास** को दर्शाती है। **निवेश का यह स्तर भारत के 8% से अधिक संरचनात्मक विकास के लक्ष्य** को प्राप्त करने के लिये अपर्याप्त है, जिसके लिये **35% या उससे अधिक निवेश** दर की आवश्यकता होगी।
- **सरकारी पूंजीगत व्यय का कम गुणक प्रभाव:** सरकार ने विकास को बढ़ावा देने और सुधार को समर्थन देने हेतु **बुनियादी ढाँचे पर खर्च** (वित्त वर्ष 2025-26 में 11.21 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 3.1%) निर्धारित) को बढ़ा दिया है।
  - उच्च सार्वजनिक खर्च के बावजूद, **निजी निवेश** सुस्त बना हुआ है, जिसका कारण है— **परियोजनाओं की लंबी समय-सीमा**, **उच्च आयात निर्भरता** और **मशीन-प्रधान अवसंरचना** से होने वाली **कम रोज़गार सृजन**।
- **ऋण वितरण में देरी:** विशेषकर **बड़े अवसंरचना परियोजनाओं** के लिए, **ऋण वितरण में दो से तीन साल तक** का समय लग सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **नवंबर 2023 में अवसंरचना क्षेत्र** को दिया गया ऋण केवल **2.1%** की दर से बढ़ा, जबकि **नवंबर 2022 में यह वृद्धि 11.1%** थी।
- RBI के आँकड़ों के अनुसार, नवंबर 2023 में सड़क क्षेत्र को दिये गए ऋण में केवल 6.4% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष यह 14% थी।
  - इसके विपरीत, **वैयक्तिक ऋण (personal loans)** में **2023 में 30.1%** की वृद्धि हुई, जो **घरेलू मांग** को दर्शाता है, लेकिन **औद्योगिक निवेश की सुस्ती** भी स्पष्ट करता है।
- **वैश्विक व्यापार की प्रतिकूल परिस्थितियाँ:** अमेरिका जैसे प्रमुख बाज़ारों में टैरिफ व्यवस्थाओं सहित वैश्विक स्तर पर संरक्षणवादी नीतियों ने निर्यात-आधारित निवेश अवसरों को कमज़ोर कर दिया है।

निवेश और लाभ से संबंधित आर्थिक सिद्धांत

- **एक शुद्ध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था** (जहाँ राज्य का कोई हस्तक्षेप न हो और बाहरी बाजारों तक कोई पहुँच न हो) में, **निवेश और लाभ** के बीच गहरा संबंध होता है, लेकिन इसमें कौन किसका कारण बनता है, इस पर विद्वानों के बीच मतभेद है।
- **अर्थशास्त्रियों** जैसे **टुगान बारानोव्स्की, लक्समबर्ग** और **कालेकी** के अनुसार, निवेश और लाभ के बीच संबंध को समझना **निवेश चक्र (Investment Cycle)** को समझने के लिये आवश्यक है।
- **टुगान बारानोव्स्की का दृष्टिकोण:** उन्होंने कहा कि निवेश स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर सकता है। यदि उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में निवेश संतुलित रहता है, तो अर्थव्यवस्था मजबूत उपभोक्ता मांग के बिना भी बढ़ सकती है। अर्थात् निवेश ही वृद्धि का आधार बन सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **लक्समबर्ग का दृष्टिकोण:** उन्होंने माना कि **निवेश से लाभ** होता है, लेकिन यह **निवेश की गारंटी** नहीं देता। पूंजीवाद में निर्णय **सामूहिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर** पर लिये जाते हैं।
  - मंदी के दौर में, जब मौजूदा कंपनी ही पूरी क्षमता से नहीं चल रही हों, तो नई क्षमता जोड़ना तर्कसंगत नहीं होता।
  - सामूहिक निवेश अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकता है, लेकिन पूंजीवाद में इस प्रकार की **सामंजस्यपूर्ण योजना** का अभाव होता है।
- **कलेकी (Kalecki):** उन्होंने तर्क दिया कि **निवेश ही लाभ को उत्पन्न करता है**, न कि इसके विपरीत। लेकिन कंपनियाँ तभी निवेश करती हैं जब उन्हें मांग की अपेक्षा होती है। यदि कोई **बाह्य प्रोत्साहन (External stimulus)** नहीं हो, तो अर्थव्यवस्था **कम मांग और कम निवेश** के चक्र में फँस जाती है।

निवेश बढ़ाने के लिये भारत के क्या उपाय हैं?

- विनिर्माण तथा नवाचार को समर्थन देने के लिये **मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया**।
- एकीकृत बुनियादी ढाँचे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के लिये **पीएम गतिशक्ति**।
- विनिर्माण क्षेत्रों के विकास के लिये **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम (NICDP)**।
- क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ**।
- **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) सुधार** और अनुपालन में कमी।
- निवेशक सुविधा के लिये **राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS)**।
- **इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक** निवेशकों को उपलब्ध भूमि की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराना।
- परियोजना कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिये **परियोजना निगरानी समूह (PMG)** का गठन किया जाएगा।
- 90% से अधिक **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** प्रवाह **स्वचालित मार्ग** के तहत आते हैं, जिससे **लालफीताशाही** में कमी आई है। अधिकांश क्षेत्रों में 100% FDI की अनुमति है, **रणनीतिक महत्त्व** वाले कुछ क्षेत्रों को छोड़कर।
- प्रमुख मंत्रालयों में **प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल (PDC)** की स्थापना की गई है ताकि **निवेश प्रस्तावों का समन्वय** किया जा सके और **निवेशकों को सहायता** प्रदान की जा सके।

कॉरपोरेट निवेश को स्थायी रूप से पुनर्जीवित करने के लिये नीति दृष्टिकोण क्या होना चाहिये?

- **समग्र मांग को बढ़ावा देना:** सामाजिक क्षेत्र पर व्यय बढ़ाना, ग्रामीण रोज़गार योजनाएँ (जैसे MGNREGA) और लक्षित नकद हस्तांतरण उपभोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
  - आवास और **MSME जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश से रोज़गार सृजन हो सकता है** और घरेलू आय में वृद्धि हो सकती है, इससे सभी क्षेत्रों में मांग पर प्रभाव पड़ेगा।
- **बेहतर प्रतिस्पर्द्धा के लिये सुधार कारक बाज़ार:** भूमि की उच्च कीमतें (**शहरी क्षेत्रों में मूल्य-से-आय अनुपात (PTI) लगभग 11 है** जो सामर्थ्य मानक 5 से काफी अधिक है) उत्पादन लागत बढ़ाती हैं और प्रतिस्पर्द्धा को हानि पहुँचाती हैं।
  - पारदर्शी भूमि आपूर्ति और बेहतर भूमि उपयोग नीतियाँ लागत कम कर सकती हैं, सामर्थ्य बढ़ा सकती हैं तथा निवेश आकर्षित कर सकती हैं।
- **निजी निवेश का जोखिम कम करना: उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा** जैसे ग्रीनफील्ड निवेशों के लिये **दीर्घकालिक व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF)** और **जोखिम-साझाकरण मॉडल** तैयार किये जाएँ।
  - MSME से परे मध्यम आकार और विकास-चरण वाली फर्मों के लिये ऋण गारंटी योजनाओं (**जैसे आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)**) का विस्तार करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **हरित और डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करना:** जो क्षेत्र **सतत् ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल** और **नेट-ज़ीरो लक्ष्यों** को अपना रहे हैं, उनके लिये **ग्रीन कैपेक्स प्रोत्साहन** तैयार किये जाएँ।
  - **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं** को केवल उत्पादन से नहीं, बल्कि **रोज़गार सृजन** और **नवाचार** से भी जोड़ा जाए, ताकि **समावेशी विकास** को बढ़ावा मिल सके।
- **मिशन-आधारित निवेश रणनीति तैयार करना: ऊर्जा परिवर्तन, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण** और **डिजिटल बुनियादी ढाँचे** जैसे **राष्ट्रीय अभियानों** को **औद्योगिक नीति** से जोड़ा जाए, ताकि **दीर्घकालिक निवेश** को आकर्षित किया जा सके।
  - ऐसे **विशेषीकृत एवं नवोन्मेषी उत्पादों** (जैसे **अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक वाहन घटक, रक्षा-ग्रेड अर्धचालक**) के **विकास तथा निर्यात** को प्रोत्साहित किया जाए, जो **वैश्विक मांग** को पूरा करते हों और भारत को **उभरते क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धी अभिकर्त्ता** के रूप में स्थापित करने में सहायता करें।
- **कॉरपोरेट विश्वास को सुदृढ़ करना:** मुद्रास्फीति को RBI की सहज सीमा के भीतर बनाए रखना, ताकि ब्याज दरों में अस्थिरता कम हो। **राजकोषीय अनुशासन** का पालन करें और **बजट से बाहर की उधारियों** में अधिक पारदर्शिता रखें, ताकि **विश्वसनीयता** स्थापित हो सके।
  - **बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को तीव्र करें**, ताकि **विलंब को कम किया जा सके** और **दीर्घकालिक निवेश** को आकर्षित किया जा सके।

निष्कर्ष

सतत् कॉरपोरेट निवेश पुनरुद्धार केवल कर कटौतियों और मौद्रिक सहजता के माध्यम से संभव नहीं है। इसके लिये **मांग सृजन, संरचनात्मक सुधार, वित्तीय सुदृढ़ीकरण** और **संस्थागत विश्वास** का सम्मिलित व समग्र रणनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक है। भारत की **जनसांख्यिकीय बढ़त** और **भूराजनैतिक पुनर्स्थापन** एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं, जिससे निवेश ढाँचे को एक **अधिक अनुकूल तथा समावेशी अर्थव्यवस्था** की दिशा में पुन:संयोजित किया जा सकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. महत्त्वपूर्ण कर सुधारों और सार्वजनिक पूँजीगत व्यय के बावजूद भारत में निजी कॉर्पोरेट निवेश सुस्त क्यों बना हुआ है? इस प्रवृत्ति को बदलने के लिये नीतिगत उपाय सुझाएँ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-घाना संबंध

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना की राजकीय यात्रा (जो 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी) भारत-अफ्रीका संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई।

- इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को **देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान - द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना** से सम्मानित किया गया।

घाना

- **स्थान:** घाना (राजधानी अकरा) एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है, जिसकी सीमा पश्चिम में कोट डी आइवर, उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में टोगो तथा दक्षिण में गिनी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से लगती है।
- **महत्त्व:** सहारा के दक्षिण में स्थित घाना वर्ष 1957 में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला **पहला अश्वेत अफ्रीकी देश** था, जिसका नाम मध्ययुगीन घाना साम्राज्य के नाम पर रखा गया था।
  - इसे **विशाल सोने के संसाधनों** के लिये जाना जाता है और इसे **गोल्ड कोस्ट** कहा जाता था। यहाँ पर 19वीं शताब्दी में लाया गया कोको, निर्यात की प्रमुख वस्तु बना हुआ है।
  - **1990 के दशक** से घाना में राजनीतिक स्थिरता के साथ आर्थिक सुधार देखा गया है और अब इसे अफ्रीका में लोकतांत्रिक शासन एवं सुधार के लिये एक मॉडल के रूप में उद्धृत किया जाता है।
- **पर्वत और झीलें: माउंट अफादजातो, माउंट जेबोबो और माउंट टोरोगबानी** घाना में वोल्टा नदी के पूर्व में टोगो की सीमा के पास स्थित हैं। ये पर्वत **टोगो-अताकोरा पर्वत शृंखला** का हिस्सा हैं।
  - वोल्टा झील, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है।

प्रधानमंत्री की घाना की राजकीय यात्रा के प्रमुख परिणाम क्या हैं?

- **द्विपक्षीय सहयोग:** दोनों देश संबंधों को **व्यापक साझेदारी** तक बढ़ाने पर सहमत हुए।
- **रणनीतिक प्रस्ताव:** भारत ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) सहित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना संबंधी अनुभवों को साझा किया।
  - भारत ने ग्लोबल साउथ हेतु एक सशक्त आवाज़ के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि की तथा घाना को उसके समर्थन के लिये धन्यवाद दिया।
- **हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoUs):**
  - **सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (CEP) पर समझौता ज्ञापन:** यह कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और विरासत में अधिक सांस्कृतिक समझ तथा आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
  - **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और घाना मानक प्राधिकरण (GSA) के बीच समझौता ज्ञापन:** इसका उद्देश्य मानकीकरण, प्रमाणन और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देना है।
  - **पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान (ITAM), घाना और आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ITRA), भारत के बीच समझौता ज्ञापन:** यह पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान में सहयोग पर केंद्रित है।
  - **संयुक्त आयोग की बैठक पर समझौता ज्ञापन:** यह उच्च स्तरीय वार्ता को संस्थागत बनाने तथा नियमित आधार पर द्विपक्षीय सहयोग तंत्र की समीक्षा करने पर केंद्रित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

समय के साथ भारत और घाना के संबंध किस प्रकार विकसित हुए हैं?

- **प्रारंभिक राजनयिक संबंध: भारत ने वर्ष 1953 में अकरा** में एक प्रतिनिधिक कार्यालय खोला तथा वर्ष 1957 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किये और इसी वर्ष घाना को स्वतंत्रता मिली।
- **साझा वैश्विक मंच:** भारत और घाना **गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक** सदस्य हैं और ये अनवरत वैश्विक मुद्दों जैसे कि **उपनिवेशवाद से मुक्ति एवं दक्षिण-दक्षिण सहयोग** पर एकजुट रहे हैं।
- **संस्थागत तंत्र :**
  - **भारत-घाना संयुक्त आयोग (1995)** द्वारा नियमित उच्च स्तरीय वार्ता की सुविधा प्रदान की जाती है।
  - **संयुक्त व्यापार समिति** एवं **विदेश कार्यालय परामर्श** से व्यापार और कूटनीतिक समन्वय को मज़बूती मिलती है।
- **आर्थिक संबंध:** भारत घाना का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया।
  - घाना द्वारा भारत को **सोना, कोको और काजू का निर्यात** किया जाता है जबकि भारत द्वारा फार्मास्यूटिकल्स, कृषि मशीनरी और वस्त्र का निर्यात किया जाता है।
    - **व्यापार संतुलन** आमतौर पर घाना के पक्ष में है, जो मुख्य रूप से सोने के निर्यात (70% की हिस्सेदारी) पर निर्भर है।
  - भारतीय फार्मास्यूटिकल्स द्वारा घाना की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाई जाती है और भारतीय कंपनियों ने घाना में लगभग 900 परियोजनाओं के तहत लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।
- **विकास परियोजनाएँ और वित्तीय सहायता:** भारत ने ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ चीनी तथा मछली प्रसंस्करण परियोजनाओं हेतु घाना को **रियायती ऋण (LoCs) और अनुदान** के रूप में **450 मिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक की सहायता प्रदान की है।
  - भारत ने **घाना-बुर्किना फासो संपर्क गलियारे** के हिस्से के रूप में **वोल्टा नदी** पर 300 मीटर के पुल सहित **तेमा-मपाकादन रेलवे परियोजना** का समर्थन किया, जिससे घाना में बुनियादी ढाँचे, संपर्क और व्यापार को बढ़ावा मिला।
- **डिजिटल सहयोग:** घाना-इंडिया कोफी अन्नान ICT उत्कृष्टता केंद्र (2003) पश्चिम अफ्रीका का शीर्ष IT अनुसंधान और शिक्षा केंद्र है।
  - पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क द्वारा भारतीय संस्थानों के माध्यम से टेलीमेडिसिन और टेली-शिक्षा प्रदान की जाती है।
  - **भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम** के अंतर्गत 1,100 से अधिक घानावासियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
  - घाना, भारत की **ई-विद्याभारती और ई-आरोग्यभारती (e-VBAB) नेटवर्क परियोजना** में शामिल हुआ है जिसके तहत भारत, प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों के माध्यम से IT, स्वास्थ्य सेवा, व्यवसाय, पर्यटन और कला जैसे क्षेत्रों में अफ्रीका के छात्रों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- **भारतीय समुदाय:** घाना में भारतीय समुदाय द्वारा समर्थित हिंदू मंदिर, गुरुद्वारा और हिंदू मठ हैं। ISKCON (ज़्यादातर घानावासियों द्वारा संचालित) और सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा सक्रिय रूप से भारतीय परंपराओं को बढ़ावा दिया जाता है।
- यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत "हरे राम हरे कृष्ण" नारे के साथ किया गया, जो दोनों देशों के बीच गहन सांस्कृतिक संबंधों के साथ भारत की बढ़ती सॉफ्ट पॉवर को दर्शाता है।

भारत-अफ्रीका संबंध

- **आर्थिक संबंध:** फरवरी 2025 तक भारत, **अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** बना हुआ है जिसका द्विपक्षीय व्यापार **100 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है।
  - अफ्रीका में भारतीय निवेश **75 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया है, जिसे **वर्ष 2030 तक दोगुना करने** का लक्ष्य है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **विकास और क्षमता निर्माण:** भारत ने बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा और कृषि में 200 से अधिक **परियोजनाओं हेतु 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रियायती ऋण** प्रदान किया है।
  - ITEC, पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क, e-VBAB जैसी पहल मानव पूंजी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।
- **अफ्रीका को समर्थन: G20 की अध्यक्षता के दौरान** भारत ने अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया।
  - भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जैसे मंचों का उपयोग गहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिये किया जा रहा है।
- **सामरिक और समुद्री सुरक्षा संबंध: हिंद महासागर क्षेत्र** में अफ्रीका का स्थान **भारत की समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री मार्गों** के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **मॉरीशस** में भारत का पहला ओवरसीज़ नौसैनिक अड्डा (वर्ष 2024) और **भारत-अफ्रीका सेना प्रमुख सम्मेलन (वर्ष 2023)** बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाते हैं।
- **ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षा:** अफ्रीका द्वारा भारत को **कच्चे तेल (जैसे, नाइजीरिया, अंगोला से)** के साथ **कोबाल्ट तथा मैंगनीज** जैसे **क्रिटिकल खनिजों की आपूर्ति** की जाती है जो **स्वच्छ ऊर्जा** अपनाने की दिशा में भारत के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक आधार: प्रवासी भारतीयों** के माध्यम से दोनों के बीच मज़बूत संबंध के साथ **साझा औपनिवेशिक इतिहास तथा स्वतंत्रता आंदोलनों** (जैसे, गांधी-मंडेला) से पारस्परिक प्रेरणा मिलती है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग:** भारत, **भारतीय IT और स्टार्टअप के माध्यम से अफ्रीका के डिजिटल परिवर्तन,** स्मार्ट शहरों एवं फिनटेक में साझेदारी कर रहा है।
  - भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत अफ्रीका में **सौर परियोजनाओं हेतु 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर** देने की प्रतिबद्धता जताई।
- **भारत-जापान-अफ्रीका त्रिपक्षीय भागीदारी:** एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) के माध्यम से भारत समावेशी विकास के क्रम में **जापान की पूंजी, भारत की तकनीक** और **अफ्रीका के युवाओं** की भूमिका पर बल देता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत, घाना की राष्ट्र-निर्माण यात्रा में न केवल भागीदार है बल्कि सह-यात्री भी है। इस कथन के आलोक में भारत-घाना संबंधों की व्यापक प्रकृति का आकलन कीजिये।

भारत - त्रिनिदाद और टोबैगो संबंध

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा वर्ष 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।

- यात्रा के दौरान, उन्हें वैश्विक नेतृत्व, मज़बूत प्रवासी जुड़ाव और कोविड-19 महामारी के दौरान मानवीय प्रयासों के लिये देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, **द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो** से सम्मानित किया गया।

त्रिनिदाद और टोबैगो

- **भूगोल और अवस्थिति:** त्रिनिदाद और टोबैगो दक्षिण-पूर्वी वेस्ट इंडीज (कैरिबियन) में स्थित है और इसमें दो मुख्य द्वीप त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ-साथ कई छोटे द्वीप शामिल हैं।
  - यह **वेनेज़ुएला के उत्तर-पूर्व और गुयाना के उत्तर-पश्चिम** में स्थित है, तथा **वेनेज़ुएला से पारिया की खाड़ी (Gulf of Paria)** और संकीर्ण जलमार्गों द्वारा अलग है।
- **राजधानी:** पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद)।
- **आर्थिक पहलू**
  - **प्राकृतिक संसाधन:** तेल और गैस, ऐस्फाल्ट, कृषि (गन्ना)
  - **प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ:** पेट्रोलियम शोधन, LNG निर्यात, कृषि, पर्यटन।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **पर्यावरण और जैवविविधता:** त्रिनिडाड में वर्षावन, दलदल (कैरोनी, नरिवा) तथा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं।
  - **उल्लेखनीय प्रजातियाँ:** स्कार्लेट आइबिस (राष्ट्रीय पक्षी), मैनेटेस, ओसेलॉट्स, कैमन, एगोटी।
  - **पिच झील: विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक ऐस्फाल्ट भंडार (त्रिनिदाद)।**
  - **पर्वत शृंखला:** नॉर्दर्न रेंज, एंडीज़ विस्तार का हिस्सा।

प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद और टोबैगो की राजकीय यात्रा के मुख्य परिणाम क्या हैं?

- **आपदा रोधी अवसंरचना और जैव ईंधन में सहयोग:** त्रिनिदाद और टोबैगो ने भारत की वैश्विक पहलों, **आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)** और **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA)** में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की।
- **त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (QIP) के लिये भारतीय अनुदान सहायता:** भारत ज़मीनी स्तर पर सामुदायिक विकास के लिये प्रतिवर्ष पाँच परियोजनाओं (प्रत्येक ≤ 50,000 अमेरिकी डॉलर) को वित्तपोषित करेगा।
  - इसका उद्देश्य देश की तात्कालिक विकासात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
- **फार्मास्युटिकल सहयोग एवं चिकित्सीय उपचार:** **फार्मास्युटिकल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने** के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- इस समझौते से भारत से सस्ती, गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं तक पहुँच में सुधार होगा तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों के लिये भारत में चिकित्सा उपचार की व्यवस्था संभव हो सकेगी।
- राजनयिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण: त्रिनिदाद और टोबैगो के राजनयिकों को भारतीय संस्थानों के साथ-साथ भारतीय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने के लिये एक समझौता हुआ।
- इस पहल से कूटनीतिक कौशल एवं द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि होने की आशा है।
- **शिक्षा के लिये प्रवासी सहभागिता एवं समर्थन:**
  - भारत ने घोषणा की है कि **ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड सुविधा त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों की छठी पीढ़ी** को भी प्रदान की जाएगी (पहले यह सुविधा केवल चौथी पीढ़ी को ही उपलब्ध थी)।
- **डिजिटल समर्थन:** दोनों पक्षों ने **डिजीलॉकर एवं ई-साइन** जैसे **इंडिया स्टैक समाधानों पर सहयोग** करने पर सहमति व्यक्त की।
  - त्रिनिदाद और टोबैगो **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश** है।
- **कृषि एवं स्वास्थ्य सेवा को समर्थन:** भारत ने वर्ष 2024 समझौता ज्ञापन के तहत सहमति के अनुसार 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की कृषि-मशीनरी का पहला बैच त्रिनिदाद और टोबैगो के **राष्ट्रीय कृषि विपणन और विकास निगम (NAMDEVCO) को उपहार में** और बाजरे की खेती, समुद्री शैवाल-आधारित उर्वरकों तथा प्राकृतिक खेती के लिये विस्तारित समर्थन दिया।
- **क्षेत्रीय संबंधों एवं आतंकवाद-रोधी सहयोग को मज़बूत करना:** दोनों नेताओं ने आतंकवाद-रोधी सहयोग को मज़बूत करने, भारत-कैरेबियाई समुदाय (कैरिकॉम) संबंधों को गहरा करने और ग्लोबल साउथ देशों के बीच एकजुटता बढ़ाने का संकल्प लिया।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** त्रिनिदाद और टोबैगो में वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में हिंदी और भारतीय अध्ययन पर दो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) पीठों की पुनः स्थापना की जाएगी।
  - भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो तथा कैरेबियाई क्षेत्र के हिंदू धार्मिक पुजारियों (पंडितों) को प्रशिक्षण देने में भी सहायता प्रदान की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा और भारतीय भाषाओं व संस्कृति की समझ को गहरा करेगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला पसाद-बिसेसर** को उनके बिहार से संबंधित होने के सम्मान में **सरयू नदी और महाकुंभ का पवित्र जल तथा राम मंदिर की एक प्रतिकृति भेंट** की।

भारत-त्रिनिदाद और टोबैगो संबंध समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं?

- **ऐतिहासिक संबंध:** भारत-त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं, जो वर्ष **1845** से चले आ रहें हैं, जब पहले **भारतीय अनुबंधित श्रमिक** (मुख्यतः **भोजपुरी गिरमिटिया**) **'फातेल रज़ाक'** जहाज़ से वहाँ पहुँचे थे।
  - **उनके वंशज अब जनसंख्या का 40-45% हिस्सा हैं,** जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - द्विपक्षीय संबंधों की औपचारिक स्थापना **वर्ष 1962** में हुई थी और ये संबंध तब से **सौहार्दपूर्ण और गतिशील** बने हुए हैं।
  - **आर्थिक और व्यापारिक संबंध:** भारत-त्रिनिदाद और टोबैगो ने वर्ष 1997 **में 'सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र' (MFN) दर्जा व्यापार समझौता** किया था, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने में अब भी सहायक है।
    - महामारी के बाद द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि देखी गई है, जिसमें भारत से प्रमुख निर्यात में **फार्मास्यूटिकल उत्पाद, वाहन और लोहा शामिल हैं**।
    - **भारत से त्रिनिदाद और टोबैगो को निर्यात: 120.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर** (2024–25)।
  - **त्रिनिदाद और टोबैगो से भारत को आयात: 220.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर** (2024-25)।
- **विकास साझेदारी:** महामारी के दौरान, **भारत-UNDP फंड** के अंतर्गत त्रिनिदाद और टोबैगो में **1 मिलियन अमेरिकी डॉलर** की लागत वाली **'ब्रिंगिंग हाई एंड लो टेक्नोलॉजी (HALT)'** परियोजना लागू की गई।
  - इसमें 8 मोबाइल हेल्थकेयर रोबोट, एक टेलीमेडिसिन प्रणाली, हैंड हाइजीन स्टेशन और संबंधित उपकरण शामिल थे तथा यह परियोजना **अगस्त 2024** में पूर्ण हुई।

गिरमिटिया श्रमिक प्रणाली और भोजपुरी गिरमिटिया

- **गिरमिटिया श्रमिक प्रणाली:** यह प्रणाली **गुलामी समाप्त होने के बाद** लागू की गई थी, जिसमें व्यक्ति **निश्चित समय के लिये कार्य करने** हेतु सहमत होते थे और बदले में उन्हें **यात्रा, भोजन तथा आवास** की सुविधा दी जाती थी।
  - हालाँकि इसे एक **अनुबंध प्रणाली** के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन वास्तव में यह **शोषणकारी** थी — जहाँ श्रमिकों को **कठोर कार्य परिस्थितियों**, **कम वेतन** और **सीमित स्वतंत्रता** का सामना करना पड़ता था।
  - श्रमिकों को अनुपस्थिति पर **दंड** दिया जाता था, वे **लगातार निगरानी** में रहते थे और उन्हें **नस्लीय तथा शारीरिक शोषण** झेलना पड़ता था।
  - महिलाओं की भर्ती मुख्य रूप से **लैंगिक अनुपात संतुलित करने** के लिये की जाती थी, लेकिन उन्हें **लैंगिक भेदभाव** और **यौन शोषण** का अधिक सामना करना पड़ता था।
  - **महात्मा गांधी** ने इस गिरमिटिया प्रणाली का **कड़ा विरोध** किया। **वर्ष 1917 में,** जब इसे समाप्त करने का प्रस्तावित विधेयक अस्वीकार कर दिया गया, तो उन्होंने **देशव्यापी आंदोलन** शुरू किया और **वायसरायलॉर्ड चेम्स्फोर्ड** से मुलाकात की। यह प्रणाली अंततः **वर्ष 1920 में आधिकारिक रूप से समाप्त** कर दी गई।
- **गिरमिटिया:** गिरमिटिया शब्द (जिसका व्युत्पन्न शब्द 'समझौते' से है) उन भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को संदर्भित करता है, जिन्हें 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में गिरमिटिया श्रम प्रणाली के तहत त्रिनिदाद एवं टोबैगो, फिज़ी, मॉरीशस और गुयाना जैसे ब्रिटिश उपनिवेशों में ले जाया गया था।
  - उनमें से अधिकांश वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुरी व अवधी भाषी ज़िलों जैसे छपरा, बलिया, आरा, बनारस, सीवान, गोपालगंज एवं आज़मगढ़ से आए थे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत-कैरिकॉम संबंध:

- **कैरेबियन समुदाय (CARICOM):** कैरीबियाई समुदाय (CARICOM) को वर्ष 1973 में त्रिनिदाद और टोबैगो में **चगुआरामस संधि के माध्यम से मान्यता** दी गई थी, आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये **कैरीबियाई मुक्त व्यापार संघ (CARIFTA)** से कैरिकॉम का विकास हुआ।
    - कैरिकॉम **में 15 सदस्य देश और 6 सहयोगी सदस्य** शामिल हैं।
        - इसके 15 सदस्यों में शामिल हैं: एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज़, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, हैती, जमैका, मोंटसेराट, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो।
    - **कैरिकॉम की अध्यक्षता प्रत्येक छह माह में सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है। जॉर्जटाउन, गुयाना** में स्थित इसका सचिवालय महासचिव द्वारा संचालित होता है।
- **भारत-कैरिकॉम संबंध:**
    - **क्षमता निर्माण और विकासात्मक सहायता:** भारत ने कैरिकॉम देशों को निरंतर क्षमता निर्माण और विकासात्मक सहायता प्रदान की है।
        - भारत ने **सामुदायिक विकास परियोजनाओं (CDPs) के लिये 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान** देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें से प्रत्येक कैरिकॉम देश के लिये 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आवंटन शामिल है।
        - सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिये **150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट** की घोषणा की गई।
    - **शैक्षिक और राजनयिक सहयोग: भारत, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम** के माध्यम से कैरेबियाई देशों के छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करता है।
        - **भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन:** दूसरा **भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन वर्ष** 2024 में जॉर्जटाउन, गुयाना में हुआ।
            - यह साझेदारी सात प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: क्षमता निर्माण, कृषि और खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार, क्रिकेट और संस्कृति, समुद्री अर्थव्यवस्था तथा स्वास्थ्य सेवा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. ग्लोबल साउथ रणनीति के हिस्से के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भारत के द्विपक्षीय एवं सांस्कृतिक संबंधों का परीक्षण कीजिये।

17वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने **ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो** में आयोजित 17**वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन** में भाग लिया, जिसकी थीम थी - **"अधिक समावेशी और सतत् शासन के लिये वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना (Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance)"।** प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर **रियो डी जेनेरियो घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर किये।

- इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से **ब्रिक्स** में शामिल हो गया है, जबकि **बेलारूस, बोलिविया, कज़ाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा** और **उज़्बेकिस्तान** को **ब्रिक्स साझेदार देशों** के रूप में स्वीकार किया गया।
- भारत **वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता** सँभालेगा और **18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन** की मेज़बानी करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम क्या हैं?

- **वैश्विक शासन में सुधार (Global Governance Reform):** ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन किया, ताकि **एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका** जैसे क्षेत्रों से अधिक स्थायी सदस्य शामिल हो सकें तथा वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व बढ़े। **IMF एवं विश्व बैंक** में सुधार की मांग की गई, जिससे **उभरते बाज़ार और विकासशील देश (EMDC)** की भूमिका को उचित स्थान मिल सके तथा **नियम-आधारित WTO** प्रणाली का समर्थन किया गया।
- **सतत् विकास: ब्रिक्स ने विकासशील देशों** के लिये संसाधन जुटाने हेतु **जलवायु वित्त** पर अभिकर्त्ताओं के रूपरेखा घोषणापत्र को अपनाया तथा **कार्बन मूल्य निर्धारण और उत्सर्जन व्यापार** में सहयोग बढ़ाने के लिये ब्रिक्स **कार्बन मार्केट** साझेदारी पर समझौता ज्ञापन का समर्थन किया।
- **शांति और सुरक्षा:** ब्रिक्स ने **"अफ्रीकी समस्याओं के लिये अफ्रीकी समाधान"** की पुष्टि की और **गाज़ा संघर्ष** में युद्धविराम तथा **टू स्टेट सॉल्यूशन** का आह्वान किया। ब्रिक्स अभिकर्त्ताओं ने **पहलगाम हमले** की निंदा की और भारत ने इस पर ज़ोर दिया कि आतंकवाद को सैद्धांतिक रूप से खारिज किया जाना चाहिये, न कि इसे सुविधा के तौर पर देखा जाना चाहिये।
- **वित्तीय सहयोग:** ब्रिक्स ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिये **सीमा पार भुगतान** पहल पर वार्त्ता को आगे बढ़ाया, **न्यू डेवलपमेंट बैंक** के विस्तार और निवेशों को जोखिम मुक्त करने के लिये **ब्रिक्स बहुपक्षीय गारंटी (BMG)** पायलट का समर्थन किया।
- **प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था:** ब्रिक्स ने **वैश्विक AI शासन पर अभिकर्त्ताओं के बयान** को अपनाया, **डेटा अर्थव्यवस्था शासन समझौता** को अंतिम रूप दिया और **साझा अंतरिक्ष अन्वेषण** के लिये **ब्रिक्स स्पेस काउंसिल** के गठन पर सहमति व्यक्त की।
- **स्वास्थ्य और सामाजिक विकास:** ब्रिक्स ने सामाजिक रूप से **निर्धारित रोगों (क्षयरोग) के उन्मूलन के लिये साझेदारी की शुरुआत की,** जिसका उद्देश्य **स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं से निपटना है।**

ब्रिक्स क्या है?

- **परिचय:** 'ब्रिक (BRIC)' शब्द को वर्ष 2001 में **ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील (Jim O'Neill)** ने **ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन** जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाने के लिये प्रस्तावित किया था।
  - ब्रिक ने वर्ष 2006 में **G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन** के दौरान एक **औपचारिक समूह** के रूप में कार्य करना शुरू किया, वर्ष 2009 में रूस में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तथा **वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ यह ब्रिक्स बन गया।**
- **सदस्य:** प्रारंभिक पाँच ब्रिक्स सदस्य देश **ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका** थे। **वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), मिस्र** और **इथियोपिया** इस समूह में शामिल हुए, जबकि **इंडोनेशिया वर्ष 2025 में** ब्रिक्स में शामिल हुआ।
  - **सऊदी अरब** ने अभी तक ब्रिक्स की अपनी सदस्यता को औपचारिक रूप नहीं दिया है, जबकि **अर्जेंटीना की वर्ष 2024 में शामिल होने की उम्मीद** थी, लेकिन बाद में उसने **सदस्यता से पीछे हटने** का निर्णय लिया।
- **महत्त्व: ब्रिक्स विश्व की 45% जनसंख्या तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 37.3% हिस्सा रखता है, जो यूरोपीय संघ के 14.5% और G7 के 29.3% से अधिक है।**
- **ब्रिक्स की प्रमुख पहलें: न्यू डेवलपमेंट बैंक (2014), कॉन्टिंजेंट रिज़र्व अरेंजमेंट (CRA), ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज,** ब्रिक्स त्वरित सूचना सुरक्षा चैनल, **STI फ्रेमवर्क कार्यक्रम (2015) आदि।**

ब्रिक्स वैश्विक शासन में शक्ति संतुलन को कैसे पुनर्परिभाषित कर रहा है?

- **ऊर्जा सुरक्षा:** ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के ब्रिक्स में शामिल होने के साथ **ब्रिक्स अब वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 44% हिस्सा रखता है।** इससे यह समूह **ऊर्जा सुरक्षा** सुनिश्चित करने और तेल की कीमतों व आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने की स्थिति में आ गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सामरिक संवाद हेतु तटस्थ मंच:** **भारत-चीन डोकलाम गतिरोध** जैसी द्विपक्षीय तनाव की स्थितियों में **ब्रिक्स एक तटस्थ और गैर-पश्चिमी कूटनीतिक मंच** प्रदान करता है, जो **रचनात्मक संवाद तथा सहयोग** को प्रोत्साहित करता है।
- **बहुपक्षीय सुधार के लिये साधन:** ब्रिक्स भारत और अन्य देशों को **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन, IMF** और **विश्व बैंक** जैसी **वैश्विक संस्थाओं में वर्तमान वैश्विक** वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने हेतु सुधार हेतु एक सामूहिक मंच प्रदान करता है ।
- **समावेशिता और वैश्विक सहभागिता:** नए देशों को शामिल करना, जिनमें से कई **विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं** (**इथियोपिया** और **ईरान को छोड़कर**), समूह के **अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करने और गैर-पश्चिमी देशों** के व्यापक गठबंधन को शामिल करने के प्रयास को दर्शाता है।
- **उभरता हुआ राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन:** ब्रिक्स को तेज़ी से **G7 के प्रति संतुलन और G20 में एक उभरती हुई शक्ति** के रूप में देखा जा रहा है, जो **घटते पश्चिमी प्रभाव** के बीच **असमानता और कम प्रतिनिधित्व** जैसे **आर्थिक और राजनीतिक** मुद्दों को संबोधित कर रहा है।

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में ब्रिक्स की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **स्थायी मुख्यालय और सचिवालय का अभाव:** ब्रिक्स (BRICS) के पास कोई स्थायी मुख्यालय या समर्पित सचिवालय नहीं है, जिससे इसका संस्थागत ढाँचा कमज़ोर होता है। स्थायी ढाँचे की कमी के कारण **निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी और असंगठित** हो जाती है।
- **भूराजनीतिक विरोधाभास:** ब्रिक्स में निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर होते हैं, लेकिन इसका विस्तार इस प्रक्रिया को जटिल बनाता है। यूएई और मिस्र जैसे देशों के अमेरिका से गठबंधन तथा ईरान का टकराववादी रुख इन विरोधाभासों के कारण **ब्रिक्स NAM और G77** जैसे अप्रभावी मंच बन जाने का जोखिम उठाता है।
- **कमज़ोर होती ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएँ और अप्रयुक्त क्षमता: चीन की आर्थिक सुस्ती** (वर्ष 2023 में 5.2% से घटकर वर्ष 2024 में **4.6% और 2028 तक 3.4%** अनुमान) तथा **रूस का युद्ध व प्रतिबंधों के कारण पतन** ब्रिक्स की **वैश्विक आर्थिक परिवर्तन लाने की क्षमता को कमज़ोर** करते हैं।
  - हालाँकि ब्रिक्स का **वैश्विक व्यापार में 18% से अधिक योगदान** है, लेकिन **आंतरिक ब्रिक्स व्यापार (Intra-BRICS Trade)** वर्ष 2022 में **सिर्फ 2.2%** ही रहा। प्रस्तावित BRICS **क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CrRA)** भी सर्वसम्मति की कमी के कारण अस्तित्व में नहीं आ सकी, जिससे संस्थागत निष्क्रियता उजागर होती है।
- **वैश्विक संस्थाओं पर सीमित प्रभाव:** BRICS+ देशों के पास IBRD (विश्व बैंक) में केवल 19% मतदान शक्ति है, जबकि **G7 देशों के पास 40%** है। इससे **BRICS+** की वैश्विक वित्तीय नीतियों पर पकड़ सीमित हो जाती है।
  - **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)** के पास **विश्व बैंक, IMF या AIIB** के मुकाबले **पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं** हैं।
- **धीमी डॉलरीकरण की प्रक्रिया:** हालाँकि **ईरान, रूस और चीन** आपसी व्यापार में अपनी स्थानीय मुद्राओं का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन **डॉलर के विकल्प के प्रयास** अब भी असंगत हैं। हालिया विस्तार के बाद **साझा BRICS+ मुद्रा** की संभावना कमज़ोर हो गई है।

ब्रिक्स अपनी संस्थागत क्षमता और नेतृत्व की भूमिका कैसे बढ़ा सकता है?

- **संस्थागत सुधार:** एक **स्थायी ब्रिक्स सचिवालय की स्थापना करना, राजनीतिक मुद्दों पर आम सहमति** बनाए रखते हुए आर्थिक मामलों पर **भारित मतदान** के साथ निर्णय लेने का विस्तार करना तथा **रणनीतिक फोकस और वैश्विक विश्वसनीयता** बनाए रखने के लिये **GDP** और **आर्थिक स्थिरता** जैसे स्पष्ट मानदंडों के साथ **नए सदस्य एकीकरण को औपचारिक रूप देना।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- **वित्तीय एकीकरण: वैकल्पिक स्विफ्ट प्रणालियों** को बढ़ावा देना, **NDB ऋण का** विस्तार करने के लिये **ब्रिक्स+ विकास बैंक 2.0 का शुभारंभ करना** तथा सदस्यों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने के लिये **ब्रिक्स+ मुक्त व्यापार समझौता (FTA)** स्थापित करना।
- **भू-राजनीतिक सहयोग: वैश्विक शासन पर एकीकृत रुख** अपनाना जैसे, **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, विश्व व्यापार संगठन पुनर्गठन, आतंकवाद-विरोध** पर **ब्रिक्स+ सुरक्षा वार्ता को मज़बूत करना** तथा **तटस्थ मंच** के माध्यम से **संघर्ष समाधान को बढ़ावा देना।**
- **नवाचार साझेदारी: पश्चिमी निर्भरता** को कम करने और संसाधनों को एकत्रित करके **अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा** में सहयोग बढ़ाने के लिये AI, अर्द्धचालक और हरित तकनीक में संयुक्त **अनुसंधान एवं विकास हेतु ब्रिक्स+ डिजिटल गठबंधन** का गठन करना।
- **सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक आदान-प्रदान: छात्र** के लिये **ब्रिक्स+ विश्वविद्यालय नेटवर्क** की स्थापना करना तथा **लोगों के बीच संबंधों** को मज़बूत करने हेतु **वीजा-मुक्त ब्लॉकों** के माध्यम से **पर्यटन** को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

संस्थागत सुधारों, वित्तीय एकीकरण और रणनीतिक एकता के साथ **ब्रिक्स (BRICS) एक सशक्त गठबंधन** बन सकता है, जो **वैश्विक दक्षिण (Global South)** की प्रभावशाली प्रतिनिधि शक्ति के रूप में उभरे। यदि यह संगठन भीतरी विरोधाभासों को दूर करता है और सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है तो यह पश्चिम-प्रधान वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देते हुए समावेशी विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। भारत की वर्ष 2026 में अध्यक्षता इस दिशा में इस दृष्टिकोण को आकार देने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. वैश्विक दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार लाने में ब्रिक्स की भूमिका की आलोचनात्मक जाँच कीजिये।

भारत-अर्जेंटीना संबंध

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने **75 वर्ष के राजनयिक संबंधों** और **5 वर्ष की सामरिक साझेदारी** के उपलक्ष्य में **57 वर्षों** में पहली बार अर्जेंटीना का दौरा किया।

- भारत की बढ़ती वैश्विक प्रमुखता और द्विपक्षीय संबंधों की मज़बूती को मान्यता देते हुए उन्हें **"ब्यूनस आयर्स शहर" से सम्मानित किया गया।**

अर्जेंटीना:

- **राजधानी:** ब्यूनस आयर्स
- **स्थान: दक्षिणी दक्षिण अमेरिका**, विश्व स्तर पर **8वाँ सबसे बड़ा देश (क्षेत्रवार)** और दक्षिण अमेरिका में **दूसरा सबसे बड़ा देश (ब्राज़ील के बाद)।**
  - इसकी सीमा **चिली** (पश्चिम/दक्षिण), **बोलीविया तथा पैराग्वे** (उत्तर), **ब्राज़ील (उत्तरपूर्व), उरुग्वे और अटलांटिक महासागर** (पूर्व) से लगती है।
- **स्थलाकृति:** 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित, **एंडी पर्वत** (सबसे ऊँची चोटी **सेरो एकॉनकागुआ के साथ**), **उत्तरी क्षेत्र, पम्पास** (कृषि हृदयभूमि) और **पैटागोनिया** (दक्षिण)।
- **अर्थव्यवस्था:** संसाधन संपन्न, **कुशल कार्यबल के साथ औद्योगिक अर्थव्यवस्था**, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना यात्रा: मुख्य बिंदु

- **सामरिक और आर्थिक जुड़ाव:** भारत और अर्जेंटीना ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिये **भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA)** का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।
  - फोकस क्षेत्रों में **व्यापार विविधीकरण, प्राथमिक वस्तुओं** पर निर्भरता कम करना और **उभरते क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना** शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **ऊर्जा सुरक्षा और महत्त्वपूर्ण खनिज सहयोग:** दोनों राष्ट्रों ने अर्जेंटीना के **दूसरे सबसे बड़े शेल गैस** और **चौथे सबसे बड़े शेल तेल** भंडार का लाभ उठाते हुए **शेल ऊर्जा सहयोग के लिये प्रतिबद्धता जताई।**
  - भारत ने अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **ONGC विदेश** और **अर्जेंटीना की सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी YPF के तहत तेल एवं गैस सहयोग** बढ़ाने में भी रुचि दिखाई।
- **रक्षा एवं डिजिटल सहयोग: भारत और अर्जेंटीना ने सह-विकास और तकनीकी हस्तांतरण** के माध्यम से **रक्षा विनिर्माण को** बढ़ावा देने तथा **UPI, टेलीमेडिसिन** और **डिजिटल स्वास्थ्य** जैसे भारत के **डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को अपनाने का विस्तार करने**, रणनीतिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
- **साझा लोकतांत्रिक मूल्य और सॉफ्ट पावर कूटनीति:** दोनों नेताओं ने **लोकतांत्रिक मूल्यों, दक्षिण-दक्षिण सहयोग** और **बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की।**
  - **प्रधानमंत्री द्वारा जनरल सैन मार्टिन (अर्जेंटीना के राजनेता और राष्ट्रीय नायक) की प्रतिमा** का दौरा, **दोनों देशों के लोगों के बीच** मजबूत संबंधों और **लैटिन अमेरिका** में भारत की बढ़ती **सॉफ्ट पावर का प्रतीक है।**

भारत और अर्जेंटीना के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं?

- **राजनीतिक संबंध:** भारत ने **वर्ष 1949 में ब्यूनस आयर्स में अपना दूतावास स्थापित** किया, वहीं **अर्जेंटीना ने वर्ष 2009 में मुंबई में अपना महावाणिज्य दूतावास खोलकर** द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दी।
  - **वर्ष 2024 में भारत और अर्जेंटीना ने अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगाँठ** मनाई। **फरवरी 2019 में अर्जेंटीना** के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बाद, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक विस्तारित किया गया, जिससे सहयोग के नए आयाम स्थापित हुए।
  - भारत और अर्जेंटीना के बीच **मज़बूत लोकतांत्रिक संबंध हैं जो साझा मूल्यों** एवं **आपसी सम्मान** पर आधारित हैं।
- **आर्थिक सहयोग:** वर्ष **2024 में भारत और अर्जेंटीना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया**, जिसमें वर्ष **2025 में 53.9% की उल्लेखनीय वृद्धि** का अनुमान है। **भारत, अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** बन चुका है। व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने में भारत-अर्जेंटीना व्यापार परिषद (IABC) एक महत्त्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभा रही है।
  - **भारत से प्रमुख निर्यात:** पेट्रोलियम उत्पाद, कृषि रसायन, वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स
  - **भारत में प्रमुख आयात:** सोयाबीन तेल, चमड़ा और अनाज।
  - **भारत-मर्कोसुर PTA भारत** और **मर्कोसुर** ब्लॉक (1991 में स्थापित एक लैटिन अमेरिकी व्यापार ब्लॉक) के बीच वर्ष **2004 में हस्ताक्षरित और वर्ष 2009** से लागू एक व्यापार समझौता है।
    - यह पहल **द्विपक्षीय व्यापार को** प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कुछ प्रमुख वस्तुओं पर **टैरिफ रियायतें प्रदान करती है और भारत-अर्जेंटीना के बीच आर्थिक सहयोग को सुदृढ़** करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जो आगे चलकर संभावित **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
- **ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण खनिज: लिथियम त्रिभुज** का हिस्सा अर्जेंटीना, भारत के **स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिये महत्त्वपूर्ण लिथियम, ताँबा** और **दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों की** आपूर्ति करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी **काबिल ने अर्जेंटीना** में रणनीतिक **लिथियम अन्वेषण और खनन अधिकार प्राप्त किये** हैं। यह पहल **भारत की संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने** के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये विदेशी निर्भरता को भी कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों में **एचएएल-अर्जेंटीना वायु सेना सहयोग** (रक्षा) और **हेवी वाटर बोर्ड-न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक कंपनी** साझेदारी (परमाणु ऊर्जा) शामिल हैं।

- **तकनीकी और विकास सहयोग:** **भारत ने** ITEC छात्रवृत्ति, **ICCR कार्यक्रमों** और **क्षमता निर्माण पहलों** के माध्यम से अर्जेंटीना के साथ विकास सहयोग को मज़बूत किया है।
  - सी-डैक के सहयोग से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हर्लिंगम में स्थापित भारत-अर्जेंटीना IT उत्कृष्टता केंद्र (IA-CEIT) कौशल विकास को बढ़ावा देता है।
  - **अर्जेंटीना ने इसरो के उन्नति कार्यक्रम और IIT कानपुर** में अंतरिक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भी भाग लिया है।
- **सांस्कृतिक एवं मूल्य-आधारित संबंध:** भारत और अर्जेंटीना के बीच **मज़बूत सांस्कृतिक जुड़ाव तथा समान लोकतांत्रिक मूल्यों** की साझेदारी है, जो **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को साझा प्रयासों** एवं आपसी सहयोग के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ बनाती है।
  - अर्जेंटीना में **भारतीय सांस्कृतिक संस्थानों** (आर्ट ऑफ लिविंग, इस्कॉन आदि) की मज़बूत उपस्थिति है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY)**, **आयुर्वेद दिवस** और **गांधी@150** जैसे आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं।
  - **टैगोर@160** जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से **साहित्यिक और बौद्धिक संबंधों** को भी मनाया गया।

नोट:

- प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1968 में अपने दक्षिण अमेरिका दौरे के दौरान अर्जेंटीना का दौरा किया और वहाँ की प्रसिद्ध बौद्धिक लेखिका **विक्टोरिया ओकाम्पो** से **मुलाकात** की। इस अवसर पर उन्हें **रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वभारती विश्वविद्यालय** की ओर से **मानद डॉक्टरेट की उपाधि** प्रदान की गई।
- **रवींद्रनाथ टैगोर वर्ष 1924 में** पेरू की यात्रा के दौरान **ब्यूनस आयर्स** में बीमार पड़ गए थे और उनका स्वागत अर्जेंटीना की बौद्धिक लेखिका विक्टोरिया ओकाम्पो ने किया था।
  - उन्होंने **'पूरबी'** की रचना की और उसे **उन्हें समर्पित** किया।
  - इस मुलाकात से एक स्थायी सांस्कृतिक बंधन स्थापित हुआ और ओकाम्पो ने अपनी पत्रिका ***सुर*** के माध्यम से भारतीय विचारों को बढ़ावा दिया, जिससे अर्जेंटीना की **भारतीय संगीत, नृत्य, योग तथा अध्यात्म** में रुचि और गहरी हुई।

भारत और लैटिन अमेरिका के बीच हालिया वर्षों में संबंध किस प्रकार विकसित हुए?

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** भारत **लैटिन-अमेरिका के साथ लंबे समय से सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से जुड़ा** रहा है, जिसका प्रमाण **पांडुरंग खानखोजे जैसी हस्तियों से मिलता** है, जिन्होंने **मैक्सिको में कृषि क्षेत्र में योगदान** दिया और **एम.एन. रॉय** जैसे विचारकों से, जो भारतीय एवं मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना से जुड़े रहे।
  - **वर्ष 1961 में प्रधानमंत्री नेहरू की मैक्सिको यात्रा** और **वर्ष 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा आठ लैटिन अमेरिकी तथा कैरेबियाई (LAC) देशों की यात्रा** ने भारत एवं LAC देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को औपचारिक रूप प्रदान किया, जिससे इन संबंधों की कूटनीतिक आधारशिला रखी गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (ब्राज़ील, 2014)** में भारत की भागीदारी ने इस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहुँच का पुनर्निर्माण भी किया।
- भारत ने **वर्ष 1997 में 'फोकस एलएसी' कार्यक्रम** की शुरुआत की और द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **सात लैटिन अमेरिकी तथा कैरेबियाई (LAC) देशों के साथ व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किये।**

- **अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य:**
  - **व्यापार आँकड़े:** भारत-एलएसी व्यापार वर्ष **2023 में 43.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया** और वर्ष **2027 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।**
  - **व्यापारिक साझेदार: ब्राज़ील** (शीर्ष), **मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना।**
  - **रणनीतिक आर्थिक अनुकूलता:** लैटिन अमेरिका को भारत के लिये एक **"गोल्डीलॉक्स ज़ोन" के रूप में माना जाता है,** जो **एक ओर अमेरिका और यूरोप जैसे सख्त नियमों वाले बाज़ारों** एवं दूसरी ओर अफ्रीकी बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा की अपेक्षाकृत कम तीव्रता के बीच संतुलित अवसर प्रदान करता है।
  - **PTA पर हस्ताक्षर:** भारत ने **चिली और मर्कोसुर समूह** के साथ **अधिमान्य व्यापार समझौतों (PTA) पर हस्ताक्षर किये** हैं, जबकि मर्कोसुर अब एक **एकीकृत साझा बाज़ार की दिशा में अग्रसर** है।
- **राजनीतिक और व्यावसायिक सहयोग: लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र (LAC)** की **विदेश नीति दृष्टिकोण** में एक नई सक्रियता तथा पुनर्संयोजन देखा जा रहा है।
  - **अप्रैल 2023** में **भारत के विदेश मंत्री ने गुयाना, पनामा, कोलंबिया** और **डोमिनिकन गणराज्य** की **पहली आधिकारिक यात्रा** की।
  - **ब्राज़ील,** लैटिन अमेरिका में **भारत का प्रमुख रणनीतिक साझेदार** रहा है, जो **ब्रिक्स, IBSA (भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका)** और **जी-20** जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय तथा घनिष्ठ सहयोग प्रदान करता है।
  - दोनों क्षेत्र संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति के सिद्धांत पर **समान दृष्टिकोण** रखते हैं। भारत की नीति लैटिन अमेरिका की **सक्रिय गुटनिरपेक्षता (NN)** के रुख के साथ मेल खाती है, जिसकी झलक **रूस-यूक्रेन संघर्ष** जैसे **वैश्विक मुद्दों पर साझा और संतुलित दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप** से दिखाई देती है।
- **सांस्कृतिक संबंध: महात्मा गांधी की अहिंसा की विरासत** लैटिन अमेरिका में समुद्री तट पर स्थित है।
  - महात्मा गांधी के दर्शन को लैटिन अमेरिका में नागरिक समाज संस्थाओं, विशेषकर **ब्राज़ील की 'पलास एथेनास' संस्था द्वारा सक्रिय रूप से प्रसारित किया जाता है,** जिससे भारत और इस क्षेत्र के बीच साझा **नैतिक तथा शैक्षिक मूल्यों की आधारशिला और अधिक सुदृढ़** होती है।

निष्कर्ष

भारत-अर्जेंटीना संबंध अब एक पारंपरिक **राष्ट्र-से-राष्ट्र साझेदारी से आगे बढ़कर बहु-आयामी सहयोग में** बदल रहे हैं। **ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष और व्यापार** जैसे क्षेत्रों में जन-स्तरीय सहभागिता तथा साझा वैश्विक दक्षिण दृष्टिकोण के साथ, यह साझेदारी 21वीं सदी में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरने की क्षमता रखती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत की वैश्विक पहुँच रणनीति के परिप्रेक्ष्य में भारत-अर्जेंटीना स्टॉक एक्सचेंज सहयोग को सशक्त बनाने की संभावनाओं और अवसरों का मूल्यांकन कीजिये।

भारत-नामीबिया संबंध और अफ्रीका

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने **नामीबिया की राजकीय यात्रा** की (जो कि **27 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा** थी), नामीबियाई संसद को संबोधित किया और इस बात की पुन: पुष्टि की कि **भारत तथा अफ्रीका की साझेदारी** वर्चस्व पर नहीं, बल्कि **संवाद पर आधारित** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- उन्हें नामीबिया का **सर्वोच्च नागरिक सम्मान *"ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस"*** भी प्रदान किया गया, जिससे वे **यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अभिकर्त्ता** बन गए।
- नामीबिया ने **आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)** और **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन** में शामिल होने के लिये **स्वीकृति-पत्र** सौंपे तथा वह **UPI तकनीक को अपनाने के लिये लाइसेंसिंग समझौता करने वाला विश्व का पहला देश** बन गया।

नामिबिया

- **भौगोलिक स्थिति:** नामीबिया एक **दक्षिणी अफ्रीकी देश** है, जिसकी **पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर** से बनती है।
  - इसकी **उत्तरी सीमा अंगोला और ज़ाम्बिया** से लगती है, जबकि **पूर्व में बोत्सवाना** स्थित है और **पूर्व तथा दक्षिण दोनों दिशाओं में दक्षिण अफ्रीका** इसकी सीमा से जुड़ा हुआ है।
- **जलवायु:** नामीबिया को **उप-सहारा अफ्रीका का सबसे शुष्क राष्ट्र** माना जाता है। यहाँ कई प्रमुख रेगिस्तानों हैं, जिनमें **नामीब, कालाहारी, सक्युलेंट करू** और **नामा करू** शामिल हैं।
- **औपनिवेशिक इतिहास:** वर्ष **1884 में जर्मन साम्राज्य** ने इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर **औपनिवेशिक शासन स्थापित किया** और इसका नाम **जर्मन दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका** रखा।
- **प्रमुख नदियाँ: ज़ाम्बेज़ी, ओकावांगो** और **कुनेने** नामीबिया की प्रमुख नदियाँ हैं।

वेल्वित्चिया मिराबिलिस

- **परिचय: वेल्वित्चिया मिराबिलिस** (नामीबिया का राष्ट्रीय पौधा) एक **दुर्लभ और प्राचीन पौधा** है, जो मुख्यत: **नामीब रेगिस्तान (नामीबिया और दक्षिणी अंगोला)** में पाया जाता है। इसे इसकी **अद्भुत दीर्घायु और अनोखी विशेषताओं** के कारण प्राय: '**जीवित जीवाश्म**' (Living Fossil) कहा जाता है।
  - **नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान *ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस*** का नाम इसी पौधे के नाम पर रखा गया है।
- **स्वरूप:** इस पौधे में केवल **दो चौड़ी पत्तियाँ** होती हैं, जो निरंतर बढ़ती रहती हैं। ये **पत्तियाँ समय के साथ जीर्ण-शीर्ण हो** जाती हैं, लेकिन कभी गिरती नहीं हैं। इसका एक **काष्ठीय तना (लकड़ी जैसा तना)** और **गहरी मुख्य जड़ (टैपरूट)** इसे **शुष्क परिस्थितियों को सहन करने में सहायता करती** है।
- **दीर्घकालिकता:** इसके कुछ नमूने **1,500 वर्ष से भी अधिक पुराने** हैं, जिससे यह **विश्व के सबसे पुराने पौधों** में शामिल होता है।
- **पर्यावास:** यह केवल **नामीब रेगिस्तान** में पाया जाता है और **वर्षा की अत्यधिक कमी** के कारण नमी के लिये मुख्य रूप से **अटलांटिक महासागर से आने वाली धुँध (कोहरा)** पर निर्भर रहता है।
  - रेगिस्तान में रहने वाले कई जानवर, जैसे कि **ज़ेब्रा, ओरिक्स** और **ब्लैक राइनोसेरस, वेल्वित्चिया** की पत्तियों को **जल के एक आवश्यक स्रोत** के रूप में खाते हैं।

भारत-नामीबिया संबंधों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **ऐतिहासिक और राजनीतिक संबंध:** भारत वर्ष 1946 में **संयुक्त राष्ट्र** में नामीबिया की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाने वाले पहले देशों में से एक था, जिसने दक्षिण पश्चिम अफ्रीका **पीपुल्स ऑर्गनाइज़ेशन** (SWAPO ने नामीबिया के मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया) को भौतिक और राजनयिक समर्थन दिया।
  - भारत और नामीबिया के बीच **पूर्ण राजनयिक संबंध वर्ष 1990 में स्थापित हुए** तथा **नामीबिया ने मार्च 1994 में नई दिल्ली में अपना दूतावास (स्थायी मिशन)** शुरू किया।
- **चीता स्थानांतरण परियोजना:** वर्ष **2022 में नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया**, जो कि **किसी प्रमुख मांसाहारी प्रजाति का विश्व का पहला अंतर-महाद्वीपीय स्थानांतरण** था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **क्षमता निर्माण एवं रक्षा सहयोग:** भारत, **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC)** के तहत नामीबियाई नागरिकों को **छात्रवृत्तियाँ** प्रदान करता है, साथ ही उन्हें **प्रतिवर्ष रक्षा प्रशिक्षण के अवसर** भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
  - **वर्ष 1996 से, भारतीय वायु सेना (IAF)** की एक तकनीकी टीम **नामीबियाई वायु सेना के हेलीकॉप्टर पायलटों को प्रशिक्षण** दे रही है और भारत ने **2 चेतक तथा 2 चीता हेलीकॉप्टर** भी नामीबिया को प्रदान किये हैं।
- **विकास सहायता: विकास सहायता:** भारत ने **नामीबिया को 30,000 कोविशील्ड खुराकें** प्रदान कीं और वहाँ **भारत-नामीबिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (INCEIT)** तथा **यूनिवर्सिटी ऑफ नामीबिया में 'इंडिया विंग'** की स्थापना की।
- **आर्थिक संबंध:** वर्ष **2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 568.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर** रहा। प्रमुख क्षेत्रों में **खनन, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य और व्यापार** शामिल हैं।
  - भारत और **दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU)** के बीच **अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA)** पर बातचीत जारी है, जिसमें **नामीबिया समन्वयक** की भूमिका निभा रहा है।
- **नामीबिया में भारतीय समुदाय:** नामीबिया में लगभग **450 भारतीय/अनिवासी भारतीय (NRI)/भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)** रहते हैं। **इंडिया-नामीबिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (INCCI)** और **इंडिया-नामीबिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन (INFA)** जो क्रमशः वर्ष **2016 तथा 2020 में स्थापित** हुए व्यापार व समुदाय से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

अफ्रीका भारत के लिये रणनीतिक रूप से क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **भू-राजनीतिक और समुद्री सुरक्षा:** अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति **हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के चौराहे** पर है, जो **भारत के समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा** तथा **नौसेना प्रभाव बढ़ाने** के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - भारत का पहला **विदेशी नौसेना अड्डा (2024)** मॉरीशस में **नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति** के तहत स्थापित किया गया, जो **समुद्री मार्गों की रक्षा** और **समुद्री डकैती व आतंकवाद का मुकाबला** करने के प्रयासों को दर्शाता है।
- **उभरती आर्थिक शक्ति:** वर्ष **2022-23 में भारत-अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार 98 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया, जिसमें से **43 बिलियन अमेरिकी डॉलर खनन और खनिज क्षेत्रों** से जुड़े हैं।
  - **अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया (AfCFTA),** जो वर्ष 2021 से कार्यान्वित है, **1.4 अरब लोगों के एकल बाज़ार** का निर्माण करता है, जिससे **भारतीय निर्यात और निवेश** की संभावनाएँ बढ़ती हैं।
- **महत्त्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य** विश्व के **70% से अधिक कोबाल्ट** की आपूर्ति करता है, जो **इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और नवीकरणीय ऊर्जा** के लिये आवश्यक है।
  - **नाइजीरिया और अंगोला,** भारत की **ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने** में सहायता करते हैं और वैश्विक आपूर्ति अस्थिरता के बीच **भारत के कच्चे तेल आयात में अफ्रीका की हिस्सेदारी बढ़ रही** है।
- **राजनयिक प्रभाव:** भारत ने वर्ष **2023 में अफ्रीकी संघ** को **G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई,** जो एक **राजनयिक उपलब्धि** रही और अफ्रीका की **वैश्विक आर्थिक भूमिका** को मज़बूत किया।
  - **विश्व व्यापार संगठन में कोविड-19 वैक्सीन और कृषि के लिये बौद्धिक संपदा छूट पर संयुक्त प्रयास, न्यायसंगत वैश्विक शासन** के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं तथा **भारत की ग्लोबल साउथ में नेतृत्व भूमिका** को भी सुदृढ़ करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **भूराजनैतिक सहयोगी: अफ्रीका के 54 देश**, वैश्विक मंचों पर एक शक्तिशाली समूह बनाते हैं और भारत के लिये **एक प्रमुख भूराजनैतिक साझेदार** के रूप में उभर रहे हैं। **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** में प्रतिनिधित्व को लेकर **भारत और अफ्रीका एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।**
  - जैसे-जैसे वैश्विक शक्ति बदल रही है, **भारत-अफ्रीका** की मज़बूत साझेदारी चीन जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को संतुलित करने का कार्य कर रही है।
- **सशक्त प्रवासी समुदाय: 3 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोग अफ्रीका में रहते हैं**, जो **दोनों क्षेत्रों के बीच सेतु** का कार्य करते हैं और ऐतिहासिक रूप से **अफ्रीकी अर्थव्यवस्था में योगदान** देते आए हैं।
  - भारत इस संबंध को **प्रवासी भारतीय दिवस** जैसी पहलों के माध्यम से मज़बूत कर रहा है। **वर्ष 2019 के प्रवासी भारतीय दिवस** में **अफ्रीकी प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान** दिया गया ताकि **आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा** मिल सके।

भारत-अफ्रीका संबंधों को गहरा करने में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?

- **धीमी निवेश गतिविधि:** बढ़ते संबंधों के बावजूद, **जोखिम की धारणा, सीमित बाज़ार ज्ञान** और भारत के आर्थिक प्रभाव को सीमित करने वाली कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के कारण अफ्रीका में भारतीय निवेश चीन और पश्चिम से पीछे है।
- **भारतीय निर्यातों पर विश्वसनीयता की समस्या:** कुछ अफ्रीकी बाज़ारों में यह धारणा बनी हुई है कि **भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता** पश्चिमी या चीनी उत्पादों की तुलना में **कम** है, जिसका प्रभाव **औषधि और मशीनरी जैसे क्षेत्रों** पर पड़ता है।
  - **गाम्बिया में वर्ष 2022 में दूषित सिरप की घटना,** जिसके कारण **60 से अधिक बच्चों की मृत्यु हो गई,** ने भारत की प्रतिष्ठा और बाज़ार हिस्सेदारी को और अधिक नुकसान पहुँचाया।
- **राजनयिक असंतुलन:** भारत की अफ्रीका नीति की आलोचना होती है कि यह **पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका पर अधिक केंद्रित** है, जबकि **पश्चिमी अफ्रीका** जैसे अन्य क्षेत्रों को **नज़रअंदाज़ किया गया है**।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष **2022-23 में दक्षिण अफ्रीका का निर्यात 8.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया, जबकि **पश्चिमी अफ्रीका**, जिसकी **आर्थिक क्षमता** काफी है, अब भी **कम जुड़ाव** वाला क्षेत्र बना हुआ है।
- **जटिल सुरक्षा परिदृश्य: वर्ष 2020-2023 के बीच** 9 सैन्य तख्तापलट और सशस्त्र संघर्षों, कमज़ोर शासन प्रणाली और कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव के चलते अफ्रीका में भारत के साथ सुरक्षा तथा आर्थिक साझेदारी बाधित होती है।
- **संसाधन प्रतिस्पर्द्धा: अफ्रीकी तेल और गैस** को लेकर **भारत-चीन प्रतिस्पर्द्धा** ने तनाव बढ़ा दिया है, जिससे **कीमतें बढ़ती हैं** तथा **राजनयिक दबाव** बनता है, क्योंकि अफ्रीकी देश दोनों एशियाई शक्तियों के साथ **संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं**।
  - उदाहरण: वर्ष **2006 में भारत को अंगोला में तेल परिसंपत्तियों की बोली में चीन से हार** का सामना करना पड़ा था।

अफ्रीका के साथ संबंध मज़बूत करने के लिये भारत को क्या कदम उठाने चाहिये?

- **व्यापार ढाँचों का पुनर्गठन:** भारत को अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) के साथ आर्थिक साझेदारियाँ बनानी चाहिये, जिसके तहत **कॉफी, कोको और दुर्लभ खनिजों** को वरीयता प्राप्त पहुँच (भारतीय दवाओं और आईटी सेवाओं के लिये बढ़े हुए बाज़ार की पहुँच के बदले में) दी जा सकती है।
- **रणनीतिक वार्ता रूपरेखा: भारत को संयुक्त एजेंडा निर्धारित** करने तथा **खाद्य सुरक्षा** और **जलवायु समुत्थानशील** जैसी चुनौतियों पर **त्वरित प्रतिक्रिया** देने के लिये **वार्षिक भारत-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी मंच** की स्थापना करनी चाहिये।
- **नव-उपनिवेशवाद का सामना: भारत आर्थिक, राजनीतिक** और **तकनीकी आत्मनिर्भरता** को बढ़ावा देकर अफ्रीकी देशों को **नव-उपनिवेशवाद का मुकाबला करने** में मदद कर सकता है, उदाहरण के लिये, स्थानीय स्तर पर मुद्रा छापने के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- दक्षिण सूडान, तंजानिया और मॉरिटानिया जैसे 40 से अधिक अफ्रीकी देश ब्रिटेन, फ्राँस और जर्मनी में अपनी मुद्रा छापना जारी रखे हुए हैं।

- **नवाचार-संचालित क्षमता निर्माण:** भारत को प्रमुख अफ्रीकी देशों में **नवाचार केंद्र (Innovation Hubs) और अनुसंधान एवं विकास केंद्र (R&D Centers)** स्थापित करने चाहिये, जिनका ध्यान कृषि प्रौद्योगिकी (Agri-tech), नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रशासन और स्वास्थ्य सेवा पर हो। यह कार्य **IIT मद्रास ज़ांज़ीबार** (2023) मॉडल को आधार बनाकर किया जा सकता है।
- **सुरक्षा साझेदारी को गहरा करना:** भारत को **नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र** में **विशेष प्रशिक्षण** प्रदान करके, **खुफिया जानकारी साझा करने** और **साइबर सुरक्षा सहयोग का विस्तार** करके अफ्रीकी संघ सुरक्षा ढाँचे के साथ जुड़ाव को गहरा करना चाहिये।
- **अवसंरचना को प्रोत्साहन: भारत को सौर ऊर्जा, जल उपचार** और **डिजिटल कनेक्टिविटी** जैसी **उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को स्पष्ट समयसीमा** और **जवाबदेही** के साथ तेजी से आगे बढ़ाने के लिये **भारत-अफ्रीका अवसंरचना आयोग** की स्थापना करनी चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत-नामीबिया और भारत-अफ्रीका संबंध ऐतिहासिक एकजुटता, रणनीतिक सहयोग और साझा विकास लक्ष्यों की मज़बूत नींव को दर्शाते हैं। हालाँकि भारत की व्यापक अफ्रीका नीति आशाजनक है, लेकिन इसमें **निवेश की कमी, क्षेत्रीय असंतुलन** और **बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा** जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये **रणनीतिक पुनर्समीक्षा** की आवश्यकता है। **मज़बूत संवाद, नवाचार-आधारित क्षमता निर्माण** और **समावेशी व्यापार ढाँचे** भारत-अफ्रीका संबंधों को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

भारत-ब्राज़ील संबंधों के पाँच स्थायी स्तंभ

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने **ब्राज़ील की राजकीय यात्रा की, जहाँ दोनों देशों ने वर्ष 2006** में स्थापित **भारत-ब्राज़ील सामरिक साझेदारी को** और मज़बूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की तथा **पाँच प्राथमिकता वाले स्तंभों** पर केंद्रित द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

- भारत के प्रधानमंत्री को **ब्राज़ील का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान** "द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस" **से सम्मानित किया गया।**

नोट: भारत के प्रधानमंत्री **रियो डी जेनेरियो (ब्राज़ील) में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025** (6-7 जुलाई 2025) में भाग लेने के बाद **ब्रासीलिया (ब्राज़ील की राजधानी)** पहुँचे।

- **भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा** और वर्ष **2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी** करेगा।

भारत-ब्राज़ील द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिये किन पाँच प्राथमिकता स्तंभों पर सहमति बनी है?

- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग: भारत-ब्राज़ील ने रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करने के लिये वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा पारस्परिक संरक्षण** एवं **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद व अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने हेतु** समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
  - उन्होंने सूचना साझा करने के लिये **एक साइबर सुरक्षा संवाद (Cybersecurity Dialogue) भी शुरू किया।**
- **खाद्य एवं कृषि सुरक्षा: भारत और ब्राज़ील ने सतत् कृषि पर ठोस कार्रवाई** की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया तथा **कृषि उत्पादकता, पशु आनुवंशिकी** व **जैव प्रौद्योगिकी** में **संयुक्त अनुसंधान एवं विकास** की योजना के साथ **खाद्य पहुँच सुनिश्चित करने** पर जोर दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उन्होंने **खाद्य सुरक्षा को** प्रभावित करने वाली **व्यापार बाधाओं का विरोध किया** और **भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन** के लिये समर्थन की पुष्टि की।

- **ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई:** भारत-ब्राज़ील ने **परिवहन को कार्बन मुक्त करने** तथा **सतत् विकास को बढ़ावा देने** में सतत् **जैव ईंधन** एवं **फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के महत्त्व पर जोर दिया, साथ ही वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन** को मज़बूत करने का संकल्प लिया, जिसके **दोनों** देश **संस्थापक सदस्य** हैं।
    - **भारत ने ब्राज़ील की UNFCCC COP30 प्रेसीडेंसी (नवंबर 2025 में बेलेम, ब्राज़ील में आयोजित की जाएगी)** और **ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड (ब्राज़ील की एक पहल)** को भी समर्थन दिया।

- **डिजिटल परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकियाँ:** दोनों देश **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना**, **कृत्रिम बुद्धिमत्ता**, **क्वांटम प्रौद्योगिकियों**, **नवीकरणीय ऊर्जा** और **बाह्य अंतरिक्ष** जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिये **वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग पर संयुक्त आयोग की बैठक बुलाने पर सहमत** हुए।

- **रणनीतिक क्षेत्रों में औद्योगिक साझेदारी:** भारत और ब्राज़ील ने सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की, जिनमें **औषधि क्षेत्र, खनन और महत्त्वपूर्ण खनिज**, तथा **तेल एवं गैस** शामिल हैं।
    - दोनों देशों ने **गैर-शुल्क बाधाओं (Non-Tariff Barriers)** को दूर करने, **द्विपक्षीय निवेश सहयोग और सुविधा संधि (2020)** को शीघ्र लागू करने तथा **दोहरा कराधान बचाव संधि (2022)** में संशोधन हेतु प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही, **ब्राज़ील-भारत व्यापार परिषद** की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी को सशक्त किया जा सके।

भारत-ब्राज़ील संबंधों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **राजनीतिक और राजनयिक संबंध:** भारत और ब्राज़ील के बीच राजनयिक संबंध **वर्ष 1948** में स्थापित हुए थे। भारत की एक **दूतावास ब्राज़ीलिया** में तथा एक **कॉन्सुलेट जनरल साओ पाउलो** में स्थित है।
    - **वर्ष 2006 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी** ने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ और गहन बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** वर्ष 2024-25 में भारत-ब्राज़ील द्विपक्षीय व्यापार **12.2 अरब अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया। भारत के प्रमुख निर्यातों में **पेट्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, दवाएँ और इंजीनियरिंग उत्पाद** शामिल हैं, जबकि ब्राज़ील से भारत को **कच्चा तेल, सोया तेल, चीनी, सोना और लौह अयस्क** का निर्यात किया गया।
    - भारत ने ब्राज़ील में लगभग **6 अरब डॉलर** का निवेश किया है, जबकि ब्राज़ील का भारत में निवेश लगभग **1 अरब डॉलर** है।

- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** **वर्ष 2003 में रक्षा सहयोग समझौता** हुआ, जिसे **वर्ष 2006 में अनुमोदन** मिला। इसके तहत एक **संयुक्त रक्षा समिति (JDC)** की स्थापना की गई। **2+2 राजनीतिक-सैन्य वार्ता** की पहली बैठक वर्ष 2024 में आयोजित की गई थी।

- **अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सहयोग:** भारत ने **वर्ष 2021** में **ब्राज़ील के अमेज़ोनिया-1 उपग्रह** को लॉन्च किया साथ ही ब्राज़ील भारत के **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** में गहरी रुचि रखता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **ऊर्जा और जैव-ईंधन साझेदारी:** भारत और ब्राज़ील ने **वर्ष 2023 में ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस** की सह-स्थापना की। दोनों देश **तेल एवं गैस तथा जैव-ऊर्जा** पर **संयुक्त कार्य समूह** (Joint Working Groups) का संचालन करते हैं। ब्राज़ील ने **वर्ष 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA)** की पुष्टि की।
- **सांस्कृतिक और जन-से-जन संबंध:** भारत ने **मई 2011 में साओ पाउलो में लैटिन अमेरिका में अपना पहला सांस्कृतिक केंद्र** खोला। ब्राज़ील में **योग और आयुर्वेद** से जुड़ा एक जीवंत समुदाय मौजूद है।
  - भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या लगभग **4,000** है, जिसमें अधिकतर **पेशेवर और व्यापारी** शामिल हैं।

भारत-ब्राज़ील संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- **सीमित आर्थिक विविधता:** वर्ष **2024-25 में 12.2 अरब अमेरिकी डॉलर** का द्विपक्षीय व्यापार अपेक्षाकृत सीमित बना हुआ है। यह व्यापार **गैर-शुल्क बाधाओं** (जैसे सख्त स्वच्छता और पादप स्वच्छता मानदंडों) से बाधित होता है, जिससे **कृषि व्यापार** प्रभावित होता है।
  - **व्यापार मुख्यत:** कच्चे माल और परिष्कृत उत्पादों पर आधारित है — ब्राज़ील कच्चा माल निर्यात करता है, जिससे **भारत परिष्कृत उत्पाद, जिससे मूल्य-वर्द्धित व्यापार की संभावनाएँ** सीमित हो जाती हैं।
- **भौगोलिक दूरी: उच्च परिवहन लागत** और **लंबे शिपिंग मार्गों** के कारण व्यापार प्रतिस्पर्द्धा कम हो जाती है। इसके अलावा, **सीमित सीधी उड़ानें और कनेक्टिविटी की बाधाएँ** व्यापार, पर्यटन और जन-से-जन संपर्क में रुकावट उत्पन्न करती हैं।
- **कृषि और जैव ईंधन में प्रतिस्पर्द्धा:** भारत और ब्राज़ील **वैश्विक चीनी (शुगर) एवं इथेनॉल बाज़ारों** में प्रतिद्वंद्विता का सामना कर रहे हैं, जिससे सहयोग को लेकर प्रतिस्पर्द्धा बढ़ रही है, जबकि सब्सिडी नीतियों पर मतभेद, विशेष रूप से **विश्व व्यापार संगठन** में **भारतीय शुगर सब्सिडी** के प्रति ब्राज़ील के विरोध के कारण टकराव उत्पन्न हो रहा है।
- **सांस्कृतिक एवं जागरूकता अंतराल: सांस्कृतिक समझ अभी भी सीमित है,** जहाँ ब्राज़ील के लोग भारत को प्राय: **योग/आध्यात्म** से जोड़ते हैं, जबकि भारतीय ब्राज़ील को मुख्य रूप से **फुटबॉल/कार्निवाल** के माध्यम से देखते हैं। इन दोनों देशों के बीच **मीडिया और शैक्षणिक आदान-प्रदान** की कमी भी इस स्थिति को और बढ़ा देती है।
- **वैश्विक प्राथमिकताओं में अंतर:** भारत और ब्राज़ील की **क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ भिन्न** हैं — भारत का ध्यान **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र** पर केंद्रित है, जबकि **ब्राज़ील लैटिन अमेरिका** को प्राथमिकता देता है।
  - दोनों देशों को **बहुपक्षीय मंचों** पर भी समन्वय में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** और **जलवायु वार्ताओं** में, विशेष रूप से **कृषि सब्सिडी एवं कार्बन उत्सर्जन जैसे मुद्दों पर मतभेद।**

भारत-ब्राज़ील संबंधों को और किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है?

- **व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देना:** अगले **5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचाने के लिये व्यापारिक वस्तुओं में विविधता लाना और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करना आवश्यक है। इसके लिये **फार्मा, खाद्य सुरक्षा और कृषि मानकों** की पारस्परिक मान्यता को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - **भारतीय कंपनियों को ब्राज़ील में निवेश के लिये प्रोत्साहित करना** और अधिक **वस्तुओं एवं सेवाओं** को शामिल करने के लिये **भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA)** के विस्तार की संभावनाओं का पता लगाना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी में सुधार: शिपिंग लागत व समय को कम करने** के लिये भारत-ब्राज़ील समुद्री गलियारे स्थापित करना और **दिल्ली/मुंबई तथा साओ पाउलो** के बीच सीधी उड़ानें शुरू की जाएँ ताकि **पर्यटन एवं व्यापारिक संपर्क** को बढ़ावा मिल सके।
- **ऊर्जा और हरित साझेदारी को मज़बूत करना: ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस (GBA)** परियोजनाओं को बढ़ाकर और ब्राज़ील के गन्ना उद्योग के साथ भारत की इथेनॉल मिश्रण प्रौद्योगिकी को साझा करके **जैव ईंधन तथा इथेनॉल** पर सहयोग बढ़ाना।
    - भारत की **इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आवश्यकताओं** को पूरा करने के लिये **लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा** जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग किया जाए।
- **कृषि एवं खाद्य सुरक्षा संबंधों को गहरा करना:** भारत और ब्राज़ील को **GM फसलों** तथा **अनावृष्टि-प्रतिरोधी बीजों** के विकास में सहयोग करना चाहिये, साथ ही **ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों, शाकाहारी उत्पादों व तैयार-खाद्य (रेडी-टू-ईट) वस्तुओं** में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिये।
- **संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना:** संबंधों को मज़बूत करने के लिये प्रतिवर्ष **प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति शिखर सम्मेलन** आयोजित किये जाएँ, राज्य स्तर की साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिये **सिस्टर-सिटी समझौतों (जैसे मुंबई-रियो, बेंगलुरु-साओ पाउलो)** को प्रोत्साहित किया जाएँ और **थिंक टैंक सहयोग** के माध्यम से **ट्रैक-2 कूटनीति** को आगे बढ़ाया जाएँ।

निष्कर्ष

भारत और ब्राज़ील की रणनीतिक साझेदारी, जो पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, **व्यापारिक बाधाओं तथा लॉजिस्टिक अंतराल** जैसी चुनौतियों के बावजूद अपार संभावनाएँ रखती है। आर्थिक संबंधों को बढ़ाकर, तकनीकी सहयोग को सशक्त बनाकर और वैश्विक प्राथमिकताओं को समन्वित करके, दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख नेतृत्वकर्त्ता बन सकते हैं, जो एक बहुध्रुवीय विश्व में सतत् विकास तथा पारस्परिक समृद्धि को बढ़ावा देंगे।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. "भारत और ब्राज़ील के बीच रणनीतिक साझेदारी है, फिर भी द्विपक्षीय व्यापार क्षमता से कम है।" चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने के उपाय सुझाएँ।

The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान के माध्यम से राज्यों का सशक्तीकरण

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (NITI आयोग) ने अपनी रिपोर्ट **"राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) परिषदों सुदृढ़ बनाने की रूपरेखा"** में **राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों के वित्तपोषण और शासन प्रणाली में सुधार** की आवश्यकता पर बल दिया है।

भारत में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) परिषदों की भूमिका क्या है?

- **परिचय: विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI)** राष्ट्रीय विकास के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं, जिनमें **केंद्र और राज्य दोनों** के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
  - **केंद्र-राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भागीदारी** की शुरुआत वर्ष 1971 में भारत रत्न **श्री सी. सुब्रमण्यम** के नेतृत्व में **राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों (SSTC)** की स्थापना के साथ हुई थी।
  - प्रारंभ में यह परिषदें **कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल** में स्थापित की गई थीं। आज ये लगभग **सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** में कार्यरत हैं।
- **सहयोग:** राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा **राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (SSTP)** के तहत सहायता प्रदान की जाती है।
  - DST राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिवालयों को बजट सहायता** देता है। इसके अलावा, परिषदों को **राज्य सरकारों से भी वित्तीय सहयोग** प्राप्त होता है, यद्यपि यह राज्यों के अनुसार अलग-अलग होता है।
- **मुख्य भूमिकाएँ:** परिषदें प्रायः कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में **स्थानीय नवाचारों को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं।**
  - **विज्ञान-आधारित समाधान** तैयार करती हैं जो **संसाधनों के प्रबंधन, पर्यावरणीय सुधार** और **जनजीवन की गुणवत्ता** को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदें समाज के सभी वर्गों में **वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जागरूकता** को बढ़ावा देती हैं।

राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) परिषदों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **कोर अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता:** कई राज्य परिषदें केवल **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** से मिलने वाले मुख्य अनुदानों पर निर्भर रहती हैं और अन्य मंत्रालयों या एजेंसियों से परियोजना-आधारित अनुदान प्राप्त करने के लिये बहुत कम प्रयास करती हैं।
- **केंद्रीय वित्तीय सहायता की कमी:** विकेंद्रीकृत विज्ञान शासन के तहत कार्य करने के उद्देश्य से स्थापित परिषदों को केंद्र सरकार से बहुत कम धनराशि मिलती है।
  - उदाहरण के लिये, गुजरात राज्य **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद** के 300 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट में से **केंद्र से केवल 1.07 करोड़ रुपए** ही आते हैं। केरल के 150 करोड़ रुपए के मामले में **केंद्र (DST) का योगदान शून्य** था।
  - राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास में राज्यों का योगदान **केंद्र के 44% की तुलना में मात्र 6.7% है। सिक्किम और मिज़ोरम** जैसे छोटे राज्य विशेष रूप से सीमित बजट से प्रभावित हैं जो उनकी वैज्ञानिक प्रगति में बाधा बन रहा है।
- **उद्योग और संस्थागत संबंधों का अभाव:** राज्य परिषदों का **राज्य के उद्योगों,** सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSE) और **शैक्षणिक संस्थानों (IIT, IIM)** के साथ सहयोग बहुत सीमित है, जिससे **व्यावहारिक अनुसंधान एवं नवाचार** पर प्रभाव नहीं पड़ पाता।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **संसाधनों का अप्रभावी उपयोग:** विभिन्न राज्यों में **वित्तीय संसाधनों के उपयोग में असमानता और कार्यान्वयन की अक्षमता क्षेत्रीय असंतुलन** को दर्शाती है।
- **अनुसंधान उत्पादकता में पिछड़ापन:** भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आउटपुट का अधिकांश हिस्सा केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों से आता है, जबकि राज्य परिषदें उत्पादकता और प्रभाव में पीछे रह जाती हैं।
- **कुछ राज्यों में बजट में कटौती:** वर्ष 2023–24 से 2024–25 के बीच राज्य स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों (State S&T Councils) के बजट का तुलनात्मक विश्लेषण कुल 17.65% की वृद्धि दर्शाता है, जो राज्य स्तर पर निवेश में वृद्धि को दर्शाता है।
- हालाँकि, सिक्किम (-16.16%), तमिलनाडु (-4%), और उत्तराखंड (-5%) जैसे राज्यों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बजट में कटौती देखी गई है, जिससे वहाँ की वर्तमान और भविष्य की परियोजनाएँ प्रभावित हो रही हैं।
- **अनुकूलनशीलता का अभाव:** कई विज्ञान परिषदें तेज़ी से बदलते अनुसंधान एवं विकास (R&D) परिदृश्य के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं, जिससे उनकी योजनाएं और मॉडल पुराने और अप्रासंगिक होते जा रहे हैं।
- **कमज़ोर नेतृत्व:** अनेक परिषदों का नेतृत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के बजाय नौकरशाहों के हाथों में है। वैज्ञानिक नेतृत्व की इस कमी ने परिषदों की अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
- **स्टाफिंग संबंधी समस्याएँ:** इन परिषदों में कुशल कर्मियों की कमी है और बजट की सीमाओं के कारण कई पद रिक्त हैं। साथ ही, अधिकांश परिषदों में पूर्णकालिक वैज्ञानिक नेतृत्व का अभाव है, जिससे कार्यकुशलता में गिरावट और कर्मचारियों में मनोबल की कमी देखी जा रही है।

राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों की सफलता:

- **केरल:** केरल की राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने फेलोशिप कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है, **जिससे महिला वैज्ञानिकों को करियर ब्रेक के बाद** अनुसंधान में वापस लौटने में मदद मिली है।
  - राज्य प्रत्येक वर्ष **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहलों** के लिये **170 करोड़ रुपए से अधिक** का बजट आवंटित करता है, जो **अनुसंधान और विकास (R&D)** के प्रति उसकी **दृढ़ प्रतिबद्धता** को दर्शाता है।
- **तमिलनाडु:** तमिलनाडु **बौद्धिक संपदा (IP) पंजीकरण** में राष्ट्रीय अग्रणी बनकर उभरा है, जिसका श्रेय वहाँ के पेटेंट सूचना केंद्र (Patent Information Centre - PIC) को जाता है।
  - राज्य ने **पेटेंट फाइलिंग और GI पंजीकरण** में **पहला स्थान** तथा **औद्योगिक डिज़ाइन फाइलिंग** में **तीसरा स्थान** प्राप्त किया (भारतीय पेटेंट कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के अनुसार)।
  - बौद्धिक संपदा जागरूकता और प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण में इसके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये तमिलनाडु के PIC को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा **"राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2023 (विशेष विशेष प्रशस्ति पत्र)"** से सम्मानित किया गया।
- **पंजाब:** पंजाब की पराली प्रबंधन की नवाचारी पहल ने प्रदूषण को कम किया है तथा स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है।
  - इस पहल ने **रोज़गार के अवसर** भी उत्पन्न किए हैं और **पर्यावरण संरक्षण** में योगदान दिया है।
- **मिज़ोरम:** मिज़ोरम का **इनोवेशन फैसिलिटी सेंटर (IFC)** स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिये तकनीकी सहायता, संस्थागत समर्थन और IP फाइलिंग जैसी सेवाएँ प्रदान करता है।
  - इस केंद्र ने अब तक **82 नवाचार-संबंधी उत्पाद** और **93 गैर-नवाचार उत्पाद** विकसित किए हैं। IFC, **नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF)** और **NIT मिज़ोरम** जैसे संस्थानों के साथ मिलकर **समावेशी विकास** को बढ़ावा दे रहा है।
- **मणिपुर:** **राष्ट्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध मिशन** के साथ संरेखित मणिपुर की **सुगंधित पौध खेती परियोजना,** राज्य को प्राकृतिक सुगंध आधारित उत्पादों के लिये एक संभावित केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है।
  - यह पहल **स्थानीय किसानों के लिये रोज़गार, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा**, और **क्षेत्रीय आर्थिक विकास** में सहायक बनी है, जो दर्शाता है कि **स्थानीय वैज्ञानिक प्रयास सामाजिक-आर्थिक** प्रगति को गति दे सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

SSTCs को मज़बूत करने के लिये नीति आयोग द्वारा सुझाए गए प्रमुख सुधार क्या हैं?

- **वैज्ञानिक नेतृत्व:** नीति आयोग ने सिफारिश की है कि **परिषदों का नेतृत्व नौकरशाहों के बजाय पूर्णकालिक वैज्ञानिकों** को सौंपा जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि परिषदें ऐसे विशेषज्ञों द्वारा संचालित हों जो **वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार** को आगे बढ़ा सकें।
- **प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण:** नीति आयोग, बिना प्रदर्शन-आधारित अनुदानों के बजाय, **परिषदों के प्रदर्शन से जुड़े वित्तपोषण** का समर्थन करता है। इससे राज्यों को अपने अनुसंधान एवं विकास परिणामों में सुधार करने और खर्च किये गए प्रत्येक रुपए का अधिकतम लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।
  - राज्यों को नियमित और उन्नत गतिविधियों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product- GSDP) का कम-से-कम **0.5% विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आवंटित करना चाहिये।**
    - DST को छोटे पूर्वोत्तर और केंद्रशासित प्रदेशों की परिषदों को छोड़कर, **मुख्य अनुदानों के स्थान पर प्रदर्शन-आधारित परियोजना वित्तपोषण प्रदान करना** चाहिये। **परिषदों को अतिरिक्त वित्तपोषण के लिये DST से परे केंद्रीय मंत्रालयों की योजनाओं पर भी विचार करना** चाहिये।
  - **सुरक्षित नौकरियाँ और कॅरियर विकास:** वैज्ञानिक कर्मियों का मनोबल बढ़ाने और प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिये, रोडमैप में यह सुझाव दिया गया है कि राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों (State Science & Technology Councils- SSTC) परियोजनाओं से जुड़े शोधकर्त्ताओं को सुरक्षित, दीर्घकालिक नौकरियाँ प्रदान की जाएँ, जिनमें स्पष्ट कॅरियर प्रगति (Career Progression) भी निर्धारित हो।
  - **उद्योग और शैक्षणिक संबंधों को मज़बूत करना:** परिषदों, उद्योगों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच मज़बूत संबंध बनाना महत्त्वपूर्ण है।
    - इससे अनुसंधान और व्यावसायीकरण के बीच की खाई को पाटने में मदद मिलेगी, जिससे ऐसे नवाचार सामने आएंगे जिनसे समाज तथा अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होगा।
- **विज्ञान शहर और नवाचार केंद्र:** रोडमैप में **प्रत्येक राज्य में साइंस सिटी, तारामंडल और नवाचार केंद्र की स्थापना का आह्वान किया गया है।**
- **उदाहरण: अहमदाबाद स्थित गुजरात साइंस सिटी,** रोबोटिक्स गैलरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है, जो स्वास्थ्य सेवा, उद्योग और दैनिक जीवन में वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करता है।
  - ये उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे, जो स्थानीय वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिये अनुसंधान, शिक्षा एवं उद्योग को एक साथ लाएंगे।
- **STI सूचना प्रकोष्ठ:** परिषदों को राज्य-स्तरीय STI डेटा के प्रबंधन के लिये विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI) प्रकोष्ठों की स्थापना करनी चाहिये और सरकारी एजेंसियों के साथ संकेतक साझा करने हेतु नोडल बिंदु के रूप में कार्य करना चाहिये। ये प्रकोष्ठ साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण में सहायता करेंगे।
- **SSR और CSR प्रकोष्ठ:** परिषदों को स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने तथा वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये संस्थानों एवं हितधारकों से संसाधनों का समन्वय करके **वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (SSR) और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) प्रयासों का नेतृत्व** करना चाहिये।
- **राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली:** इन सुधारों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये, नीति आयोग एक राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव करता है जो राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों की प्रगति पर नज़र रखेगी और उन्हें उनके प्रदर्शन हेतु जवाबदेह बनाएगी।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में विकेंद्रीकृत वैज्ञानिक शासन को बढ़ावा देने में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इस अधिदेश को पूरा करने में उनके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

प्लास्टिक अपशिष्ट: लोक स्वास्थ्य के लिये खतरा

चर्चा में क्यों?

अध्ययनों के अनुसार मानव ऊतकों में खतरनाक मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक और अंतःस्रावी-विघटनकारी रसायन (Endocrine-disrupting Chemicals- EDC) पाए गए हैं। **विश्व में प्लास्टिक अपशिष्ट का सबसे बड़ा उत्पादक** होने की दृष्टि से भारत के समक्ष प्रजनन संबंधी समस्याओं, कैंसर और चिरकालिक रोगों से संबंधित लोक स्वास्थ्य के प्रति बढ़ता संकट विद्यमान है।

प्लास्टिक के माइक्रोप्लास्टिक और EDC मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

- **माइक्रोप्लास्टिक: माइक्रोप्लास्टिक 5 मिमी से छोटे** प्लास्टिक कण होते हैं, जो या तो साशय (प्राथमिक) या बड़े प्लास्टिक के विघटन से (द्वितीयक) बनते हैं।
  - **प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक्स** में **सौंदर्य प्रसाधनों** में पाए जाने वाले माइक्रोबीड्स **और वस्त्रों के रेशे** शामिल हैं।
  - **द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक** सूर्य प्रकाश और समुद्री लहरों के कारण प्लास्टिक अपशिष्ट के विघटन से उत्पन्न होते हैं।
  - **माइक्रोप्लास्टिक जैविक रूप से सक्रिय होते हैं और रक्त, फेफड़े, हृदय, प्लेसेंटा, स्तन दुग्ध, डिम्बग्रंथि कूपिक द्रव और वीर्य** में पाए गए हैं।
- **प्रभाव:**
  - **पुरुष:** इसके कारण शुक्राणुओं की संख्या में कमी, प्रभावित गतिशीलता, असामान्य आकारिकी और हार्मोनल असंतुलन की संभावना होती है।
  - **महिला:** मादा के डिंब पर प्रभाव, मासिक धर्म संबंधी समस्याएँ, गर्भपात का खतरा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) और एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याएँ।
- **अंतःस्रावी तंत्र को बाधित करने वाले रसायन:** EDC वे **प्राकृतिक या मानव निर्मित रसायन** हैं जो शरीर के हार्मोन अनुहारक हो सकते हैं, उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं या उनमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा हैं।
  - प्लास्टिक में प्रायः बिस्फेनॉल A (BPA) (पानी की बोतलों, खाद्य कंटेनरों में पाया जाता है), थैलेट्स जैसे DEHP और DBP (सौंदर्य प्रसाधनों, खिलौनों, आईवी ट्यूबों में) तथा PFAS (खाद्य पैकेजिंग, नॉन-स्टिक कुकवेयर में) जैसे EDC होते हैं।
  - **प्रभाव:** ये रसायन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोनों के अनुहारक होते हैं या उन्हें अवरुद्ध करते हैं, जिससे प्रजनन स्वास्थ्य और चयापचय क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है।
    - DEHP, BPA और थैलेट्स जैसे प्लास्टिक योजकों को **संभावित कैंसरकारी पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**
    - EDC कॉर्टिसोल का अनुहारक होकर और इंसुलिन प्रतिक्रिया को बाधित कर मोटापे, टाइप 2 मधुमेह, थायरॉयड विकारों और चयापचय सिंड्रोम का भी कारण बनते हैं।

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण संबंधी क्या चिंताएँ हैं?

- **बृहद एवं कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन:** वर्ष 2024 के **नेचर अध्ययन** के अनुसार, भारत से प्रतिवर्ष **9.3 मिलियन टन** प्लास्टिक प्रदूषण जनित होता है (5.8 मीट्रिक टन का दहन है और 3.5 मीट्रिक टन का पर्यावरण में उत्सर्जन), जिससे यह नाइजीरिया, इंडोनेशिया और चीन को पीछे छोड़ते हुए **विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषक बन गया।**
- **पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिये खतरा: खुले में अपशिष्ट का दहन,** निपटान का एक सामान्य तरीका है, जिससे विषाक्त प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है जो **वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं** और **श्वसन के माध्यम से स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होते हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- प्लास्टिक का मलबा नदियों और नालों को अवरुद्ध कर देता है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ का ख़तरा बढ़ जाता है और जलीय जैवविविधता के लिये खतरा उत्पन्न होता है।
- सिंगल-यूज़ प्लास्टिक सदियों तक बने रहते हैं, जिससे भूमि और महासागर प्रदूषित होते हैं और समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचता है। मुंबई जैसे शहरों में माइक्रोप्लास्टिक का उच्च जोखिम है, जबकि दिल्ली, जबलपुर और चेन्नई में पेयजल में फथलेट का स्तर निर्धारित सुरक्षित सीमा से अधिक है।
- **प्रदूषित क्षेत्रों में बच्चों को EDC के कारण समय पूर्व वय:संधि, अधिगम संबंधी समस्याओं और मोटापे** का खतरा बढ़ जाता है।

- **आर्थिक और कृषि प्रभाव:** यदि प्लास्टिक कचरे का संग्रहण जारी रहा तो भारत को वर्ष 2030 तक प्लास्टिक पैकेजिंग मूल्य में **133 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का नुकसान हो सकता है।
  - कृषि में प्लास्टिक के उपयोग और अनुपयुक्त अपशिष्ट जल उपचार से **मृदा में माइक्रोप्लास्टिक्स इसकी उर्वरता को प्रभावित करते हैं और खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुँचाते हैं।**
  - ई-कॉमर्स में हुए उल्लेखनीय विकास के कारण प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट में बढ़ोतरी हुई है, जिनमें से अधिकांश का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता।
- **अप्रभावी बुनियादी ढाँचा और नियामक निरीक्षण:** अपर्याप्त सैनिटरी लैंडफिल, स्रोत स्थल पर अपशिष्ट का अनुपयुक्त पृथक्करण और उन्नत रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण अपशिष्ट के प्रभावी प्रसंस्करण में बाधा उत्पन्न होती है।
  - **अनौपचारिक क्षेत्र के पुनर्चक्रणकर्त्ता,** यद्यपि महत्त्वपूर्ण हैं किंतु ये अनियमित रूप से कार्य करते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक ट्रैकिंग और पर्यावरण सुरक्षा में असंगतता उत्पन्न होती है।
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) जैसी नीतियों का प्रवर्तन असंगत और अपर्याप्त बना हुआ है।
  - सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (SUP) में वृद्धि, जो कुल प्लास्टिक कचरे का 43% है। विनियामक प्रतिबंधों के बावजूद, ऐसे प्लास्टिक की कम लागत और सरलता से उपलब्धता के कारण प्रवर्तन अप्रभावी बना हुआ है।
- **आँकड़ें और नीतिगत अंतराल:** दर्ज की गई आधिकारिक संग्रह दरें (95%) अवास्तविक हैं; वास्तविक दरें लगभग 81% है, जिससे प्रभावी नियोजन में बाधा उत्पन्न होती है।
- **ग्लोबल नॉर्थ-साउथ अंतराल:** प्रति व्यक्ति प्लास्‍्टिक उपयोग कम (0.12 किग्रा/दिन) होने के बावजूद, भारत की अनुपयुक्त निपटान प्रणाली के कारण बेहतर बुनियादी ढाँचे युक्त उच्च आय वाले देशों की तुलना में अधिक पर्यावरणीय प्रदूषण होता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित भारत की पहलें

- स्वच्छ भारत मिशन
- इंडिया प्लास्टिक पैक्ट
- प्रोजेक्ट रिप्लान
- अन-प्लास्टिक कलेक्टिव
- गोलिटर भागीदारी परियोजना

प्लास्टिक के बढ़ते खतरे से भारत किस प्रकार निपट सकता है?

- **माइक्रोप्लास्टिक फिल्टर प्रणालियाँ:** पर्यावरण और खाद्य शृंखला में प्लास्टिक संदूषण को कम करने के लिये **माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने** हेतु उन्नत जल उपचार प्रौद्योगिकियों में निवेश करना चाहिये।
  - राष्ट्रीय **प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल,** अपशिष्ट को अधिक प्रभावी ढंग से ट्रैक और मॉनिटर करने पर केंद्रित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **व्यवहार परिवर्तन और लोक जागरूकता:** नागरिकों को प्लास्टिक के खतरों के बारे में शिक्षित करने और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और मिशन LiFE के तहत राष्ट्रीय अभियान शुरू करना चाहिये।
  - स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को शामिल करने के साथ कम उम्र से ही ***कम-पुन: उपयोग-पुनर्चक्रण*** के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिये।
  - **पर्यावरण अनुकूल विकल्पों** (काँच, कपड़ा, जूट, बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर) के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- **जैव-निगरानी और लोक स्वास्थ्य निगरानी:** रक्त, मूत्र और दूध में EDC के स्तर का आकलन करने के क्रम में राष्ट्रीय **जैव-निगरानी कार्यक्रम** तथा **प्रजनन संबंधी समस्याओं, चयापचय संबंधी बीमारियों और कैंसर जैसे स्वास्थ्य परिणामों पर निगरानी संबंधी दीर्घकालिक अध्ययनों को वित्तपोषित** करने को महत्त्व देना चाहिये।
  - नीति निर्माण में प्लास्टिक प्रदूषण तथा लोक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों की नियमित निगरानी पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- **राजकोषीय उपाय और आर्थिक प्रोत्साहन: उत्पादन को सीमित** करने के क्रम में वर्जिन प्लास्टिक के उत्पादन और पैकेजिंग पर पर्यावरण कर या उपकर को बढ़ाना चाहिये।
  - पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग और प्लास्टिक विकल्पों में निवेश करने वाले उद्योगों को सब्सिडी और कर लाभ प्रदान करें।
- **मज़बूत विनियमन और प्रवर्तन:** भारत को **कम मात्रा वाले रासायनिक विषाक्तता** (जैसे EDC), माइक्रोप्लास्टिक संदूषण और बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की बढ़ती भेद्यता को दूर करने के लिये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को संशोधित करके **पाइप लाइन अपशिष्ट समाधान से आगे बढ़ना चाहिये।**
  - PWM नियम 2024 के तहत, **उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (PIBO)** को कानूनी रूप से प्लास्टिक पैकेजिंग को इकट्ठा करने और ज़िम्मेदारी से संसाधित करने की बाध्यता है, जिसमें खाद तथा जैवनिम्नीकरणीय/बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी शामिल हैं।
    - यद्यपि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की गई है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता मज़बूत कार्यान्वयन तथा सख्त निगरानी पर निर्भर करती है।
  - **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** के तहत हानिकारक प्लास्टिक योजकों को विषाक्त के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सामग्री-विशिष्ट लक्ष्यों, तीसरे पक्ष के ऑडिट और **प्लास्टिक क्रेडिट के माध्यम से पता लगाने की क्षमता के माध्यम से EPR तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिये।**
- **वैश्विक प्लास्टिक पहलों पर सहयोग: भारत को वैश्विक** स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिये ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये **संयुक्त राष्ट्र स्वच्छ समुद्र अभियान** जैसी वैश्विक पहलों के साथ जुड़ना चाहिये।

बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025

चर्चा में क्यों?

बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 62वाँ वार्षिक सत्र **जर्मनी के बॉन** में आयोजित किया गया। यह मध्य-वर्षीय बैठक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की 30वीं **कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP30)** से पहले महत्त्वपूर्ण जलवायु वार्ताओं के लिये मंच तैयार करती है, जो **ब्राज़ील के बेलेम में होगी।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या है?

- **परिचय: बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, UNFCCC** के तहत आयोजित एक मध्य-वर्षीय शिखर सम्मेलन है, जो वैश्विक जलवायु वार्ता का मार्गदर्शन करने वाली वर्ष 1992 की संधि है।
  - इस सम्मेलन को औपचारिक रूप से **सहायक निकायों का सत्र (Sessions of the Subsidiary Bodies - SB)** कहा जाता है और यह **COP** के साथ UNFCCC की दो नियमित बैठकों में से एक है।
  - यह सम्मेलन **सहायक निकायों के सदस्य, समितियाँ, स्वदेशी समूह, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैज्ञानिक** और **नागरिक समाज** को एक मंच पर लाता है, ताकि वे **कार्यान्वयन की समीक्षा, तकनीकी चर्चाएँ** तथा आगामी COP शिखर सम्मेलन के लिये **एजेंडा निर्धारण** कर सकें।
- **मुख्य घटक/प्रमुख भूमिका निभाने वाले निकाय:**
  - **कार्यान्वयन हेतु सहायक निकाय (Subsidiary Body for Implementation):** यह UNFCCC के अंतर्गत **जलवायु समझौतों के कार्यान्वयन की समीक्षा** और **तकनीकी एवं वित्तीय सहायता** (विशेषकर विकासशील देशों के लिये) को सुगम बनाता है।
  - **वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह हेतु सहायक निकाय (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice):** यह **जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)** जैसे संस्थानों से वैज्ञानिक इनपुट प्राप्त कर उन्हें जलवायु वार्ताकारों और नीति-निर्माताओं तक पहुँचाता है।

बॉन सम्मेलन 2025 से प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (Global Goal on Adaptation):** GGA के लिये **सूचकांकों** को परिष्कृत करने में कुछ प्रगति हुई, लेकिन **वित्तीय सहायता** और **कार्यान्वयन के साधनों (MoI)** को लेकर असहमति के कारण **सर्वसम्मति नहीं बन पाई**। **COP30** में 100 संभावित सूचकांकों की एक **ड्राफ्ट सूची** प्रस्तुत किये जाने की उम्मीद है।
  - **पेरिस समझौते (2015)** में पहली बार उल्लिखित **वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA)** का उद्देश्य **अनुकूलन क्षमता और जलवायु सहनशीलता** बढ़ाना है। हालाँकि दुबई में COP28 तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जहाँ GGA को परिभाषित करने और लागू करने के लिये एक रूपरेखा को अंततः अपनाया गया।
- **न्यायसंगत संक्रमण कार्य कार्यक्रम (Just Transition Work Programme):** बॉन सम्मेलन में JTWP पर महत्त्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली, जहाँ वार्ताकारों ने न्यायसंगत संक्रमण रणनीतियाँ साझा करने हेतु एक **'बेलेम एक्शन मेकैनिज़्म'** स्थापित करने पर सहमति जताई।
  - JTWP एक **UNFCCC पहल** है, जिसे **COP27** (2022) में **शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना** के तहत शुरू किया गया था।
    - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **पेरिस समझौते** के तहत की जाने वाली जलवायु कार्रवाइयाँ **न्यायसंगत, समानतापूर्ण** हों और **राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों** के अनुरूप हों। यह कार्यक्रम **सामाजिक, आर्थिक और श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभावों** को ध्यान में रखते हुए उन **श्रमिकों तथा समुदायों का समर्थन** करता है जो **जीवाश्म ईंधन से दूर होने की प्रक्रिया** में प्रभावित होते हैं।
- **राष्ट्रीय जलवायु योजनाएँ:** अधिकांश देशों ने **फरवरी 2025** की समय-सीमा तक अपने अद्यतन **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** प्रस्तुत नहीं किये, जिससे **वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास** धीमे हो गए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **ब्राज़ील** ने सभी देशों से आग्रह किया कि वे **सितंबर 2025** तक **और अधिक सशक्त NDC** प्रस्तुत करें ताकि 1.5°C के लक्ष्य के अनुरूप कार्य हो सके। हालाँकि वर्तमान में प्राप्त NDC **पर्याप्त नहीं हैं** और इससे तापमान वृद्धि **2°C के करीब** पहुँच सकती है।

- **जलवायु वित्त:** जलवायु वित्त को लेकर **विकासशील देशों (जैसे- भारत)** और विकसित देशों के बीच **तीव्र विवाद** हुए। विकासशील देशों ने **वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के वादे को पूरा करने की मांग की।
  - संपन्न देशों ने समाधान के रूप में निजी वित्त का सुझाव दिया, लेकिन आलोचकों ने तर्क दिया कि सार्वजनिक अनुदान आवश्यक था।
  - विकासशील देश वित्त-केंद्रित वार्ता को प्राथमिकता देते हैं और पेरिस समझौते के **अनुच्छेद 9.1** को शामिल करने पर ज़ोर देते हैं, जो **विकसित देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करने की बाध्यता** को स्पष्ट करता है।

- जलवायु नीति पहल (एक सलाहकार संगठन) के अनुसार, वैश्विक तापमान वृद्धि को पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रखने के लिये वैश्विक जलवायु वित्त को वर्ष 2030 **तक लगभग 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक प्रतिवर्ष तक बढ़ाना होगा।**

- **हानि एवं क्षति:** सम्मेलन में इस बात पर गौर किया गया कि **हानि एवं क्षति कोष के** लिये अभी भी पर्याप्त धनराशि नहीं है तथा केवल 768 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ही प्रावधान किया गया है, जो आवश्यक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से काफी कम है।
  - वादों के बावजूद, सरकारों ने अब तक 495 मिलियन अमेरीकी डॉलर के योगदान समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं और केवल 321 मिलियन अमेरीकी डॉलर का भुगतान किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान

- **परिचय:** NDC, पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन में कटौती और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये देश-विशिष्ट जलवायु कार्रवाई योजनाएँ हैं, जिनका प्रत्येक पाँच वर्ष में अद्यतन किया जाता है।
  - मौजूदा NDC, जो वर्ष 2020 में प्रस्तुत किये गए थे, वर्ष 2030 की अवधि से संबंधित हैं, जबकि वर्ष 2035 के लिये NDC फरवरी 2025 तक प्रस्तुत किये गए थे। वर्ष 2035 का राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) 2030 के लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिये, लेकिन प्रत्येक देश अपनी उपलब्ध संसाधनों और क्षमताओं के अनुसार अपनी प्रगति स्वयं तय करता है।

- **भारत और NDC:** भारत ने **वर्ष 2015 में अपना पहला राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत** किया, जिसमें निम्नलिखित दो मात्रात्मक लक्ष्य शामिल थे:
  - वर्ष 2005 के स्तर से **वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम** करना।
  - वर्ष **2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी** विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
  - अगस्त 2022 में भारत ने अपने NDC को अद्यतन किया, जिसमें वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता में 50% की कमी एवं वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से **अतिरिक्त 2.5-3 बिलियन टन कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा** गया।
  - **भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR-4) (2024)** के अनुसार, उत्सर्जन तीव्रता में **36% की कमी आई है, दिसंबर 2024 तक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता 47.10% तक पहुँच** गई है, और **2.29 बिलियन टन कार्बन सिंक का निर्माण** किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP)

UNFCCC Conference of Parties (COP)

परिचय:

- UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय
- प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है (जब तक कि पक्ष अन्यथा निर्णय न लें)
- बॉन, सचिवालय में आयोजित होता है (जब तक कि कोई पक्ष सत्र की मेज़बानी करने की पेशकश न करे)
- पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) - बर्लिन, जर्मनी में आयोजित (1995) हुआ

COP और उनके परिणाम

COP 3 (1997)
क्योटो, जापान
- क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया (विकसित देशों को उत्सर्जन लक्ष्य कम करने के लिये विधिक रूप से बाध्य किया)

COP 7 (2001)
मारकेश, मोरक्को
- मारकेश समझौते पर हस्ताक्षर (क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के लिये मंच तैयार)

COP 8 (2002)
नई दिल्ली, भारत
- दिल्ली घोषणा (अति निर्धन देशों के विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया)

COP 13 (2007)
बाली, इंडोनेशिया
- बाली रोड मैप और बाली एक्शन प्लान

COP 15 (2009)
कोपेनहेगन, डेनमार्क
- विकसित देशों ने 30 बिलियन डॉलर तक के फास्ट-स्टार्ट फाइनेंस (2010-12 के लिये) का वादा किया

COP 16 (2010)
कानकुन, मैक्सिको
- कानकुन समझौते पर हस्ताक्षर (क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के लिये मंच तैयार)

COP 18 (2012)
दोहा, कतर
- दिल्ली घोषणा (अति निर्धन देशों के विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया)

COP 19 (2013)
वारसॉ, पोलैंड
- बाली रोड मैप और बाली एक्शन प्लान

COP 21 (2015)
पेरिस, फ्रांस
- पेरिस समझौता (वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक समय से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे)
- अमीर देशों द्वारा जलवायु वित्त (वार्षिक $100 बिलियन फंडिंग प्रतिज्ञा)

COP 26 (2021)
ग्लासगो, यूके
- भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा की
- भारत ने कोयला आधारित विद्युत को "चरणबद्ध तरीके से कम करने" का आह्वान किया
- ग्लासगो ब्रेकथ्रू एजेंडा (41 देशों + भारत द्वारा)
- COP 27 (2022) - शर्म-अल-शेख (Sharm-el-Sheikh), मिस्र
- लॉस एंड डैमेज फंड
- पूर्व चेतावनी प्रणालियों के लिये 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना
- जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों के लिये G7 के नेतृत्व वाली 'ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग सुविधा'
- अफ्रीकी कार्बन बाज़ार पहल
- जल अनुकूलन और लचीलापन (AWARe) पहल के लिये कार्रवाई
- मैंग्रोव एलायंस (भारत की साझेदारी के साथ)
- भारत की दीर्घकालिक न्यूनतम उत्सर्जन विकास रणनीति

COP 28 (2023)
दुबई, यूएई
- UAE, जर्मनी, UK, EU और जापान ने लॉस एंड डैमेज फंड के लिये 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया
- वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य हासिल करने के लिये जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना
- वर्ष 2030 तक 11,000 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना
- वर्ष 2050 तक 66 देश शीतलन उत्सर्जन में 68% की कटौती करने का लक्ष्य
- वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करना
- COP 28 में भारत द्वारा की गई पहल:
  - **हरित ऋण पहल:** बंजर भूमि पर पौधे लगाने जैसे पर्यावरण अनुकूल कार्यों के लिये ऋण जारी करना
  - **LeadIT 2.0:** निष्पक्ष उद्योग परिवर्तन और न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी का समर्थन करता है
  - **ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस (GRCA):** सतत् नदी विकास और सर्वोत्तम अभ्यास साझाकरण को बढ़ावा देता है
  - **क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप (QCWG):** स्थानीय और क्षेत्रीय स्थिरता प्रयासों को बढ़ाता है

COP 29 नवंबर 2024 में बाकू, अज़रबैजान में आयोजित किया जाएगा

दृष्टि The Vision
Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

ग्रेट निकोबार परियोजना के EIA में भूकंप के जोखिम का आकलन

चर्चा में क्यों?

प्रस्तावित ₹72,000 करोड़ की **ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (GNIP)** को लेकर चिंताएँ सामने आई हैं, विशेष रूप से IIT-कानपुर की एक रिपोर्ट में इस क्षेत्र की **भूकंपीय संवेदनशीलता (Seismic Vulnerability)** और **सुनामी जोखिमों** को रेखांकित किया गया है। यह क्षेत्र **उच्च भूकंपीय क्षेत्र (High Seismic Zone)** में स्थित है जो **वर्ष 2004 की विनाशकारी सुनामी** से प्रभावित हो चुका है।

IIT-कानपुर की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं, जिन्होंने द्वीप परियोजना की कमज़ोरियों को उजागर किया है?

- **भविष्य में मेगा भूकंप की संभावनाएँ:** रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि **9 या उससे अधिक तीव्रता वाले मेगा भूकंप की पुनरावृत्ति अवधि** (Return Period) लगभग **420-750 वर्ष** है। वहीं, **7.5 से अधिक तीव्रता वाले बड़े भूकंपों** के लिये यह **अवधि 80-120 वर्ष** बताई गई है, जो इस क्षेत्र की **उच्च भूकंपीय संवेदनशीलता** को दर्शाता है।
  - इसके विपरीत, परियोजना की **पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment - EIA)** रिपोर्ट में 2004 जैसी मेगा भूकंप की संभावना को **"कम"** बताया गया है, जो वास्तविक जोखिमों को कम करके आँकने का संकेत देता है।
- **अतीत की सुनामियों के भू-वैज्ञानिक साक्ष्य:** दक्षिण अंडमान के बडाबालू तट (Badabalu Beach) से प्राप्त सैडिमेंट एनालिसिस से पता चलता है कि पिछले 8,000 वर्षों में कम-से-कम 7 बड़ी सुनामी घटनाएँ घटित हो चुकी हैं। यह क्षेत्र की लंबी भूकंपीय और सुनामी गतिविधियों की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है।
- **स्थान-विशिष्ट अध्ययन की आवश्यकता:** रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि **निकोबार द्वीप समूह**, विशेषकर **कार निकोबार (Car Nicobar) और कैंपबेल बे (Campbell Bay)** जैसे क्षेत्रों में स्थल-विशिष्ट भूकंपी तथा सुनामी अध्ययन अनिवार्य रूप से किये जाने चाहिये, जहाँ ऐसे आकलनों का अभाव है।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना क्या है?

- **ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना (GNIP)** की शुरुआत **वर्ष 2021** में हुई थी। यह एक महत्त्वाकांक्षी आधारभूत संरचनात्मक परियोजना है, जिसे **ग्रेट निकोबार द्वीप पर लागू** किया जाना है। यह **द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे** पर स्थित है।
- यह परियोजना **नीति आयोग** के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत **गैलाथिया की खाड़ी (Galathea Bay)** में **अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट (नव-निर्मित हवाई अड्डा), ग्रीनफील्ड टाउनशिप (नव-निर्मित नगर), पर्यटन परियोजना तथा एक गैस-आधारित विद्युत संयंत्र** आदि बुनियादी ढाँचा शामिल हैं।
  - इस परियोजना का कार्यान्वयन **अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम** (ANIIDCO) द्वारा किया जा रहा है। यह स्थल **मलक्का जलडमरूमध्य** के समीप रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थिति में स्थित है, जो **हिंद महासागर को प्रशांत महासागर** से जोड़ने वाला एक प्रमुख समुद्री मार्ग है।

महत्त्व:

- **रणनीतिक महत्त्व:**
  - **निकोबार द्वीप** की स्थिति **मलक्का, सुंडा एवं लोम्बोक जलडमरूमध्य** के समीप होने के कारण भारत को **वैश्विक व्यापार एवं ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े प्रमुख समुद्री** मार्गों की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। यह भारत की **"एक्ट ईस्ट नीति" (2014)** एवं **QUAD समूह की इंडो-पैसिफिक रणनीति** के अनुरूप है।
    - प्रस्तावित **ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, रक्षा तैनाती** को मज़बूती प्रदान करेगा, जिससे भारत की क्षमता, विशेषकर **चीन की नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी** और **क्षेत्रीय सुरक्षा (Regional Security)** को सुदृढ़ करने में वृद्धि होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **आर्थिक महत्त्व:** प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) का उद्देश्य भारत की सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करना है।
  - **यह** समुद्री भारत विज़न 2030 और अमृत काल विज़न 2047 का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत की **दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति** के साथ संरेखित है।

ग्रेट निकोबार द्वीप

- **ग्रेट निकोबार द्वीप समूह:** ग्रेट निकोबार द्वीप **निकोबार समूह** का दक्षिणतम तथा सबसे बड़ा द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है। यह द्वीप घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से आच्छादित है।
  - **इंदिरा पॉइंट (Indira Point),** जो भारत का **दक्षिणतम भू-बिंदु** है, इसी द्वीप पर स्थित है।
- **भौगोलिक विभाजन:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह **कुल 836** द्वीपों, द्वीपिकाओं तथा चट्टानों से मिलकर बना है। इसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है:
  - अंडमान द्वीपसमूह (उत्तरी भाग)
  - निकोबार द्वीपसमूह (दक्षिणी भाग)

इन दोनों के बीच **10 डिग्री चैनल नामक समुद्री जलडमरूमध्य** स्थित है, जिसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है।

- **पारिस्थितिक महत्त्व:** ग्रेट निकोबार द्वीप पारिस्थितिकीय रूप से अत्यंत समृद्ध है जिसमें अनेक संरक्षित क्षेत्र जैसे कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान (Campbell Bay National Park), गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान (Galathea National Park), ग्रेट निकोबार बायोस्फियर रिज़र्व (जिसे UNESCO द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है) स्थित हैं।
- **जनजातियाँ:** यह द्वीप कुछ प्रमुख आदिवासी समुदायों (Indigenous Tribes) का निवास स्थान है, जिनमें शोम्पेन, ओंगे (Onge), अंडमानी (Andamanese), निकोबारी (Nicobarese) शामिल हैं।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से जुड़ी चिंताएँ क्या हैं?

- **पर्यावरणीय चिंताएँ:**
  - **व्यापक वनों की कटाई:** इस परियोजना के तहत **130 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्रफल में फैले प्राथमिक **उष्णकटिबंधीय वर्षावनों** को काटा जाएगा, जिससे जैवविविधता की भारी क्षति होगी। वास्तविक **वृक्षों की कटाई** संभवत: **10 मिलियन** से अधिक हो सकती है, जो प्रारंभिक अनुमानित आँकड़े 8.65-9.64 लाख से कहीं अधिक है।
  - **वन्यजीवों का व्यवधान:** यह परियोजना **गैलाथिया बे वन्यजीव अभयारण्य** में रहने वाले **लेदरबैक समुद्री कछुओं** के आवास को खतरे में डालती है। इस अभयारण्य को **वर्ष 1997 में इन कछुओं के संरक्षण** के लिये अधिसूचित किया गया था, लेकिन वर्ष **2021 में बंदरगाह निर्माण** के लिये इसे **अधिसूचना से बाहर कर दिया गया**, जोकि भारत के **मरीन टर्टल एक्शन प्लान** (2021) के उद्देश्यों के **विरुद्ध** है।
    - **समुद्र तट को** तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ 1A) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जहाँ **जहाज़ की मरम्मत** और अन्य **औद्योगिक गतिविधियाँ** समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिये **खतरा** उत्पन्न करती हैं।
  - **प्रतिपूरक वनीकरण संबंधी समस्याएँ: निकोबार के अद्वितीय वनों** को हटाने के बदले में **हरियाणा और मध्य प्रदेश** में प्रतिपूरक वनीकरण किया जा रहा है, जो **नष्ट हुई जैवविविधता** की पुनरावृत्ति करने में असफल है।
- **भू-वैज्ञानिक चिंताएँ:** द्वीप के **तृतीयक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल की परतें ज्वालामुखीय चट्टानों** के ऊपर स्थित हैं, जो भूकंप के दौरान कंपन को बढ़ा देती हैं तथा **द्रवीकरण (Liquefaction)** की संभावना को भी अधिक कर देती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **कानूनी चिंताएँ: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शेखर सिंह आयोग (2002)** ने **जनजातीय संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों में वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध** की सिफारिश की थी, साथ ही यह नियम भी सुझाया था कि **वृक्ष काटने से पहले वनीकरण** किया जाए लेकिन **वर्तमान में इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है**।
  - परियोजना की **पर्यावरणीय स्वीकृति**, जिसे **राष्ट्रीय सुरक्षा** के नाम पर उचित ठहराया गया है, **विवादास्पद** है क्योंकि इसमें **पर्याप्त परामर्श** और **पारदर्शिता** का अभाव रहा है। साथ ही, यह परियोजना **शोम्पेन जनजाति की वन-आधारित आजीविका** को खतरे में डालकर उनके अस्तित्व को भी **गंभीर नुकसान** पहुँचा सकती है।

नोट: तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना 2019 के अंतर्गत **CRZ 1A** उन **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों** को शामिल करता है, जैसे- **कोरल रीफ**, जो **जैवविविधता** और **पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता** के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **पारिस्थितिक अखंडता की सुरक्षा:** महत्त्वपूर्ण आवासों की पहचान हेतु एक **व्यापक जैवविविधता मूल्यांकन** किया जाए और बुनियादी अवसरंचना के विकास के लिये वैकल्पिक स्थलों की संभावनाओं का अध्ययन किया जाए, ताकि पर्यावरणीय कानूनों का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो सके।
  - इसके अतिरिक्त, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में **क्षतिग्रस्त वनों के पुनरुद्धार** को प्राथमिकता दी जाए ताकि **पारिस्थितिक संतुलन** बनाए रखा जा सके।
- **स्वदेशी अधिकारों और समावेशन को सुनिश्चित करना: शोम्पेन और निकोबारी** जैसे स्वदेशी समुदायों के विस्थापन को **न्यूनतम** किया जाएँ, उन्हें **उचित मुआवज़ा, आजीविका सहायता** तथा **कौशल विकास** प्रदान किया जाएँ। साथ ही, **समावेशी और सहभागी निर्णय प्रक्रिया** सुनिश्चित करने हेतु एक **सामुदायिक परिषद (Community Council)** की स्थापना की जानी चाहिये।
- **संस्थानिक पारदर्शिता को सुदृढ़ करना:** परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान **सुरक्षा उपायों के पालन, पारदर्शिता बनाए रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने** हेतु **पर्यावरणविदों, स्थानीय प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों** को शामिल करते हुए एक स्वतंत्र निगरानी निकाय की स्थापना करना।
- **सतत् और सहनशील संसाधन उपयोग: जल, खाद्य और ऊर्जा संसाधनों** के सतत् प्रबंधन को बढ़ावा देना, साथ ही जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसरंचना को सुदृढ़ करना और इस क्षेत्र की आपदा तैयारी क्षमता को बढ़ाना, ताकि भविष्योन्मुखी संवेदनशीलताओं को कम किया जा सके।

निष्कर्ष

ग्रेट निकोबार परियोजना, यद्यपि रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, फिर भी इसे गंभीर **पारिस्थितिक** और **भूकंपीय जोखिमों** का सामना करना पड़ता है। इसलिये एक **संतुलित दृष्टिकोण** आवश्यक है, जिसमें **कठोर वैज्ञानिक मूल्यांकन, जैवविविधता की सुरक्षा, जनजातीय अधिकारों का सम्मान** और **आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी अवसरंचना** को शामिल किया जाएँ। **सतत् विकास** की प्रक्रिया में **दीर्‍घकालिक पर्यावरणीय सुरक्षा** को **आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्यों** के समान प्राथमिकता दी जानी चाहिये, ताकि इस **संवेदनशील द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र** को अपूरणीय क्षति से बचाया जा सके।

UNFCCC में सुधार की मांग

चर्चा में क्यों?

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) प्रक्रिया में सुधार के लिये एक बार फिर **नवीन प्रयास** शुरू हुआ है, जिसे **वर्ष 2025 में ब्राज़ील में होने वाले 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP-30)** से पहले **गति** मिली है। हालाँकि इसके **कमज़ोर कार्यान्वयन, अपर्याप्त वित्तपोषण** और **प्रक्रियागत अक्षमताओं** को लेकर चिंताएँ हैं।

- हालाँकि **वर्ष 2025** के **बॉन सम्मेलन** में इन प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन **कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

UNFCCC प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- **प्रभावशीलता का अभाव: दशकों से चल रही वार्ताओं के बावजूद, वैश्विक उत्सर्जन निरंतर बढ़ रहा है** और यह प्रक्रिया **1.5°C तक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिये आवश्यक कार्रवाई** प्रदान करने में असफल रही है।
- **स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएँ: पेरिस समझौता** मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) पर आधारित है, जो **विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं** हैं और प्रायः **वैज्ञानिक सिफारिशों से कमज़ोर** साबित होते हैं।
  - मई 2025 तक केवल **21 देशों (लगभग 11%)** ने ही अपने **2035 के NDC** प्रस्तुत किये हैं, जिससे **ब्राज़ील में होने वाले COP30** से पहले **चिंताएँ बढ़ गई हैं।**
  - जो NDC प्रस्तुत किये गए हैं, उनमें से भी कई में **विश्वसनीय क्रियान्वयन योजनाओं का अभाव** है (अर्थात् वे **दस्तावेज़ों पर तो महत्त्वाकांक्षी हैं**, लेकिन **व्यवहारिक रूप से अस्पष्ट या वित्तीय रूप से अपर्याप्त** हैं)।
- **सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रक्रिया:** UNFCCC के तहत प्रत्येक निर्णय पर **सभी पक्षकार देशों की सहमति आवश्यक** होती है, जिससे **प्रत्येक देश को प्रभावी वीटो शक्ति** मिल जाती है।
  - यह प्रायः सहमति प्राप्त करने के लिये कमज़ोर समझौतों की ओर ले जाता है।
  - **नागरिक समाज समूहों** ने यह मांग की है कि जब सर्वसम्मति संभव न हो, तब **बहुमत आधारित निर्णय प्रक्रिया** अपनाई जाए, लेकिन यह प्रस्ताव अभी भी **विवादास्पद** बना हुआ है।
- **असमानता और जलवायु न्याय संबंधी चिंताएँ:** छोटे द्वीपीय राज्योंऔर कम विकसित देशों को प्रायः निर्णय प्रक्रिया में **नज़रअंदाज़** किया जाता है और उनके **जलवायु न्याय** व **अनुकूलन वित्तीय सहायता** की मांगों पर **पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।**
  - **विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं** तथा **उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों** को पूरा न करने से **अविश्वास और गहरा** हो गया है।
  - वैश्विक उत्सर्जन में 1% से भी कम योगदान देने के बावजूद **छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS)** को गंभीर जलवायु प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है।
    - **2°C तापमान वृद्धि** के परिदृश्य में, **चरम मौसम घटनाओं से वार्षिक क्षति** का आँकड़ा **वर्ष 2050 तक 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच सकता है।
- **विश्वसनीयता और राजनीतिक इच्छाशक्ति: संयुक्त राज्य अमेरिका का पेरिस समझौते से बाहर होना** UNFCCC की **विश्वसनीयता को कमज़ोर** करता है।
- **क्रियान्वयन में कमियाँ:** क्योटो प्रोटोकॉल में गंभीर कमियाँ रहीं, क्योंकि इसमें चीन और भारत जैसे विकासशील देशों को छूट दी गई, जिससे वैश्विक उत्सर्जन में कटौती के प्रयास कमज़ोर हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि **वैश्विक उत्सर्जन में वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 2012 तक 44% की वृद्धि** दर्ज की गई।
  - **पेरिस समझौता**, यद्यपि अधिक **समावेशी** है, लेकिन इसमें **लागू करने योग्य समय-सीमा** का अभाव है।
  - लॉस एंड डैमेज फंड, जिसे **संवेदनशील देशों को समर्थन** देने के लिये बनाया गया था, अब भी **वित्तीय कमी** से जूझ रहा है, क्योंकि **विकसित देश दायित्व स्वीकार करने में** अनिच्छा दिखा रहे हैं।
  - COP28 (दुबई) में भी **जलवायु वित्तीय अंतर** को कम करने के लिये कोई **स्पष्ट समय-सीमा, बाध्यकारी निर्देश** या **लागू करने योग्य प्रतिबद्धताएँ** निर्धारित नहीं की गई थी।
- **जीवाश्म ईंधन का प्रभाव:** COP28 वह पहला समझौता था जिसमें जीवाश्म ईंधनों से दूर जाने की आवश्यकता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। हालाँकि दुबई तथा बाकू जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर देशों में COP बैठकों का आयोजन हितों के टकराव और ग्रीनवॉशिंग को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रवर्तन तंत्र की कमी:** देशों द्वारा अपनी **प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने** पर **कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई** नहीं होती, जिससे **जवाबदेही कमज़ोर** पड़ती है और **प्रणाली में विश्वास** भी **कम होने लगता है।**

UNFCCC क्या है?

- **परिचय:** UNFCCC को **वर्ष 1992 के रियो अर्थ समिट** में अपनाया गया था और यह **21 मार्च, 1994** को लागू हुआ।
  - वर्तमान में इस कन्वेंशन के **198 पक्षकार (Parties)** हैं, जिससे यह **लगभग सार्वभौमिक सदस्यता वाला समझौता** बन गया है।
  - UNFCCC, **जैवविविधता पर कन्वेंशन (CBD)** और **मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD)** के साथ **तीन रियो कन्वेंशनों में से एक है।**
    - ये तीनों कन्वेंशन आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं तथा वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिये **संयुक्त समन्वय समूह (Joint Liaison Group)** द्वारा सहयोग और समन्वय को सुनिश्चित किया जाता है।
- **उद्देश्य:** वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना जिससे जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोका जा सके।
- **मूल सिद्धांत:**
  - **साझा लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियाँ (CBDR):** विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जन में अधिक योगदान दिया है, इसलिये उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उत्सर्जन को कम करने में **नेतृत्व करें** और **विकासशील देशों को सहायता** प्रदान करें।
  - **समता:** यह सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक देश की **क्षमताएँ और ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग** होती हैं तथा उन्हें उसी के अनुसार उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिये।
- **संस्थागत संरचना:**
  - **COP:** यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
  - **सहायक निकाय (Subsidiary Bodies):** इसमें **वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह हेतु सहायक निकाय (SBSTA)** और **कार्यान्वयन हेतु सहायक निकाय (SBI) शामिल हैं।**
  - **सचिवालय (Secretariat):** इसका मुख्यालय **बॉन, जर्मनी** में है। यह कन्वेंशन और उसके प्रोटोकॉल के **कार्यान्वयन में सहायता** प्रदान करता है।
  - **ग्लोबल इनोवेशन हब:** यह वर्ष **2021 में प्रारंभ** किया गया था, जिसका उद्देश्य **कम उत्सर्जन और जलवायु-अनुकूल भविष्य** के लिये **परिवर्तनकारी नवाचारों को बढ़ावा देना** है।
- **मुख्य कार्य:**
  - **वार्ता मंच:** यह हर वर्ष **कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP)** का आयोजन करता है, जहाँ देश जलवायु समझौतों पर चर्चा करते हैं और प्रगति की समीक्षा करते हैं।
  - **निगरानी और रिपोर्टिंग:** यह देशों से अपेक्षा करता है कि वे **नियमित रूप से अपने उत्सर्जन और जलवायु संबंधी कार्यों** पर **रिपोर्ट प्रस्तुत करें।**
  - **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता:** यह **हरित जलवायु कोष** जैसे तंत्रों के माध्यम से **विकासशील देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** की सुविधा प्रदान करता है।
- **UNFCCC के अंतर्गत प्रमुख समझौते:**
  - **क्योटो प्रोटोकॉल**, जिसे वर्ष **1997 में अपनाया गया**, अब तक का **एकमात्र वैश्विक समझौता** है जिसमें **विकसित देशों के लिये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य** निर्धारित किये गए हैं। इसका उद्देश्य था कि वर्ष **2012 तक उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर से 5% कम** किया जाएँ।
  - **पेरिस समझौते (2015)** के तहत देशों ने यह सहमति जताई कि वे **स्वैच्छिक जलवायु कार्रवाई योजनाएँ** प्रस्तुत करेंगे ताकि **वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे** और **आदर्श रूप से 1.5°C तक सीमित** किया जा सके।
    - भारत ने वर्ष 2002 में इसे अनुमोदित किया। यह "साझा लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों" के सिद्धांत पर आधारित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

UNFCCC प्रक्रिया की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये कौन-से सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **बहुमत-आधारित निर्णय लेने का प्रस्ताव:** यदि **एक निर्धारित समयावधि के भीतर सहमति नहीं बनती है, तो बहुमत आधारित मतदान की व्यवस्था** की जानी चाहिये। इससे कुछ सदस्य देशों द्वारा अनावश्यक बाधात्मक स्थिति से बचा जा सकेगा और अधिक महत्त्वाकांक्षी तथा प्रभावी निर्णयों को साकार किया जा सकेगा।
- **NDC कार्यान्वयन की स्वतंत्र समीक्षा का अधिदेश:** UNFCCC के तहत एक स्वतंत्र तकनीकी निकाय की स्थापना की जानी चाहिये, जो **एनडीसी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन** करे, उनके कार्यान्वयन की निगरानी करे और कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले देशों की पहचान सार्वजनिक रूप से करे।
  - यह **व्यवस्था प्रक्रिया में प्रतिष्ठा-आधारित उत्तरदायित्व और तकनीकी सख्ती सुनिश्चित** करने में सहायक होगी।
- **जलवायु वित्त की पहुँच को पारदर्शिता और प्रभावशीलता से जोड़ना:** ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे वित्तीय स्रोतों से प्राप्त धन के आवंटन को पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र और **अनुकूलन व शमन प्रयासों में प्राप्त मापनीय प्रगति के साथ जोड़ा** जाना चाहिये।
  - ये सुधार UNFCCC प्रक्रिया में संरचनात्मक अक्षमताओं और राजनीतिक बाधाओं को दूर करते हैं एवं यदि इन्हें क्रियान्वित किया जाए तो इसकी विश्वसनीयता, समानता तथा प्रभावशीलता में काफी सुधार हो सकता है।
- **जलवायु चर्चा की मानवीय पुनर्संरचना:** जलवायु वार्ताओं को एक ऐसे ढाँचे की ओर निर्देशित करना चाहिये जो मानवीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता हो और जिसमें आवास, पोषण, स्वास्थ्य तथा गतिशीलता जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कम कार्बन विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए।
  - **UNFCCC के ग्लोबल इनोवेशन हब** द्वारा समर्थित यह दृष्टिकोण जलवायु कार्रवाई को विकासात्मक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ढालता है और विकासशील देशों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सहायक बनता है।
  - विस्तृत एजेंडों और लंबे वक्तव्यों के कारण वार्ताओं में व्यवधान उत्पन्न होता है। यदि एजेंडा बिंदुओं को सुव्यवस्थित किया जाए, प्रतिनिधिमंडलों के आकार को सीमित किया जाए और बोलने की अवधि पर नियंत्रण रखा जाए, तो UNFCCC प्रक्रिया की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

UNFCCC सुधारों से जुड़े प्रस्ताव, विकासशील देशों और नागरिक समाज समूहों के बीच बढ़ते असंतोष और अविश्वास को उजागर करते हैं। यह स्पष्ट संकेत हैं कि अब अधिक प्रभावशीलता, पारदर्शिता और पर्याप्त जलवायु वित्तपोषण की आवश्यकता है। इन चिंताओं के समाधान हेतु COP30 एक निर्णायक मंच के रूप में उभरता है। प्रस्तावित सुधारों के माध्यम से UNFCCC प्रक्रिया को सशक्त बनाना वैश्विक सहयोग और उत्तरदायित्व को मज़बूती देगा, जो जलवायु संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये अत्यंत आवश्यक है।

भारत में नदी प्रदूषण

चर्चा में क्यों?

दिल्ली सरकार ने **यमुना नदी के प्रदूषण की सफाई को प्राथमिकता** दी है, जिसे **नमामि गंगे कार्यक्रम (NGP)** के साथ जोड़ा गया है। गंगा की **सहायक नदी के रूप में यमुना** की भूमिका स्थानीय प्रयासों को **गंगा नदी** और उसकी सहायक नदियों की सफाई के लिये राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ समन्वय स्थापित करने में सहायक बनाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत में नदी प्रदूषण के कारण क्या हैं?

- **औद्योगिक प्रदूषण:** **वस्त्र, टेनरी (चमड़ा) एवं रसायन** जैसे उद्योग **गंगा (कानपुर), यमुना (दिल्ली) और दामोदर (झारखंड)** जैसी नदियों में **सीसा, पारा, आर्सेनिक जैसे विषैले अपशिष्ट जल का उत्सर्जन** करते हैं।
  - कई कारखाने **अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों (ETPs)** को दरकिनार कर देते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं, और प्राय: अपशिष्ट के नियामक मानकों को कृत्रिम रूप से पूरा दिखाते हैं।
- **कृषि अपवाह:** उर्वरकों और कीटनाशकों से होने वाला अपवाह **नाइट्रेट** और फॉस्फेट प्रदूषण को जन्म देता है, जिससे **शैवाल प्रस्फुटन (algal blooms)** होता है और जलीय जीवन को हानि पहुँचती है, जैसा कि पंजाब की **सतलुज नदी** में देखा गया है।
  - पंजाब-हरियाणा में **पराली जलाने** से उत्पन्न राख वर्षा जल के बहाव के साथ नदियों में पहुँचती है, जिससे जल की गुणवत्ता और अधिक खराब होती है।
- **धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ: मूर्ति विसर्जन और अंतिम संस्कार** जैसे अनुष्ठानों से नदियाँ प्रदूषित होती हैं क्योंकि इनमें **प्लास्टर ऑफ पेरिस, विषैले रंग, प्लास्टिक, पॉलिथीन और पुष्प कचरे का उपयोग** होता है, विशेष रूप से वाराणसी के गंगा घाट जैसे स्थानों पर।
- **ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक डंपिंग:** भारत **दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक है, तथा मुंबई की मीठी नदी** जैसी **नदियों में प्लास्टिक की** काफी मात्रा जमा हो जाती है ।
  - "दिल्ली के गाज़ीपुर जैसे लैंडफिल से निकलने वाला विषैला अपवाह भूजल और निकटवर्ती नदियों दोनों को प्रदूषित करता है।"
- **थर्मल और रेडियोधर्मी प्रदूषण: थर्मल प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट** (जैसे, **फरक्का, NTPC**) और **जादूगोड़ा (झारखंड)** में **यूरेनियम खनन से नदियाँ प्रदूषित** होती हैं, तथा **ऊष्मा और रेडियोधर्मी अपशिष्ट के कारण जलीय जीवन को नुकसान** पहुँचता है।
- **जलवायु-संबंधी तनाव:** अनियमित वर्षा और लंबे समय तक **कम प्रवाह की स्थिति प्रदूषकों को एकत्रित कर देती है,** जबकि तीव्र तूफानों के कारण बड़ी मात्रा में प्रदूषक नदियों में प्रवाहित हो जाते हैं।

नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है?

- **परिचय:** यह **प्रदूषण को कम करने, जल की गुणवत्ता में सुधार लाने** और **नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल कर** गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिये एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- **कार्यान्वयन:** इसमें गंगा नदी के **प्रभावी प्रबंधन और पुनरुद्धार** को सुनिश्चित करने के लिये **राष्ट्रीय, राज्य** और **ज़िला स्तर** पर **पाँच स्तरीय संरचना** का प्रावधान किया गया है।
  - **राष्ट्रीय गंगा परिषद: प्रधानमंत्री** की अध्यक्षता में, यह गंगा पुनरुद्धार के **समग्र प्रयासों** की देखरेख करने वाली **सर्वोच्च निकाय** है।
  - **अधिकार प्राप्त कार्यबल (ETF): केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता** में यह कार्यबल गंगा नदी के पुनरुद्धार पर केंद्रित कार्रवाई हेतु ज़िम्मेदार है।
  - **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG):** यह मिशन गंगा की सफाई और कायाकल्प के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं के लिये **कार्यान्वयन एजेंसी** के रूप में कार्य करता है।
  - **राज्य गंगा समितियाँ:** ये समितियाँ अपने अधिकार क्षेत्र में विशिष्ट उपायों को लागू करने के लिये **राज्य स्तर** पर कार्य करती हैं।
  - **जिला गंगा समितियाँ: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों** के निकट प्रत्येक निर्दिष्ट ज़िले में स्थापित ये समितियाँ **ज़मीनी स्तर (Grassroots Level)** पर कार्य करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- NGP के मुख्य स्तंभ:
  - **सीवरेज़ उपचार अवसंरचना:** इसका उद्देश्य नदी प्रदूषण को कम करने के लिये **अपशिष्ट जल का प्रभावी प्रबंधन** करना है।
  - **नदी सतह की सफाई:** नदी की सतह से **ठोस अपशिष्ट और प्रदूषकों को हटाने** पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - **वनीकरण:** इसमें नदी के किनारों पर **वृक्ष लगाना** और **हरियाली बहाल करना** शामिल है।
  - **औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी: हानिकारक औद्योगिक उत्सर्जन** से नदी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  - **रिवर फ्रंट डेवलपमेंट:** नदी के किनारे **सार्वजनिक स्थानों** के निर्माण के माध्यम से **सामुदायिक सहभागिता** और **पर्यटन** को बढ़ावा देना।
  - **जैवविविधता:** इसका उद्देश्य **पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाना** तथा नदी के आसपास के विविध **जैविक समुदायों** को समर्थन प्रदान करना है।
  - **जन जागरूकता: नदी संरक्षण** के महत्त्व के बारे में **नागरिकों को शिक्षित करने** पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - **गंगा ग्राम:** इसका लक्ष्य गंगा की मुख्य धारा के किनारे स्थित गाँवों को बेहतर स्वच्छता और स्थायित्व के साथ **आदर्श गाँवों** के रूप में विकसित करना है।
- प्रमुख हस्तक्षेप:
  - **प्रदूषण निवारण (निर्मल गंगा): इसमें** स्वच्छ जल सुनिश्चित करने के लिये **सीवेज उपचार संयंत्र (STP)** स्थापित करना तथा **औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट उत्सर्जन को न्यूनतम करना** शामिल है।
  - **पारिस्थितिकी और प्रवाह में सुधार (अविरल गंगा): प्राकृतिक नदी प्रवाह को बहाल करने, जैव विविधता को** बढ़ाने तथा **जल संरक्षण** प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - **जन-नदी संपर्क (जन गंगा) को मज़बूत करना:** इसका उद्देश्य **सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना** और संरक्षण प्रयासों में **स्थानीय हितधारकों को शामिल** करना है।
  - **अनुसंधान और नीति को सुविधाजनक बनाना (ज्ञान गंगा): वैज्ञानिक अनुसंधान का** समर्थन करता है, अकादमिक अध्ययन को प्रोत्साहित करता है और नदी प्रबंधन के लिये **साक्ष्य-आधारित नीतियों को तैयार करने** में सहायता करता है।
- मुख्य सफलताएँ:
  - **प्रदूषण में कमी:** सीवेज उपचार क्षमता वर्ष 2014 से पूर्व की क्षमता से **30 गुना अधिक** हो गई।
  - **जल गुणवत्ता में सुधार: उत्तर प्रदेश** में जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जो **BOD 10-20 मिलीग्राम/लीटर (2015)** से बढ़कर 3-6 मिलीग्राम/लीटर (2022) हो गई है, तथा **बिहार** में यह 20-30 मिलीग्राम/लीटर (2015) से **बढ़कर 6-10 मिलीग्राम/लीटर (2022)** हो गई है।
    - **जैव रासायनिक ऑक्सीजन माँग (BOD)** पानी में **कार्बनिक पदार्थों के** अपघटन के लिये **सूक्ष्मजीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन** की मात्रा को दर्शाती है। **उच्च BOD अधिक प्रदूषण का** संकेत देता है, जबकि **कम BOD स्वच्छ पानी को** दर्शाता है।
  - **जैव विविधता पर प्रभाव:** गंगा नदी डॉल्फिन **की** आबादी में वृद्धि हुई है, **बिठुरा से रसूला घाट (प्रयागराज) तक** तथा **बाबई** और **बागमती नदियों में नई डॉल्फिन** देखी गई हैं।
  - **वैश्विक मान्यता:** वर्ष 2022 में पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) **ने** नमामि गंगे कार्यक्रम (NGP) **को शीर्ष 10 विश्व बहाली प्रमुख पहलों** में से एक के रूप में मान्यता दी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

नदी प्रदूषण को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिये **शून्य तरल निर्वहन** (Zero Liquid Discharge) को अनिवार्य किया जाए, **प्रभावी उपचार संयंत्र** (Effluent Treatment Plants) को **रीयल-टाइम निगरानी के साथ अनिवार्य किया जाए तथा अवैध अपशिष्ट निपटान व अनुपालन** न करने पर कड़े दंड लगाए जाएँ।
- **कृषि अपवाह का प्रबंधन:** जैविक कृषि और **संधारणीय कृषि पद्धतियों** को बढ़ावा देना, **नदियों के पास वनस्पति बफर ज़ोन स्थापित करना और रासायनिक उपयोग को जागरूकता तथा पर्यावरण-अनुकूल सब्सिडी के माध्यम से नियंत्रित करना चाहिये।**
- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार: अपशिष्ट संग्रहण, वर्गीकरण और वैज्ञानिक निपटान को सुदृढ़ करना;** नदी तटों पर **अपशिष्ट फेंकने/डंपिंग** को रोकने के लिये बाड़बंदी तथा गश्त करना और **सिंगल यूज़ प्लास्टिक** पर कड़े प्रवर्तन के साथ प्रतिबंध लगाना।
- **नदी पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करना: गाद निकालना** (Desilting), **वनीकरण और आर्द्रभूमि पुनर्जीवन** के माध्यम से नदी पारिस्थितिकी को पुनर्स्थापित करना; बाढ़ क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाना तथा **स्थानीय वनस्पतियों के साथ रिपेरियन बफर** (Riparian buffers) को बढ़ावा देना।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करना:** प्रदूषण निगरानी के लिये AI एवं IoT सेंसर अपनाना; अवैध अपशिष्ट डंपिंग का पता लगाने के लिये GIS मैपिंग तथा ड्रोन का उपयोग करना और नवाचारपूर्ण उपचार समाधानों के लिये **जल-तकनीक स्टार्टअप्स** को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

यमुना की सफाई **नमामि गंगे कार्यक्रम** के तहत भारत के व्यापक नदी पुनरुद्धार मिशन के अनुरूप है। भारत का नदी प्रदूषण संकट **तत्काल कार्रवाई, कड़े औद्योगिक नियमन, संधारणीय कृषि, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली** की मांग करता है। **नमामि गंगे जैसी पहलों** से प्रगति तो दिख रही है, लेकिन सफलता प्रवर्तन, तकनीक और जनभागीदारी पर निर्भर करती है। एक सहयोगात्मक, बहुआयामी दृष्टिकोण हमारी नदियों को पुनर्जीवित कर सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिये **स्वच्छ जल** सुनिश्चित कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

आंतरिक सुरक्षा

भारत में शरणार्थी, निर्वासन और संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राष्ट्रीय सुरक्षा** से जुड़ी चिंताओं और **बांग्लादेश में राजनीतिक घटनाक्रमों के मद्देनज़र,** भारत ने विशेष रूप से **पूर्वी सीमा पर** अवैध प्रवासियों के खिलाफ **निर्वासन और प्रत्यावर्तन (सीमा पर वापस भेजने)** जैसे उपायों के माध्यम से अपनी कार्रवाई तीव्र कर दी है।

- हालाँकि इस दौरान **भारतीय नागरिकों सहित गलत तरीके से निष्कासन** के बढ़ते मामलों ने **नागरिकता सत्यापन, विधिक प्रक्रिया और संवैधानिक सुरक्षा उपायों** को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

निर्वासन और प्रत्यावर्तन क्या है?

निर्वासन (Deportation)

- **परिचय:** निर्वासन एक **औपचारिक और विधिक प्रक्रिया** है, जिसके तहत किसी **विदेशी नागरिक को भारतीय क्षेत्र से निकालना है,** यदि वह अवैध रूप से या बिना वैध दस्तावेज़ों के रह रहा हो।
- **प्रक्रिया: पहचान → हिरासत → कानूनी कार्यवाही → पहचान सत्यापन → राजनयिक माध्यमों से प्रत्यावर्तन।**
  - **विदेशी नागरिक अधिनियम,** 1946 और **आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम,** 2025 जैसे कानूनों द्वारा शासित।
- **संलग्न एजेंसियाँ:** गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA), **विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (Foreigners Regional Registration Office - FRRO)** और **संबंधित दूतावास।**
- **सुरक्षा उपाय:** इसमें **न्यायिक निगरानी, अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों** का अनुपालन शामिल है।

प्रत्यावर्तन (Pushback)

- **परिचय:** प्रत्यावर्तन एक **अनौपचारिक या अविधिक प्रक्रिया** है, जिसके तहत संदिग्ध विदेशी नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से **बलपूर्वक वापस भेज दिया जाता है,** बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन किये।
- **संचालन:** मुख्य रूप से **सीमा सुरक्षा बल (BSF)** द्वारा, प्राय: संदिग्धों की **रोकथाम के स्थान पर ही।**
- **विधिक स्थिति: यह भारतीय विधि में विधिवत परिभाषित नहीं है,** इसमें न्यायिक निगरानी या नागरिकता की पुष्टि नहीं होती।
- **चिंताएँ:**
  - **विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन, पहचान की त्रुटि का जोखिम** और **मानवाधिकार मानदंडों** (जैसे कि **गैर-प्रत्यावर्तन सिद्धांत**) का उल्लंघन।
  - हाल की घटनाओं में **असम और पश्चिम बंगाल** से **भारतीय नागरिकों को गलत तरीके से वापस भेजने की घटनाएँ शामिल हैं।**

भारत में आप्रवास और विदेशियों को विनियमित करने वाले प्रमुख कानून क्या हैं?

- **आप्रवास और विदेशी अधिनियम, 2025:** इसने **विदेशी नागरिक अधिनियम (1946), पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम (1920), विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम (1939) और आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम (2000) जैसे चार पुराने कानूनों को प्रतिस्थापित किया।**
  - इसका उद्देश्य **विदेशियों के प्रवेश, निवास और निकास की प्रक्रिया को आधुनिक एवं सुव्यवस्थित बनाना है।**
  - **प्रवेश और निर्वासन के कड़े प्रावधान: वैध पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज़ अनिवार्य;** छूट न मिलने पर वीज़ा की आवश्यकता होती है। **राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता,**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

सार्वजनिक स्वास्थ्य या विदेशी संबंधों जैसे आधारों पर प्रवेश से इंकार किया जा सकता है। **आप्रवास अधिकारियों** के निर्णय अंतिम होते हैं।
- **संस्थागत ढाँचा:** यह कानून **आप्रवासन ब्यूरो (BoI)** को एक **वैधानिक निकाय** के रूप में स्थापित करता है, जो **वीज़ा जारी करने, सीमा नियंत्रण** और **विदेशियों के पंजीकरण** का कार्य करेगा।
- **अनिवार्य रिपोर्टिंग:** विदेशियों को **पंजीकरण कराना अनिवार्य** होगा। अधिसूचित क्षेत्रों में **होटलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और गृहस्वामियों** को विदेशी नागरिकों की जानकारी देना आवश्यक होगा।
- **आवागमन प्रतिबंध: संरक्षित/प्रतिबंधित/निषिद्ध क्षेत्रों** (जैसे सीमावर्ती क्षेत्र, रणनीतिक स्थल) में प्रवेश के लिये **विशेष अनुमति** आवश्यक होगी। विदेशी नागरिक **सरकार की अनुमति के बिना अपना नाम नहीं बदल सकते** और उनके आवागमन पर **सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है।**
- **दंड:** अनधिकृत प्रवेश पर **अधिकतम 5 वर्ष का कारावास या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।**

- **आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950:** यह अधिनियम **विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से असम में हुए भारी प्रवासन** को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
  - हालाँकि यह अधिनियम **संपूर्ण भारत पर लागू होता है,** लेकिन इसमें **असम के लिये विशेष प्रावधान** हैं, जो **केंद्र सरकार को यह अधिकार देते हैं** कि वह उन व्यक्तियों या समूहों को भारत से या विशेष रूप से असम से निष्कासित कर सकें, जो सामान्यत: भारत के बाहर निवास करते थे और जिनकी उपस्थिति **सार्वजनिक हित या असम में अनुसूचित जनजातियों के लिये हानिकारक** मानी जाए।
  - **धारा 2** के अंतर्गत अधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे ऐसे व्यक्तियों को **निर्धारित समय और मार्ग के भीतर भारत या असम छोड़ने का आदेश** दे सकें।
- **विदेशी पंजीकरण:** वे विदेशी नागरिक (जिसमें **भारतीय मूल के व्यक्ति** भी शामिल हैं), जिन्हें **180 दिनों से अधिक का दीर्घकालिक वीज़ा** प्राप्त है, उन्हें **FRRO (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी)** के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- **नागरिकता अधिनियम, 1955:** यह अधिनियम **नागरिकता की प्राप्ति, त्याग और पंजीकरण** से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है, जिसमें **भारतीय प्रवासी नागरिक (OCI)** से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं।

भारत की शरणार्थी नीति

- भारत **वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन** या उसके **वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल** का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है और देश में **कोई विशिष्ट शरणार्थी कानून** भी मौजूद नहीं है।
  - भारत ने इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने से इसलिये परहेज़ किया है, क्योंकि इसकी **परिभाषा संकीर्ण और यूरोप-केंद्रित** मानी जाती है, जो **आर्थिक प्रवासियों को शामिल नहीं करती** तथा दक्षिण एशियाई परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है।
  - इसके अतिरिक्त, भारत को यह आशंका भी है कि इस तरह के बाध्यकारी दायित्व उसकी **संप्रभुता से समझौता कर सकते हैं, आंतरिक सुरक्षा** को प्रभावित कर सकते हैं और **शरणार्थी संरक्षण के लिये अपनाई गई अस्थायी, मानवीय दृष्टिकोण वाली नीति** पर अंकुश लगा सकते हैं।
- **म्याँमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका** जैसे देशों से आए शरणार्थियों को **विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946** के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है, लेकिन उन्हें **कोई विशेष विधिक सुरक्षा** प्राप्त नहीं होती।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- राज्य सरकारें **स्वतंत्र रूप से शरणार्थी दर्जा प्रदान नहीं कर सकतीं**, जिससे भारत की **केंद्रीकृत और अस्थायी नीति** की पुष्टि होती है, जो **मानवीय सहायता** तो प्रदान करती है, लेकिन **विधिक मान्यता या अधिकार नहीं देती**।

सीमा आवागमन के लिये विशेष प्रावधान

- **नेपाल: भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि (1950)** नागरिकों को बिना वीज़ा के स्वतंत्र आवागमन की अनुमति देती है।
- **म्याँमार: मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR)** दोनों पक्षों की सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों को बिना वीज़ा के सीमा पार करने की अनुमति देती है।
  - वर्ष **2023 की मणिपुर में हुई हिंसा के पश्चात्**, गृह मंत्रालय (MHA) ने अवैध प्रवासन पर रोक लगाने के लिये **1,643 कि.मी. लंबी भारत-म्याँमार सीमा पर बाड़ लगाने** का निर्णय लिया।
- **बांग्लादेश और पाकिस्तान:** पासपोर्ट और वीज़ा द्वारा नियंत्रित आवागमन; मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) लागू नहीं है।

निर्वासन और प्रत्यावर्तन से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ क्या हैं और निष्पक्ष तथा विधिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के उपाय क्या हैं?

निर्वासन और प्रत्यावर्तन से संबंधित समस्याएँ

- **विधिसम्मत प्रक्रिया का अभाव: विदेशी अधिकरण (FT)** प्राय: **व्यक्ति को विदेशी मान लेते हैं और प्रमाण का भार अभियुक्त पर डालते हैं, जिसके पास अपनी पहचान स्थापित करने के लिये आवश्यक साधन नहीं होते।**
  - प्रत्यावर्तन, एक **अतिरिक्त विधिक प्रक्रिया** के रूप में, **अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित** करता है, जिससे ऐसे निर्णय लिये जाते हैं, जो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हैं।
- **हाशिये पर रह रहे समूहों पर प्रभाव:** आदिवासी, प्रवासी श्रमिक और निर्धन वर्ग, जिनके पास दस्तावेज़ रखने की सबसे कम संभावना होती है, सबसे **अधिक प्रभावित** होते हैं। नागरिकता **जन्म या निवास के आधार पर न होकर दस्तावेज़ों पर आधारित शर्त** बन जाती है।
  - **उदाहरण: असम NRC** से लगभग **20 मिलियन लोग** बाहर कर दिये गए, जिससे **सभी समुदाय प्रभावित** हुए और यह स्पष्ट हुआ कि यह प्रक्रिया **केवल विदेशी नागरिकों को बाहर करने तक सीमित नहीं** थी।
- **कमज़ोर सुरक्षा उपाय और न्यायिक निगरानी: प्रत्यावर्तन** जैसी अतिरिक्त **विधिक प्रक्रियाएँ प्राय: विधिसम्मत प्रक्रिया को दरकिनार** कर देती हैं और न्यायिक परीक्षण की सीमा को घटा देती हैं, जिससे **उत्तरदायित्व एवं सांविधानिक संतुलन और नियंत्रण पर गंभीर प्रश्न** उठते हैं।
- **विधिक व्याख्याओं का दुरुपयोग:** अधिकारियों ने निर्वासन को उचित ठहराने के लिये **असम लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम, 1950** जैसे **पुराने कानूनों** का हवाला दिया है।
  - **उदाहरण: असम में अधिकारियों** ने निर्वासन की कार्रवाई को उचित ठहराने के लिये **उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का हवाला** दिया। हालाँकि विधिसम्मत प्रक्रिया के बिना किया गया निर्वासन **निष्पक्षता** और **न्याय** के **संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन** करता है तथा व्यक्तियों को **मतदान, निवास** और **वापसी** जैसे अधिकारों से वंचित कर देता है।

न्यायसंगत और विधिसम्मत निर्वासन एवं प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने हेतु उपाय

- **विधि का शासन:** सभी निर्वासन और प्रत्यावर्तन की कार्रवाइयों में **विधिसम्मत प्रक्रिया** का पालन सुनिश्चित किया जाए, जिसमें **अनुच्छेद 14 और 21** के तहत **संवैधानिक सुरक्षा उपायों** का अनुपालन शामिल हो, जैसे कि **उचित पहचान सत्यापन**, न्यायिक पुनरावलोकन और विधिक उपायों तक पहुँच।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण: विदेशी अधिकरणों (FT)** की कार्यप्रणालियों में **सुधार** और **मानकीकरण** किया जाए, जिसमें **प्रशिक्षित सदस्य, प्रक्रियात्मक पारदर्शिता** और **नियमित ऑडिट** शामिल हों, ताकि गलत वर्गीकरण को रोका जा सके और **उत्तरदायित्व** बढ़ाया जा सके।
- **मानवीय दृष्टिकोण: राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन** बनाया जाए, सामान्य पूर्वधारणाओं से बचा जाए और प्रभावित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलताओं को मान्यता दी जाए; विशेष रूप से **असम और पश्चिम बंगाल** जैसे सीमा राज्यों में **निष्पक्ष प्रक्रिया** अपनाई जाए।
- **विधिक स्पष्टता एवं नीतिगत ढाँचा: निर्वासन (जो कि विधिक है)** और **प्रत्यावर्तन (जो कि अतिरिक्त विधिक है)** के बीच स्पष्ट अंतर किया जाए; **आप्रवास एवं विदेशियों अधिनियम,** 2025 के अंतर्गत कानूनों का समन्वय किया जाए।
  - भारत को **पारदर्शिता, उत्तरदायित्व** और **अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों** जैसे **नॉन-रिफाउलमेंट** सिद्धांत के अनुरूप **निर्वासन** और **प्रत्यावर्तन** पर एक **समर्पित नीति** अपनानी चाहिये।

निष्कर्ष

हालाँकि **निर्वासन** और **प्रत्यावर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा** बनाए रखने और **अवैध प्रवासन** को नियंत्रित करने के महत्त्वपूर्ण उपकरण हैं, फिर भी इन्हें **निष्पक्षता, विधिसम्मत प्रक्रिया** और **प्राकृतिक न्याय** जैसे **संवैधानिक सिद्धांतों** का पालन करना चाहिये। **गलत निर्वासन** को रोकने के लिये **विधिक सुरक्षा उपायों** को **सुदृढ़** करना, **न्यायिक निगरानी सुनिश्चित** करना और **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा** देना अत्यंत आवश्यक है। एक संतुलित ढाँचा व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हुए **संप्रभुता** को बनाए रखेगा और भारत की **लोकतांत्रिक तथा विधिक प्रतिबद्धताओं** को सुदृढ़ करेगा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. क्या भारत के आप्रवासन कानून गलत निर्वासन के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं? हाल के भारतीय नागरिकों से जुड़े घटनाक्रमों के संदर्भ में समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रिलिम्स फैक्ट्स

भारत का वायु प्रदूषण संकट

एक हालिया **अध्ययन** से पता चला है कि **द्वितीयक प्रदूषक**, विशेष रूप से **अमोनियम सल्फेट** (**सल्फर डाइऑक्साइड** (SO_2) + **अमोनिया** (NH_3)), **भारत के PM2.5 प्रदूषण** में लगभग **एक तिहाई योगदान** देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

- भारत में 60% से अधिक **SO2 उत्सर्जन कोयला आधारित बिजली संयंत्रों** से आता है, फिर भी केवल **8% ने अनिवार्य फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD) प्रणाली** स्थापित की है, जो **द्वितीयक PM2.5 प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये** महत्त्वपूर्ण है।

वायु प्रदूषण के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **वायु प्रदूषण, रासायनिक, भौतिक या जैविक कारकों द्वारा वायु का संदूषण** है जो इसकी प्राकृतिक संरचना को बदल देता है। प्रमुख स्रोतों में **दहन, वाहन, उद्योग और अग्नि** शामिल हैं।
  - वायु **प्रदूषक** जैसे- **PM, CO, O_3, NO_2 और SO_2 श्वसन संबंधी बीमारियों** तथा **उच्च मृत्यु दर** का कारण बनते हैं।

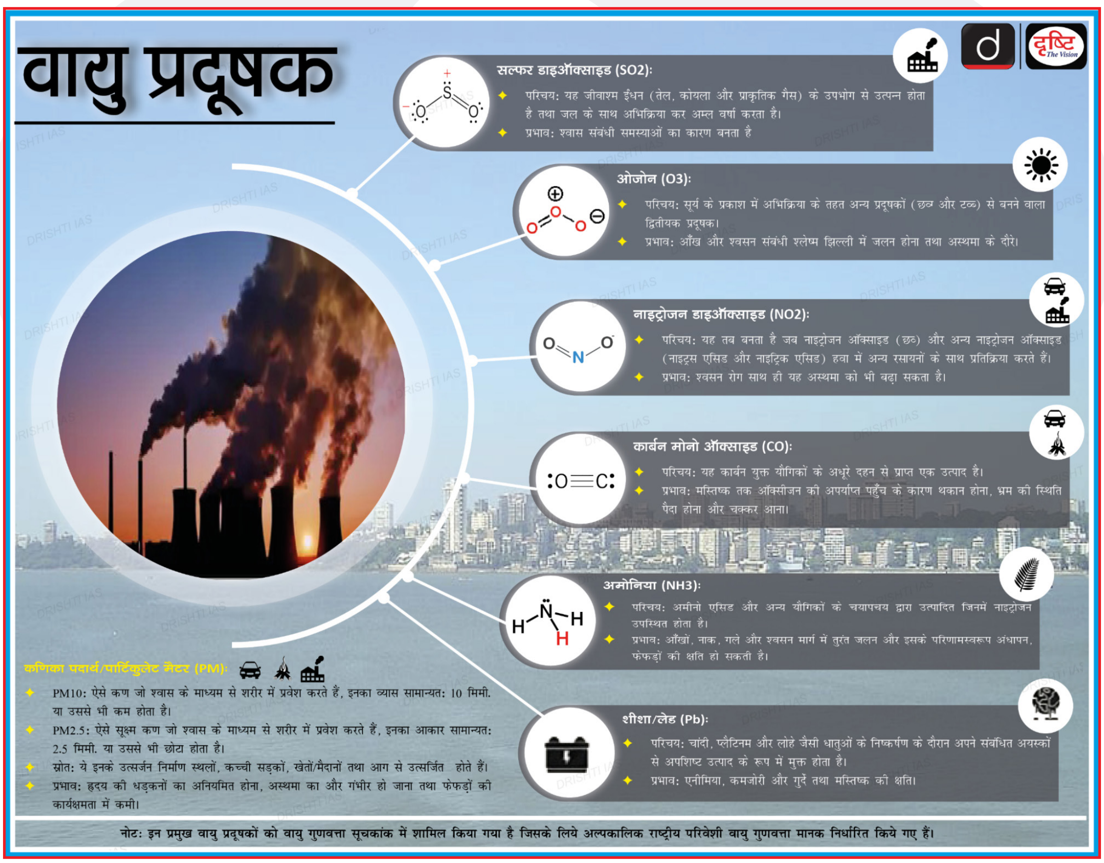

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **प्रदूषकों के प्रकार: उत्सर्जित** होने के बाद **पर्यावरण** में उनकी **उपस्थिति** के आधार पर उन्हें **दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है।**
  - **प्राथमिक प्रदूषक:** वे **उसी रूप में बने रहते हैं** जिस रूप में वे **पर्यावरण** में **छोड़े गए थे**, जैसे- DDT, **प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** तथा **नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड**।
  - **द्वितीयक प्रदूषक:** ये **प्राथमिक प्रदूषकों** के बीच **प्रतिक्रिया** के माध्यम से **उत्पन्न होते हैं**। उदाहरण के लिये **पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट (PAN) नाइट्रोजन ऑक्साइड** और **हाइड्रोकार्बन** की परस्पर क्रिया से बनता है।
- **कणिकीय प्रदूषक: कणिकीय प्रदूषक (जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर** या **पीएम** भी कहा जाता है) **हवा में निलंबित छोटे ठोस या तरल कण होते हैं** जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिये हानिकारक हो सकते हैं।
  - **PM10:** 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण। **जैसे- धूल, पराग कण, फफूँद** आदि।
  - **PM2.5: 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम** व्यास वाले कण। उदाहरण के लिये **वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियाएँ, बिजली संयंत्र** आदि।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु उठाए गए उपाय:

- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम**
- **ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (दिल्ली के लिये)**
- **वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये नया आयोग**
- **वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) पोर्टल**

फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD) क्या है?

- **परिचय: फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD)** एक प्रक्रिया है जिसमें जीवाश्म ईंधनों जैसे **कोयला और तेल** के दहन के दौरान निकलने वाली फ्लू गैस से **सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)** को हटाया जाता है।
  - यह प्रक्रिया मुख्य रूप से **कोयला-आधारित ताप विद्युत संयंत्रों** में उपयोग की जाती है, जहाँ इसमें **चूना पत्थर ($CaCO_3$), चूना (CaO) और अमोनिया (NH_3)** जैसे अभिकारकों का प्रयोग किया जाता है।
- **उद्देश्य:** कोयले में **सल्फर** पाया जाता है और उसके दहन पर **SO_2 गैस उत्सर्जित** होती है, जो **अम्ल वर्षा** का कारण बनती है। **FGD प्रणाली** निकास गैसों को साफ करती है, जिससे अम्ल वर्षा को रोका जा सकता है और **फसलों, अवसंरचना, मृदा एवं जलीय पारिस्थितिक तंत्रों** की रक्षा की जा सकती है।
- **प्रकार:** FGD प्रणालियाँ **मुख्यत: तीन प्रकार** की होती हैं:
  - **ड्राय सॉरबेंट इंजेक्शन (Dry Sorbent Injection):** इसमें चूना पत्थर (लाइमस्टोन) का उपयोग करके SO_2 को धूल नियंत्रण प्रणालियों तक पहुँचने से पहले ही हटा दिया जाता है। यह प्रणाली अपनी **सरलता और शुष्क प्रक्रिया के लिये जानी जाती है।**
  - **वेट लाइमस्टोन सिस्टम (Wet Limestone System):** यह बड़े पैमाने पर उपयोग के लिये उपयुक्त होता है, **उच्च SO_2 निष्कासन दक्षता प्रदान करता है** और उपोत्पाद के रूप में उपयोगी **जिप्सम का उत्पादन** करता है।
  - **सीवाटर आधारित प्रणाली (Seawater-Based System):** इसमें **क्षारीय समुद्री जल का उपयोग करके SO_2 उत्सर्जन को 70-95% तक** घटाया जाता है। यह प्रणाली उन स्थानों के लिये उपयुक्त है जहाँ **उत्सर्जन मानक शिथिल हैं और प्रारंभिक लागत कम** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

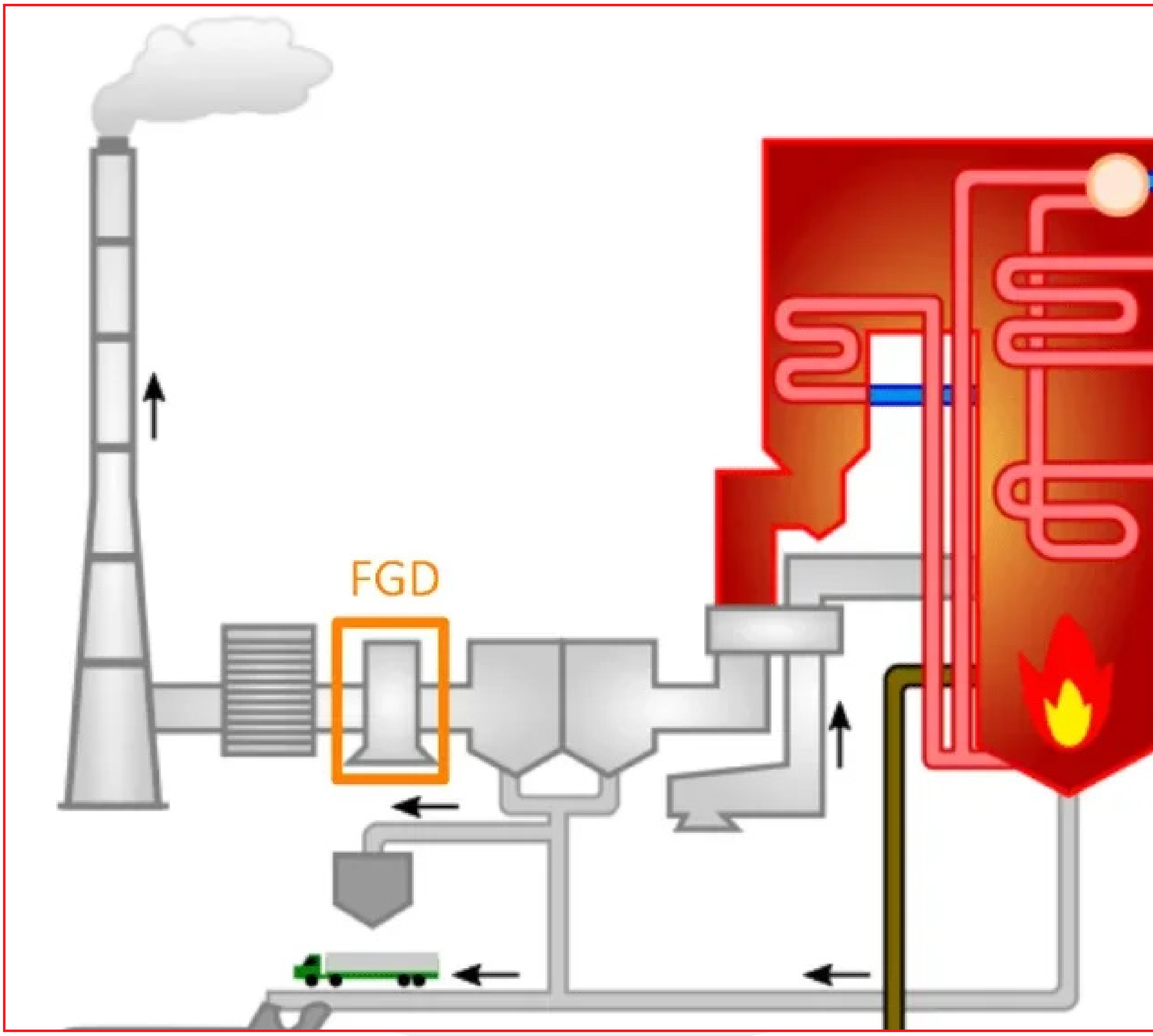

क्वाड एट सी शिप ऑब्ज़र्वर मिशन

चर्चा में क्यों?

क्वाड राष्ट्रों (भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया) के तटरक्षकों ने **अमेरिका के डेलावेयर** में आयोजित **छठे क्वाड शिखर सम्मेलन** (चौथे प्रत्यक्ष क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन) के दौरान अपनाई गई **विलमिंगटन घोषणा (2024)** के अनुरूप **'क्वाड एट सी शिप ऑब्ज़र्वर मिशन'** की शुरुआत की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

क्वाड एट सी शिप ऑब्ज़र्वर मिशन क्या है?

- **मिशन के बारे में:** यह **अपनी तरह की पहली समुद्री सहयोग पहल है** जिसका उद्देश्य **अंतर-संचालन, समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA) को मज़बूत करना** और **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था को** बनाए रखने के लिये **परिचालन समन्वय करना है**।
  - **क्रॉस-एम्बार्केशन पहल** के भाग के रूप में, **महिला अधिकारियों** सहित अन्य अधिकारियों को साझेदार देशों के **तटरक्षक जहाज़ों** (वर्तमान में **USCGC स्ट्रैटन**, जो **गुआम की ओर जा रहा है**) पर तैनात किया जाता है।
- **उद्देश्य:** मिशन का उद्देश्य **मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs), गश्त और खोज एवं बचाव (SAR)** अभियानों में संयुक्त **प्रशिक्षण** पर केंद्रित है। यह **समुद्री कूटनीति और लैंगिक समावेश** को प्रोत्साहित करता है तथा भारत के सागर विज़न, महासागर सिद्धांत (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिये पारस्परिक और समग्र उन्नति) और हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के साथ संरेखण स्थापित करता है।

विलमिंगटन घोषणा क्या है?

- **विलमिंगटन घोषणा के बारे में:** विलमिंगटन **घोषणा सितंबर 2024** में **अमेरिका के विलमिंगटन** में आयोजित **क्वाड लीडर्स समिट** में अपनाया गया एक संयुक्त वक्तव्य है।
  - यह एक **स्वतंत्र, खुली, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र** के लिये क्वाड की साझा दृष्टि को रेखांकित करता है; साथ ही, इस समूह को **"अच्छाई की शक्ति"** के रूप में स्थापित करता है तथा पूरे क्षेत्र में **रणनीतिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी व आर्थिक सहयोग** के गहन संरेखण पर प्रकाश डालता है।
- **घोषणा-पत्र की मुख्य बातें**
  - **हिंद-प्रशांत और समुद्री सुरक्षा:** एक **स्वतंत्र, खुले हिंद-प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है, अंतर-संचालन और समुद्री डोमेन जागरूकता** के लिये **क्वाड एट सी शिप ऑब्ज़र्वर मिशन** तथा **मैत्री** की शुरुआत की गई।
  - **बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी:** **क्वाड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, भविष्य के बंदरगाहों की साझेदारी की शुरुआत की गई** तथा **2,200 से अधिक विशेषज्ञों हेतु फैलोशिप का विस्तार किया गया।**
  - **प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा:** **चतुर्भुज सूचना-साझाकरण नेटवर्क (QUIN) के माध्यम से अर्द्धचालक, आपूर्ति शृंखला** और साइबर सुरक्षा पर सहयोग को मज़बूत किया गया।
  - **जलवायु, अंतरिक्ष और लोगों के बीच संबंध: क्यू-चैम्प (क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन पैकेज) को लागू किया गया,** आपदा प्रतिक्रिया/मोचन के लिये **पृथ्वी अवलोकन को** बढ़ावा दिया गया तथा विज्ञान और नीति में नेतृत्व के हेतु **क्वाड फेलोशिप का विस्तार किया गया।**

क्वाड क्या है?

- **चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) के बारे में: चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका** का एक **रणनीतिक मंच है,** जिसका उद्देश्य **हिंद-प्रशांत क्षेत्र** में **शांति, स्थिरता तथा समृद्धि सुनिश्चित करना है।**
  - यह **क्षेत्रीय लचीलापन** और सहयोग को सुदृढ़ करते हुए एक **स्वतंत्र, खुली, समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था** को प्रोत्साहित करता है।
- **उत्पत्ति:** क्वाड की उत्पत्ति वर्ष **2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद हुई,** जहाँ **भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने** मानवीय सहायता का समन्वय किया।
  - इसे औपचारिक रूप से वर्ष **2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तावित किया गया,** लेकिन वर्ष 2008 में चीन के दबाव के कारण **ऑस्ट्रेलिया के इस मंच से हटने के बाद यह निष्क्रिय हो गया। हिंद-प्रशांत** में **चीन की मुखरता** पर बढ़ती चिंताओं के बीच वर्ष **2017 में इस संवाद को पुनर्स्थापित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021 में पहला लीडर्स समिट आयोजित किया गया।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उद्देश्य:** **इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा, आधारिक संरचना, उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोध** तथा **मानवीय सहायता व आपदा राहत (HADR)** में सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है।
- **विस्तार की संभावना:** "**क्वाड-प्लस**" बैठकों में **दक्षिण कोरिया, न्यूज़ीलैंड और वियतनाम जैसे राष्ट्रों को शामिल किया गया है,** जो भविष्य में विस्तार की संभावना का संकेत देता है।

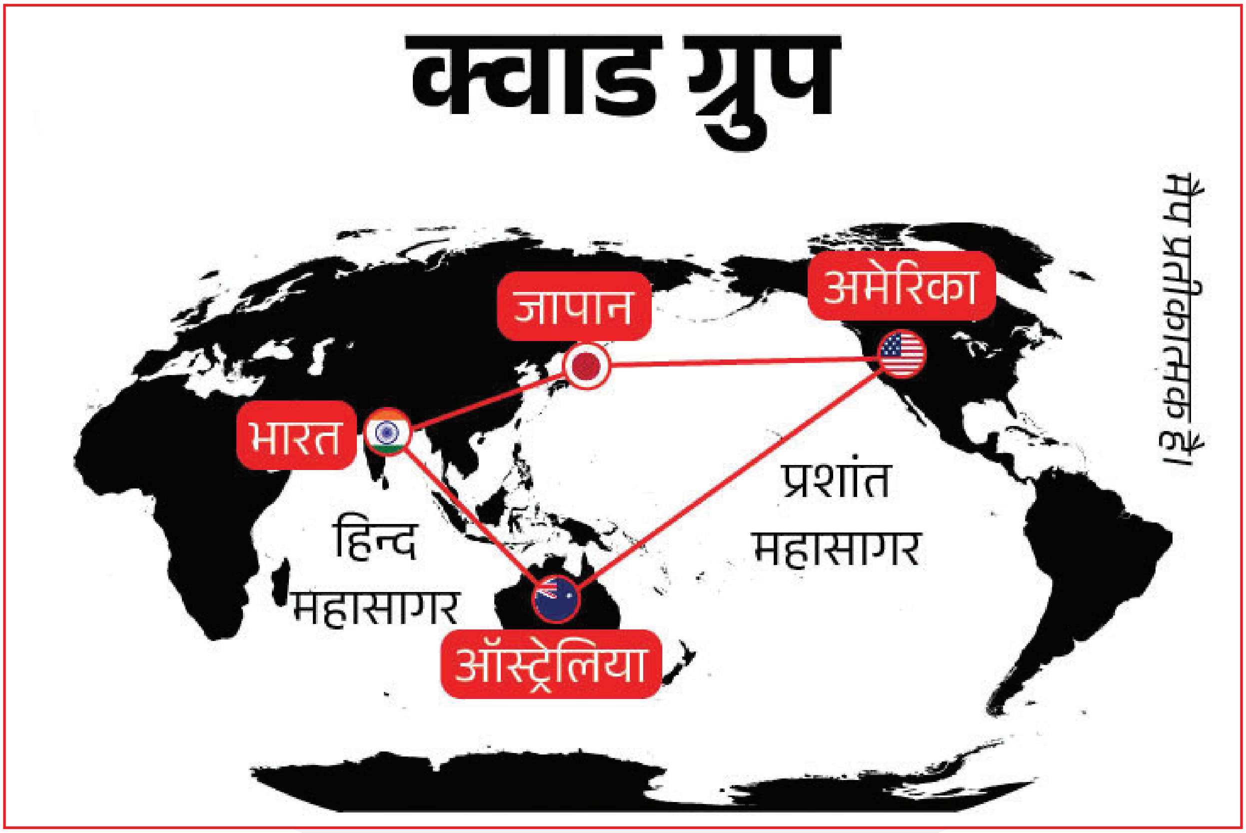

CITES के 50 वर्ष

चर्चा में क्यों?

वन्य जीव और वनस्पति की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) ने 1 जुलाई 2025 को अपने 50 वर्ष पूरे किये।

नोट: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने CITES पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2013 में 3 मार्च को **संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस** के रूप में घोषित किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

CITES क्या है?

- **परिचय:** CITES, जिसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, पर 3 मार्च 1973 को विश्व वन्यजीव सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किये गए थे और यह 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ। इसे वर्ष 1963 में **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)** द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य वन्यजीव व्यापार को नियंत्रित करना था।
  - यह कन्वेंशन अब 185 पक्षों (Parties) तक पहुँच चुका है, जिसमें भारत (जो वर्ष 1976 से सदस्य है) और यूरोपीय संघ भी शामिल हैं।
  - जिनेवा स्थित **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** द्वारा प्रशासित CITES, जीवित प्रजातियाँ और वन्यजीव-व्युत्पन्न उत्पादों सहित वन्य जीवों और वनस्पतियों की 40,000 से अधिक प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है।
  - इस संधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा व्यापार सतत्, वैध और अनुरेखण योग्य हो, जिससे जैव विविधता, स्थानीय आजीविका तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएँ **संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** के अनुरूप सुरक्षित व समर्थित रहें।
- **कार्य प्रणाली:** CITES निर्यात, आयात, पुनः निर्यात और समुद्री मार्ग से प्रवेश के लिये परमिट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। प्रत्येक सदस्य देश व्यापार के लाइसेंस और संरक्षण संबंधी परामर्श की निगरानी के लिये प्रबंधन प्राधिकरण तथा वैज्ञानिक प्राधिकरण नियुक्त करता है।
  - **परिशिष्ट प्रणाली:**
    - **परिशिष्ट-I:** ऐसी प्रजातियाँ जिनके विलुप्ति होने का खतरा हैं। इनका व्यापार अत्यधिक प्रतिबंधित है।
    - **परिशिष्ट II:** ऐसी प्रजातियाँ जो वर्तमान में संकटग्रस्त नहीं हैं, लेकिन यदि व्यापार नियंत्रित न किया जाए तो वे संकट में आ सकती हैं।
    - **परिशिष्ट-III:** वे प्रजातियाँ जो कम-से-कम एक देश द्वारा संरक्षित हैं और जिनके व्यापार को नियंत्रित करने के लिये सहयोग की आवश्यकता होती है।
  - परिशिष्ट-I और II में परिवर्तन का निर्णय पक्षकारों के सम्मेलन (Conference of the Parties : COP) द्वारा किया जाता है, जबकि परिशिष्ट III में व्यक्तिगत पक्षकारों द्वारा एकतरफा संशोधन किया जा सकता है।
- **महत्त्व:** वन्यजीव व्यापार एक अरबों डॉलर का वैश्विक उद्योग है, और इस व्यापार का अनियमित स्वरूप, आवासीय क्षति के साथ मिलकर, अनेक प्रजातियों के विलुप्त होने का गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
  - CITES को सबसे प्रभावी पर्यावरणीय समझौतों में से एक माना जाता है, जिसे CITES व्यापार डेटाबेस (कानूनी वन्यजीव व्यापार पर एक वैश्विक संदर्भ) जैसी प्रणालियों तथा प्रवर्तन एवं वैध अधिग्रहण हेतु स्पष्ट दिशानिर्देशों द्वारा समर्थित किया गया है।
    - इसने अफ्रीकी हाथियों, पैंगोलिनों और मगरमच्छों जैसी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE) कार्यक्रम जैसी पहलों ने अफ्रीका और एशिया में अवैध शिकार को काफी हद तक कम कर दिया है।
  - CITES परिशिष्टों में सूचीबद्ध सभी प्रजातियाँ अब वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 की अनुसूची IV में शामिल हैं, जो CITES के साथ भारत के मज़बूत सहयोग को दर्शाता है।
- **संयुक्त राष्ट्र और CITES:** CITES, अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के कार्यों का पूरक है, जैसे कि मत्स्य प्रबंधन में सुधार हेतु **खाद्य और कृषि संगठन (FAO)**, **एशिया और प्रशांत के लिये आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ESCAP)** के साथ क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग, तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ युवाओं पर केंद्रित पहलों में सहभागिता।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अप्रैल 2025 से अपने पूर्व नेतृत्व के सेवानिवृत्त होने के बाद से बिना **अध्यक्ष और कई सदस्यों** के कार्य कर रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है?

- **परिचय:** यह एक **सांविधिक निकाय** है, जिसकी स्थापना **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992** के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी।
  - पहला सांविधिक आयोग **17 मई, 1993** को गठित किया गया था।
- **उत्पत्ति:** अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission) की स्थापना **वर्ष 1978** में **गृह मंत्रालय** के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी और **वर्ष 1984** में इसे नवगठित **कल्याण मंत्रालय** में स्थानांतरित कर दिया गया।
  - **वर्ष 1988 में** कल्याण मंत्रालय ने आयोग के अधिकार क्षेत्र से **भाषायी अल्पसंख्यकों** को बाहर कर दिया।
- **संरचना:** इसमें एक **अध्यक्ष**, एक **उपाध्यक्ष** और **पाँच सदस्य** होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। हालाँकि पूर्ण निकाय की अनुपस्थिति ने इसकी **कार्यक्षमता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।**
  - प्रत्येक सदस्य को **छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों** में से किसी एक से संबंधित होना आवश्यक है: **मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन**।
- **अधिकार और कार्यकाल:** आयोग के पास **अर्ध-न्यायिक अधिकार** होते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से **तीन वर्ष** का होता है।
- **निष्कासन:** केंद्र सरकार **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)** के अध्यक्ष या किसी सदस्य को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकती है, यदि वे:
  - **दिवालिया घोषित कर दिए जाएँ,**
  - अपने कर्त्तव्यों के बाहर कोई **वेतनभोगी कार्य स्वीकार** करें,
  - **कार्य करने से इंकार करें या उसमें अक्षम हो जाएँ,**
  - किसी न्यायालय द्वारा **अस्वस्थ मानसिक स्थिति** वाला घोषित किये जाएँ,
  - अपने **पद का दुरुपयोग** करें या
  - **नैतिक पतन** से संबंधित किसी अपराध के लिये दोषी ठहराए जाएँ।

भारत में अल्पसंख्यक कौन हैं और उनके संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?

- **परिचय:** भारतीय संविधान में '**अल्पसंख्यक**' (Minority) शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन संविधान **धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों** को मान्यता देता है।
  - **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992** के अनुसार **अल्पसंख्यक** वह समुदाय है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
- **अल्पसंख्यक समुदाय: वर्ष 1993 में कल्याण मंत्रालय** द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार ने प्रारंभ में **पाँच धार्मिक समुदायों—मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी (ज़रथुस्त्री)** को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी थी।
  - बाद में **वर्ष 2014 में जैन समुदाय** को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।
- **अल्पसंख्यकों की जनसंख्या: वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार**, ये छह समुदाय मिलकर भारत की कुल जनसंख्या का 18.80% हिस्सा बनाते हैं।

धर्म	संख्या (करोड़ में)	%
मुस्लिम	17.22	14.2
ईसाई	2.78	2.3
सिख	2.08	1.7
बौद्ध	0.84	0.7
जैन	0.45	0.4
कुल	23.37	19.30

- यद्यपि 2011 की जनगणना में पारसी जनसंख्या का उल्लेख नहीं है, फिर भी अनुमान है कि यह लगभग **57,000** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अल्पसंख्यकों से संबंधित संरक्षण प्रावधान:

- **अनुच्छेद 29:** नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 30:** अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 347:** किसी राज्य की जनसंख्या के किसी वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान।
- **अनुच्छेद 350-A:** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान।
- **अनुच्छेद 350-B:** **भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष अधिकारी** की नियुक्ति और उनके कर्त्तव्यों का प्रावधान।

NER ज़िला SDG सूचकांक का दूसरा संस्करण

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने **पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) ज़िला सतत् विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक रिपोर्ट (2023-24)** का **दूसरा संस्करण** जारी किया है। वर्ष 2021 में जारी पहले संस्करण की गति पर आधारित यह सूचकांक SDG के संदर्भ में आठ पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न ज़िलों के प्रदर्शन को मापता है।

NER ज़िला SDG सूचकांक क्या है?

- NER ज़िला SDG सूचकांक एक समग्र उपकरण है जिसे चुनिंदा SDG संकेतकों पर ज़िला-स्तरीय प्रगति की निगरानी हेतु परिकल्पित किया गया है। इसे नीति आयोग और **पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MoDoNER) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है तथा यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** से तकनीकी सहायता प्राप्त है।
- यह सूचक‍ांक आठ पूर्वोत्तर राज्यों के 131 में से कुल 121 (92%) ज़िलों को कवर करता है।
- नीति आयोग की राष्ट्रीय SDG सूचकांक पद्धति के आधार पर, ज़िलों को उनके समग्र अंकों के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: अचीवर (स्कोर = 100), फ्रंट रनर (स्कोर 65-99), परफॉर्मर (स्कोर 50-64) और एस्पिरेंट (स्कोर < 50)।
- NER ज़िला SDG सूचकांक 2023-24 के प्रमुख निष्कर्ष: वर्ष 2023-24 के संस्करण में, NER के 85% ज़िले फ्रंट रनर श्रेणी (स्कोर 65-99) में हैं, जो पिछले संस्करण के 62% से अधिक है, जो समग्र जिला प्रदर्शन में महत्त्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।
- मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी ज़िलों ने फ्रंट रनर का दर्जा हासिल कर लिया है तथा कोई भी जिला आकांक्षी या अचीवर श्रेणी में नहीं आता है।
  - पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में **सबसे अधिक स्कोर वाला ज़िला मिज़ोरम** का है (**हनाहथियाल 81.43 का स्कोर**) और पूरे क्षेत्र में **सबसे कम स्कोर वाला ज़िला अरुणाचल प्रदेश का** है (**लोंगडिंग 58.71 का स्कोर**)।
  - **उच्चतम और निम्नतम स्कोर वाले ज़िले के मामले में सिक्किम में रेंज सबसे कम (5.5 अंक)** है, जोकि इसके विभिन्न ज़िलों में सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन को दर्शाता है।
- **NER ज़िला SDG सूचकांक का महत्त्व:** NER ज़िला SDG सूचकांक **साक्ष्य-आधारित योजना, संसाधन आवंटन और विकासात्मक प्रयासों** की निगरानी के एक महत्त्वपूर्ण **नीतिगत उपकरण** के रूप में कार्य करता है।
- यह सूचकांक विकास अंतरालों की पहचान करने, लक्षित उपायों का मार्गदर्शन करने, कुशल संसाधन परिनियोजन सुनिश्चित करने और **सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण** के साथ **सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण** को समर्थन प्रदान करने में मदद करता है।
- यह अधिक केंद्रित और प्रभावी परिणामों के लिये राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकताओं के साथ संरेखित करता है।
- यह पहल क्षेत्र में सतत् एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु राज्यों, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को एक साथ लाती है, जो भारत के व्यापक विकसित भारत @2047 विज़न के अनुरूप है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नीति आयोग का राष्ट्रीय SDG सूचकांक

- **परिचय:** SDG इंडिया इंडेक्स **राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे (National Indicator Framework)** से जुड़े 113 संकेतकों का उपयोग करके राष्ट्रीय प्रगति को मापता है। 16 सतत् विकास लक्ष्यों के लिये लक्ष्य के अनुसार स्कोर की गणना की जाती है तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिये समग्र अंक निकाले जाते हैं। सूचकांक के समग्र अंक की गणना में **लक्ष्य 14 (जल के नीचे जीवन)** को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह केवल नौ तटीय राज्यों से संबंधित है।
  - राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है: आकांक्षी/एस्पिरेंट: 0-49, परफॉर्मर: 50-64, फ्रंट रनर: 65-99 और अचीवर: 100।

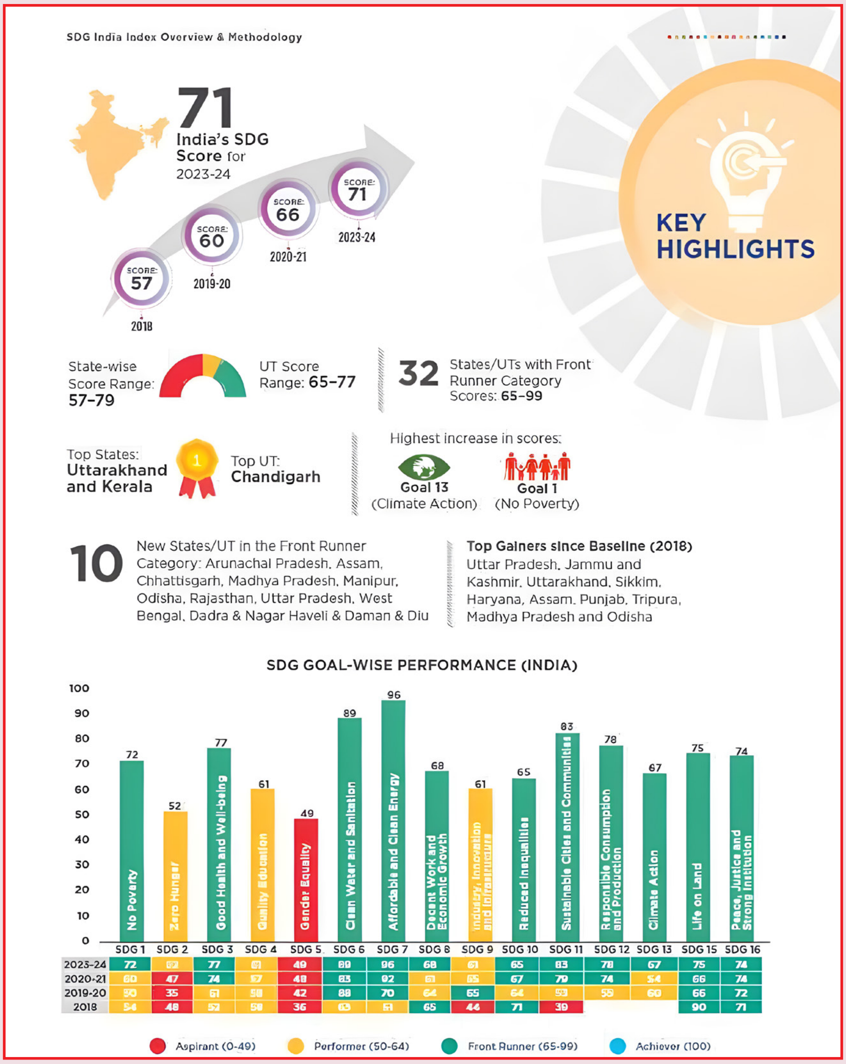

	SDG 1	SDG 2	SDG 3	SDG 4	SDG 5	SDG 6	SDG 7	SDG 8	SDG 9	SDG 10	SDG 11	SDG 12	SDG 13	SDG 15	SDG 16
2023-24	72	52	77	61	49	89	96	68	61	65	83	78	67	75	74
2020-21	60	47	74	57	48	83	92	61	55	67	79	74	54	66	74
2019-20	50	35	61	58	42	88	70	64	65	64	53	55	60	66	72
2018	54	48	52	58	36	63	51	65	44	71	39			90	71

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 : भारत का SDG स्कोर बढ़कर 71 हो गया** (2020-21 में 66 और 2018 में 57 से), गरीबी में कमी, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई में लाभ से प्रेरित।
  - **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य:** केरल और उत्तराखंड ने **79 अंकों** के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
  - **सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य:** बिहार (**57 अंक**) और झारखंड (**62 अंक**)।
  - **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लक्ष्य:** लक्ष्य 13 (**जलवायु कार्रवाई**) का स्कोर **54 से बढ़कर 67** हो गया और **लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन)** में सुधार होकर **60 से 72** हो गया।
    - लक्ष्य 1, 8 और 13 अब **फ्रंट रनर श्रेणी** में हैं (स्कोर 65 से 99 के बीच)।

अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने हेतु VRRR नीलामी

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंकिंग प्रणाली से **अधिशेष तरलता को** अवशोषित करने के लिये **1 लाख करोड़ रुपए की** 7-**दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामी** आयोजित करने की योजना बना रहा है।

VRRR नीलामी और तरलता संबंधी मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **VRRR के बारे में: VRRR** एक **मौद्रिक नीति उपकरण है, जिसका उपयोग RBI** द्वारा **नीलामी** के माध्यम से **अतिरिक्त तरलता को** अवशोषित करने के लिये किया जाता है, जहाँ बैंक RBI के पास **अल्पकालिक जमा** रखने के लिये **परिवर्तनीय ब्याज दरों पर बोली लगाते हैं।**
  - इसके विपरीत **रिवर्स रेपो दर** RBI द्वारा निर्धारित एक **निश्चित दर है, जिस पर बैंक** बिना बोली लगाए अतिरिक्त धनराशि जमा कर देते हैं , जिससे **VRRR अधिक लचीला और बाज़ार संचालित** हो जाता है।
- **VRRR नीलामी का कारण: RBI का लक्ष्य ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम (TREPS)** पर **ओवरनाइट दरों को तरलता समायोजन सुविधा (LAF) कॉरिडोर की निचली सीमा** के निकट लाना है, जो वर्तमान में **5.25% और 5.75% के बीच है।**
  - **TREPS** भारत में एक **इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बैंकों, म्यूचुअल फंड, NBFC** और अन्य **वित्तीय संस्थानों** के बीच **संपार्श्विक अल्पकालिक उधार तथा ऋण की सुविधा प्रदान करता है।**
    - यह **RBI की निगरानी में संचालित होता है** और इसका प्रबंधन **क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) द्वारा किया जाता है।**
    - **त्रि-पक्षीय संरचना:** इसमें **तीन पक्ष शामिल होते हैं** अर्थात्-**उधारकर्त्ता, ऋणदाता** और एक **थर्ड-पार्टी एजेंट (CCIL)**।
  - **LAF कॉरिडोर** एक **मौद्रिक नीति उपकरण** है, जिसका उपयोग RBI द्वारा बैंकिंग प्रणाली में **अल्पकालिक तरलता को** विनियमित करने तथा **ब्याज दर में उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिये किया जाता है।**
    - इसमें दो मुख्य दरें शामिल हैं: **रेपो दर (ऊपरी सीमा)** - वह दर जिस पर बैंक RBI से उधार लेते हैं और **रिवर्स रेपो दर (निचली सीमा)** - वह दर जिस पर बैंक RBI के पास अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं।
    - **रेपो/रिवर्स रेपो में ओवरनाइट तरलता** के लिये **RBI की निश्चित ब्याज दर** का उपयोग किया जाता है, जबकि **VRR/VRRR में गतिशील तरलता प्रबंधन** के लिये **नीलामी** में **प्रतिस्पर्द्धी बैंक बोली** के माध्यम से परिचालन किया जाता है।
- **तरलता के बारे में:** तरलता का तात्पर्य **लेन-देन, व्यय या निवेश** के लिये **धन या नकदी-समकक्षों की सुलभता** से है, जो वित्तीय प्रणाली में **निधियों की उपलब्धता को** दर्शाता है।
  - यह **मौद्रिक नीति, ब्याज दरों, रेपो/रिवर्स रेपो सामान्यीकरण** और **सरकारी व्यय से** प्रभावित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **तरलता अधिशेष के कारण:** **खुले बाज़ार परिचालनों** (जैसे **G-SEC की खरीद**), **सावधि परिवर्ती दर रेपो (VRR) नीलामी** और **डॉलर/रुपए खरीद-बिक्री स्वैप** के माध्यम से तरलता के प्रवेश ने सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था में **तरलता को बढ़ावा दिया है।**

फोन टैपिंग की वैधता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **मद्रास उच्च न्यायालय** और **दिल्ली उच्च न्यायालय** ने फोन टैपिंग के मुद्दे पर **विरोधाभासी निर्णय** दिये कि क्या **सरकार अपराधों को रोकने के लिये**, विशेष रूप से **आर्थिक अपराधों (जैसे रिश्वतखोरी)** के मामलों में, कानूनी रूप से फोन टैप कर सकती है।

फोन टैपिंग से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- **परिचय:** फोन टैपिंग का तात्पर्य **किसी तीसरे पक्ष द्वारा बिना संबंधित व्यक्तियों की जानकारी या सहमति के टेलीफोन वार्तालापों की निगरानी या रिकॉर्डिंग** करने से है।
  - यह आमतौर पर **सरकारी एजेंसियों द्वारा सुरक्षा, खुफिया जानकारी या कानून प्रवर्तन** के उद्देश्यों से किया जाता है।
- **फोन टैपिंग से संबंधित कानून:**
  - **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885:** धारा 5(2) के तहत केंद्र या राज्य सरकार को **सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा** के मामलों में **फोन कॉल को इंटरसेप्ट (अवरोधन)** करने की अनुमति है।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** यह **डिजिटल संचार** (जैसे- ईमेल, व्हाट्सएप आदि) की **निगरानी** को नियंत्रित करता है।
  - **भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898:** यह **डाक संचार** पर लागू होता है।
- **फोन टैपिंग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय: भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419A** में फोन टैपिंग के लिये **प्रक्रियाएँ** प्रदान की गई हैं, जिसमें दुरुपयोग की जाँच के लिये एक **समीक्षा समिति** भी शामिल है।
  - निगरानी संविधानिक सुरक्षा उपायों के अनुसार ही होनी चाहिये, विशेषकर: **अनुच्छेद 19(1)(a)**- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, **अनुच्छेद 21- जीवन और गोपनीयता का अधिकार** (जैसा कि **पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार निर्णय, 2017** में मान्यता प्रदान की गई है)।
- **दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला:** ***आकाशदीप चौहान बनाम सीबीआई केस, 2020*** में अदालत ने पुष्टि की कि **किसी अपराध को भड़काने से रोकने के लिये निगरानी कानूनी रूप से अनुमेय** है और यह फैसला सुनाया कि **कानून के तहत फोन टैपिंग** उचित थी।
  - कोर्ट ने माना कि **सार्वजनिक परियोजनाओं में भ्रष्टाचार, आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, जो सार्वजनिक सुरक्षा** का विषय है।
- **मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय:** ***पी. किशोर बनाम भारत सरकार सचिव, 2018*** *के मामले में न्यायालय ने गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में जारी* ***इंटरसेप्शन आदेश को यह कहते हुए रद्द*** *कर दिया कि यह न तो कोई* ***सार्वजनिक आपातकाल*** *था और न ही कोई स्पष्ट सार्वजनिक सुरक्षा का खतरा। न्यायालय ने कहा कि यह* ***फोन टैपिंग गैर-कानूनी*** *थी क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए* ***दिशा-निर्देशों (People's Union for Civil Liberties बनाम भारत सरकार, 1997)*** *का पालन नहीं करती थी।*
  - इसमें यह भी कहा गया कि **फोन टैपिंग गैर-कानूनी थी** क्योंकि यह ***पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, 1997*** **में सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा निर्धारित **प्रक्रियात्मक मानकों** को पूरा करने में विफल रही है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1997:** ***पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1997*** में **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय** के अनुसार:
  - केवल **केंद्र या राज्य** के **गृह सचिव** ही फोन टैपिंग को अधिकृत कर सकते हैं। **संयुक्त सचिव** के पद से **नीचे के किसी व्यक्ति को** यह **अधिकार नहीं दिया जा** सकता।
  - प्रत्येक फोन-टैप आदेश की **समीक्षा एक समीक्षा समिति** द्वारा **दो महीने** के भीतर की जानी चाहिये, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
    - **केंद्र में:** कैबिनेट सचिव, विधि सचिव, दूरसंचार सचिव।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- राज्य में: मुख्य सचिव, विधि सचिव तथा एक अन्य सदस्य (गृह सचिव को छोड़कर)।
- **साक्ष्य की अस्वीकार्यता:** यदि **फोन-टैप आदेश गैर-कानूनी है**, तो एकत्रित जानकारी **न्यायालय में अस्वीकार्य है**, जिससे **गोपनीयता** और **मुक्त भाषण जैसे** अधिकारों की रक्षा होती है।

पिघलते ग्लेशियर ज्वालामुखी विस्फोट को ट्रिगर कर सकते हैं

चर्चा में क्यों?

प्राग (Prague) में आयोजित **गोल्डश्मिट सम्मेलन,** 2025 में प्रस्तुत एक अध्ययन से पता चलता है कि **ग्लेशियरों के पिघलने और ज्वालामुखीय गतिविधियों में वृद्धि के बीच संभावित संबंध** (विशेषकर **पश्चिमी अंटार्कटिका** जैसे क्षेत्रों में) हो सकता है।

नोट: गोल्डश्मिट सम्मेलन भू-रसायन (Geochemistry) और संबंधित विषयों पर आधारित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन **यूरोपीय भू-रसायन संघ तथा भू-रासायनिक सोसायटी** द्वारा किया जाता है।

पिघलते ग्लेशियरों और ज्वालामुखी विस्फोटों पर अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **उपहिमनद ज्वालामुखी: ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के नीचे स्थित ज्वालामुखी** को **सबग्लेशियेटेड वोल्केनोज़** कहा जाता है। ये **आइसलैंड, ब्रिटिश कोलंबिया और अंटार्कटिका** जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
  - ये ज्वालामुखी **ग्लेशियरों के पीछे हटने (Glacier Retreat)** के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि बर्फ की चादरें ज्वालामुखीय गतिविधियो पर **दाब** रखती हैं।
  - सबसे अधिक खतरा **पश्चिमी अंटार्कटिका** में है, जहाँ **लगभग 100 ज्वालामुखी बर्फ के नीचे स्थित** हैं। जैसे-जैसे बर्फ पिघलेगी, अगले कुछ दशकों या सदियों में **ज्वालामुखीय विस्फोटों** की संभावना बढ़ सकती है।
    - **उत्तर अमेरिका, न्यूज़ीलैंड और रूस** जैसे क्षेत्र भी इस जोखिम के अंतर्गत आते हैं, जहाँ **बर्फ पिघलने और जलवायु परिवर्तन** के कारण ज्वालामुखीय गतिविधि सक्रिय हो सकती है।
- **पिघलती बर्फ और ज्वालामुखी गतिविधियाँ:** आइस शीट्स (Ice Sheets) ज्वालामुखियों के नीचे स्थित मैग्मा कक्षों पर दबाव डालती हैं, जिससे **विस्फोटों को रोका जा सकता** है।
  - जब ग्लेशियर या आइस कैप पिघलते हैं, तो दबाव में कमी आती है, जिससे **अंडरग्राउंड गैस और मैग्मा का विस्तार** होता है, जिससे **विस्फोट की संभावना बढ़ जाती है।**
    - इस प्रक्रिया को **ग्लेशियल अनलोडिंग** कहा जाता है, जिसकी अवधारणा वर्ष **1970 के दशक** में दी गई थी।
  - जलवायु परिवर्तन से प्रभावित वर्षा ज़मीन के नीचे जाकरमैग्मा प्रणालियों के साथ क्रिया कर सकती है, जिससे संभावित रूप से विस्फोट हो सकता है।
  - **उदाहरण:** आइसलैंड के अंतिम प्रमुख **बर्फ-ह्रास काल (Deglaciation) (लगभग 15,000 से 10,000 वर्ष पूर्व) के दौरान,** ज्वालामुखी गतिविधि वर्तमान दरों से 30-50 गुना अधिक थी।
- **ज्वालामुखी विस्फोटों के जलवायु प्रभाव:**
  - **अल्पकालिक शीतलन:** ज्वालामुखी विस्फोट वायुमंडल में **राख और सल्फर डाइऑक्साइड** उत्सर्जित करते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध होता है तथा पृथ्वी की सतह अस्थायी रूप से ठंडी हो जाती है।
    - सल्फर डाइऑक्साइड **समताप मंडल में पानी के साथ प्रतिक्रिया करके** सल्फ्यूरिक **एसिड** एरोसोल बनाता है जो **सौर विकिरण को परावर्तित** करता है, जिससे सतह ठंडी हो जाती है।
    - **उदाहरण:** माउंट पिनातुबो (1991) ने उत्तरी गोलार्द्ध को एक वर्ष से अधिक समय तक ~0.5°C तक तापमान कम कर दिया।
  - **दीर्घकालिक वार्मिंग:** बार-बार होने वाले विस्फोटों से **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और मीथेन (CH_4)** जैसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे वैश्विक तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि होती है और यह एक **फीडबैक लूप** उत्पन्न करता है, जहाँ **ग्लेशियर पिघलने से ज्वालामुखी विस्फोट** होते हैं, जो **ग्लेशियर पिघलने** की प्रक्रिया को तेज़ कर देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

हिमनद (ग्लेशियर)

- **हिमनद (ग्लेशियर)**: एक विशाल, धीमी गति से गतिमान बर्फ का द्रव्यमान, जो समय के साथ **हिमपात की परतों के संघनन** से बनता है।
- **निर्माण**: हिमपात (Snowfall) लगातार जमा होता है। यह धीरे-धीरे दबाव में आकर फर्न (Firn) में परिवर्तित हो जाता है, फर्न बर्फ और ग्लेशियल आइस के बीच की स्थिति होती है। कई दशकों से लेकर 100 वर्षों या उससे अधिक समय में यह सघन ग्लेशियल बर्फ में बदल जाती है।
- **प्रकार**:
  - *अल्पाइन ग्लेशियर* पर्वतीय घाटियों से नीचे प्रवाहित होते हैं।
  - *आइस शीट्स* (50,000 वर्ग किमी से बड़ी) केवल ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में मौजूद हैं।
  - *आइस कैप्स* (<50,000 वर्ग किमी) गुंबद के आकार की होती हैं और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
  - *आइसफील्ड्स*, हिमशिखरों से छोटे होते हैं तथा अंतर्निहित भू-भाग से प्रभावित होते हैं।

- **ग्लेशियल बर्फ का विस्तार**: ग्लेशियर पृथ्वी की भूमि सतह का **लगभग 10%** क्षेत्र कवर करते हैं (~15 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक)।
- **समुद्र तल पर प्रभाव**: यदि सभी ग्लेशियर और आइस शीट्स पूरी तरह पिघल जाती हैं, तो **वैश्विक समुद्र तल 60 मीटर (195 फीट)** तक बढ़ सकता है।
- **क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा ग्लेशियर**: *सेलर ग्लेशियर* (अंटार्कटिका)
- **सबसे लंबाग्लेशियर**: *बेरिंग ग्लेशियर* (अलास्का)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नीली हिमनद बर्फ:** पुरानी हिमनद बर्फ नीली या फिरोज़ी दिखाई देती है क्योंकि यह प्रकाश स्पेक्ट्रम के अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और केवल नीले रंग का प्रकीर्णन करती है। इसकी घनी, सघन क्रिस्टलीय संरचना, सामान्य फ्रीज़र बर्फ की सरल संरचना के विपरीत, इस प्रभाव को बढ़ाती है।

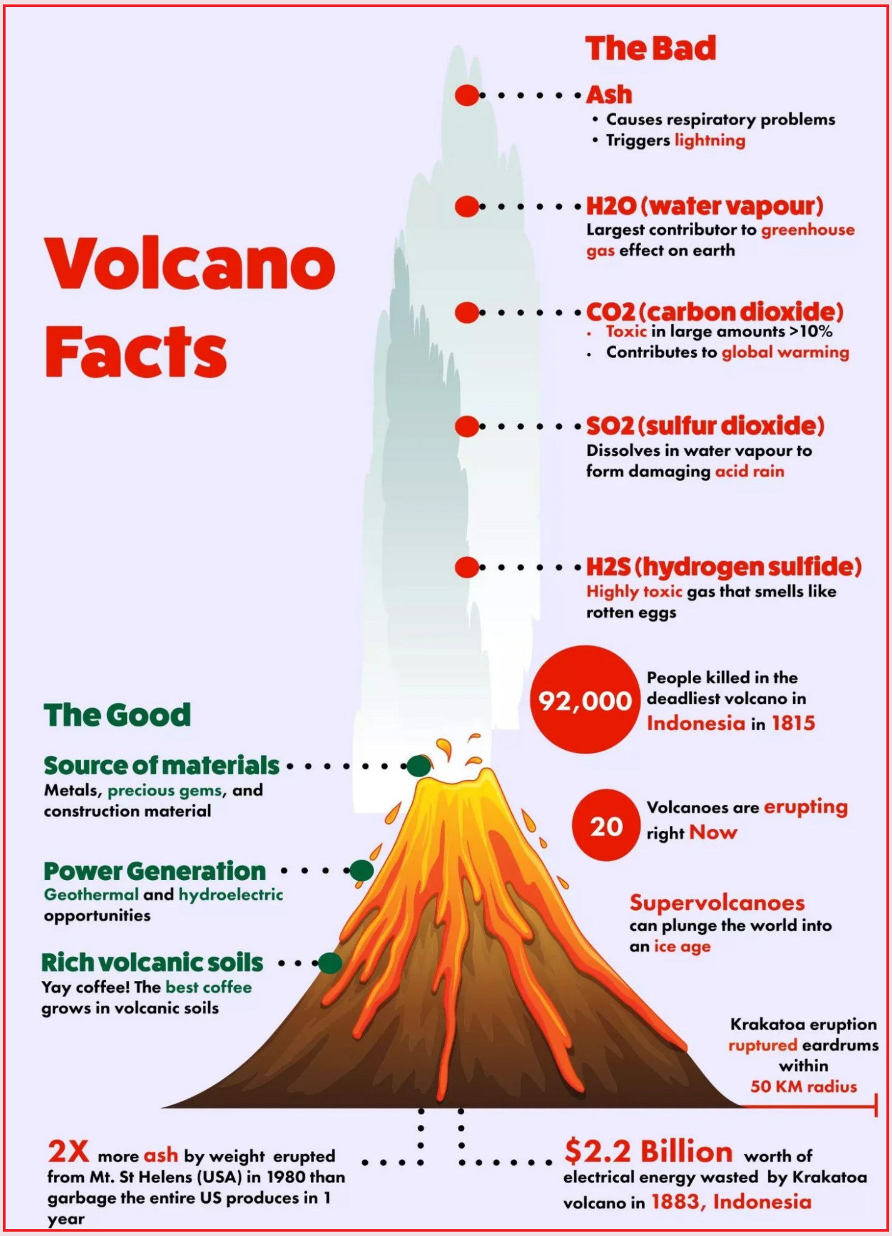

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 और BioE3 नीति

चर्चा में क्यों?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने BIRAC और iBRIC+ के साथ मिलकर जैव प्रौद्योगिकी में समावेशी जनभागीदारी के महत्त्व को उजागर करने के लिये **समता, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025** का आयोजन किया।

- इस कार्यक्रम में BioE3 **ढाँचे** के तहत **वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था** प्राप्त करने के सरकार के लक्ष्य को भी दोहराया गया।

विश्व जैव उत्पाद दिवस

- इस दिवस की शुरुआत **वर्ष 2021 में वर्ल्ड बायोइकोनॉमी फोरम** द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य **जैव-आधारित उत्पादों** की क्षमता के प्रति जागरूकता फैलाना है, जो **पर्यावरणीय स्थिरता, जलवायु कार्रवाई** और **हरित नवाचार** को बढ़ावा देने में सहायक हैं, क्योंकि ये **जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम** करते हैं।

iBRIC+

iBRIC कार्य

विशेषता	विवरण
पुनर्संरचना	विज्ञान और प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति को बढ़ाना
सुदृढ़ करना	अनुसंधान, विकास और नवाचार को एकीकृत करना
वैश्विक स्थिति निर्धारण	जैव-अर्थव्यवस्था के लिये साहसिक वैश्विक कदमों को परिभाषित करना
ढाँचा	DBT के BRIC पहल के तहत कार्य करना
क्षमता निर्माण	कार्यबल के परिवर्तन और कौशल विकास पर बल देना
परिसंपत्ति प्रबंधन	प्रौद्योगिकियों का विकास और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **iBRIC+ (इंडियन बायोइकोनॉमी रिसर्च एंड इनोवेशन कंसोर्टियम प्लस)** जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) की एक **रणनीतिक पहल** है, जिसका उद्देश्य **भारत की जैव-अर्थव्यवस्था को गति देना** है। यह एक **सहयोगात्मक, बहु-हितधारक मंच** के माध्यम से कार्य करता है।
- iBRIC की बुनियाद पर, यह **क्षेत्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने** तथा एक सतत् एवं **उच्च-प्रदर्शन वाली जैव-अर्थव्यवस्था** को समर्थन देने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।
- यह **BRIC का पूरक** है, जो **शासन में सुधार, मानव संसाधन समानता सुनिश्चित करने, NEP-संरेखित अनुसंधान को बढ़ावा देने, अंतर्विषयी सहयोग को सक्षम करने** और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय मिशनों के साथ अनुसंधान एवं विकास को संरेखित करने के लिये एक ढाँचे के तहत 13 DBT संस्थानों को एकीकृत करता है।

जैव उत्पाद क्या हैं?

- **परिचय: जैव उत्पाद (Bioproducts)** वे ईंधन, सामग्री और रसायन होते हैं जो **नवीकरणीय बायोमास** से बनाए जाते हैं, जैसे- फसलें, वृक्ष, शैवाल एवं कृषि अपशिष्ट।
  - **उदाहरण: जैव ईंधन** (इथेनॉल, बायोगैस), **बायोप्लास्टिक, जैव-आधारित सौंदर्य प्रसाधन (Bio-based cosmetics)** और **पौधों से प्राप्त औषधियाँ (Plant-derived medicines)**।
- **महत्त्व: जैव उत्पाद** जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करते हैं, जिससे **वायु प्रदूषण, निर्वनीकरण** और **जैवविविधता हानि** जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
  - **जैव प्रौद्योगिकी नवाचार** के माध्यम से वे उत्पाद की गुणवत्ता या प्रदर्शन से समझौता किये बिना **जलवायु-संवेदनशील विकास** को बढ़ावा देते हैं।
- **जैव उत्पादों की श्रेणियाँ:**

श्रेणी	उपश्रेणी / उदाहरण
बायोपॉलिमर (Biopolymers)	**बायोप्लास्टिक** – PLA, PHA **बायोफोम** – स्टार्च-आधारित, ग्लूटेन-आधारित **बायोरबर** – रबर पेड़, ग्वायुले से प्राप्त **बायोफाइबर** – सेल्यूलोज़ फाइबर, प्रोटीन फाइबर **बायोकॉम्पोज़िट्स** – प्राकृतिक रेशों से प्रबलित मैट्रिक्स
बायोकेमिकल्स (Biochemicals)	**जैविक अम्ल** – सक्सिनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल **अल्कोहल** – फैटी अल्कोहल, 1,4-ब्यूटेनडायोल **एरोमैटिक्स** – टोलुईन, पैरा-ज़ाइलीन **बायो-डाई** – प्राकृतिक रंग, जैव-आधारित डाई **अन्य** – फुरफुरल, आइसोप्रीन आदि

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

बायोएडहेसिव्स (Bioadhesives)	**प्राकृतिक चिपकने वाले** – शेलक, कॉनिफर रेजिन **जैव-आधारित चिपकने वाले** – केसिन ग्लू, नाइट्रोसेल्यूलोज़ **बायोमिमेटिक चिपकने वाले** – हाइड्रोजेल, टिशू एडहेसिव
बायोमेडिसिंस (Biomedicines)	**बायोफार्मास्युटिकल्स** – एंटीबायोटिक्स, टीके **वनस्पति आधारित औषधियाँ** – कुनैन, पैक्लिटैक्सेल **बायोकॉस्मेटिक्स** – साबुन, लोशन, क्रीम आदि
बायोपेस्टीसाइड्स (Biopesticides)	**बायोकेमिकल कीटनाशक** – फेरोमोन, पाइरेथ्रिंस **सूक्ष्मजीव कीटनाशक** – लाभकारी बैक्टीरिया, फफूँदी PIP – GMO में उत्पादित कीटनाशक तत्त्व

- **उत्पादन विधियाँ:** जैव-उत्पादों का उत्पादन **किण्वन, ताप-अपघटन, एंज़ाइम आधारित रूपांतरण** और **रासायनिक संश्लेषण** जैसी विधियों द्वारा किया जाता है।
- **जैव अपघटन क्षमता:** सभी **जैव-उत्पाद** जैव अपघटनीय नहीं होते और यह उनके **उपयोग के उद्देश्य** पर निर्भर करता है। (उदाहरण के लिये: **जैव-आधारित पेंट** जैव अपघटनीय नहीं होता)।
- **फीडस्टॉक्स और स्थिरता:** प्रमुख स्रोतों में **सोयाबीन, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी, अलसी, आलू, शैवाल** और **माइसीलियम** (Mycelium) शामिल हैं।
    - कई **जैव-उत्पाद** कृषि या वानिकी अपशिष्ट का उपयोग करते हैं, जिससे **खाद्य आपूर्ति पर दबाव कम** होता है। उदाहरण के लिये, **सूरजमुखी के बीज निकालने के बाद बचा हुआ अवशेष** जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है।

BioE3 नीति क्या है?

- **परिचय:** BioE3 नीति (**अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार के लिये जैव प्रौद्योगिकी**), **वर्ष 2024** में **जैव प्रौद्योगिकी विभाग** द्वारा प्रमुख क्षेत्रों में **उन्नत जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को** एकीकृत करके **उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण** को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई है।
    - **इसका उद्देश्य सतत् प्रथाओं, नवाचार और रोज़गार सृजन** के माध्यम से भारत की **जैव अर्थव्यवस्था को मज़बूत** करना है।
- यह भारत के **'नेट ज़ीरो' कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने तथा चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था** के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्यों का समर्थन करता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
    - **जैव विनिर्माण अवसंरचना:** यह नीति **अनुसंधान और विकास** (R & D), **उद्यमशीलता को बढ़ावा देने तथा जैव विनिर्माण एवं जैव-एआई हब** व **बायोफाउंड्रीज़** के निर्माण पर केंद्रित है।
    - **सतत् जैव-विनिर्माण का समर्थन:** **'पर्यावरण के लिये जीवनशैली' (LiFE)** पहल के साथ संरेखित, यह नीति **पुनर्योजी जैव-अर्थव्यवस्था मॉडल** के विकास का समर्थन करती है जो सतत् और संसाधन-कुशल हैं।
        - **इसमें ज़िम्मेदार जैव प्रौद्योगिकी विकास** सुनिश्चित करते हुए भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिते **नैतिक जैव सुरक्षा और वैश्विक विनियामक संरेखण** पर भी ज़ोर दिया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **कार्यबल विस्तार: विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में कुशल जैव प्रौद्योगिकी कार्यबल** के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि नए रोज़गार सृजित किये जा सकें तथा **स्थानीय बायोमास** का उपयोग करके **समावेशी क्षेत्रीय विकास** को बढ़ावा दिया जा सके।

The policy's scope is broad and ambitious, encompassing several strategic sectors:

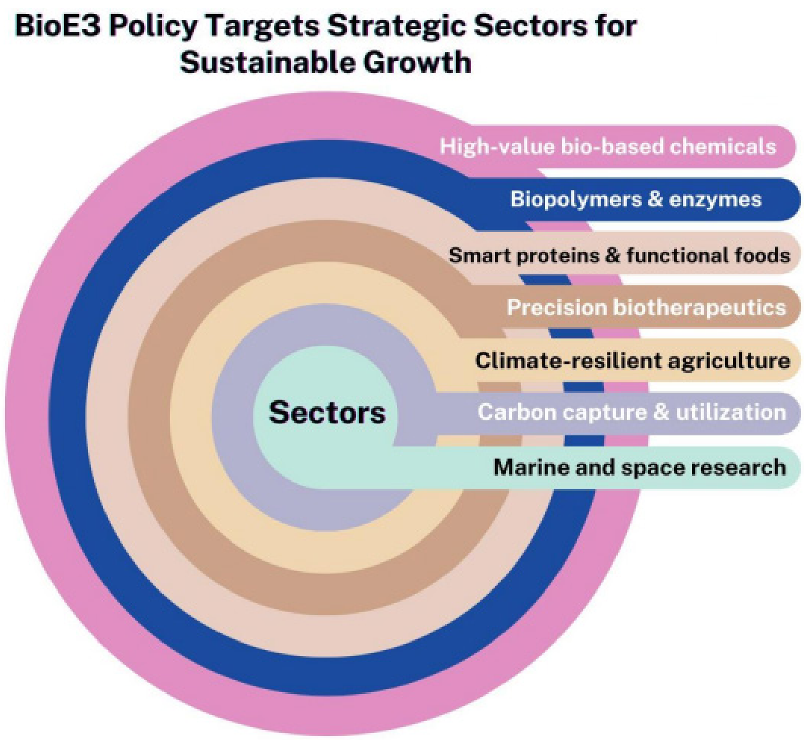

- **BioE3 नीति के मुख्य विषय:**
  - **जैव-आधारित रसायन एवं एंज़ाइम:** पेट्रोरसायनों के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना।
  - **कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन:** पोषक तत्त्वों से भरपूर, सतत् खाद्य स्रोतों का विकास करना।
  - **परिशुद्ध जैवचिकित्सा:** उन्नत लक्षित चिकित्सा उपचार और निदान।
  - **जलवायु-अनुकूल कृषि:** जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि तकनीकों का समर्थन करना।
  - **कार्बन कैप्चर एवं उपयोग (CCU):** कार्बन को कैप्चर करने और पुन: उपयोग करने के लिये प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना।
  - **भविष्योन्मुखी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान:** जैव-विनिर्माण में नवीन समाधानों के लिये समुद्री एवं अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी का अन्वेषण करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकारी पहल

- राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2020-25
- राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन
- अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन
- वन हेल्थ कंसोर्टियम
- बायोटेक पार्क
- जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)
- जीनोम इंडिया परियोजना

आदि कर्मयोगी और तलाश

चर्चा में क्यों?

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने **आदि कर्मयोगी** कार्यक्रम के तहत **पहली क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला (Regional Process Lab - RPL)** की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य **स्थानीय शासन को सशक्त बनाना** है।

- साथ ही, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था **राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS)** ने **तलाश (TALASH - Tribal Aptitude, Life Skills and Self-Esteem Hub)** कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य **जनजातीय विद्यार्थियों के समग्र विकास को समर्थन देना** है।

आदि कर्मयोगी क्या है?

- **परिचय:** **आदि कर्मयोगी** एक **उत्तरदायी शासन के लिये राष्ट्रीय मिशन** है, जिसे **20 लाख जनजातीय स्तर के कार्यकर्ताओं और ग्राम स्तरीय परिवर्तन अभिकर्त्ताओं** का एक कुशल समूह तैयार करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। ये कार्यकर्त्ता **समावेशी विकास** को गति देंगे और **जनजातीय क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी** सुनिश्चित करेंगे।
  - यह मिशन **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN)** और **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA)** के साथ समन्वय में कार्य करता है, जिसमें **अभिसरण (Convergence)**, **समुदाय की भागीदारी** और **क्षमता वृद्धि** पर बल दिया गया है।
- **उद्देश्य:**
  - **स्थानीय नेतृत्व का निर्माण: राज्य मास्टर प्रशिक्षकों (SMT), ज़िला मास्टर प्रशिक्षकों (DMT)** और ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षकों का विकास करना।
  - **अंतिम छोर तक सेवा वितरण को सुदृढ़ करना:** दूरदराज़ के क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन और सेवा वितरण को प्रभावी बनाना।
  - **समुदाय-केंद्रित शासन को बढ़ावा देना:** जनजातीय समुदायों को **गरिमा, सहानुभूति** और **उद्देश्यपूर्ण भागीदारी** के साथ सशक्त बनाना।
- **क्रियान्वयन:** पाँच दक्षिणी राज्यों **कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** के **SMT** को बेंगलुरु स्थित **RPL** में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
  - ये प्रशिक्षक आगे चलकर **राज्य स्तरीय प्रक्रिया प्रयोगशालाएँ (SPL)** संचालित करेंगे, जहाँ वे **ज़िला मास्टर प्रशिक्षकों (DMT)** को प्रशिक्षित करेंगे। इस कार्यक्रम में **सिविल सोसाइटी संगठनों** की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है ताकि **सहभागिता आधारित अधिगम** को बढ़ावा दिया जा सके तथा प्रशिक्षण **स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप** हो। यह **निरंतर अधिगम और नेतृत्व** के विकास का भी समर्थन करता है।
  - **आदि कर्मयोगी मिशन** स्थानीय स्तर की योजना, त्वरित शिकायत निवारण और साझा कार्यान्वयन के माध्यम से **उत्तरदायी शासन** को समर्थन देता है। यह मिशन **जनजातीय कार्य, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, जल शक्ति, शिक्षा,** और **वन विभाग** जैसे विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों को एक साथ लाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

तलाश क्या है?

- **परिचय: तलाश (TALASH)** एक नवाचारी मंच है, जिसे **राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS)** ने **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) भारत** के सहयोग से शुरू किया है। इसका उद्देश्य पूरे भारत के **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS)** में पढ़ने वाले **1.38 लाख से अधिक छात्रों** के **समग्र विकास** को समर्थन देना है।
  - **तलाश मंच** जनजातीय छात्रों को आवश्यक **जीवन कौशल** और **कॅरियर की स्पष्टता** प्रदान करके उन्हें प्रतिस्पर्द्धात्मक विश्व की चुनौतियों से निपटने के लिये तैयार करता है। यह **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** के साथ भी मेल खाता है, जो **समावेशी तथा समान शिक्षा** पर बल देती है।
  - **तलाश** को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। अब तक 75 एकलव्य विद्यालयों के 189 शिक्षक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। **वर्ष 2025 के अंत तक**, यह कार्यक्रम **सभी EMRS** को शामिल कर लेगा।
- **तलाश (TALASH) की प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन (Psychometric Assessments): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT)** के **'तमन्ना (Tamanna)' फ्रेमवर्क** पर आधारित इस मूल्यांकन में छात्र **अभिरुचि परीक्षण** देते हैं और उन्हें एक **व्यक्तिगत कॅरियर कार्ड** प्रदान किया जाता है।
  - **कॅरियर परामर्श (Career Counselling):** यह छात्रों को उनके **लक्ष्यों को उनकी क्षमताओं और रुचियों** के अनुरूप समन्वयित करने में सहायता करता है।
  - **जीवन कौशल और आत्म-सम्मान मॉड्यूल: इंटरैक्टिव पाठों** के माध्यम से छात्रों में **आत्मविश्वास** और **सांवेगिक बुद्धिमत्ता** का विकास किया जाता है।
  - **शिक्षकों के लिये ई-लर्निंग:** शिक्षकों को **डिजिटल उपकरणों तथा प्रशिक्षण** के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है, जिससे वे छात्रों का **मार्गदर्शन और मेंटरिंग** प्रभावी ढंग से कर सकें।

नोट: तमन्ना (Tamanna) एक **रुझान परीक्षण** है, जिसे **शिक्षा मंत्रालय** के अंतर्गत **NCERT** और **केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)** द्वारा विकसित किया गया है। यह कक्षा **9वीं और 10वीं** के छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी **क्षमताओं व संभावनाओं** को समझने में सहायता करता है।

- यह परीक्षण **स्वैच्छिक** है, इसमें **उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण** की कोई अवधारणा नहीं है और इसका उद्देश्य **विषय चयन थोपना नहीं, बल्कि मार्गदर्शन प्रदान करना** है।

मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल

स्रोत: द हिंदू

47वीं विश्व धरोहर समिति (World Heritage Committee - WHC) के सत्र में, भारत के आधिकारिक नामांकन *मराठा सैन्य परिदृश्य* को 2024-25 के चक्र के तहत **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)** की **विश्व धरोहर स्थल** की सूची (World Heritage List) में शामिल किया गया है।

- **असम के चराईदेव के मोइदम को** वर्ष 2024 में शामिल किये जाने के बाद यह भारत का 44वाँ **विश्व धरोहर स्थल** बन गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

मराठा सैन्य परिदृश्य क्या है?

- भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल **12 प्रमुख किले शामिल** हैं, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में स्थित है। ये किले 17वीं सदी के अंत से 19वीं सदी की शुरुआत के बीच बनाए गए या विस्तारित किये गए थे।
  - तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थित इन किलों ने एक मज़बूत रक्षा प्रणाली का निर्माण किया, जिसने मराठा सैन्य शक्ति, व्यापार और क्षेत्रीय नियंत्रण को समर्थन दिया।
- **12 प्रमुख किले:**
  - **महाराष्ट्र** : साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग
  - **तमिलनाडु** : जिंजी किला
- **भूभाग के आधार पर वर्गीकरण:**
  - **पहाड़ी किले** : साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, जिंजी।
  - **पहाड़ी-वन किला** : प्रतापगढ़.
  - **पहाड़ी-पठार किला** : पन्हाला.
  - **तटीय किला** : विजयदुर्ग.
  - **द्वीप किले** : खंडेरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग।
- सुरक्षा: 8 **किले (शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी)** **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** द्वारा संरक्षित हैं ।
  - 4 किले (साल्हेर, राजगढ़, खंडेरी और प्रतापगढ़) महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के अधीन हैं।
- **विश्व धरोहर स्थल मान्यता:** मराठा सैन्य परिदृश्य को इसके स्थापत्य, तकनीकी और सांस्कृतिक महत्त्व के साथ-साथ ऐतिहासिक घटनाओं से इसके संबंध के लिये यूनेस्को मानदंड (iv) और (vi) के तहत नामित किया गया था।
  - ऐसे शिलालेखों का उद्देश्य 196 देशों में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य (OUV) वाली विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है।

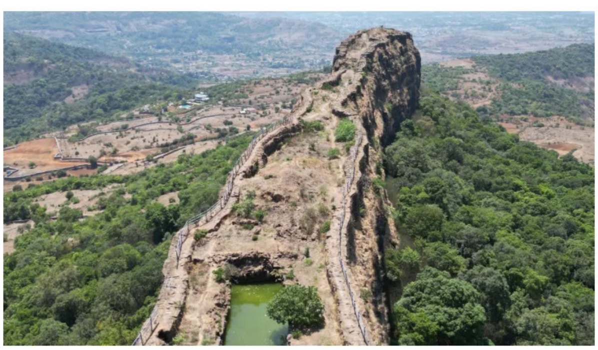

Lohagard fort

Raigad Fort

नोट: यूनेस्को,**1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन के माध्यम से** देशों को सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों की पहचान एवं संरक्षण में सहायता प्रदान करता है। भारत वर्ष 1977 में इस सम्मेलन में शामिल हुआ (कुल 196 देशों ने 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन का अनुसमर्थन किया है)।

- प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य पक्ष विश्व धरोहर सूची में अंकित किये जाने हेतु विश्व धरोहर समिति के विचारार्थ केवल एक स्थल का प्रस्ताव रख सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **विश्व धरोहर स्थलों** की सर्वाधिक संख्या के मामले में **भारत विश्व स्तर पर छठे** और **एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है।** विश्व धरोहर की इसकी **संभावित सूची में 62 स्थल हैं,** जो भविष्य में किसी भी स्थल को विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में माने जाने के लिये एक अनिवार्य सीमा है।

UNESCO विश्व धरोहर चयन मानदंड क्या हैं?

- **चयन के मानदंड:** किसी स्थल को UNESCO की **विश्व धरोहर सूची** में शामिल किये जाने के लिये उसमें **असाधारण सार्वभौमिक मूल्य (Outstanding Universal Value - OUV)** होना चाहिये और उसे **दस में से कम से कम एक चयन मानदंड** को पूरा करना आवश्यक होता है। ये मानदंड **ऑपरेशनल गाइडलाइंस** में उल्लिखित होते हैं, जो **विश्व धरोहर कन्वेंशन** को लागू करने के लिये मुख्य संदर्भ दस्तावेज़ के रूप में कार्य करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

Selection criteria

(i)

to represent a masterpiece of human creative genius;

(ii)

to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or landscape design;

(iii)

to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared;

(iv)

to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history;

(v)

to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change;

(vi)

to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. (The Committee considers that this criterion should preferably be used in conjunction with other criteria);

(vii)

to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and aesthetic importance;

(viii)

to be outstanding examples representing major stages of earth's history, including the record of life, significant on-going geological processes in the development of landforms, or significant geomorphic or physiographic features;

(ix)

to be outstanding examples representing significant on-going ecological and biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals;

(x)

to contain the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of biological diversity, including those containing threatened species of outstanding universal value from the point of view of science or conservation.

Operational Guidelines (year)	Cultural criteria						Natural criteria			
2002	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
2005	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(viii)	(ix)	(vii)	(x)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- पहले ये मानदंड **छह सांस्कृतिक** और **चार प्राकृतिक** श्रेणियों में विभाजित थे, लेकिन **वर्ष 2005 से इन्हें एकीकृत करके दस सम्मिलित मानदंडों** के एक ही सेट में बदल दिया गया है। इन दिशा-निर्देशों को समय-समय पर **धरोहर की समझ और संरक्षण के तरीकों में हुए बदलावों** को ध्यान में रखते हुए अद्यतन किया जाता है।
- संभावित सूची से किसी स्थल का चयन करने के बाद, संबंधित **देश (राज्य पक्ष)** उस स्थल के लिये एक **विस्तृत नामांकन दस्तावेज़** प्रस्तुत करता है। इस दस्तावेज़ की **प्रारंभिक समीक्षा विश्व धरोहर केंद्र (World Heritage Centre)** द्वारा की जाती है और फिर इसे **मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं के पास भेजा जाता है**।

- **मूल्यांकन:** नामांकित संपत्ति का मूल्यांकन **विश्व धरोहर कन्वेंशन द्वारा अधिकृत सलाहकार निकायों** द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ये निकाय हैं: **ICOMOS (अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद), IUCN (अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ)**।
  - ICCROM (सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण और पुनरुद्धार के अध्ययन के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र), एक अंतर-सरकारी संगठन है जो समिति को सांस्कृतिक स्थल संरक्षण और प्रशिक्षण गतिविधियों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है।
- **शिलालेख:** मूल्यांकन के बाद, विश्व धरोहर समिति स्थल चिह्नों पर निर्णय लेने के लिये प्रतिवर्ष बैठक करती है। यह निर्णय स्थगित भी कर सकती है और संबंधित राष्ट्रों से अधिक जानकारी भी मांग सकती है।
  - **भारत वर्ष 2021-25 तक विश्व धरोहर समिति का सदस्य बन गया।**

प्राकृतिक आपदाओं के लिये कटैस्ट्रफी बॉण्ड

चर्चा में क्यों?

भारत में **आपदा बीमा कवरेज की सीमित उपलब्धता प्राकृतिक आपदाओं** के समय वित्तीय असुरक्षा को बढ़ा देती है। जलवायु-प्रेरित आपदाओं में वृद्धि को देखते हुए, **कटैस्ट्रफी बॉण्ड (कैट बॉण्ड)** आपदा जोखिम **वित्तपोषण और अनुकूलन** बढ़ाने के लिये एक रणनीतिक विकल्प प्रस्तुत करते हैं।

बॉण्ड

- **बॉण्ड ऋण उपकरण** होते हैं, जिनके माध्यम से कोई निवेशक **सरकार, कंपनी या अन्य संस्था** को एक निश्चित अवधि के लिये निधि उधार देता है।
- इसके बदले में, निवेशक को नियमित रूप से **ब्याज भुगतान (जिसे कूपन कहा जाता है)** प्राप्त होता है और बॉण्ड की **परिपक्वता** पर उसे **मूलधन** लौटा दिया जाता है।

कटैस्ट्रफी बॉण्ड क्या हैं?

- **परिचय:** **कटैस्ट्रफी बॉण्ड/आपदा बॉण्ड (Catastrophe Bonds)** बीमा से जुड़े ऐसे प्रतिभूतिकृत उपकरण (Insurance-linked securities) हैं जो प्राकृतिक आपदाओं (जैसे **भूकंप, चक्रवात या बाढ़**) से उत्पन्न वित्तीय जोखिम को सरकारों या बीमा कंपनियों से हटाकर निजी निवेशकों पर स्थानांतरित करते हैं और यह प्रक्रिया वैश्विक वित्तीय बाज़ारों के माध्यम से होती है।
  - ये **संकर (हाइब्रिड) वित्तीय साधन** होते हैं, जो **बीमा और बॉण्ड दोनों की विशेषताओं को जोड़ते हैं** तथा आपदा के बाद **त्वरित राहत कोष** जुटाने में सहायता करते हैं।
  - **निवेशकों को उच्च प्रतिफल** मिलता है क्योंकि वे उच्च जोखिम उठाते हैं, लेकिन यदि कोई बड़ी आपदा घटित हो जाती है, तो उन्हें **अपना निवेश खोना पड़ सकता है**।
  - इन बॉण्ड को सामान्यतः **पेंशन फंड** और **हेज फंड** जैसे **संस्थागत निवेशक** खरीदते हैं, क्योंकि ये जटिल होते हैं तथा इनमें निवेश की न्यूनतम सीमा अधिक होती है।
  - हाल के वर्षों में, विशेषकर वर्ष **2023 में कैट बॉण्ड के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली हेज फंड रणनीति** बनने के बाद, ये **रिटेल निवेशकों को भी आकर्षित** करने लगे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

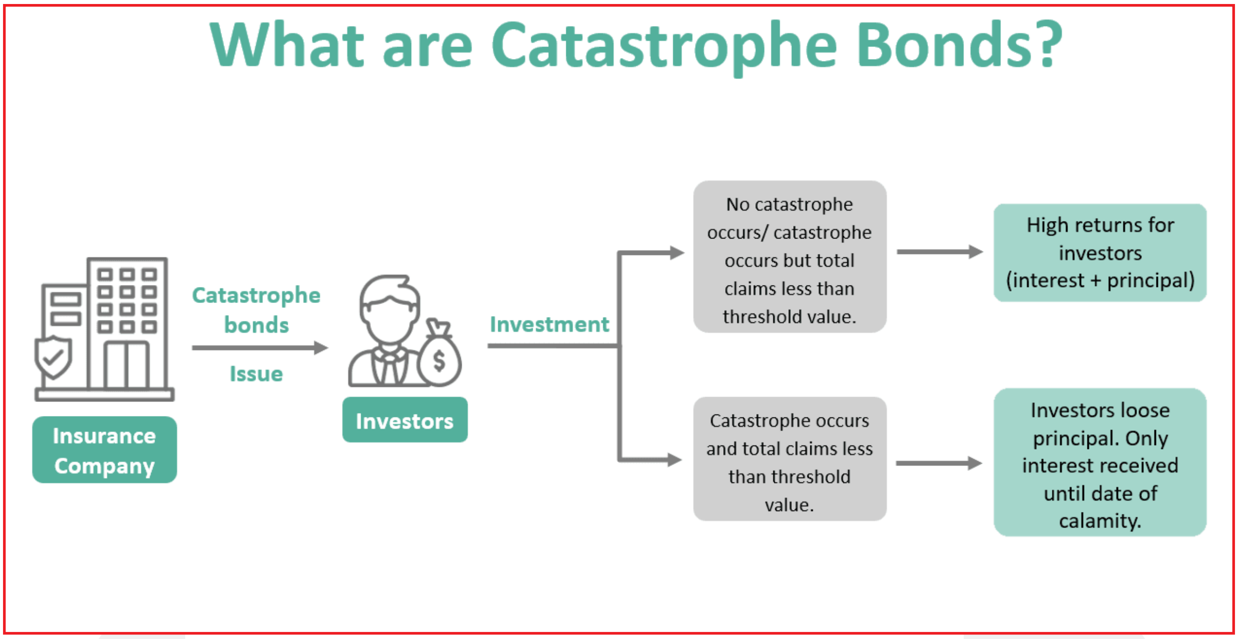

- **कार्य प्रणाली:**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **उच्च प्रतिफल:** निवेशकों को नियमित सरकारी या कॉर्पोरेट बॉण्ड की तुलना में अधिक प्रतिफल मिलता है, क्योंकि वे मूलधन खोने के जोखिम को वहन करते हैं।
  - **विविधता:** कैट बॉण्ड का जोखिम वित्तीय बाज़ार की गतिविधियों से संबंधित नहीं होता, जिससे पोर्टफोलियो में विविधता आती है।
  - **त्वरित पूंजी जुटाना:** आपदा के बाद **त्वरित भुगतान** की सुविधा देता है, जिससे देरी से मिलने वाली सहायता या बजट पुन:आवंटन पर निर्भरता घटती है।
  - **बहु-वर्षीय कवरेज:** सरकारों को कई वर्षों तक आपदा सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
  - **राजकोषीय बफर:** आपदा के बाद **केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था पर दबाव** को कम करता है।
  - **निवेशक सतर्कता:** बेहतर आपदा तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- **वैश्विक प्रवृत्तियाँ:** 1990 के दशक के अंत में शुरुआत के बाद से अब तक वैश्विक स्तर पर **180 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक के कैट बॉण्ड जारी किये जा चुके हैं, जिनमें से लगभग **50 बिलियन अमेरिकी डॉलर** वर्तमान में सक्रिय हैं।

भारत के लिये कटैस्ट्रफी बॉण्ड का महत्त्व क्या है?

- भारत, जो **चक्रवातों, बाढ़ों और भूकंपों** जैसी **जलवायु-संबंधी आपदाओं** के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, **आपदा जोखिम वित्तपोषण** में बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि बीमाकर्त्ता प्रीमियम बढ़ा रहे हैं या बाज़ार से बाहर हो रहे हैं।
- **वित्त वर्ष** 2021-22 से सरकार आपदा न्यूनीकरण के लिये **प्रतिवर्ष 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** आवंटित कर रही है, जिससे भारत **विश्व बैंक** या **एशियाई विकास बैंक (ADB)** जैसे मध्यस्थों के साथ साझेदारी में कैट बॉण्ड की संभावना तलाशने के लिये अच्छी स्थिति में है।
- भारत **नेपाल, भूटान और भारत में भूकंप** या **भारत, बांग्लादेश तथा श्रीलंका को प्रभावित करने वाले चक्रवातों** जैसे सीमा पार आपदा जोखिमों को शामिल करने के लिये **दक्षिण एशियाई कैट बॉण्ड पहल का नेतृत्व कर सकता है**।
  - क्षेत्रीय दृष्टिकोण से **जोखिम का प्रसार होगा, प्रीमियम लागत में कमी आएगी** तथा भागीदार देशों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति वित्तीय अनुकूलता बढ़ेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

रैपिड फायर

बोनट मकाक

केरल, बोनट मकाक (मकाका रेडिएटा), जो एक व्यापक प्राइमेट प्रजाति है, **की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने** और मानव-वन्यजीव संघर्ष **को न्यूनतम करने के लिये बड़े पैमाने पर नसबंदी पर** विचार कर रहा है।

बोनट मकाक

- यह पुरानी दुनिया के बंदरों (Old-World Monkey) **की एक प्रजाति है जो पूर्वी क्षेत्र** विशेष रूप से **दक्षिणी भारत का** मूल निवासी है तथा **इसका नाम इसके सिर के शीर्ष पर बालों के कारण मिला है जो टोपी या बोनट की तरह** दिखते हैं।
- यह पश्चिमी घाट के **सदाबहार और शुष्क पर्णपाती जंगलों में निवास करता है** तथा **शहरी, उपनगरीय एवं कृषि क्षेत्रों में भी पाया जाता है**।

- **प्रजनन और जीवनकाल:** वे **बहु-नर, बहु-मादा समूहों में** रहते हैं। **मादाएँ 3 वर्ष तक परिपक्व होती हैं** तथा 4 वर्ष की उम्र में बच्चे को जन्म देती हैं, इनका गर्भकाल **लगभग 24 सप्ताह का होता है** और **शिशु 6-7 महीने तक दूध पीते हैं** एवं लगभग एक वर्ष तक अपनी माताओं के करीब रहते हैं।
- **व्यवहार:** वे **वृक्षवासी (अपना अधिकांश समय वृक्षों पर बिताते हैं) और स्थलीय चौपाया (चार पैरों पर चलते हैं) हैं, दिन के समय सक्रिय रहते हैं** तथा **लगभग 30 के समूह** में रहते हैं।
- **संचार:** वे शिकारियों को संकेत देने के लिये **चेतावनी (अलार्म कॉल)** सहित **दृश्य, स्पर्श और ध्वनि संचार** का उपयोग करते हैं।
  - **वे** हनुमान लंगूरों (Hanuman Langurs) और लायन-टेल्ड मकाक जैसे **समपैट्रिक प्राइमेट्स की चेतावनी वाली आवाज़ों को भी पहचान** सकते हैं।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 **: अनुसूचीI**
  - IUCN **: सुभेद्य**
- **भोजन:** वे **सर्वाहारी होते हैं, फल, पत्ते, कीड़े, पक्षियों के अंडे** और **छिपकलियाँ** खाते हैं। जब वे मानव बस्तियों के पास रहते हैं, तो वे भोजन, कचरा और बगीचों पर हमला करके अपने भोजन की तलाश करते हैं।

निज़ामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन

केंद्रीय गृहमंत्री ने तेलंगाना के **निज़ामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य हल्दी के लिये** पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात सहित **एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित** करना है।

- **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन** कार्यरत इस बोर्ड का उद्देश्य बिचौलियों को कम करना, **GI-टैग वाली जैविक हल्दी को बढ़ावा देना** और किसानों को सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रशिक्षण देना है।
- इससे पहले **मसाला बोर्ड** 50 से अधिक अन्य मसालों के साथ हल्दी के प्रचार का प्रबंधन करता था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हल्दी

- **परिचय:** हल्दी करकुमा लोंगा (Curcuma longa) पौधे का एक भूमिगत तना है, जो जिंजर परिवार (ज़िंगिबेरेसी) की एक प्रजाति है।
  - हल्दी में **सक्रिय यौगिक करक्यूमिन, इसे पीला रंग प्रदान करता है** तथा **यह अपने एंटी-इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी लाभों के लिये** जाना जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **खेती:** भारत में **20 से अधिक राज्यों में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई** जाती हैं, जिनमें से प्रमुख उत्पादन **महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु** में होता है।
    - **हल्दी की खेती** के लिये **20-30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1500+ मिमी वार्षिक वर्षा** और **अच्छी तरह से सूखा रेतीली या चिकनी दोमट मिट्टी** वाली **उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त** होती है।
- **वैश्विक स्थिति:** भारत विश्व स्तर पर हल्दी का **सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक** है।
- वर्ष 2022-23 में भारत ने विश्व की **75% से अधिक हल्दी का उत्पादन** किया। हल्दी के विश्व व्यापार में **भारत की हिस्सेदारी 62 प्रतिशत से अधिक** है।
- **निर्यात डेटा:** वर्ष **2022-23 में** भारत ने **207.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर** मूल्य की **हल्दी और संबंधित उत्पादों का निर्यात किया, प्रमुख निर्यात बाज़ारों में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया शामिल हैं।** वर्ष **2030 तक हल्दी निर्यात में** 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का **लक्ष्य** है।
- **GI टैग:** लाकाडोंग हल्दी (मेघालय), **कंधमाल हल्दी** (ओडिशा), **इरोड हल्दी** (तमिलनाडु) सहित अन्य को **GI टैग** मिला है।
- **चिकित्सीय लाभ:** हल्दी, अपने सक्रिय यौगिक कर्क्यूमिन के साथ, **सूजन को कम करने**, मुक्त कणों को बेअसर करने और **पित्त उत्पादन को बढ़ावा देकर पाचन स्वास्थ्य का समर्थन** करने में मदद करती है।

बिहार में भारत की पहली मोबाइल ई-वोटिंग

बिहार, सी-डैक द्वारा विकसित E-SECBHR ऐप का उपयोग करके नगरपालिका चुनावों में **मोबाइल फोन-आधारित ई-वोटिंग का संचालन करने वाला पहला भारतीय राज्य** बन गया। इस पहल का उद्देश्य **वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिये मतदान की पहुँच में सुधार** करना है।

- **सुरक्षा और पारदर्शिता** सुनिश्चित करने के लिये प्रणाली में **ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, फेशियल रिकॉग्निशन (Facial Recognition), बायोमेट्रिक स्कैनिंग, मतदाता पहचान-पत्र सत्यापन,** तथा प्रति मोबाइल नंबर 2 मतदाता की सीमा तय की गई है।

हालिया ECI चुनाव सुधार और गोपनीयता सुरक्षा

- **मतदान केंद्रों के CCTV फुटेज तक सार्वजनिक पहुँच पर प्रतिबंध: भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) ने** मतदाता **गोपनीयता और सुरक्षा** का हवाला देते हुए मतदान केंद्रों के **CCTV, वेबकास्ट और वीडियोग्राफी फुटेज** तक सार्वजनिक पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया है।

नए नियमों के अनुसार:

- **परिणाम घोषित होने के 45 दिन बाद फुटेज को नष्ट करना** अनिवार्य है, जब तक कि कोई **याचिका दायर न की गई** हो।
- फुटेज केवल **चुनाव याचिका की** सुनवाई कर रहे **उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत की जा सकती है** और **कोई अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति इसे प्राप्त नहीं कर सकता,** क्योंकि इसे सार्वजनिक रूप से जारी करने से **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128** (मतदान की गोपनीयता) तथा **मतपत्र की गोपनीयता को** बरकरार रखने वाले **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रति उल्लंघन हो सकता** है।
    - ECI ने स्पष्ट किया कि वीडियोग्राफी **कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है** और इसका उपयोग केवल **आंतरिक प्रबंधन उपकरण के रूप** में किया जाता है।
- **दिसंबर 2024** में **चुनाव संचालन नियम, 1961** के **नियम 93(2)(a) में** संशोधन करके **CCTV और इलेक्ट्रॉनिक फुटेज को** सार्वजनिक निरीक्षण से बाहर रखा गया।
- **नए मतदाता-अनुकूल उपाय: 5 विधानसभा क्षेत्रों** में उपचुनावों में, ECI ने **पारदर्शिता और मतदाता सुविधा में** सुधार के लिये नई पहल की शुरुआत की, जिनमें शामिल हैं:
- मतदाताओं के लिये **मोबाइल जमा सुविधा**
- **ECINET ऐप** के माध्यम से **वास्तविक समय में मतदाता मतदान की रिपोर्टिंग**
- **100% वेबकास्टिंग** (एक स्टेशन को छोड़कर)
- सभी पीठासीन अधिकारियों के लिये **व्यक्तिगत मॉक पोल प्रशिक्षण**
- **लगभग 20 वर्षों में पहली बार** मतदाता सूची में संशोधन के लिये **विशेष सारांश संशोधन (SSR) का आयोजन किया गया।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत में चुनाव सुधार

चुनाव सुधार, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये किये गये बदलाव हैं।

वर्ष 1996 से पूर्व में हुए चुनाव सुधार

- **आदर्श आचार संहिता (1969):** राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश
- **61वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1988):** मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना
- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) (1989):** अलग-अलग रंगीन मतपेटियों से मतपत्रों में और बाद में EVM में परिवर्तिन
- **बूथ कैप्चरिंग (1989):** ऐसे मामलों में मतदान स्थगित करने या चुनाव रद्द करने का प्रावधान
- **मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) (1993):** मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं को EPIC जारी करने का आधार है।
- **भारत का निर्वाचन आयोग- एक बहु-सदस्यीय निकाय (1993):** मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आलावा अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

वर्ष 1996 का चुनाव सुधा

- **उप-चुनाव के लिये समय-सीमा:** विधानसभा में किसी भी रिक्ति के 6 माह के अंदर चुनाव को अनिवार्य किया गया
- **उम्मीदवारों के नामों की सूची:** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लिस्टिंग के लिये 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
  - मान्यता प्राप्त और पंजीकृत-गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
  - अन्य (स्वतंत्र)
- **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के आधार पर अपमान करने पर अयोग्यता:** 6 वर्ष के लिये चुनाव में अयोग्यता हो सकती है:
  - भारत के राष्ट्रीय ध्वज, संविधान का अपमान करना या राष्ट्रगान गाने से रोकना

वर्ष 1996 के पश्चात् चुनाव सुधार

- **प्रॉक्सी वोटिंग (2003):** सेवा मतदाता सशस्त्र बलों और सेना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बल चुनाव में प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन (2003):** जनता को संबोधित करने के लिये चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का समान बंटवारा।
- **EVM में ब्रेल संकेत विशेषताओं का परिचय (2004):** दृष्टिबाधित मतदाताओं को बिना किसी परिचारक के अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान करना

वर्ष 2010 के चुनाव सुधार

- विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार (2010)
- मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन (2013)
- नोटा विकल्प का परिचय (2014)
- **मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) (2013):** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये EVM के साथ VVPAT की शुरूआत
- **EVM और मतपत्रों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें (2015):** उन निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रम से बचने के लिये जहाँ उम्मीदवारों के नाम एक समान होते हैं
- **चुनाव बॉन्ड की शुरूआत (2017 बज़ट):** राजनीतिक दलों के लिये नकद दान का एक विकल्प
  - SC द्वारा असंवैधानिक घोषित (2024)
- इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) का आरंभ (2021)
- दिव्यांगजनों और 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिये होम वोटिंग (2024)

महत्त्वपूर्ण समितियाँ/आयोग

समितियाँ/आयोग	वर्ष	उद्देश्य
तारकुंडे समिति	1974	जय प्रकाश नारायण (जेपी) द्वारा "संपूर्ण क्रांति" आंदोलन के दौरान।
दिनेश गोस्वामी समिति	1990	चुनाव सुधार
वोहरा समिति	1993	अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ पर
इन्द्रजीत गुप्ता समिति	1998	चुनावों का राज्य वित्त पोषण
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	2007	शासन में नैतिकता पर रिपोर्ट (वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में)
तन्खा समिति (कोर कमेटी)	2010	निर्वाचन विधि और चुनाव सुधारों के संपूर्ण पहलू पर विचार करना।

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

हूल दिवस

प्रधानमंत्री ने **हूल दिवस (30 जून)** के अवसर पर **सिदो-कान्हू, चाँद-भैरव, फूलो-झानो तथा अन्य जनजातीय शहीदों** को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने औपनिवेशिक उत्पीड़न का विरोध करते हुए **संथाल विद्रोह** की शुरुआत की थी और अपने साहसपूर्ण संघर्ष की अमिट विरासत छोड़ी।

संथाल विद्रोह

- **परिचय: संथाल हूल** एक **जनजातीय विद्रोह** था और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भारत का पहला संरचित युद्ध था, जो वर्ष 1857 के विद्रोह से दो वर्ष पहले **वर्ष 1855 में शुरू किया गया था,** जिसका **उद्देश्य आर्थिक शोषण एवं भूमि अलगाव का विरोध करना था।**

भारत में प्रमुख जनजातीय विद्रोह (MAJOR TRIBAL REVOLTS IN INDIA)

जनजाति (विद्रोह)	क्षेत्र	वर्ष	प्रमुख नेता
पहाड़िया	राजमहल पहाड़ियाँ	1778	राजा जगन्नाथ
चुआर (जंगल महल विद्रोह)	जंगल महल (छोटा नागपुर और बंगाल के मैदान के बीच)	1798	दुर्जन/दुरजोल सिंह, माधब सिंह, राजा मोहन सिंह, लछमन सिंह
उरांव और मुंडा (तमाड़ विद्रोह)	तमाड़ (छोटानागपुर)	1798; 1914-15	भोलानाथ सहाय/सिंह (1798) जात्रा भगत, बलराम भगत (1914-15)
हो और मुंडा	सिंहभूम और रांची (छोटानागपुर क्षेत्र)	1820-37; 1890	परहाट के राजा (हो) बिरसा मुंडा (1890)
अहोम	असम	1828-30	गोमधर कोंवर
खासी	जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच का पहाड़ी क्षेत्र	1830	नुनक्लो शासक - तीरथ सिंह
कोल	छोटानागपुर (रांची, सिंहभूम, हज़ारीबाग, पलामू)	1831	बुद्धो भगत
संथाल	राजमहल पहाड़ियाँ	1833; 1855-56	सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू
खोंड	उड़ीसा, आंध्र प्रदेश	1837-56	चक्र बिश्नोई
कोया	पूर्वी गोदावरी ट्रैक (आंध्र) रंपा (आंध्र)	1879-80; 1886 1916; 22-24	तोमा सोरा, राजा अनंतय्यार अल्लूरी सीताराम राजू (रम्पा विद्रोह)
भील	पश्चिमी घाट, खानदेश (महाराष्ट्र), दक्षिण राजस्थान	1817-19; 25; 31; 46 & 1913	गोविंद गुरु (1913 मनगढ़ नरसंहार)
गोंड	आदिलाबाद (तेलंगाना)	1940	कोमरम भीम

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नेतृत्व और एकता:** इस विद्रोह का नेतृत्व **सिदो और कान्हू** ने किया था। इसने **32 जातियों/समुदायों** को एकजुट किया, जो **औपनिवेशिक ताकतों के विरुद्ध दुर्लभ जनजातीय एकजुटता** का प्रतीक है।
- **विद्रोह की शुरुआत:** इसका मूल वर्ष 1832 की **दामिन-ए-कोह (Damin-i-Koh)** बस्ती योजना में था, जिसे **राजमहल की पहाड़ियों** में लागू किया गया। इसमें बंगाल से विस्थापित संथालों को बसाया गया, लेकिन उन्हें ज़मीन पर कब्ज़ा, बंधुआ मज़दूरी (कामोती/हरवाही) और **ब्रिटिश समर्थित ज़मींदारों द्वारा शोषण का सामना करना पड़ा।**
- **प्रभाव:** इस विद्रोह के फलस्वरूप **संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1876 (SPT Act)** और बाद में छोटा नागपुर **काश्तकारी अधिनियम, 1908 (CNT Act)** पारित हुए।
  - SPT अधिनियम (1876) के तहत **आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को स्थानांतरित करना प्रतिबंधित** है, जिससे संथालों के भूमि अधिकारों की रक्षा होती है। CNT अधिनियम (1908) के अनुसार, **आदिवासी और दलित भूमि की बिक्री प्रतिबंधित** है; इसे **केवल समान जाति तथा क्षेत्र के लोगों को, ज़िलाधिकारी की अनुमति से** ही हस्तांतरित किया जा सकता है।

संथाल जनजाति

- **परिचय:** संथाल **मूल रूप से बीरभूम और मानभूम (वर्तमान पश्चिम बंगाल)** से हैं। वर्ष 1770 के बंगाल के अकाल और ब्रिटिश नीतियों के कारण वे विस्थापित हुए तथा बाद में **स्थायी बंदोबस्त अधिनियम (1790)** के तहत **दामिन-ए-कोह** (झारखंड) क्षेत्र में राजस्व कृषि के लिये बसाए गए।
- **जनसांख्यिकी:** संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी **अनुसूचित जनजाति** हैं **(गोंड और भील जनजातियों के बाद)**। ये मुख्यत: **झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं।**
- **संस्कृति और धर्म:** संथाल कृषि से जुड़े **त्योहारों** जैसे- **सोहराय, बहा** और **करम** को उत्साह के साथ मनाते हैं। ये **संथाली भाषा** बोलते हैं (जो **आठवीं अनुसूची** में शामिल है) और **ओल चिकी लिपि** का प्रयोग करते हैं।

डिजिटल जीवाश्म-खनन और स्क्विड का विकास

डिजिटल जीवाश्म-खनन तकनीकों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि **स्क्विड्स का प्रभुत्व प्राचीन महासागरों पर 30 मिलियन वर्ष पहले** से था, जो उनके विस्तृत विकासवादी इतिहास को नए दृष्टिकोण से उजागर करता है।

- **शोधकर्त्ताओं ने जापान** में पाए गए **110-70 मिलियन वर्ष पुराने क्रेटेशियस कंक्रीशन** में दो आधुनिक स्क्विड समूहों - **ओगोप्सिडा (गहरे समुद्र के स्क्विड)** और **मायोप्सिडा (तटीय स्क्विड) की** कम-से-कम **40 प्रजातियों की डिजिटल रूप से पहचान की**।
- **डिजिटल जीवाश्म-खनन में** मूल जीवाश्मों को नुकसान पहुँचाए बिना जीवाश्म डेटा निकालने और उसका विश्लेषण करने के लिये **3डी स्कैनिंग, सीटी इमेजिंग, AI और GIS** जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना शामिल है।

स्क्विड

- **परिचय:** **सेफलोपॉड्स वर्ग** के सदस्य (ऑक्टोपस और कटलफिश के संबंधी) से संबंधित स्क्विड में एक **नरम आवरण** एक **आंतरिक खोल (ग्लैडियस)**, एक **तोते जैसी चोंच**, शिकार को पकड़ने के लिये **दो स्पर्शक** और **आठ भुजाएँ होती हैं**।
  - सभी सेफलोपॉड्स की तरह, इनमें **तीन हृदय होते हैं** तथा ये गति के लिये **जेट प्रणोदन का उपयोग करते हैं।**

- **आवास विविधता:** स्क्विड पूरे विश्व में **उथले तटों से लेकर 3 मील की गहराई तक पाए जाते हैं** और इनका आकार **छोटे**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

पिग्मी स्क्विड से लेकर **विशाल स्क्विड** तक होता है, जिनकी **आँखें पशु जगत में सबसे बड़ी** होती हैं (**वॉलीबॉल के आकार की**)।

- **व्यवहार और बुद्धिमत्ता:** स्क्विड **सबसे बुद्धिमान अकशेरुकी जीवों में से हैं।** ये **क्रोमैटोफोर्स (रंग बदलने वाली कोशिकाओं)** का उपयोग **छलावरण (Camouflage)**, **संप्रेषण (Communication)** और **शिकारियों से बचने** के लिये करते हैं।
  - ये **स्याही का छिड़काव** कर सकते हैं, **ध्यान भटकाने के लिये अपनी भुजाओं को अलग कर सकते हैं** तथा **सामाजिक व्यवहार भी दिखाते हैं,** जैसे कि **सहयोगात्मक शिकार** (जैसे **हम्बोल्ट स्क्विड** में) और **साथी की रक्षा (Mate guarding)**।
- **प्रौद्योगिकीय योगदान:** इन्होंने **रंग बदलने वाले पदार्थों, पर्यावरण अनुकूल स्व-उपचार पैकेजिंग** और **प्राकृतिक प्रेरित रोबोटिक्स** को विकसित करने की प्रेरणा दी।
- **विशिष्टता:** कुछ स्क्विड (विद्रूप) **उड़ने का भ्रम उत्पन्न करते हैं**, जो लगभग **164 फीट तक फिसलकर हवा में ग्लाइड** कर सकते हैं। कुछ प्रजातियाँ (जैसे **बिगफिन रीफ स्क्विड**) **पालन-पोषण का व्यवहार** दिखाती हैं और **शिकार को आकर्षित करने के लिये उसके जैसा रूप धारण** कर लेती हैं।

खराई ऊँट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के बार-बार हस्तक्षेप के बावजूद, गुजरात के **कच्छ क्षेत्र** में मैंग्रोव वनों का व्यापक विनाश जारी है, जिससे दुर्लभ तैराक **खराई ऊँट** के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है।

- **खराई ऊँट:** यह **कच्छ क्षेत्र** की देशज प्रजाति है, जो लंबी दूरी तक तैरने और मैंग्रोव वनों में चरने की अपनी दुर्लभ क्षमता के लिये जाना जाता है।
  - **'खराई' शब्द 'खार' से आया है,** जिसका अर्थ है **खारा** (लवणीय), जो इस ऊँट की तटीय लवणीय पारिस्थितिकी तंत्र में रहने की क्षमता को दर्शाता है। यह ऊँट सीमित चरागाहों में नहीं बल्कि खारे पानी और मुहाना पारिस्थितिकी तंत्र में फलता-फूलता है।
  - **खराई ऊँट के पैरों में तैरने के लिये झिल्ली होती है** और इनका पाचन तंत्र खारी वनस्पतियों को सहन करने में सक्षम होता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)** ने खराई ऊँट को **संकटग्रस्त** श्रेणी में वर्गीकृत किया है।
- **पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्त्व:** खराई ऊँट **मालधारी समुदाय** के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, यह पारंपरिक ऊँटपालक समुदाय इन्हें अपने चरागाही विरासत का अभिन्न हिस्सा मानता हैं।
  - खराई ऊँट को एक **आनुवंशिक रूप से विशिष्ट नस्ल** के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे **राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBAGR)** द्वारा **संकटग्रस्त पशु** के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- **खतरे: तटीय विनियमन क्षेत्र- I** में नमक के खेतों, सीमेंट कारखानों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के तेज़ी से विस्तार के कारण मैंग्रोव वनों का बड़े पैमाने पर क्षरण हुआ है।
  - जनसंख्या में भारी गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण आवास का क्षरण और भोजन तक पहुँच की कमी है।

इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज

आज के तीव्र गति वाले कॉर्पोरेट परिवेश में दक्ष और एकीकृत संचार उत्पादकता के लिये अत्यंत आवश्यक है तथा **इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज (EPABX)** प्रणाली कार्यालयों में **सुगम आंतरिक एवं बाह्य संपर्क** सुनिश्चित करने वाली एक **महत्त्वपूर्ण अवसंरचना** के रूप में कार्य करती है।

- **परिचय:** EPABX एक टेलीफोन स्विचिंग प्रणाली है, जिसका उपयोग व्यवसायों में आंतरिक और बाह्य संचार को प्रबंधित करने के लिये किया जाता है। यह प्रणाली कार्यालय के कई टेलीफोन उपकरणों को एक साझा बाह्य ट्रंक लाइन के माध्यम से जोड़ने की सुविधा देती है, जिससे प्रत्येक उपयोगकर्त्ता के लिये अलग-अलग लाइन की आवश्यकता नहीं होती।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- EPABX का मूल आधार उसका **स्विचिंग तंत्र** है, जो कॉल्स को **आंतरिक और बाह्य लाइनों के बीच सटीक रूप से निर्देशित** करता है।

EPABX प्रौद्योगिकी का विकास:

- **इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले (1970- 1980 के दशक):** इनमें यांत्रिक स्विच और विद्युत चुंबकों (इलेक्ट्रोमैग्नेट्स) का उपयोग कर टेलीफोन लाइनों को जोड़ा जाता था।
- **डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ:** 1980 के दशक के अंत तक कंप्यूटर एवं माइक्रोप्रोसेसर आधारित **डिजिटल स्विचिंग** प्रौद्योगिकी ने कॉल प्रबंधन को बेहतर बनाया और **पल्स कोड मॉडुलेशन (PCM)** तथा **टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग (TDM)** को अपनाया गया।
  - **PCM** : एनालॉग वॉयस सिग्नल को बाइनरी डेटा में बदलकर डिजिटल संचार को कुशल बनाता है।
  - **TDM:** एक ही चैनल पर कई सिग्नलों को अलग-अलग **समय स्लॉट** देकर भेजने की सुविधा देता है, जिससे बिना हस्तक्षेप के एक साथ डेटा संचरण संभव होता है।
- **आधुनिक प्रणालियाँ:** अब EPABX में **VoIP (वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल)** का एकीकरण हो चुका है, जिससे वॉइस डेटा को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जा सकता है। इससे संचार **स्केलेबल** और **लागत प्रभावी** बन गया है।

लेजर सुरक्षा के लिये सागौन के पत्ते

भारतीय वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि **सागौन के पत्तों के अर्क** का उपयोग **प्राकृतिक, पर्यावरण-अनुकूल ऑप्टिकल लिमिटर के रूप में किया जा सकता है**, जो आँखों और संवेदनशील सेंसरों को **उच्च-तीव्रता वाले लेज़र विकिरण** से बचाता है।

- **सागौन के पत्तों में एंथोसायनिन, गैर-रेखीय ऑप्टिकल (NLO) गुणों** वाले प्राकृतिक रंगद्रव्य होते हैं, जो उन्हें **लेज़र सुरक्षा चश्मे, ऑप्टिकल शील्ड** और **लेज़र प्रतिरोधी कोटिंग्स** जैसे **ऑप्टिकल पावर-सीमित अनुप्रयोगों** के लिये उपयुक्त बनाते हैं ।

सागौन (टेक्टोना ग्रैंडिस)

- **परिचय: सागौन (सागवान)** एक **नम पर्णपाती वृक्ष** है, जिसे इसकी **स्थायित्व, शक्ति** और **कीटों, पानी और क्षय के प्रतिरोध के लिये "किंग ऑफ टिंबर/इमारती लकड़ी का राजा"** के रूप में जाना जाता है, जो इसे **जहाज़ निर्माण, प्रीमियम फर्नीचर, फर्श, बाहरी निर्माण, नक्काशी, टर्निंग** और **संगीत वाद्ययंत्र** के लिये आदर्श बनाता है।
  - भारत में विश्व के **35% सागौन वन** हैं, जबकि एशिया में **वैश्विक सागौन संसाधनों** का 95% हिस्सा है।
- **भौगोलिक वितरण:** इसका मूल स्थान **दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया है**, जिसमें **भारत, म्याँमार, थाईलैंड, लाओस** और **इंडोनेशिया** शामिल हैं।
- **भारत** में यह **मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम** और **पूर्वोत्तर में अच्छी जल निकासी वाली मृदा** और **पूर्ण सूर्य के प्रकाश** में पनपता है।
- **वानस्पतिक विशेषताएँ: सागौन** एक **बड़ा पर्णपाती वृक्ष है,** जिसमें **सीधा बेलनाकार तना** (1-1.5 मीटर व्यास), **विपरीत जोड़ों** में **आयताकार गहरे हरे रंग की पत्तियाँ** और **गुच्छों** में **छोटे, सुगंधित सफेद/क्रीम फूल होते हैं।**
- **विनियामक स्थिति: वन संरक्षण अधिनियम, 1980** और **राष्ट्रीय वन नीति, 1988** के तहत सरकारी वनों में **हरे पेड़ों की कटाई प्रतिबंधित है,** जिससे **घरेलू और निर्यात मांगों को पूरा करने के लिये निजी सागौन बागान** आवश्यक हो गए हैं।

पृथ्वी की सबसे प्राचीन ज्ञात चट्टानें

क्यूबेक (कनाडा) के नुव्वुआगिट्टुक ग्रीनस्टोन बेल्ट में एक **ज्वालामुखी चट्टान** बेल्ट है, जो **4.16 अरब वर्ष पुरानी है** । इसकी पहचान **पृथ्वी पर सबसे प्राचीन ज्ञात चट्टान** के रूप में की गई है,, जिसकी उत्पत्ति **हेडियन एऑन (4.5-4.03 अरब वर्ष पूर्व) से हुई है,** जब **पृथ्वी का निर्माण** लगभग **4.6 अरब वर्ष पहले** हुआ था।

- ये चट्टानें **ज्वालामुखी बेसाल्ट का रूपांतरण** हैं, जो **भूमिगत मैग्मा के जमने से बनी थीं तथा पृथ्वी की प्रारंभिक भूपर्पटी, आदिकालीन महासागरों** और उस वातावरण से संबंधित संकेत प्रदान करती हैं, **जहाँ जीवन की शुरुआत** हुई होगी।
- दो **रेडियोधर्मी काल-निर्धारण विधियों** (**समैरियम-नियोडिमियम क्षय**) ने इनकी **आयु की पुष्टि की**, जिससे ये **सबसे प्राचीन ज्ञात अक्षुण्ण चट्टानें** बन गईं।
- **ऑस्ट्रेलिया** के **जिरकोन क्रिस्टल** (**4.4 अरब वर्ष पुराने**) सबसे **पुराने खनिज टुकड़े बने हुए हैं**, लेकिन **क्यूबेक चट्टानें सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाएँ** हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- हेडियन **एऑन (4.5-4.03 अरब वर्ष पूर्व) को पहले पिघला हुआ नरक (जीवन के लिये अत्यंत कठोर, प्रतिकूल या खतरनाक)** माना जाता था, लेकिन साक्ष्य एक **ठंडी पपड़ी, उथले महासागर** और एक **प्रारंभिक वायुमंडल** का सुझाव देते हैं।

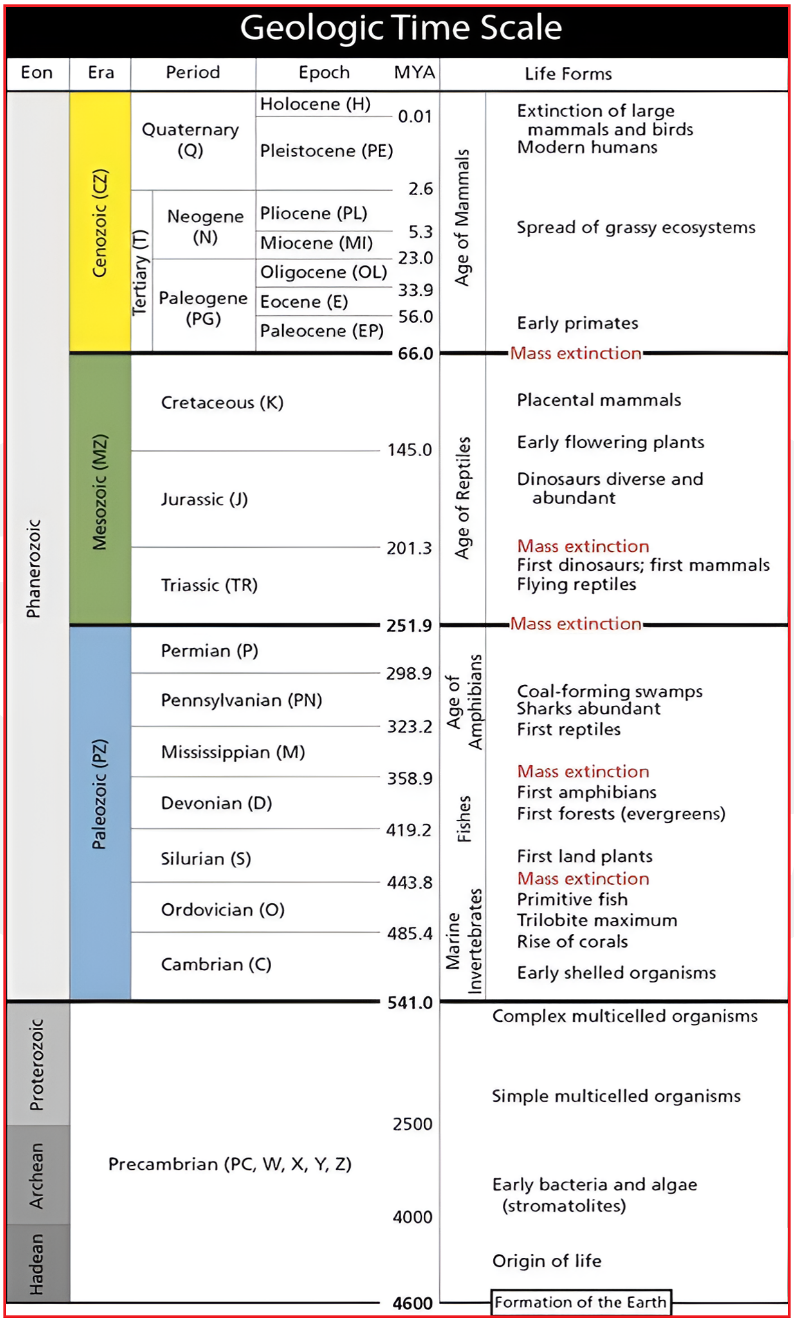

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

NCB का ऑपरेशन- MED MAX

ऑपरेशन MED MAX के तहत और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** ने **एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया के 10 से अधिक देशों** में संचालित एक **अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल** को ध्वस्त कर दिया है।

- **NCB: नई दिल्ली में मुख्यालय स्थित, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** भारत की शीर्ष स्तर की मादक द्रव्यों से संबंधित कानून प्रवर्तन एवं खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985** (NDPS Act) के प्रावधानों के तहत की गई थी।
  - **स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है, जो **राज्य के नीति निदेशक तत्त्व** है तथा जो औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाता है।
- **NCB के कार्य और अधिकार:** यह **गृह मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है तथा मादक द्रव्यों से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन और नीतियों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न केंद्रीय व राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है।
- **आंतरिक सुरक्षा में NCB का महत्त्व:** NCB राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट्स की बढ़ती गतिविधियों के संदर्भ में।
  - **डिजिटल और अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य अपराधों** के प्रति भारत की प्रतिक्रिया का नेतृत्व करता है।
  - NCB बहुपक्षीय प्रवर्तन कार्रवाइयों में, जैसे कि **अमेरिका की DEA और इंटरपोल** जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।
- **मादक द्रव्यों से संबंधित अन्य प्रमुख विधिक प्रावधान: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और NDPS अधिनियम, 1988** के तहत अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम।
  - भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्त्ता है, जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन, 1961 (जैसा कि वर्ष 1972 प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित किया गया है), साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971 तथा नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1988।

डेन्गीऑल

भारत में सुरक्षित और प्रभावी डेंगू वैक्सीन के विकास के प्रयासों को महत्त्वपूर्ण प्रगति मिली है, जहाँ देश की **पहली स्वदेशी टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन, डेंगीऑल (DengiAll)**, ने चरण-3 नैदानिक परीक्षणों में 50% नामांकन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

- **डेंगीऑल:** यह **पैनेसिया बायोटेक** द्वारा अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (NIH) के साथ एक लाइसेंसिंग समझौते के तहत विकसित की गई है, और यह डेंगू वायरस के सभी चार उपप्रकारों को लक्षित करती है।
  - इस वैक्सीन ने चरण-I और II परीक्षणों में संतुलित और मज़बूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दिखाई है, और इसमें कोई गंभीर सुरक्षा संबंधी चिंता सामने नहीं आई है।
  - यह वैक्सीन महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में डेंगू का सभी के लिये कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, और गंभीर मामलों में आंतरिक रक्तस्राव एवं शॉक जैसी जानलेवा जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **डेंगू:** यह एक **मच्छर जनित विषाणुजनित रोग** है, जो **डेंगू वायरस (जीनस फ्लेविवायरस)** के कारण होता है, और मुख्य रूप से **मादा एडीज़ एजिप्टी (Aedes aegypti)** मच्छर द्वारा फैलता है।
  - यह मच्छर **चिकनगुनिया, पीत ज्वर और ज़ीका वायरस** भी फैलाता है। **डेंगू के चार भिन्न लेकिन आपस में संबंधित सीरोटाइप होते हैं: DEN-1, DEN-2, DEN-3 और DEN-4।**
  - **लक्षण:** तेज़ बुखार, तेज़ सिरदर्द, आँखों में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, तथा थकावट।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **निदान और उपचार:** इसका निदान रक्त परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। इसका कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है; उपचार केवल लक्षणों के अनुसार सहायक होता है।
  - डेंगवैक्सिया पहली डेंगू वैक्सीन है जिसे वर्ष **2019 में अमेरिकी FDA** द्वारा अनुमोदित किया गया था; यह **9 से 16 वर्ष की आयु** के उन बच्चों के लिये है जिन्हें पहले संक्रमण हो चुका हो और जो डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं।
- **भार:** भारत में डेंगू का भारी बोझ बना हुआ है, केवल वर्ष 2024 में 2.3 लाख से अधिक मामले और 297 मृत्यु दर्ज की गईं, जिससे वैक्सीन विकास अत्यंत आवश्यक हो गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

करियाचल्ली द्वीप

तमिलनाडु सरकार **'TNSHORE (तमिलनाडु सतत् समुद्री संसाधन दोहन)'** परियोजना के तहत **मन्नार की खाड़ी** में स्थित पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण करियाचल्ली द्वीप के संरक्षण हेतु कार्य कर रही है, जो वर्ष 1969 से अब तक क्षेत्र की दृष्टि से 70% से अधिक कम हो चुका है और वर्ष 2036 तक इसके पूरी तरह जलमग्न हो जाने की आशंका है।

करियाचल्ली द्वीप

- **परिचय:** करियाचल्ली द्वीप **मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान** के भीतर स्थित है और यह भारत के **चार प्रमुख प्रवाल भित्ति** (कोरल रीफ) क्षेत्रों में से एक का हिस्सा है (अन्य तीन: **कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह**)।
  - यह द्वीप संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे **डुगोंग (समुद्री गाय, IUCN: संकटग्रस्त)** के लिये एक महत्त्वपूर्ण निवास स्थान है, जो **समुद्री घास** पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर करते हैं।
- **खतरे:** इस द्वीप ने **वर्ष 1969 से अब तक** अपने भूमि क्षेत्र का **70% भूभाग** खो दिया है और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके 30% प्रवाल पहले ही विरंजन हो चुके हैं।
- **संरक्षण:** TNSHORE परियोजना के अंतर्गत 8,500 **कृत्रिम प्रवाल भित्ति (Artificial reef) मॉड्यूल** स्थापित करने की योजना है। ये ट्रेपेज़ॉइडल (समलंबाकार) आकार की संरचनाएँ **फेरोसीमेंट और स्टील** से बनी होंगी, जिनमें पोषक तत्त्वों के प्रवाह के लिये छिद्र होंगे। साथ ही **समुद्री घास की रोपाई और प्रवाल आवास पुनर्स्थापन का भी कार्य किया जाएगा**, जिससे **लहरों की ऊर्जा को कम कर तटरेखा को स्थिर किया जा सके।**

मन्नार की खाड़ी

- **परिचय: मन्नार की** खाड़ी , **लक्षद्वीप सागर** का एक विस्तारित भाग है , जिसमें **21 द्वीप हैं और यह रामेश्वरम मन्नार की खाड़ी,** लक्षद्वीप सागर का एक विस्तारित हिस्सा है, जिसमें **21 द्वीप** शामिल हैं। यह क्षेत्र **रामेश्वरम्, रामसेतु पुल और मन्नार द्वीप** से घिरा हुआ है।
  - इसमें **ताम्रपर्णी और अरुवी** जैसी नदियाँ बहती हैं और **तूतीकोरिन बंदरगाह** भी यहीं स्थित है।
- **जैव विविधता:** मन्नार की खाड़ी में स्थित **समुद्री राष्ट्रीय उद्यान** दक्षिण एशिया का पहला समुद्री **बायोस्फीयर रिज़र्व** है, जो **कोरल, मछलियों और डुगोंग, व्हेल शार्क तथा समुद्री कछुओं** जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का निवास स्थान है।
  - यह खाड़ी अपने **मोती उत्पादन क्षेत्रों (Pearl banks)** और **पवित्र शंख (गैस्ट्रोपॉड मोलस्क)** के लिये भी प्रसिद्ध है।
- **मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान:** इसकी स्थापना **वर्ष 1982** में की गई थी। यह उद्यान **प्रवाल भित्तियों, मैन्ग्रोव वनों, कीचड़युक्त तटों (Mudflats), नालों (Creeks), समुद्री घास के मैदानों, समुद्री शैवाल (Seaweeds), मुहानों (Estuaries), रेतिले तटों, लवणीय घास के मैदानों (Saline grasslands), दलदलों और पथरीले समुद्र तटों** जैसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों से समृद्ध है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

BHARAT अध्ययन: स्वस्थ वृद्धावस्था के जैव-सूचकों का मानचित्रण

भारतीय विज्ञान संस्थान ने लॉन्गविटी इंडिया कार्यक्रम के तहत **BHARAT (Biomarkers of Healthy Aging, Resilience, Adversity, and Transitions)** अध्ययन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य **वृद्धावस्था** के **जैव-सूचकों** का मानचित्रण करना तथा भारतीय जनसंख्या के लिये स्वस्थ वृद्धावस्था का एक आधार-स्तर तैयार करना है।

- **वृद्धावस्था की जटिलता:** वृद्धावस्था व्यक्तियों और जनसंख्याओं के बीच भिन्न होती है, जो आणविक, कोशकीय, पर्यावरणीय, जीवनशैली से संबंधित और सामाजिक-आर्थिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इसका अर्थ है कि कालानुक्रमिक आयु वास्तविक जैविक आयु को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **भारत-विशिष्ट डेटा की आवश्यकता:** वर्तमान में प्रयुक्त **जैव-सूचक** और **नैदानिक मानक प्राय: पश्चिमी देशों पर आधारित होते हैं** (जैसे **कोलेस्ट्रॉल, विटामिन D, CRP स्तर**), जो भारतीय जनसंख्या के लिये सटीक या प्रासंगिक नहीं हो सकते। इससे गलत निदान और अप्रभावी उपचार का जोखिम बढ़ जाता है।
  - भारत में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि (अब 67.3 वर्ष) के बावजूद, **पार्किंसंस** जैसी **आयु-संबंधी रोगों** में वर्ष 2050 तक 168% वृद्धि और **मनोभ्रंश में 200% तक वृद्धि** होने की संभावना है। यह स्थिति रोगों की शीघ्र पहचान और समय पर हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है।
- **जैव-सूचकों का महत्त्व:** BHARAT अध्ययन का उद्देश्य एक विश्वसनीय "**भारत बेसलाइन**" विकसित करना है, जो विशेष रूप से भारतीय जनसंख्या के लिये सामान्य स्वास्थ्य संकेतों का एक संदर्भ मानदंड प्रस्तुत करे।
  - यह अध्ययन व्यापक प्रकार के संकेतकों को शामिल करता है, जिनमें **जीनोमिक जैव-सूचक** (जैसे रोगों से संबंधित उत्परिवर्तन), **प्रोटीमिक और चयापचयी संकेतक** (जो जैविक एवं चयापचय स्वास्थ्य को दर्शाते हैं), तथा **पर्यावरणीय और जीवनशैली से संबंधित कारक** शामिल हैं।
  - इस अध्ययन में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग** का उपयोग कर जटिल बहुआयामी आँकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जा सके और प्रभावी हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार की जा सके।

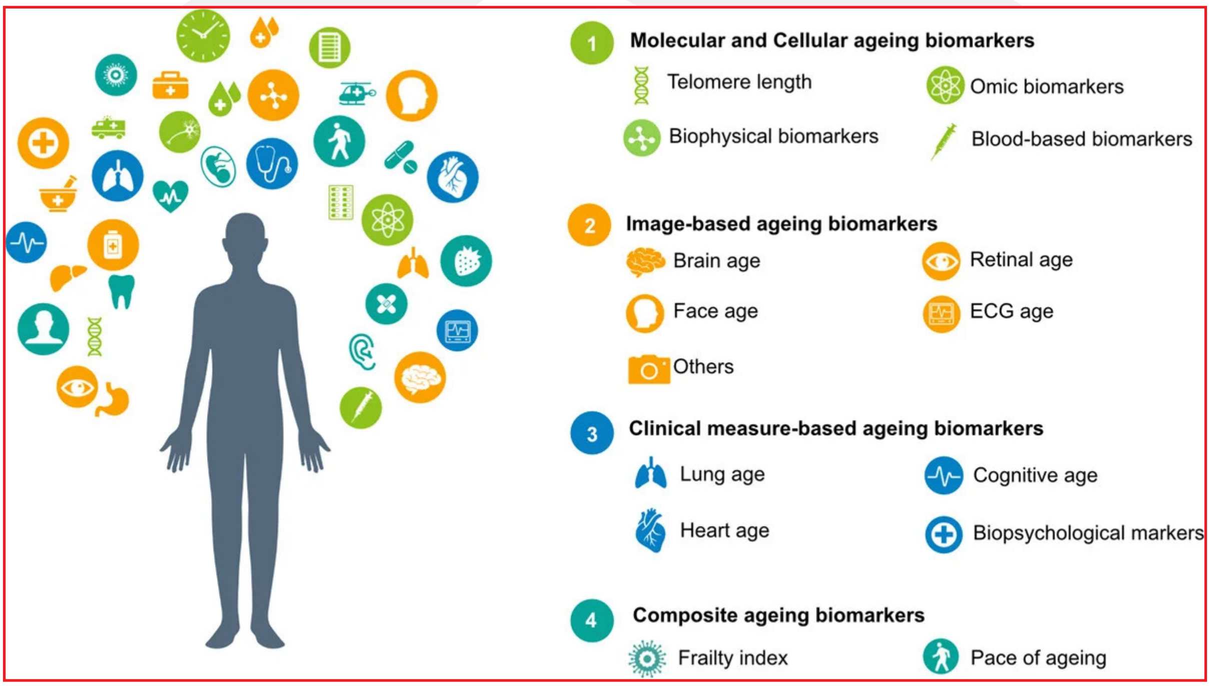

गार्सिनिया कुसुमाए

शोधकर्त्ताओं ने असम में वृक्ष की एक नई प्रजाति ***गार्सिनिया कुसुमाए*** (***Garcinia kusumae***) की खोज की है, जिससे इस क्षेत्र की वानस्पतिक जैवविविधता और समृद्ध हुई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- *गार्सिनिया कुसुमाए,* **गार्सिनिया वंश** (genus Garcinia) की एक नवीन पहचान की गई प्रजाति है, जिसे असमिया भाषा में स्थानीय रूप से '**थोइकोरा**' (Thoikora) के नाम से जाना जाता है।
  - गार्सिनिया वंश (*क्लूसिएसी - Clusiaceae*) में विश्व भर में 414 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से **33 प्रजातियाँ और 7 उपप्रजातियाँ** भारत में पाई जाती हैं। केवल **असम** में ही **12 प्रजातियाँ और 3 उपप्रजातियाँ** पाई जाती हैं।
  - **गार्सिनिया कुसुमाए** एक **द्विलिंगी** (dioecious) **सदाबहार वृक्ष** है, जिसकी ऊँचाई लगभग **18 मीटर** तक होती है। यह **फरवरी से अप्रैल** के बीच पुष्पित होता है और **मई से जून** के बीच फल देता है। यह अपने निकटवर्ती संबंधी प्रजातियों जैसे कि **गार्सिनिया असमिका** (G. assamica), **गार्सिनिया कोवा** (G. cowa) और **गार्सिनिया सक्सीफोलिया** (G. succifolia) से **पुष्प संरचना** तथा **फल राल** (resin) **की विशेषताओं** में उल्लेखनीय रूप से भिन्न है।
- **एथ्नोबोटैनिकल महत्व (जनजातीय वनस्पति विज्ञान संबंधी महत्त्व):** इस वृक्ष के फल का गूदा सांस्कृतिक और औषधीय दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसका उपयोग **लू से बचाव के लिये शरबत** बनाने में किया जाता है, इसे **सब्ज़ियों/करी में मिलाया** जाता है, **मसालों के साथ कच्चा खाया** जाता है तथा यह **मधुमेह (डायबिटीज़)** और **पेचिश (डिसेंट्री)** जैसी बीमारियों के पारंपरिक उपचार के रूप में भी प्रयुक्त होता है।

रासायनिक अस्त्र समझौता

भारत ने **रासायनिक अस्त्र समझौता (CWC)** के अंतर्गत एशिया में सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक की मेज़बानी की।

रासायनिक अस्त्र समझौता

- **परिचय:** CWC एक **बहुपक्षीय संधि** है जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है और निर्धारित समय के भीतर उन्हें **नष्ट करने** की अनिवार्यता निर्धारित करती है।
  - यह **वर्ष** 1997 में लागू हुआ और इसके कार्यान्वयन की देखरेख 193 **सदस्य देशों** वाले **रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन (OPCW)** द्वारा की जाती है।
  - OPCW को रासायनिक हथियारों को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों के लिये **वर्ष 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।
- **भारत और CWC: भारत** CWC का एक **मूल हस्ताक्षरकर्त्ता** है और इसे **रासायनिक अस्त्र समझौता अधिनियम,** 2000 के तहत स्थापित **राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक अस्त्र समझौता (NACWC)** के माध्यम से कार्यान्वित करता है।
  - भारत के सबसे पुराने रासायनिक उद्योग संघ, **भारतीय रासायनिक परिषद (ICC)** को **OPCW-द हेग पुरस्कार** 2024 से सम्मानित किया गया, जिससे यह सम्मान प्राप्त करने वाला **विश्व का पहला उद्योग निकाय** बन गया।
- **रासायनिक हथियार:** **रासायनिक हथियार** वह सभी **विषैले रासायनिक पदार्थ** या यंत्र होते हैं, जिन्हें **जानबूझकर हानि पहुँचाने या मृत्यु का कारण बनाने** के उद्देश्य से तैयार किया गया हो; इसमें गोला-बारूद और उन्हें प्रक्षेपित करने वाले उपकरण भी सम्मिलित होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह समझौता **पुराने एवं परित्यक्त रासायनिक हथियारों के विनाश** को अनिवार्य करता है तथा सदस्य देशों को **अश्रु गैस** जैसे **दंगा-नियंत्रण कारकों की घोषणा करना** भी आवश्यक बनाता है।

महाबोधि मंदिर

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें **बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949** को चुनौती दी गई थी और **महाबोधि मंदिर पर केवल बौद्ध समुदाय के नियंत्रण की मांग की गई थी।**

- **बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949** बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक **महाबोधि मंदिर** के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये लागू किया गया था।

महाबोधि मंदिर

- **परिचय:** यह वह स्थल है जहाँ **गौतम बुद्ध ने महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था**। मूल मंदिर का निर्माण **सम्राट अशोक** ने **ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी** में कराया था, जबकि वर्तमान संरचना **5वीं-6वीं शताब्दी** की है।
- **स्थापत्य विशेषताएँ:** इसमें **50 मीटर ऊँचा भव्य मंदिर (वज्रासन), पवित्र बोधि वृक्ष** और **बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति** से जुड़े छह अन्य पवित्र स्थल शामिल हैं, जो प्राचीन वोटिव स्तूपों से घिरे हुए हैं।
    - यह **गुप्त काल** के प्रारंभिक ईंट से बने मंदिरों में से एक है और **वज्रासन (डायमंड थ्रोन)** को मूल रूप से **सम्राट अशोक** ने बुद्ध के ध्यान स्थल को चिह्नित करने के लिये स्थापित किया था।
- **पवित्र स्थल: बोधि वृक्ष** (उस वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था), **अनिमेष लोचन चैत्य** (बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ध्यानस्थ होने का स्थल) आदि।
- **मान्यता:** यह स्थल वर्ष 2002 से **UNESCO विश्व धरोहर स्थल** के रूप में सूचीबद्ध है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य की विधायी शक्ति की पुष्टि

नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2012 मामले में *सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय* ***भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे में राज्य विधायिकाओं की भूमिका और न्यायिक आदेशों*** *के साथ उनके संबंध को स्पष्ट करता है।*

नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामला, 2012

- **परिचय:** वर्ष 2011 में **सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को** माओवाद-विरोधी अभियानों में **विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) के उपयोग को रोकने** का निर्देश दिया था, क्योंकि न्यायालय ने कहा था कि विशेष पुलिस अधिकारियों को **अपर्याप्त प्रशिक्षण** दिया गया है तथा ये **संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन** है।
    - इन निर्देशों के बावजूद, छत्तीसगढ़ सरकार ने बाद में छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011 लागू किया, **जिससे** पूर्ववर्ती **सलवा जुडूम** और **कोया कमांडो के समान एक सहायक बल** का गठन संभव हो गया।
    - याचिकाकर्त्ताओं ने **अवमानना याचिका दायर कर** आरोप लगाया कि यह नया विधान सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के **आदेश का उल्लंघन** करता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:** सर्वोच्च **न्यायालय ने अवमानना याचिका को खारिज करते हुए** कहा कि **छत्तीसगढ़ ने** उसके वर्ष 2011 के निर्देशों का अनुपालन किया है और अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसने कहा कि **राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है,** जब तक कि वे **असंवैधानिक या अधिकार-विहीन न हों।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत** की पुष्टि करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि **विधायी कार्यों को केवल संवैधानिक वैधता** या **विधायी क्षमता** के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है।
- इसने इस बात पर बल दिया कि विधायिका अपने संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत **नए कानून बना सकती है, किसी निर्णय के आधार को हटा सकती है**, या **निरस्त किये गए कानूनों को वैध बना सकती है।**

- **समान न्यायिक निर्णय:** ***इंडियन एल्युमिनियम कंपनी बनाम केरल राज्य (1996)*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी निर्णय **को सीधे खारिज किये बिना उसके** आधार को हटाने के लिये **कानून में संशोधन करने या पूर्वव्यापी कानून बनाने की विधायिका की शक्ति को** बरकरार रखा है।

सलवा जुडूम और कोया कमांडो

- **सलवा जुडूम** का गठन छत्तीसगढ़ में वर्ष 2005 में नक्सलियों के विरुद्ध एक राज्य प्रायोजित निगरानी आंदोलन के रूप में किया गया था। यह ग्रामीण भारत के कुछ राज्यों में **माओवादी विचारधारा** वाला एक गैर-वामपंथी आंदोलन है, जिसे सरकार ने अपनी हिंसक गतिविधियों के कारण **आतंकवादी संगठन घोषित** किया है।
- **कोया कमांडो** मुख्य रूप से **कोया जनजाति के जनजाति के युवा** थे, **जिन्हें नक्सल विरोधी अभियानों** में सहायता के लिये **सलवा जुडूम आंदोलन** के तहत **छत्तीसगढ़** में **विशेष पुलिस अधिकारी (SPO)** के रूप में भर्ती किया गया था।

अगली पीढ़ी के ऊर्जा भंडारण हेतु उच्च दक्षता वाली सामग्री

नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र (Centre for Nano and Soft Matter Sciences- CeNS), बंगलूरू और **अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) ने लैंटानम-डोप्ड सिल्वर नियोबेट-आधारित ऊर्जा भंडारण सामग्री** विकसित की है, जिसने **सुपरकैपेसिटर** के प्रदर्शन को बढ़ाया है।

लैंटानम-डोप्ड सिल्वर नियोबेट ऊर्जा भंडारण सामग्री:

- **परिचय:** यह एक उन्नत नैनोसंरचित यौगिक है, जो **सिल्वर नियोबेट ($AgNbO_3$)**- जोकि एक **सीसा रहित और पर्यावरण-अनुकूल पेरोवस्काइट पदार्थ है- को लैंटानम** (एक दुर्लभ-पृथ्वी तत्त्व) **के साथ मिश्रित करके बनाया गया है।**
- **महत्त्व:**
  - इस डोपिंग से **नैनोकणों का आकार कम हो गया है**, ऊर्जा भंडारण के लिये **सतह क्षेत्र में वृद्धि** हुई है तथा तीव्र **चार्ज-डिस्चार्ज चक्रों के लिये विद्युत चालकता में सुधार** हुआ है।
  - इसने उपयोग के दौरान किसी भी प्रकार की **ऊर्जा हानि (100% कूलम्बिक दक्षता)** न करते हुए **उत्कृष्ट ऊर्जा प्रतिधारण (118%)** भी सुनिश्चित किया।
  - यह पर्यावरण हेतु भी **अनुकूल** है, सीसा रहित है और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिये उपयुक्त है।
- **अनुप्रयोग:** **पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV)** और **नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों** में उपयोग किया जाता है, एक प्रोटोटाइप सुपरकैपेसिटर के माध्यम से **LCD डिस्प्ले को** सफलतापूर्वक संचालित किया गया।

सुपरकैपेसिटर:

- **सुपरकैपेसिटर,** एक **विद्युत रासायनिक उर्जा भंडारण उपकरण** है। इन्हें **अल्ट्राकैपेसिटर** के रूप में भी जाना जाता है। यह **पारंपरिक कैपेसिटर और बैटरी के बीच के अंतर को कम** करते हैं।
- वे **उच्च शक्ति घनत्व, तीव्र चार्ज-डिस्चार्ज** और **लंबा जीवन चक्र** (लाखों चक्र) प्रदान करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- बैटरी के विपरीत वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बजाय **इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पृथक्करण** के माध्यम से ऊर्जा संग्रहीत करते हैं जिससे वे **अधिक सुरक्षित और टिकाऊ** होते हैं।
- इनमें बैटरी की तुलना में **ऊर्जा घनत्व कम होता** है, **लेकिन इसे लैंटानम-डोप्ड सिल्वर नियोबेट** जैसे **पदार्थ डोपिंग के माध्यम से सुधारा** जा सकता है।

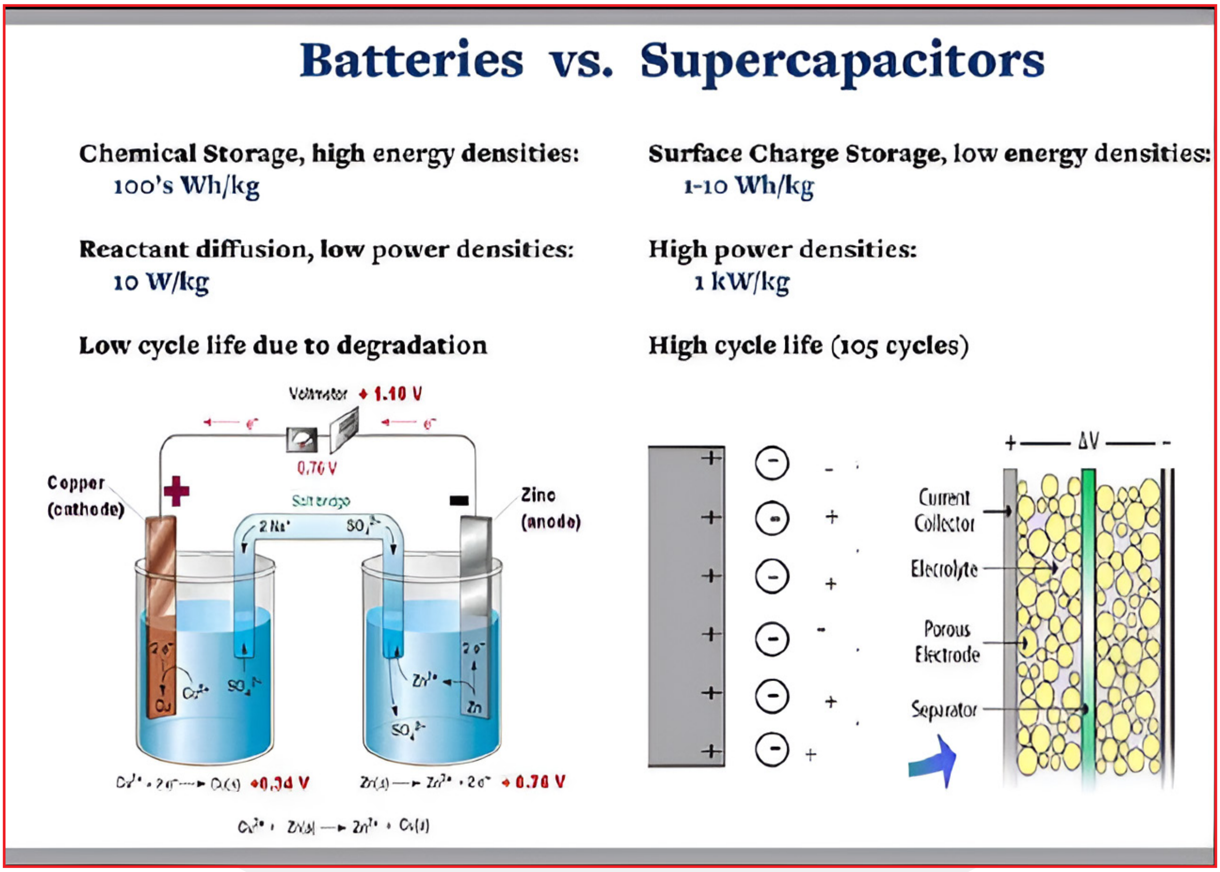

विषैले SO_2 का पता लगाने हेतु कम लागत वाला सेंसर

बंगलूरु स्थित **सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज़ (CeNS)** के वैज्ञानिकों ने **कम लागत वाला, अत्यंत संवेदनशील सेंसर** विकसित किया है, जो **सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)** की **अत्यंत कम सांद्रता** पर भी पहचान कर सकता है।

- वैज्ञानिकों ने **निकेल ऑक्साइड (NiO)** और **नियोडिमियम निकेल ($NdNiO_3$)** को मिलाकर एक सेंसर तैयार किया है। इसमें **NiO गैस रिसेप्टर** (गैस ग्रहण करने वाला) की भूमिका निभाता है, जबकि **$NdNiO_3$ ट्रांसड्यूसर** के रूप में कार्य करता है, जो **पता लगाने के संकेतों को प्रसारित** करता है।
  - यह सेंसर **सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)** को **केवल 320 पार्ट्स प्रति बिलियन (ppb)** जैसी बेहद कम सांद्रता पर भी पहचान सकता है, जो कई **वाणिज्यिक सेंसरों से बेहतर** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह सेंसर **उपयोगकर्त्ता-अनुकूल थ्रेशोल्ड अलर्ट सिस्टम (हरा: सुरक्षित, पीला: चेतावनी)** के साथ वास्तविक समय में SO_2 का पता लगाता है, जिससे यह औद्योगिक और शहरी स्थानों में **सार्वजनिक स्वास्थ्य उपयोग** के लिये आदर्श बन जाता है।

- **सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2):** यह एक **रंगहीन, पानी में घुलनशील विषाक्त गैस** है, जो मुख्यत: **वाहनों** और **औद्योगिक गतिविधियों** से उत्सर्जित होती है। इस गैस के **अत्यंत सूक्ष्म संपर्क** से भी **श्वसन संबंधी समस्याएँ** हो सकती हैं, जैसे कि **अस्थमा का दौरा** और **दीर्घकालिक फेफड़ों की क्षति**।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी** की जयंती (6 जुलाई) पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक नीति और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए भारत के आधुनिक विकास में उनकी प्रासंगिकता को भी उजागर किया।

- **जन्म और प्रारंभिक जीवन:** डॉ. मुखर्जी का **जन्म कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता)** में हुआ था। वे **प्रसिद्ध शिक्षाविद् और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति सर अशुतोष मुखर्जी के पुत्र** थे।
- **शैक्षणिक उत्कृष्टता:** डॉ. मुखर्जी ने इंग्लैंड में **ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व** किया।
  - डॉ. मुखर्जी **वर्ष 1934** में 33 वर्ष की आयु में **कलकत्ता विश्वविद्यालय** के **सबसे युवा कुलपति** बने।
  - उन्होंने वर्ष 1922 में बंगाली पत्रिका **"बंग वाणी"** तथा 1940 के दशक में **द नेशनलिस्ट** की शुरुआत की।
- **राजनीतिक जीवन:** 1920 के दशक में **डॉ. मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस में शामिल** हुए, लेकिन **नेतृत्व से वैचारिक मतभेदों के कारण बाद में त्याग-पत्र** दे दिया। इसके बाद वे **हिंदू महासभा में शामिल** हुए और वर्ष 1937 में बंगाल में एक प्रगतिशील गठबंधन सरकार के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहाँ उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया।
  - **वर्ष 1940** में **हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष** बने और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की।
  - उन्होंने **वर्ष 1951** में **अखिल भारतीय भारतीय जन संघ की स्थापना** की, जो आगे चलकर **भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित** हो गई।
- **स्वतंत्रता के पश्चात भूमिका:** डॉ. मुखर्जी ने **स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री** के रूप में कार्य किया।
  - **चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, सिंदरी फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन** जैसी **प्रमुख संस्थाओं की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाई।
- **वैचारिक दृष्टिकोण:** उन्होंने राष्ट्रवाद, हिंदू सांस्कृतिक पहचान तथा एक अखंड भारत का समर्थन किया। वे **अनुच्छेद 370** के विरोधी थे, यह कहते हुए कि **एक राष्ट्र में दो संविधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं** हो सकते।
  - भारत के **भाषाई आधार पर विभाजन का विरोध** किया तथा **प्रशासनिक दक्षता, सुरक्षा एवं आर्थिक समृद्धि के आधार पर एकता की वकालत** की।
  - वे **जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किये गए और वर्ष 1953 में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु** हो गई।
- **विरासत:** राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी तीखी बहस के लिये उन्हें **"संसद का शेर"** कहा जाता है।

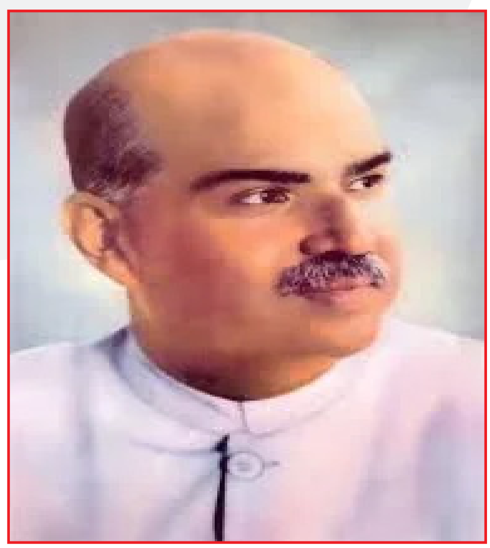

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हैम रेडियो और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जीवन

भारतीय अंतरिक्ष यात्री **शुभांशु शुक्ला**, जो **Axiom - 4 मिशन** के तहत **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)** पर हैं, ने **हैम रेडियो** संचार के माध्यम से पृथ्वी से संपर्क किया, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी तक संचार का एक अनोखा उदाहरण है।

हैम रेडियो

- **हैम रेडियो (एमेच्योर रेडियो)** एक **लाइसेंस प्राप्त, गैर-व्यावसायिक रेडियो संचार सेवा** है, जिसका उपयोग **शिक्षा, प्रयोग और आपातकालीन संचार** के लिये किया जाता है।

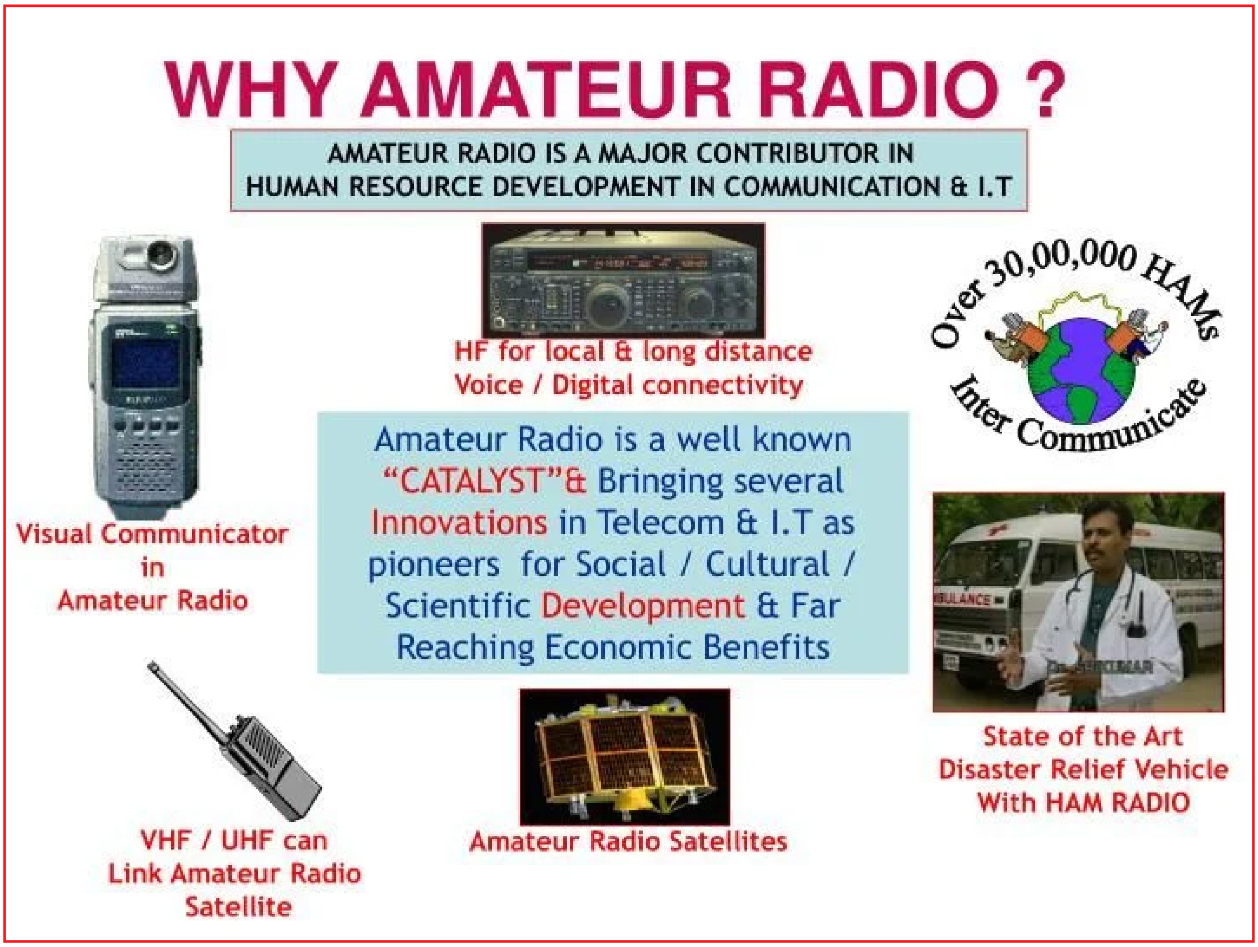

- ऑपरेटर **रेडियो तरंगों, ट्रांससीवर तथा एंटीना** की सहायता से स्थानीय, वैश्विक और यहाँ तक कि अंतरिक्ष से भी संपर्क स्थापित करते हैं।
- इसका पहली बार अंतरिक्ष में उपयोग वर्ष 1983 में अंतरिक्ष यात्रियों और पृथ्वी के बीच संचार के लिये किया गया था।
  - **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)** में ARISS (ISS पर एमेच्योर रेडियो) प्रणाली है, जिसे **अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोप** का समर्थन प्राप्त है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- भारत में 12 **वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** से हैम रेडियो लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
- भारत में हैम रेडियो ने वर्ष **2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी, वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़** और अन्य विभिन्न आपदाओं के दौरान आपातकालीन संचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रेडियो तरंगें:

- **हेनरिक हट्ज़ (Heinrich Hertz)** द्वारा खोजी गई ये **दीर्घ दैर्ध्यतरंग वाली विद्युतचुंबकीय तरंगें संचार प्रणालियों** में उपयोग की जाती हैं।
- ये **सरल रेखा (लाइन-ऑफ-साइट), आयनमंडलीय परावर्तन** या **उपग्रह रिले के माध्यम से संचरित होती हैं,** जिससे लंबी दूरी तक संचार संभव होता है और ये **वायरलेस संचार तकनीक** का एक मुख्य आधार बनाती हैं।

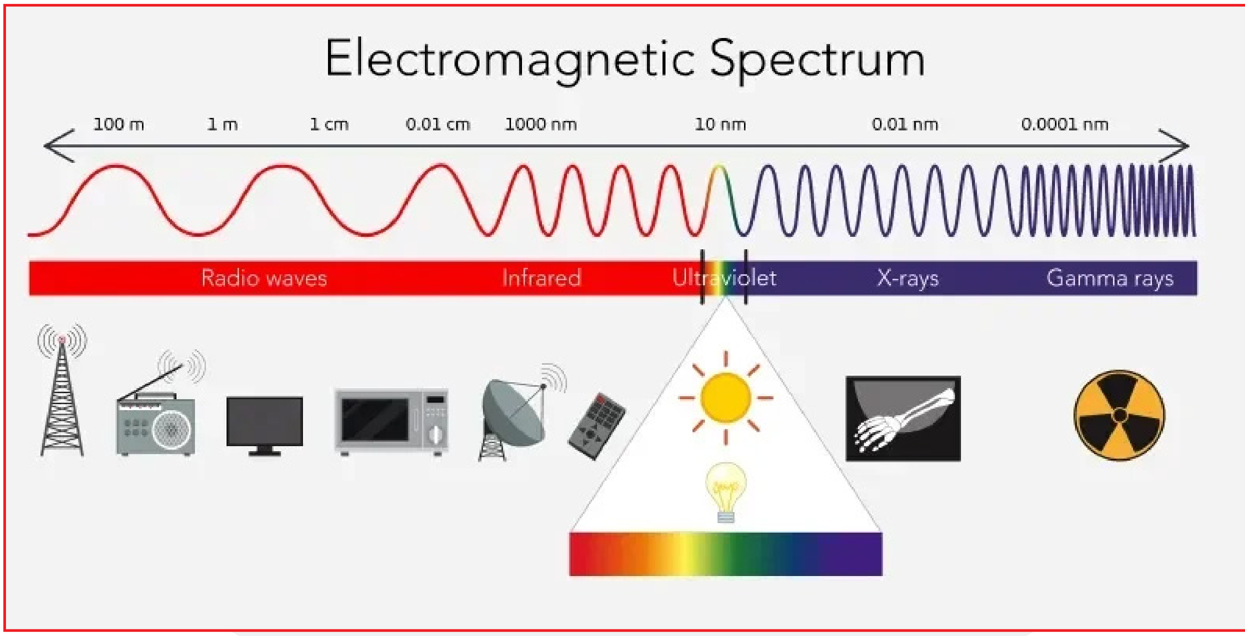

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर जीवन:

- **सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (Microgravity)** में अंतरिक्ष यात्री निर्जलित (Dehydrated) और पैक किये गए भोजन का सेवन करते हैं, जिसे गर्म पानी से **पुन: जलयोजित (Rehydrated)** किया जाता है, ताकि तैरते हुए भोजन के टुकड़े (Floating crumbs) उपकरणों को नुकसान न पहुँचाएँ।
  - भोजन को **वेल्क्रो ट्रे (Velcro trays)** की सहायता से सुरक्षित किया जाता है और बर्तनों को पानी के बिना वाइप्स से साफ किया जाता है।
  - दीर्घ अंतरिक्ष मिशनों के दौरान **हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये उच्च कैल्शियम, कम सोडियम और पर्याप्त मात्रा में विटामिन D** का सेवन करने की सिफारिश की जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

SEBI ने जेन स्ट्रीट पर लगाया प्रतिबंध

अमेरिका स्थित जेन स्ट्रीट, जो एक प्रमुख स्वामित्व आधारित ट्रेडिंग फर्म है, को **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)** द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई **ऐसी भ्रामक व्यापारिक प्रथाओं में शामिल होने** के कारण की गई है, जिन्होंने **बाज़ार की अखंडता को प्रभावित किया** और **बड़े पैमाने पर अवैध लाभ** अर्जित किया।

- **भ्रामक व्यापार (Manipulative Trading):** जेन स्ट्रीट ने **डेरिवेटिव (फ्यूचर्स)** खंड में व्यापार का निष्पादन बाज़ार के रुझान से लाभ कमाने के लिये नहीं बल्कि कीमतों में हेरफेर करने के लिये किया।
  - उन्होंने '**मार्किंग द क्लोज़**' रणनीति का उपयोग किया, जिसमें उन्होंने कीमतें बढ़ाने के लिये बड़े पैमाने पर खरीद ऑर्डर लगाए, बाद में लाभ को अधिकतम करने के लिये उन्हें बेच दिया गया। इसके लिये उन्होंने **पुश-पुल (Push-Pull)** रणनीति अपनाई।
  - इस **इंट्रा-डे (एक दिन के भीतर)** हेरफेर ने छोटे निवेशकों को भ्रमित किया और बाज़ार में **कृत्रिम अस्थिरता** उत्पन्न की।
  - जेन स्ट्रीट ने भारत स्थित अपनी शाखा **JSI इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड** का उपयोग स्थानीय नियमों से बचने के लिये किया, क्योंकि **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI)** को कुछ नकद बाज़ार गतिविधियों, जैसे **इंट्रा-डे ट्रेडिंग (एक ही दिन में प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री)** करने से प्रतिबंधित किया गया है।
    - घरेलू इकाई का उपयोग करने से समूह को ऐसे व्यापार करने की अनुमति मिल गई, जो अन्यथा **FPI मानदंडों के तहत प्रतिबंधित** होते।
- **SEBI की नियामक कार्रवाई:** SEBI ने जेन स्ट्रीट पर **4,843 करोड़ रुपए का जुर्माना** लगाया है और उसे **भारतीय प्रतिभूति बाज़ार तक पहुँच से प्रतिबंधित** कर दिया है।
- **स्वामित्व व्यापार पर प्रभाव:** इस मामले ने **कड़े अनुपालन** और **बाज़ार सुरक्षा उपायों** की आवश्यकता को उजागर किया है।
- **SEBI:** SEBI भारत के प्रतिभूति बाज़ार का एक **सांविधिक नियामक (Statutory regulator)** है, जो **वित्त मंत्रालय** के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना **SEBI अधिनियम, 1992** के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य **निवेशकों के हितों की रक्षा करना, उचित व्यापारिक व्यवहार को बढ़ावा देना** और **प्रतिभूति बाज़ार का नियमन करना** है।
  - इसका मुख्यालय **मुंबई** में स्थित है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय **अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली** में हैं। SEBI की स्थापना **वर्ष 1988 में एक गैर-सांविधिक निकाय** के रूप में की गई थी और **वर्ष 1992 में इसे सांविधिक शक्तियाँ** प्रदान की गईं।
  - SEBI एक **अर्द्ध-विधायी** और **अर्द्ध-न्यायिक** निकाय है, जिसे नियम बनाने, जाँच करने तथा दंड देने के अधिकार प्राप्त हैं।
  - यह **अंदरूनी व्यापार** पर रोक लगाकर और बाज़ार संस्थाओं का निरीक्षण करके जारीकर्त्ताओं को नियंत्रित करता है।

हेल्गोलैंड

हेल्गोलैंड (या हेलिगोलैंड) जर्मनी के तट से लगभग 50 किलोमीटर दूर, उत्तर सागर में स्थित एक छोटा-सा द्वीपसमूह है, जिसका क्षेत्रफल लगभग **1.7 वर्ग किलोमीटर** है। यह द्वीप अपने **लाल बलुआ पत्थर (रेड सैंडस्टोन)** के लिये जाना जाता है, इसे **क्वांटम यांत्रिकी** का जन्मस्थल माना जाता है।

- **हेल्गोलैंड**, जो शुरू में **फ्रिसियन (नीदरलैंड और जर्मनी में जातीय समूह) द्वारा उपनिवेशित था,** इसके बाद यह **डेनमार्क** के नियंत्रण में आया, फिर **वर्ष 1814 में ब्रिटेन** के अधीन चला गया तथा अंततः **वर्ष 1890 में जर्मनी** को सौंप दिया गया।
- **द्वितीय विश्व युद्ध** के बाद ब्रिटेन ने इस द्वीप का इस्तेमाल **बमबारी रेंज** (bombing range) के रूप में किया। बाद में वर्ष 1952 में इसे पश्चिमी जर्मनी को वापस कर दिया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

क्वांटम यांत्रिकी की नींव:

- **जून 1925 में** भौतिक विज्ञानी **वर्नर हाइज़ेनबर्ग**, जो उस समय **हे फीवर (एलर्जिक राइनाइटिस)** से पीड़ित थे, राहत पाने के लिये **हेल्गोलैंड द्वीप** चले गए।
- वहीं पर उन्होंने **मैट्रिक्स मैकेनिक्स** (यह समझाने का तरीका कि परमाणु कैसे निश्चित ऊर्जा स्तरों के आधार पर प्रकाश को अवशोषित या उत्सर्जित करते हैं) का विकास किया, जो आगे चलकर **क्वांटम मैकेनिक्स** की नींव बना।
- उन्होंने **नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के शास्त्रीय विचार को प्रकाश अवशोषण** जैसी मापनीय मात्राओं पर आधारित प्रणाली से प्रतिस्थापित किया। **क्वांटम मैकेनिक्स** वह मौलिक भौतिकी सिद्धांत है, जो परमाणु और उप-परमाणु स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को समझाता है।
  - इसी खोज ने आगे चलकर **अनिश्चितता सिद्धांत** जैसे महत्त्वपूर्ण विचारों को जन्म दिया और लेज़र तथा सेमीकंडक्टर जैसी आधुनिक तकनीकों के लिये रास्ता खोल दिया।

वर्नर हाइज़ेनबर्ग:

- वर्नर हाइज़ेनबर्ग एक **जर्मन सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी** और **नोबेल पुरस्कार विजेता** (1932) थे, जिन्हें **हाइज़ेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत (Uncertainty Principle)** प्रस्तुत करने और मात्र **23 वर्ष की आयु में क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखने** के लिये जाना जाता है।
- **द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान हाइज़ेनबर्ग ने **जर्मन परमाणु कार्यक्रम,** जो अमेरिका के **मैनहैटन प्रोजेक्ट** के साथ प्रतिस्पर्द्धा के रूप में था, में मुख्य भूमिका निभाई।

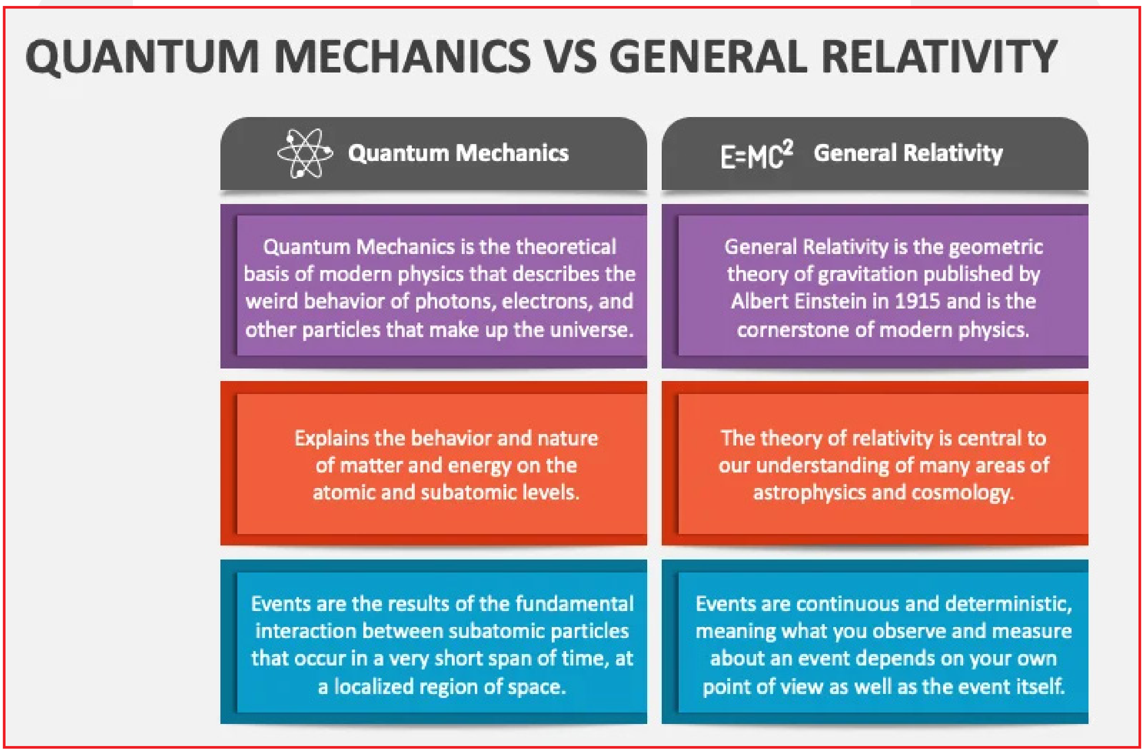

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत का पहला अश्व रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट

भारत ने उत्तर प्रदेश के **मेरठ छावनी** में अपना पहला **अश्व रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट** (Equine Disease-Free Compartment - EDFC) स्थापित किया है, जिसे **विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH)** द्वारा **आधिकारिक रूप से मान्यता** प्रदान की गई है।

- EDFC: यह एक **वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र** है, जो यह सुनिश्चित करता है कि **घोड़े कुछ विशिष्ट अश्व रोगों से मुक्त** हैं, जिससे वे **वैश्विक व्यापार तथा प्रतियोगिताओं** में भाग ले सकें।
  - यह क्षेत्र **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय** के तहत स्थापित किया गया है।
- **रोग-मुक्त स्थिति हेतु प्रमाणन:** EDFC को प्रमुख अश्व रोगों से मुक्त प्रमाणित किया गया है, जिनमें **अश्व संक्रामक एनीमिया, अश्व इन्फ्लूएंज़ा, अश्व पिरोप्लास्मोसिस, ग्लैंडर्स और सुर्रा** शामिल हैं।
- **भारत की रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट रणनीति का हिस्सा:** EDFC, भारत की व्यापक रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य **रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट** स्थापित करना है। इस रणनीति में **अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंज़ा (HPAI)** मुक्त कम्पार्टमेंट भी शामिल हैं, ताकि **पोल्ट्री (मुर्गी उत्पादों) का निर्यात सुरक्षित** रूप से किया जा सके।
  - भारत ने वर्ष **2014 से अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस** (African Horse Sickness) से **रोग-मुक्त स्थिति** बनाए रखी है, जिससे वैश्विक अश्व समुदाय में उसकी स्थिति और अधिक मज़बूत हुई है।
- **अश्व रोग:** ये वे रोग होते हैं जो **घोड़े, गधे, खच्चर तथा अश्वारोही प्रजाति (Equidae)** के अन्य प्राणियों को प्रभावित करते हैं। ये प्रकृति में संक्रामक हो सकते हैं, जो **वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण उत्पन्न होते हैं।**

सौर कोरोना में छोटे लूप

भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान (IIA) के खगोलविदों ने **सूर्य के वायुमंडल की निचली परतों** में **छोटे, अल्पकालिक प्लाज़्मा लूपों का** पता लगाया है, जो यह समझने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि सूर्य चुंबकीय ऊर्जा को किस प्रकार संगृहीत और मुक्त करता है।

- ये **छोटे कोरोनल लूप** लगभग **3,000-4,000 किमी लंबे हैं और इनकी चौड़ाई 100 किमी से कम है**। इनके आकार और संक्षिप्त जीवनकाल (केवल कुछ मिनटों तक चलने वाले) के कारण पूर्व में इनका अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण था।
  - ये **चुंबकीय पुनर्संयोजन** (एक ऐसी प्रक्रिया जिससे सौर वायुमंडल में अचानक ऊर्जा विस्फोट होता है) के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं तथा उनके शीर्ष से निकलने वाले प्लाज़्मा जेट से जुड़े होते हैं, जो **बड़े सौर कोरोनल घटनाओं** (जैसे- **सौर प्रज्वाल** व **कोरोनल मास इजेक्शन**) को प्रतिबिंबित करते हैं।
  - **डिफरेंशियल एमिशन मेजर एनालिसिस** (एक विशिष्ट तापमान पर प्लाज़्मा से उत्सर्जन की मात्रा को इंगित करता है) से पता चला कि **छोटे कोरोनाल लूपों में प्लाज़्मा का तापमान कई मिलियन डिग्री से ऊपर बढ़ रहा था,** जो **क्रोमोस्फीयर के लिये असामान्य रूप से उच्च था,** जहाँ प्लाज़्मा का घनत्व कोरोना की तुलना में काफी अधिक होता है।
    - इसके परिणामस्वरूप मौजूदा सौर तापन मॉडल को चुनौती मिलती है, जो सूर्य के वायुमंडल के निचली परतों में ऐसे चरम तापमान की व्याख्या करने में कठिनाई का सामना करते हैं।
- लद्दाख स्थित **भारत के नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप (NLST)** जैसे भविष्योन्मुखी टेलीस्कोप इन विशेषताओं का और अधिक अन्वेषण करने में सहायक हो सकते हैं।
  - NLST देश में प्रस्तावित भू-आधारित **ऑप्टिकल और निकट अवरक्त (IR) अवलोकन सुविधा है। इसे सौर चुंबकीय क्षेत्रों की उत्पत्ति तथा गतिशीलता से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक मुद्दों की एक श्रृंखला को संबोधित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

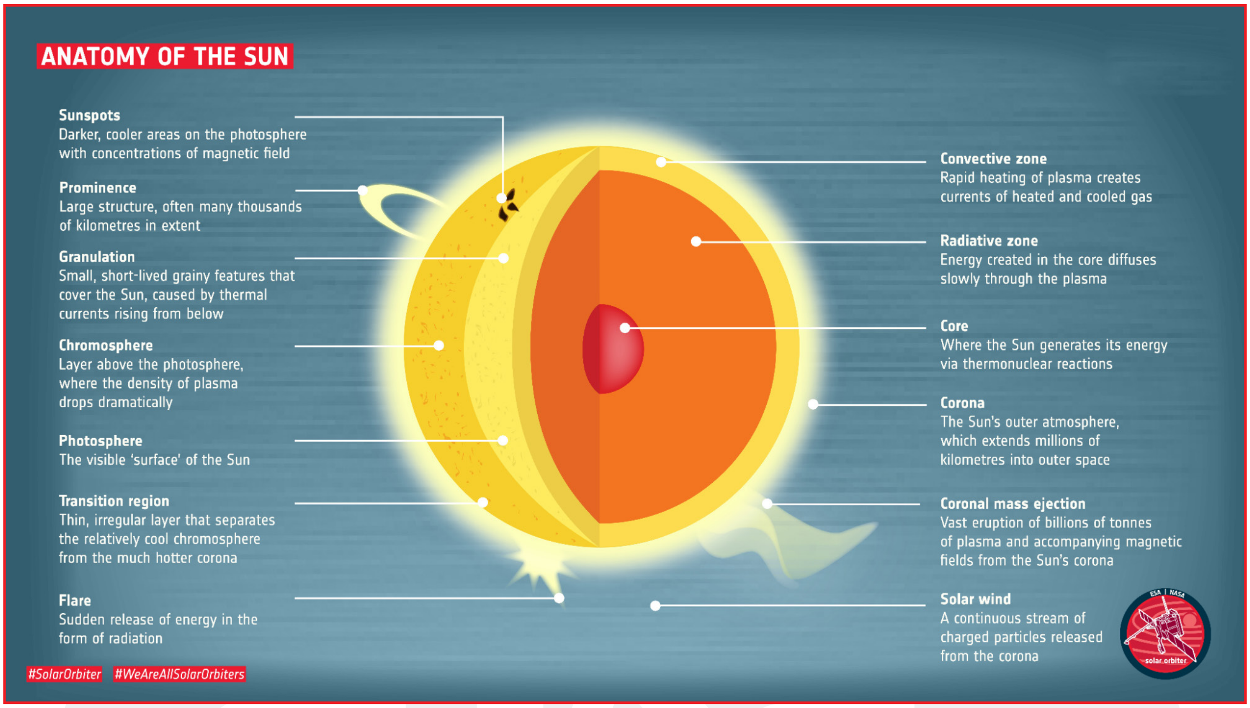

स्वदेशी 700 मेगावाट PHWRs हेतु परिचालन लाइसेंस

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (Atomic Energy Regulatory Board- AERB) ने गुजरात के **काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन (KAPS)** में दो **स्वदेशी रूप से विकसित** (KAPS-3 और KAPS-4) **700 मेगावाट (मेगावाट विद्युत) दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWRs) के संचालन हेतु लाइसेंस** प्रदान किया।

- **AERB ने 15 वर्षों** की कठोर बहु-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद **भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL)** को **संचालन के लिये 5 वर्ष** का लाइसेंस प्रदान किया।
  - **इससे NPCIL की 700 मेगावाट क्षमता के 10 और PHWRs** बनाने की योजना को प्रोत्साहन मिलेगा।
  - **NPCIL** भारत में सभी **परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन करता है, PFBR प्रकारों को छोड़कर** (इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के स्वामित्व में)।
- भारत वर्तमान में **220 मेगावाट के 15 PHWRs, 540 मेगावाट के 2 PHWRs**, तथा **राजस्थान के रावतभाटा में 700 मेगावाट का एक रिएक्टर संचालित करता है।**
- **PHWR** एक प्रकार का **परमाणु रिएक्टर है** जो **भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D_2O) को** शीतलक **एवं मंदक दोनों** के रूप में उपयोग करता है, जहाँ **प्राकृतिक या हल्का समृद्ध यूरेनियम ईंधन** के रूप में कार्य करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- AERB **भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण** है जो देश में **परमाणु ऊर्जा और विकिरण प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित उपयोग को** सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है।
  - **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962** के तहत 1983 में स्थापित AERB **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के** तहत एक **स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है।**
- भारत की **परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 8.18 गीगावाट (2024)** है, जिसका लक्ष्य वर्ष **2031-32 तक 22.48 गीगावाट** और वर्ष **2047 तक 100 गीगावाट निर्धारित किया गया है।**

तथ्य

- वर्तमान में, भारत के 6 राज्यों में 6780 मेगावाट इलेक्ट्रिक (MWe) की स्थापित क्षमता के साथ 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं।
- परमाणु सुविधाओं की स्थापना व उपयोग और रेडियोधर्मी स्रोतों के उपयोग से **संबंधित गतिविधियाँ भारत में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अनुसार** की जाती हैं।
- **परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) परमाणु एवं विकिरण सुविधाओं तथा गतिविधियों को नियंत्रित** करता है।
- **नवीनतम और सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र:** कुडनकुलम पावर प्लांट, तमिलनाडु
- **पहला और सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र:** तारापुर पावर प्लांट, महाराष्ट्र

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने **गुजरात के आणंद** में **त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय** का उद्घाटन किया, जो भारत का **पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय** है। यह पहल सरकार की **'सहकार से समृद्धि'** (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) की दृष्टि के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य **शिक्षा के माध्यम से सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाना** है।

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (TSU)

- **परिचय: त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (TSU)** का नाम **त्रिभुवनदास किशिभाई पटेल** के नाम पर रखा गया है, जो भारत के **सहकारी इतिहास के एक प्रमुख व्यक्तित्व** और **अमूल के संस्थापक** थे। उन्होंने **सरदार वल्लभभाई पटेल** के साथ मिलकर **वर्ष 1946 से गुजरात में सहकारी आंदोलन को दिशा देने** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- विश्वविद्यालय को **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत पंजीकृत किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाना** है, जिसके तहत **सहकारी प्रबंधन, लेखांकन, वित्त, विपणन, सहकारी कानून** और **ग्रामीण विकास** जैसे क्षेत्रों में **डिग्री, डिप्लोमा तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों** की पेशकश की जाएगी, ताकि एक **प्रशिक्षित एवं कुशल कार्यबल** तैयार किया जा सके।
  - इसका लक्ष्य **5 वर्षों में 20 लाख से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित करना** है, जिसमें **डेयरी, मत्स्यपालन** और **कृषि ऋण सहकारी समितियों** जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।
  - **एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास (R&D) परिषद** की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य **नवाचार को प्रोत्साहित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना** और **ग्रामीण सहकारी संस्थानों में श्रेष्ठ प्रथाओं को बढ़ावा देना** होगा।

भारत में सहकारी क्षेत्र:

- यह क्षेत्र ऐसे **सदस्य-स्वामित्व वाले संगठनों** को शामिल करता है, जो **आपसी सहायता और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण** के माध्यम से **सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं** को पूरा करने के लिये मिलकर कार्य करते हैं। यह **ग्रामीण विकास** और **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011** के तहत **अनुच्छेद 19(1)(c)** में संशोधन कर **सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार** को **मौलिक अधिकार** बना दिया गया।
- यह क्षेत्र मुख्य रूप से **सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912** और **बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम, 2002** द्वारा संचालित होता है।
  - **MSCS (संशोधन) अधिनियम, 2023** का उद्देश्य **बहु-राज्य सहकारी समितियों** में **सुशासन, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता** को मज़बूत करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत में विकासात्मक समूह

स्वयं सहायता समूह (SHG)

- समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और रुचियों वाले लोगों का स्व-शासित सहकर्मी-नियंत्रित (Peer-Controlled) सूचना समूह
  - सदस्यों की अनुमति: 5-20 | पंजीकरण आवश्यक नहीं
  - SHG सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिये बचत राशि का उपयोग करते हैं
- नाबार्ड का SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1992)- SHG को औपचारिक बैंकिंग संस्थाओं से जोड़ना
- भारत में ~ 88% SHG में सभी महिला सदस्य हैं
- **सफलता की कहानियाँ:**
  - वर्ष 1972 से स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA)
  - केरल में कुडुम्बश्री (वर्ष 1998)

सहकारी समितियाँ

- जन-केंद्रित उद्यम, जो अपने सदस्यों के स्वामित्व में उनके द्वारा नियंत्रित और उनके लिये संचालित होते हैं।
  - सदस्यों के साझा योगदान के माध्यम से एकत्रित की गई पूंजी।
- **विनियमन अधिनियम:**
  - बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002
  - राज्य सहकारी समिति अधिनियम
- **97वाँ संविधान संशोधन (2011):**
  - सहकारी समितियाँ निर्माण करने का अधिकार - एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c))
  - अनुच्छेद 43B (DPSP) - सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
  - भाग IX-B जिसका शीर्षक है "सहकारी समितियाँ" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।
- **उदाहरण:** अमूल, इफको और पैक्स

गैर-सरकारी संगठन (NGO)

- पीड़ा को दूर करने, निर्धनों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण का संरक्षण करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने या सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियाँ संचालित करना।
- **पंजीकृत:**
  - **सोसायटी:** सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
  - **ट्रस्ट:** भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882
  - **कंपनियाँ:** धारा 8 कंपनी अधिनियम, 2013
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 19(1)(c)-** संघ बनाने का अधिकार
  - **अनुच्छेद 43-** ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
  - **समवर्ती सूची** में धर्मार्थ संस्थाओं का उल्लेख है

FCRA विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक सभी गैर सरकारी संगठनों के लिये पंजीकरण अनिवार्य करता है।

- **प्रमुख NGO:**
  - **NGO प्रथम:** ग्रामीण भारत में बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन करने के लिये ASER रिपोर्ट की अगुआई की।
  - **अक्षय पात्र फाउंडेशन:** स्कूली बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया।

NGO- दर्पण प्लेटफॉर्म - NGO और सरकारी निकायों के बीच एक इंटरफेस।

Drishti IAS

मच्छरों के नियंत्रण हेतु AI आधारित स्मार्ट प्रणाली

एक **प्रौद्योगिकी-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल** के तहत, **आंध्र प्रदेश द्वारा मच्छरों के नियंत्रण हेतु AI आधारित स्मार्ट प्रणाली** (**Smart Mosquito Surveillance System- SMoSS**) की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य मच्छरों की **जनसंख्या की निगरानी और नियंत्रण** करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- SMoSS मच्छरों की प्रजाति, लिंग, जनसंख्या घनत्व और मौसम की स्थिति का पता लगाने के लिये **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** संचालित सेंसर, ड्रोन तथा **IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स)** उपकरणों का उपयोग करता है।
  - जब मच्छरों की संख्या सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है, तो **रीयल-टाइम अलर्ट** सक्रिय हो जाते हैं, जिससे अप्रभावी अंधाधुंध छिड़काव के बजाय बेहतर लक्षित छिड़काव और फॉगिंग संभव हो पाती है।
  - लागत-प्रभावी **लार्वानाशक छिड़काव के लिये ड्रोन का उपयोग किया जाता है,** जबकि एक केंद्रीय डैशबोर्ड लाइव निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। इस प्रणाली का प्रबंधन विशेष एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और जवाबदेही मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ट्रैक की जाएगी।

मच्छर जनित सामान्य बीमारियाँ:

- **ज़ीका वायरस रोग: ज़ीका** एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से एडीज़ एजिप्टी मच्छर से फैलता है।
  - यह संक्रमण **गर्भवती महिलाओं में होने पर बच्चों में माइक्रोसेफेली (मस्तिष्क का असामान्य रूप से छोटा आकार)** और अन्य जन्म दोष उत्पन्न कर सकता है।
- **डेंगू: डेंगू** वायरस के कारण होता है और **एडीज़ मच्छरों** द्वारा फैलता है। इसके चार सीरोटाइप (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4) हैं। इसके लक्षणों में तेज़ बुखार, तेज़ सिरदर्द, आँखों के पीछे दर्द और जोड़ों व मांसपेशियों में तेज़ दर्द शामिल हैं।
- इसका निदान **रक्त परीक्षण** के माध्यम से किया जाता है, लेकिन **डेंगू के लिये कोई विशिष्ट** उपचार नहीं है।
  - वर्ष 2024 में **भारत में डेंगू के 2.3 लाख से अधिक मामले** और **297 मौतें** दर्ज की गईं हैं।
- **पीत ज्वर (येलो फीवर):** एडीज़ एजिप्टी मच्छर के कारण होने वाला एक विषाणुजनित रक्तस्रावी रोग है।
  - इससे पीलिया, अंग विफलता, या गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 30,000 मौतें दर्ज की जाती हैं।
  - **"पीत (येलो)"** शब्द कुछ रोगियों में होने वाले पीलिया (त्वचा/आँखों का पीला पड़ना) से उत्पन्न हुआ है।
  - पीत ज्वर का टीका '17D' के नाम से जाना जाता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार सुरक्षित और सुलभ है।
- **चिकनगुनिया:** यह एक वायरल रोग है जो एडीज़ एजिप्टी मच्छर से फैलता है। इसके लक्षणों में अचानक तेज़ बुखार, जोड़ों में तीव्र दर्द शामिल हैं। इसका भी कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है।

वाहक (Vector)	मच्छर की प्रजाति (Mosquito Species)	रोग (Disease)	रोगजनक का प्रकार (Type of Pathogen)
मच्छर	**एडीज़ (Aedes)**	चिकनगुनिया	विषाणु
		डेंगू	विषाणु
		लिम्फेटिक फाइलेरिया (Lymphatic filariasis)	परजीवी
		रिफ्ट वैली फीवर	विषाणु
		येलो फीवर	विषाणु
		ज़ीका	विषाणु

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

	एनाफिलीज़ (Anopheles)	लिम्फेटिक फाइलेरिया	परजीवी
		मलेरिया	परजीवी
		ओन्योंग-न्योंग वायरस	विषाणु
	क्यूलेक्स (Culex)	जापानी इंसेफेलाइटिस	विषाणु
		लिम्फेटिक फाइलेरिया	परजीवी
		वेस्ट नाइल फीवर	विषाणु

फेनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक

नेशनल बायोबैंक, जिसका हाल ही में **CSIR-जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान (IGIB)** में उद्घाटन किया गया है। भारत का अपना **अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने और भविष्य में व्यक्तिगत उपचार व्यवस्था को सक्षम** बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह पहल **डेटा-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं** और **व्यक्तिगत चिकित्सा** (personalized medicine) के लिये मार्ग प्रशस्त करेगी।

एक **अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य अध्ययन रोग प्रवृत्तियों, उपचार परिणामों को समझने** और **जनसंख्या-विशिष्ट स्वास्थ्य नीतियों** का समर्थन करने के लिये समय के साथ व्यक्तियों पर नज़र रखता है।

नेशनल बायोबैंक:

- **बायोबैंक:** बायोबैंक एक ऐसा भंडार (repository) होता है जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये **जैविक नमूनों (जैसे- रक्त, ऊतक और DNA)** तथा स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को **संग्रहित, संरक्षित और प्रबंधित** करता है।
- **उद्देश्य:** **फिनोम इंडिया परियोजना** के तहत शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य भारत की विविध जनसंख्या को प्रतिबिंबित करने वाला एक **व्यापक संग्रह** तैयार करना है।
  - **आनुवंशिक संरचना, जीवनशैली और पर्यावरण के अनुरूप व्यक्तिगत उपचार** को सक्षम बनाना, भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक **दीर्घकालिक तथा दुर्लभ बीमारियों** पर अनुसंधान का समर्थन करना।
  - अधिक प्रभावी, **लक्षित उपचारों के साथ-साथ शीघ्र निदान** की सुविधा प्रदान करना।
- **कार्यक्षेत्र: बायोबैंक** विभिन्न क्षेत्रों, आयु समूहों और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के **10,000 विविध भारतीय प्रतिभागियों** से **जीनोमिक, जीवनशैली तथा नैदानिक डेटा** एकत्र करेगा।
- **महत्त्व:** यह पहल **मधुमेह, कैंसर, हृदय रोगों** और **दुर्लभ आनुवंशिक विकारों** जैसी बीमारियों के खिलाफ **भारत की लड़ाई को मज़बूती** प्रदान करेगी।
  - यूके बायोबैंक से प्रेरित होकर यह कार्यक्रम भारत की विविध **जनसंख्या के लिये लक्षित और जनसंख्या-विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं** के अनुरूप तैयार किया गया है।

फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट:

- **फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट** या **फेनोम इंडिया-CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेजबेस (PI-CHeCK)**, एक **अखिल भारतीय, दीर्घकालिक** अध्ययन है जिसे CSIR द्वारा **वर्ष 2023 में समय के साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर नज़र रखने** के लिये शुरू किया गया है।
- यह वैज्ञानिकों को रोग पैटर्न, जीन-पर्यावरण अंत:क्रियाओं और उपचारों के प्रति प्रतिक्रिया को उजागर करने में मदद करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

घटना:

- **फीनोम,** किसी व्यक्ति में पाए जाने वाले **सभी दृश्य गुणों** का समुच्चय है, जो उसके **जीन** और **पर्यावरण** के बीच **परस्पर क्रिया** से बनते हैं।
- इसमें व्यक्ति के **शारीरिक लक्षण**, **व्यवहार** और **रोगों का जोखिम** शामिल होता है अर्थात् यह **जेनेटिक निर्देशों का दिखाई देने वाला परिणाम** होता है

कोऑपरेटिव स्टैक: PACS के माध्यम से ग्रामीण योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन

ग्रामीण भारत में कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक सुगम और कुशल बनाने के लिये भारत सरकार एक व्यापक **'कोऑपरेटिव स्टैक (Cooperative Stack)'** विकसित कर रही है, जो **प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS)** पर केंद्रित होगी।

- **कोऑपरेटिव स्टैक:** यह एक **तकनीकी ढाँचा है जिसे** ग्रामीण समुदायों को **सीधे वित्तीय समावेशन, ऋण पहुँच और सरकारी सब्सिडी** जैसी सेवाएँ प्रदान करने तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - यह किसानों को सहयोग प्रदान करने और योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिये **AI-आधारित तकनीकों**, जैसे कि **स्वचालित मौसम परामर्श** को अपनाएगा।
  - **PACS की भूमिका: PACS भारत की ग्रामीण ऋण प्रणाली** की मूल संरचना हैं जो वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं। सरकार इनका उपयोग योजनाओं के वितरण और क्रियान्वयन के लिये करके यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न लाभ एवं सेवाएँ ग्रामीण किसानों तथा समुदायों तक तेज़ी और दक्षता के साथ पहुँच सकें।
- **PACS:** ये मूलत: **ऋण समितियाँ हैं** जो **संबंधित राज्य** के **सहकारी समिति अधिनियम** के तहत **पंजीकृत** हैं।
  - **PACS ज़मीनी स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएँ** हैं जो किसानों को **किफायती ऋण**, **बैंकिंग सेवाएँ** और **कृषि सहायता** प्रदान करती हैं।
  - वे **ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB)** और **राज्य सहकारी बैंकों (SSB)** के साथ भारत की **त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना** का आधार बनाते हैं।
  - 1.08 **लाख PACS** में से लगभग 63,000 **कंप्यूटरीकरण के उन्नत चरण** में हैं तथा सरकार का लक्ष्य उनमें से 80,000 को पूर्णत: डिजिटल बनाना है।

जीन-एडिटेडजापोनिका राइस

भारतीय वैज्ञानिकों ने **जापोनिका राइस (चावल) की किस्मों** में फॉस्फेट (फास्फोरस) को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ाने के लिये **CRISPR-Cas9 तकनीक** का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है, जिससे उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि हो सकती है तथा उर्वरकों के उपयोग में कमी लाई जा सकती है।

- **फॉस्फेट दक्षता:** जापोनिका चावल की किस्मों में **CRISPR-Cas9 जीन-एडिटिंग तकनीक** के उपयोग से केवल 10% **अनुशंसित फॉस्फेट उर्वरक मात्रा का प्रयोग कर** 40% तक उपज में वृद्धि हुई है।
  - CRISPR-Cas9 एक जीन-एडिटिंग उपकरण है, जो वैज्ञानिकों को **Cas9 एंज़ाइम का** उपयोग **आणविक कैंची** के रूप में करके **जीनोम को सटीक रूप से संशोधित करने** में सक्षम बनाता है, ताकि **DNA को सटीक** रूप से काटा जा सके और आनुवंशिक सामग्री को जोड़ा, हटाया या उसकी मरम्मत की जा सके।
- **क्रियाविधि:** इसमें OsPHO1;2 जीन की एडिटिंग की गई है, जो **जड़ से टहनी तक फॉस्फेट स्थानांतरण** के लिये ज़िम्मेदार था, इस जीन में संपादन करते समय, दमनकर्त्ता (Repressor) को पूरी तरह हटाने के बजाय, उसके बंधन स्थल (binding site) को हटाया गया है।
- **महत्त्व:** भारत **4.5 मिलियन टन से अधिक फॉस्फेट उर्वरकों का आयात करता है, जिससे कृषि स्थिरता और आत्मनिर्भरता के लिये** यह जीन-एडिटिंग दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारतीय मृदा में पोषक तत्त्वों की कमी

- **विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE)** द्वारा वर्ष 2022 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, लगभग **85% मृदा के नमूने जैविक कार्बन की कमी** से ग्रस्त हैं।
- **भारतीय मृदा में पोषक तत्त्वों की स्थिति इस प्रकार है:**
  - **97% नाइट्रोजन की कमी** है, जो फसलों की वृद्धि के लिये अत्यंत आवश्यक है।
  - **83% फॉस्फोरस की कमी** है, जो जड़ों और बीजों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - **71% पोटैशियम की कमी** है, जो पौधों में पानी और पोषक तत्त्वों के प्रवाह को नियंत्रित करता है।
- इसके अतिरिक्त, भारतीय मृदा में **बोरॉन (47%)**, **ज़िंक (39%)**, **आयरन (37%)** और **सल्फर (36%)** की भी कमी पाई गई है।
- यह स्थिति **पोषण सुरक्षा** को प्रभावित करती है, क्योंकि **ज़िंक की कमी वाले अनाज कुपोषण को और** अधिक गंभीर बना सकते हैं।

वेरा सी. रुबिन वेधशाला

चिली में स्थित खगोलीय सुविधा वेरा सी. रुबिन वेधशाला (**समुद्र तल से 8,684 फीट ऊपर सेरो पचोन पर्वत** के ऊपर) ने अपने **प्राथमिक उपकरण के रूप में सिमोनी सर्वेक्षण दूरबीन का** उपयोग करते हुए **अपनी पहली परीक्षण छवियाँ (Test Images) जारी कीं।**

वेरा सी. रुबिन वेधशाला

- **परिचय:** यह एक **खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण निरंतर स्कैनिंग** के माध्यम से **दक्षिणी गोलार्द्ध के रात्रि आकाश** का **सबसे व्यापक सर्वेक्षण** करने के लिये किया गया है।
  - इसका नाम **अमेरिकी खगोलशास्त्री वेरा सी. रुबिन** के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने **1970 के दशक में डार्क मैटर** के अस्तित्व का पहला साक्ष्य प्रस्तुत किया था।
- **विशिष्टता:** इसका **सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप** एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र (Wide Field of View) से युक्त है, जो एक ही बार में 40 पूर्ण चंद्रमाओं के बराबर क्षेत्र को कैप्चर करने में सक्षम है। यह क्षमता **हबल स्पेस टेलीस्कोप (1%) और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (75%)** की तुलना में कहीं अधिक व्यापक कवरेज प्रदान करती है।
  - इसमें **3,200 मेगापिक्सेल** वाला **विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा** लगा है, जो नग्न आँखों से दिखाई देने वाली वस्तुओं की तुलना में **100 मिलियन गुना धुँधली वस्तुओं** का पता लगाने में सक्षम है।
  - इसके अतिरिक्त, यह सबसे तेज़ गति से घूमने वाले टेलीस्कोप है, जो **केवल पाँच सेकंड** में अपनी स्थिति को समायोजित करने में सक्षम है।
- **उद्देश्य:** यह **डार्क एनर्जी (68%)** और **डार्क मैटर (27%)** की प्रकृति की खोज करने में सहायक होगा, जो मिलकर **ब्रह्मांड का 95% हिस्सा** बनाते हैं, जबकि **दृश्य पदार्थ (Visible Matter)** केवल **5%** है।
  - इसका उद्देश्य कुछ प्रमुख खगोलीय प्रश्नों को संबोधित करना है, जिनमें शामिल हैं — **आकाशगंगा** का निर्माण, हमारे **सौरमंडल में 9वें ग्रह का अस्तित्व** और **पृथ्वी के लिये किसी क्षुद्रग्रह से खतरे** की संभावना।

ग्रेट हॉर्नबिल

हाल ही में **केरल के कन्नूर के तटीय क्षेत्र में ग्रेट हॉर्नबिल** (मलयालम में मलमुझक्की वेझंबल) को देखा गया।

ग्रेट हॉर्नबिल (बुसेरोस बाइकोर्निस)

- **परिचय:** यह एक बड़ा पक्षी है (लंबाई 95–120 सेमी, वजन लगभग 3 किलोग्राम), जो **बुसेरोटिडी (Bucerotidae) परिवार** से संबंधित है। इसकी पहचान मुड़ी हुई **पीली चोंच और उसके ऊपर स्थित एक खोखले कास्क** (casque) से होती है। यह मुख्यत: फलभक्षी (frugivorous) होता है, लेकिन यह छोटे जीवों का शिकार भी करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **भौगोलिक सीमा:** भारत, भूटान, नेपाल, चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया सहित **दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया** के कुछ हिस्सों में मूल रूप से पाया जाता है।
  - भारत में यह **पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वोत्तर** और **मध्य भारत** के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
- यह **केरल और अरुणाचल प्रदेश** दोनों राज्यों का **आधिकारिक राज्य पक्षी** है।
- नगालैंड में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध **"हॉर्नबिल महोत्सव"** इसी के नाम पर रखा गया है। यह पक्षी **नागा समुदाय** द्वारा सबसे **आदर और सम्मान** के साथ देखा जाता है।
- यह **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों** तथा **आर्द्र पर्णपाती वनों** में पाया जाता है। यह **घने पुराने पेड़ों** को पसंद करता है, जिनमें **बड़े प्राकृतिक गड्ढे (cavities)** होते हैं ताकि वह उनमें घोंसला बना सके। तटीय क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति अत्यंत दुर्लभ है।
  - यह आमतौर पर **600-2000 मीटर की ऊँचाई** पर पाया जाने वला यह पक्षी **वृक्षवासीय (Arboreal), दिवाचर (Diurnal)** और **गैर-प्रवासी (Non-Migratory)** है।
  - इसे सबसे बड़ा खतरा **मानवों द्वारा शिकार** और **वनों की कटाई** के कारण **प्राकृतिक आवास के नष्ट होने** से है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN लाल सूची:** संवेदनशील
  - **CITES:** परिशिष्ट I
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972:** अनुसूची I

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

पेथिया डिब्रूगढ़ेंसिस

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (ICAR-CIFRI) के शोधकर्त्ताओं ने ब्रह्मपुत्र नदी में **साइप्रिनिड मछली** की एक **नई प्रजाति** की खोज की है, जिसका नाम **पिथिया डिब्रूगढ़ेंसिस** (Pethia Dibrugarhensis) रखा गया है।

- इसका नाम असम के **डिब्रूगढ़ ज़िले** के नाम पर रखा गया है, जहाँ इसे पहली बार देखा गया था।

पेथिया डिब्रूगढ़ेंसिस

- **वर्गीकरण:** यह **मछली साइप्रिनिडी** (Cyprinidae) **परिवार** (जिसमें **कार्प** (Carps) और **मिनोज़** (Minnows) भी शामिल हैं) से संबंधित है, जिसे सामान्यत: "**बार्ब्स** (Barbs)" के रूप में जाना जाता है, यह **एशिया, यूरोप और अफ्रीका** में पाई जाने वाली **छोटे से मध्यम आकार** की मीठे पानी की मछलियाँ हैं।
  - हालाँकि इस प्रजाति में **सामान्य बर्बल्स** (barbels) नहीं पाए जाते, फिर भी इसकी आकृतिक विशेषताओं के आधार पर इसे बार्ब की श्रेणी में रखा गया है।
- **आवास:** यह मछलियाँ **मटमैले-रेतीले-पथरीली सतह** वाले **मध्यम तेज प्रवाह वाले पानी** में पाई जाती है तथा वहाँ की **स्थानीय मीठे पानी की अन्य प्रजातियों** के साथ सह-अस्॒तित्व में रहती है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - अपूर्ण पार्श्व रेखा
  - पूँछ के पास काले रंग का धब्बा
  - ह्यूमेरल चिह्न तथा बर्बल्स का अभाव

ICAR-CIFRI

- **यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद** (ICAR) के अंतर्गत एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना **वर्ष** 1947 में हुई थी, जो भारत में **अंतर्देशीय खुले जल मत्स्य पालन के सतत् प्रबंधन** के लिये समर्पित है।
- इसका मुख्यालय **बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में है और यह मत्स्य पालन, जलीय जैव विविधता संरक्षण** और **आजीविका सृजन** को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ब्रह्मपुत्र नदी

- **ब्रह्मपुत्र** का उद्गम मानसरोवर झील (तिब्बत) के पास **चेमायुंगदुंग हिमनद** (**ग्लेशियर**) से होता है, जिसे तिब्बत में **यारलुंग त्संगपो** और अरुणाचल प्रदेश में **सियांग/दिहांग** के नाम से जाना जाता है।
  - यह **तिब्बत** (**चीन**), **भारत और बांग्लादेश** से होकर प्रवाहित होती है।
- प्रमुख सहायक नदियों में **लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, जियाभाराली, धनसिरी, मानस, तोरसा, संकोश, तीस्ता, दिखो, धनसिरी** और **कोपिली** शामिल हैं।
- **असम में स्थित माजुली द्वीप** विश्व का **सबसे बड़ा नदी द्वीप** है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के कई छात्रों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त की है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS)

- **EMRS: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय** (**EMRS**) जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) द्वारा **वर्ष** 1998 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य दूरदराज़ और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजाति** (**ST**) **के छात्रों को कक्षा 6वीं से 12वीं** तक नि:शुल्क, गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है।
- **उद्देश्य:** खेल, संस्कृति और कौशल प्रशिक्षण सहित **समग्र विकास** के साथ एकीकृत **CBSE-आधारित निर्देश** प्रदान करके **आदिवासी और गैर-आदिवासी आबादी** के बीच शैक्षिक अंतर को कम करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पुनर्गठन और विस्तार:** इस योजना को **वर्ष 2018-19 में पुनर्गठित** किया गया ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके। अब EMRS उन ब्लॉकों में स्थापित किये जा रहे हैं, जहाँ **50% से अधिक ST आबादी** है और **कम-से-कम 20,000 जनजातीय व्यक्ति** रहते हैं। इसका लक्ष्य **वर्ष 2026 तक 728 स्कूलों** की स्थापना करना है।
- **शासन व्यवस्था:** इन विद्यालयों का संचालन **राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (NESTS)** द्वारा किया जाता है, जो कि MoTA के अंतर्गत एक **स्वायत्त संस्था** है।

- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - ये विद्यालय **सहशैक्षिक और पूर्णतः आवासीय** होते हैं, जिन्हें **नवोदय विद्यालयों के तर्ज** पर जनजातीय समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए स्थापित किया गया है।
  - ये **CBSE पाठ्यक्रम** का पालन करते हैं और छात्रों को **निःशुल्क शिक्षा** के साथ-साथ **सभी मूलभूत सुविधाएँ** प्रदान करते हैं।
  - **बुनियादी ढाँचा** में कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, खेल के मैदान और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये स्थान शामिल होते हैं।
  - प्रत्येक विद्यालय की क्षमता **480 छात्रों** की होती है, जिसमें **लैंगिक समानता** सुनिश्चित की जाती है।
  - **10% तक सीटें** गैर-जनजातीय (non-ST) छात्रों को आवंटित की जा सकती हैं।
  - **खेल कोटा के अंतर्गत 20% आरक्षण** एथलेटिक्स और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले **मेधावी ST छात्रों** के लिये निर्धारित है।

जनजातीय शिक्षा हेतु अन्य पहल

- राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (RGNF)
- व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
- राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

चुंबकीय क्षेत्र मापन में प्रगति

रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) के वैज्ञानिकों ने **रमन-ड्रिवन स्पिन नॉइज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी (RDSNS)** नामक एक तकनीक विकसित की है, जिसे **ऑल-ऑप्टिकल क्वांटम मैग्नेटोमीटर** में शामिल कर चुंबकीय क्षेत्र के मापन को बेहतर बनाया जा सकता है।

RDSNS (रमन-ड्रिवन स्पिन नॉइज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी):

- **परिचय:** RDSNS एक उन्नत **ऑल-ऑप्टिकल तकनीक** है, जो **लेज़र प्रकाश और रुबिडियम परमाणुओं** का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्रों को मापने के लिये विकसित की गई है।
  - परमाणु स्वाभाविक रूप से सूक्ष्म और अनियमित **स्पिन गतिविधियाँ** प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें **स्पिन नॉइज़** कहा जाता है।
  - जब ये परमाणु किसी चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आते हैं, तो इस शोर के पैटर्न में परिवर्तन आता है।
  - लेज़र प्रकाश के माध्यम से इन परिवर्तनों का पता लगाकर वैज्ञानिक बिना परमाणुओं को बाधित किये चुंबकीय क्षेत्र को माप सकते हैं।
- **मुख्य लाभ:**
  - यह तकनीक **बिना चुंबकीय परिरक्षण** (shield-free) के भी कार्य कर सकती है।
  - यह **कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल और फील्ड में इस्तेमाल योग्य** होती है।
  - इसमें **विस्तृत डायनामिक रेंज** और **उच्च संवेदनशीलता** होती है।
  - यह **बाहरी या शोरयुक्त वातावरण** में भी प्रभावी रूप से कार्य करती है तथा **विद्युत एवं यांत्रिक हस्तक्षेप के प्रति प्रतिरोधी** होती है।
- **अनुप्रयोग:** RDSNS का उपयोग **चिकित्सीय इमेजिंग** (MRI के विकल्प के रूप में), **भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों** (खनिजों की पहचान), **अंतरिक्ष अन्वेषण** (ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र) और **क्वांटम अनुसंधान** (परमाणु और स्पिन अध्ययन) में किया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

मैग्नेटोमीटर:

- **परिचय:** मैग्नेटोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग **चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता और दिशा** मापने के लिये किया जाता है। इसका उपयोग सामान्यत: **चिकित्सीय इमेजिंग, नेविगेशन** और **पृथ्वी/अंतरिक्ष अध्ययन** में किया जाता है।
  - **महासागर अन्वेषण** में, यह **जहाज़ों के अवशेषों, विमान के मलबे** और समुद्र तल पर **भू-वैज्ञानिक विशेषताओं का पता लगाने में सहायता करता है।**
- **कार्यप्रणाली:** पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके बाह्य कोर में मौजूद **पिघले हुए लोहे और निकल** के कारण उत्पन्न होता है तथा यह स्थान के अनुसार बदलता रहता है।
  - **मैग्नेटोमीटर** इस बदलाव का पता **चुंबकीय रीडिंग** (सामान्यत: **1 हट्र्ज़** पर) रिकॉर्ड करके लगाते हैं। जब यह उपकरण **लोहे जैसे पदार्थों (जैसे लंगर, मलबा या बेसाल्ट)** से टकराता है, तो यह चुंबकीय विसंगतियाँ यानी क्षेत्र में अचानक और अप्रत्याशित बदलाव को पहचान लेता है।
- **आधुनिक मैग्नेटोमीटर:** आधुनिक मैग्नेटोमीटर जैसे कि **ऑप्टिकली पंप्ड एटॉमिक मैग्नेटोमीटर (OPAMs)** और **स्पिन-एक्सचेंज रिलैक्सेशन-फ्री (SERF)** उपकरण, **लेज़र प्रकाश** तथा **क्षारीय धातु परमाणुओं** (जैसे रुबिडियम) का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्रों को अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ मापते हैं।
- हालाँकि, इन्हें संचालित करने के लिये **महँगे चुंबकीय परिरक्षण** की आवश्यकता होती है, ये केवल **शोर-रहित प्रयोगशाला स्थितियों** में ही कार्य करते हैं और इनकी **पता लगाने की सीमा सीमित** होती है।

स्वदेशी मीडियम ऑल्टिट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) ड्रोन

भारत 87 **स्वदेशी रूप से विकसित मीडियम ऑल्टिट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) ड्रोन** की खरीद प्रक्रिया को तेज़ कर रहा है, जिनमें **कम से कम 60% स्वदेशी सामग्री** होगी। इसका उद्देश्य **विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करना** और **समुद्री एवं स्थलीय सीमाओं पर निगरानी क्षमताओं को मज़बूत** करना है।

- यह पहला अवसर है जब **'मेक इन इंडिया'** पहल के तहत **भारतीय निजी निर्माताओं** को **MALE ड्रोन की आपूर्ति** का कार्य सौंपा गया है, जो पहले **इज़रायल से आयात** किये जाते थे।
- ये ड्रोन **35,000 फीट** तक की ऊँचाई पर **30 घंटे से अधिक की उड़ान क्षमता** प्रदान करेंगे तथा विभिन्न भू-भागों में **ISR (खुफिया, निगरानी और टोही)** सहायता प्रदान करेंगे।

भारत के स्वदेशी ड्रोन:

ड्रोन का नाम	प्रमुख विशेषताएँ
लक्ष्य	लक्ष्य ड्रोन जिसका उपयोग "टोही" और लक्ष्य की पहचान के लिये किया जाता है
निशांत	**मल्टी-मिशन UAV** (मानवरहित हवाई वाहन), **दिन/रात** दोनों में संचालित करने में सक्षम, इसका उपयोग **निगरानी, लक्ष्य की ट्रैकिंग** और **तोपखाने की फायर सुधार** के लिये किया जाता है।
रुस्तम -1	**शॉर्ट रेंज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम** (SR-RPAS, 800 किलोग्राम श्रेणी), **यह प्रणाली खुफिया एकत्रीकरण (ISR), लक्ष्य पहचान,** और छवि विश्लेषण जैसे कार्यों को अंजाम देती है।
TAPAS/ रुस्तम-2	**MALE UAV** को **खुफिया एकत्रीकरण, निगरानी, लक्ष्य पहचान और टोही (ISTAR)** भूमिकाओं के लिये विकसित किया गया है।
आर्चर	**हथियारयुक्त शॉर्ट-रेंज UAV;** इसका उपयोग टोही, निगरानी (surveillance) और कम तीव्रता वाले संघर्षों (low-intensity conflict) में किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

नोट: उपर्युक्त सभी ड्रोन **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** द्वारा विकसित किये गए हैं।

ड्रोन प्रौद्योगिकी

ड्रोन एक पायलट रहित उड़ान मशीन है, जो लिफ्ट के लिए वायुगतिकी का उपयोग करती है, स्वायत्त रूप से या दूर से संचालित हो सकती है, और घातक या गैर-घातक कार्गो ले जा सकती है।

अवयव

- मानव रहित विमान (UA)
- नियंत्रण प्रणाली (ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन - GCS)
- नियंत्रण लिंक (विशेष डाटालिंक)
- अन्य संबंधित सहायता उपकरण

वर्गीकरण

(ड्रोन नियम, 2021)

- **नैनो:** <250 ग्राम.
- **माइक्रो:** 250 ग्राम. से 2 किग्रा.
- **मिनी:** 2 किग्रा. से 25 किग्रा.
- **स्माल:** 25 किग्रा. से 150 किग्रा.
- **लार्ज:** >150 किग्रा.

अनुप्रयोग

- **मानचित्रण एवं सर्वेक्षण** (संपत्ति निरीक्षण, पटल निरीक्षण)
- **कृषि** (पक्षी नियंत्रण, **फसल पर छिड़काव और उसकी निगरानी** आदि)
- मल्टीस्पेक्ट्रल/थर्मल/NIR कैमरे, **हवाई फोटो/वीडियोग्राफी** और **लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट**
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया** (खोज और बचाव, समुद्री बचाव, अग्निशमन)
- **आपदा** (क्षेत्र मानचित्रण, आपदा राहत आदि)
- **फोरेंसिक**
- **खुदाई**
- **शिकारियों पर निगरानी**
- **मौसम** विज्ञान, विमानन, पेलोड ले जाना

रक्षा में ड्रोन

उद्देश्य

- **निगरानी और टोही**
- **खोज और बचाव**
- **समुद्री निगरानी**
- **लड़ाकू ड्रोन**
- **आक्रमण हेतु उपयोग (विषम SWARM ड्रोन)**
- **आतंकवाद विरोधी अभियान**

भारत का काउंटर-ड्रोन सिस्टम

- **इंद्रजाल** (भारत का उद्घाटन स्वायत्त ड्रोन-रक्षा गुंबद)
- **इज़राइल से युद्ध-सक्षम** हेरॉन **ड्रोन की खरीद**
- **अमेरिका से MQ-9B सशस्त्र ड्रोन का अधिग्रहण**

संबंधित विनियम

- विमान (सुरक्षा) नियम, 2023
- ड्रोन नियम, 2021 और ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022

भारतीय पहल

- डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म
- नो-परमिशन-नो-टेकऑफ (NPNT) ढाँचा
- ड्रोन के लिए PLI योजना
- ड्रोन शक्ति योजना

मुद्दे

- सशस्त्र हमलों का खतरा बढ़ा है
- **डाटा सुरक्षा**
- **सस्ती लागत बड़ी आबादी** को ड्रोन खरीदने में सक्षम बनाती है
- युद्ध में ड्रोन का उपयोग **(दूरस्थ युद्ध)**
- **गैर-राज्य तत्त्वों द्वारा खरीद गंभीर खतरे पैदा** कर सकती है
- **सामूहिक विनाश के हथियारों को पहुँचाने** में आसानी

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

सरिस्का टाइगर रिज़र्व

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (SC-NBWL) की स्थायी समिति ने सरिस्का टाइगर रिज़र्व (Sariska Tiger Reserve- STR) के महत्त्वपूर्ण बाघ आवास (Critical Tiger Habitat- CTH) की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है , जिसके लिये **सर्वोच्च न्यायालय** की अंतिम मंज़ूरी का इंतज़ार है।

- सर्वोच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान लेकर STR से जुड़े कई मुद्दों की जाँच कर रहा है, जिसमें इसकी सीमाओं का युक्तिकरण भी शामिल है। इसकी **केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (Central Empowered Committee- CEC) ने** गाँवों के स्थानांतरण और मवेशियों के चरने जैसी मानवीय बाधाओं को दूर करने के लिये बदलावों की सिफारिश की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

- **प्रस्तावित परिवर्तन:** युक्तिकरण के परिणामस्वरूप CTH 881.11 वर्ग किमी से बढ़कर 924.49 वर्ग किमी हो जाएगा, जबकि बफर जोन 245.72 वर्ग किमी से घटकर 203.2 वर्ग किमी. हो जाएगा, जिससे विकासात्मक दबावों के साथ संरक्षण आवश्यकताओं को संतुलित किया जा सकेगा।
- **पारिस्थितिक और कानूनी संदर्भ:** CTH को **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित किया गया है** और इसे मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिये।
    - इस पुनर्सीमांकन से बाघों के आवास के निकट होने के कारण बंद पड़े 50 से अधिक खनन कार्यों को लाभ हो सकता है।
- **सरिस्का टाइगर रिज़र्व: अरावली पहाड़ियों** के भीतर राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित सरिस्का टाइगर रिज़र्व को वर्ष **1955 में वन्यजीव अभयारण्य** घोषित किया गया था और वर्ष 1978 में **प्रोजेक्ट टाइगर** के तहत एक बाघ अभयारण्य बना दिया गया था।
    - अपने समृद्ध इतिहास के लिये प्रसिद्ध इस स्थान पर **कंकरवाड़ी किला है,** जहाँ औरंगजेब ने दारा शिकोह को कैद किया था तथा पांडवों से जुड़ा **पांडुपोल हनुमान मंदिर भी** है।
    - यहाँ का भूदृश्य चट्टानी भूभाग, घास के मैदान, झाड़ीदार काँटेदार जंगल और अर्द्ध-पर्णपाती वनों से युक्त है। यहाँ की वनस्पतियों में **ढोक, सालार, कदया, बेर, गुगल और बाँस** शामिल हैं।
    - **इस रिज़र्व में रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुए, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर और लकड़बग्घे** सहित विविध जीव-जंतु पाए जाते हैं।
    - **सरिस्का टाइगर रिज़र्व जयसमंद झील और सिलिसेढ़ झील** जैसे स्थलों से भी घिरा हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने **रोम संविधि के अनुच्छेद 7(1)(h)** के तहत अफगानिस्तान में व्यवस्थित लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न को मानवता के विरुद्ध अपराध मानते हुए **तालिबान** नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)

- **ICC:** ICC विश्व का पहला **स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय** है, जिसकी स्थापना **वैश्विक रूप से सबसे गंभीर अपराधों** के लिये व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिये की गई है।
    - इसका मुख्यालय **हेग, नीदरलैंड्स** में है और यह ***रोम संविधि*** द्वारा शासित होता है, जो ICC की स्थापना संधि है। इसे **17 जुलाई, 1998** को अपनाया गया था तथा यह 1 जुलाई, 2002 से प्रभावी हुई।
- **ICC के अंतर्गत अपराध:** रोम संविधि ICC को चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है:
    - जनसंहार
    - मानवता के विरुद्ध अपराध
    - युद्ध अपराध
    - आक्रामकता का अपराध
- **अधिकार क्षेत्र और अधिदेश:** ICC गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिये राज्यों पर नहीं, बल्कि व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है, जिसमे **1 जुलाई, 2002 के बाद किये गए अपराध** (जिस दिन **रोम संविधि** लागू हुई थी) शामिल हैं।
    - यह **तभी कार्य करता है जब राष्ट्रीय न्यायक्षेत्र** मुकदमा चलाने के लिये अनिच्छुक या असमर्थ हो।
    - ICC का अधिकार क्षेत्र उन देशों में होता है जो **रोम संविधि** के पक्षकार हैं, या उन गैर-सदस्य देशों में जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा ICC को संदर्भित किया गया हो।
- **ICC के पक्षकार:**
    - **रोम संविधि** को **ब्रिटेन और अधिकांश यूरोपीय देशों** सहित **125 देशों** द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। **30** से अधिक अन्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर तो किये हैं, लेकिन अभी तक इस संधि का अनुमोदन नहीं किया है।
    - अफगानिस्तान **वर्ष 2003** से इसका सदस्य है, जबकि **भारत , अमेरिका, इज़रायल, चीन** जैसे देश ICC के **पक्षकार नहीं** हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- भारत ने अपनी संप्रभुता और न्यायालय की रूपरेखा में UNSC को प्रदत्त संदर्भ शक्तियों को लेकर आपत्ति जताई है।
- **संरचना:** प्रेसीडेंसी, **न्यायिक प्रभाग**, **अभियोजक का कार्यालय** और **रजिस्ट्री** इसके **4 मुख्य अंग** हैं।
  - **सदस्य देशों** के प्रतिनिधियों से बनी राज्य दलों की सभा (ASP) **विधायी निगरानी** प्रदान करती है तथा **ICC का उचित प्रशासन** सुनिश्चित करती है।
- **प्रवर्तन:** ICC के पास अपनी कोई पुलिस या प्रवर्तन तंत्र नहीं है। यह आरोपित व्यक्तियों की गिरफ्तारी, संपत्ति फ्रीज़ करना और अपने निर्णयों को लागू करने के लिये सदस्य देशों के स्वैच्छिक सहयोग पर निर्भर करता है।

हिमालय और कश्मीर का जलवायु परिवर्तन

लखनऊ स्थित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज (BSIP) के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किये गए एक अभूतपूर्व अध्ययन से पता चला है कि **कश्मीर घाटी, जो अब अपनी ठंडी, भूमध्यसागरीय-प्रकार की जलवायु** के लिये जानी जाती है, लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले **एक गर्म, आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र** था।

- **BSIP की स्थापना वर्ष** 1946 में पैलियोबॉटनी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये की गई थी जिसकी **इसकी आधारशिला वर्ष 1949 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू** ने रखी थी। इसे **यूनेस्को** का समर्थन (1951-53) प्राप्त हुआ और यह **वर्ष 1969 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DSP)** द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय बन गया।

कश्मीर के जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन:

- **अध्ययन के परिणाम:** BSIP में **संग्रहीत जीवाश्म पत्तियों के समृद्ध संग्रह** पर आधारित यह अध्ययन, **उपोष्णकटिबंधीय जीवाश्म नमूनों** और **कश्मीर के वर्तमान समशीतोष्ण वनस्पतियों** के बीच **जलवायु संबंधी विविधता के कारण** किया गया, जिसने कश्मीर घाटी के जलवायु और विवर्तनिक इतिहास में अपनी वैज्ञानिक जाँच शुरू करने के लिये प्रेरित किया।
- **प्रयुक्त वैज्ञानिक तकनीकें:** कश्मीर की पुराजलवायु के पुनर्निर्माण के लिये, अध्ययन में दो प्रमुख विधियों का उपयोग किया गया - **CLAMP (क्लाइमेट लीफ एनालिसिस मल्टीवेरिएट प्रोग्राम)** का प्रयोग करते हुए, तापमान और वर्षा के प्रारूप को निर्धारित करने के लिये जीवाश्म पत्तियों के आकार, माप और किनारों की जाँच की। उन्होंने जलवायु सीमाओं का अनुमान लगाने के लिये सह-अस्तित्व दृष्टिकोण की मदद से जीवाश्म पौधों को उनके आधुनिक संबंधियों के साथ क्रॉस-चेक भी किया।
- **मुख्य निष्कर्ष: कश्मीर के करेवा तलछट** से प्राप्त जीवाश्म पत्तियों से पता चलता है कि घाटी में कभी **हरे-भरे उपोष्णकटिबंधीय** जंगल हुआ करते थे।
- **कई जीवाश्म गर्म और आर्द्र जलवायु** की आधुनिक प्रजातियों से मिलते जुलते हैं, जो आज की **अल्पाइन और शंकुधारी वनस्पतियों** से बिल्कुल अलग हैं।
- अध्ययन में इस जलवायु परिवर्तन का कारण उप-हिमालयी प्रणाली के भाग पीर पंजाल पर्वतमाला के विवर्तनिकी उत्थान (टेक्टॉनिक अपलिफ्ट) को बताया गया है।
  - इस उत्थान ने **भू-वैज्ञानिक अवरोध** के रूप में कार्य किया, जिससे **भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून** अवरुद्ध हो गया, जिससे वर्षा कम हो गई और भू-वैज्ञानिक समय-सीमा में क्षेत्र की जलवायु में परिवर्तन हुआ।
- **अध्ययन का महत्त्व:** यह अध्ययन **टेक्टोनिक गतिविधि को पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तन के साथ** जोड़कर **जलवायु मॉडलिंग** को बढ़ाता है, **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र** की संवेदनशीलता पर प्रकाश डालता है, और मानसून की गतिशीलता, हिमनदों के पिघलने और स्थलाकृति के अंतर्क्रियाओं को समझने के लिये अनुरूपता प्रदान करता है।
  - यह **जैवविविधता संरक्षण**, **आपदा तैयारी** और नाजुक पर्वतीय क्षेत्रों में **सतत् विकास** के लिये **पुराजलवायु अनुसंधान** की नीतिगत प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

वैश्विक HIV/AIDS के विरुद्ध लड़ाई और खतरे

UNAIDS अनुसार अमेरिका द्वारा PEPFAR (**प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ**) के लिये **फंडिंग** अचानक रोके जाने से HIV/AIDS के खिलाफ दशकों की प्रगति पर संकट उत्पन्न हो गया है।

- जनवरी 2025 में, अमेरिका ने अचानक अपनी **4 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की प्रतिज्ञा वापस ले ली, जिससे वर्ष 2029 तक एड्स से संबंधित **40 लाख और मौतें और 60 लाख नए HIV संक्रमण** होने की आशंका है।
- एक सफल इंजेक्टेबल दवा **येज़्तुगो** (Yeztugo) ने 100% रोकथाम प्रभावशीलता दिखाई है, लेकिन इसकी अत्यधिक कीमत के कारण यह अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देशों की पहुँच से बाहर है।
- PEPFAR (**प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ**), जिसे वर्ष 2003 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य मानव **इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस** (HIV) संक्रमणों को रोकना और जीवन बचाना है।
- UNAIDS (HIV/AIDS **पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम**) संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख वैश्विक एजेंसी है, जो निम्नलिखित लक्ष्यों के लिये समर्पित है:
  - **वर्ष 2030** तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में समाप्त करना
  - 11 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (जैसे WHO, UNICEF, World Bank) के बीच HIV प्रतिक्रिया का समन्वय करना
  - रोकथाम, उपचार और देखभाल तक समान पहुँच का समर्थन करना

वुलर झील में कमल का पुनरुद्धार

1992 की बाढ़ के कारण तीन दशकों की पारिस्थितिक निष्क्रियता के बाद **वुलर संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण (WUCMA) के नेतृत्व में केंद्रित संरक्षण प्रयासों के कारण कश्मीर की वुलर झील में एक बार फिर कमल के फूल खिलने** लगे हैं।

- **कमल के तने** (जिन्हें स्थानीय रूप से *नादरू* कहा जाता है) वर्ष **1992 से विकसित नहीं हो सके,** क्योंकि **बीज भारी गाद के नीचे दब** गए थे, लेकिन **प्रकंद** (*रेंगने वाली जड़ के डंठल*) **गहराई में जीवित रहे** और **गाद हटाये जाने के बाद अंकुरित** हो गए।

वुलर झील

- यह **भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है** और **एशिया** (रूस के साइबेरिया में **बैकाल झील के बाद**) **की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो जम्मू-कश्मीर** में **बांदीपोरा** तथा **सोपोर के बीच स्थित** है।
- **भूगोल:** यह **हरामुक पर्वत की तलहटी में स्थित है** और **झेलम नदी के** साथ-साथ **25 अन्य नदियाँ** इसे पानी उपलब्ध कराती हैं।
  - इसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप है जिसे **जैना लंक** (**Zaina Lank**) **कहा जाता है,** जिसका निर्माण कश्मीर के **8 वें सुल्तान जैनुल-अबी-दीन** ने करवाया था।
- **पारिस्थितिक महत्त्व:** 1990 में इसे **रामसर कन्वेंशन** के तहत **अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया** गया था।
- **भूविज्ञान:** इस **झील का बेसिन टेक्टोनिक गतिविधि के कारण बना है।** इसे प्राचीन **सतीसर झील** का **अवशेष** भी माना जाता है।
- **एवियन जीव: वुलर झील 56 पक्षी प्रजातियों, 39 मछली प्रजातियों** और **20 से अधिक प्रकार के पौधों का** आवास है।
  - यहाँ पाई जाने वाली उल्लेखनीय **प्रवासी पक्षी प्रजातियों में सफेद पेट वाला बगुला, गुलाबी सिर वाली बत्तख, बेयर पोचार्ड** और **कश्मीर कैटफिश शामिल** हैं।

कमल (नेलुम्बो न्यूसीफेरा)

- कमल एक **बारहमासी पौधा है** जिसके **फूल कटोरे के आकार के होते हैं** और पंखुड़ियाँ 8 से 12 इंच व्यास की होती हैं।
  - यह एक **जलीय पौधा है जो पोषक तत्त्वों से भरपूर, धुंधली परिस्थितियों** में पनपता है।
- **यह गुलाबी, पीले या सफेद** रंग में होता है।
- इसे **भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में मान्यता प्राप्त है।** कमल **हिंदू और बौद्ध धर्मों का एक आवर्ती प्रतीक** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत में महत्त्वपूर्ण झीलें

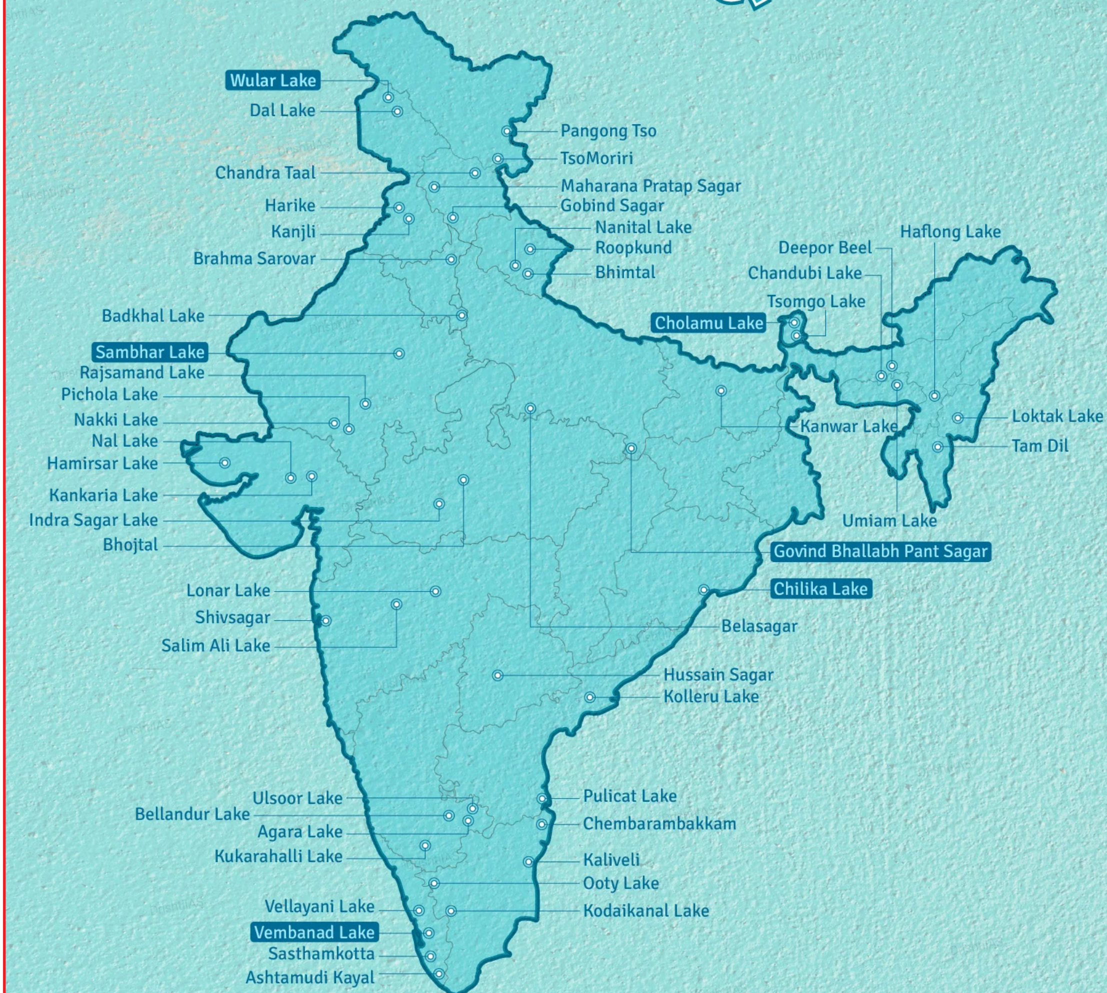

- Largest Freshwater Lake: Wular Lake, Jammu and Kashmir
- Largest Brackish Water Lake: Chilika, Odisha
- Largest Saltwater Lake: Sambhar Lake, Rajasthan
- Largest Artificial Lake: Govind Ballabh Pant Sagar, Uttar Pradesh
- Longest Lake: Vembanad Lake, Kerala
- Largest High Altitude Lake: Cholamu Lake, Sikkim

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

INS निस्तार

भारतीय नौसेना ने **हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल), विशाखापत्तनम** द्वारा निर्मित अपने **पहला स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) INS निस्तार** को शामिल किया है।

- **डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV)** एक विशेष प्रकार का नौसैनिक पोत होता है, जिसे **पानी के भीतर संचालन**, जैसे **गोताखोरों की तैनाती, बचाव अभियान**, और **पनडुब्बी चालक दल की पुनर्प्राप्ति** जैसे कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

INS निस्तार:

- **तकनीकी विशिष्टताएँ:** गोताखोरी सहायता पोत में लगभग **120 मीटर की लंबाई और 10,000 टन** से अधिक भार विस्थापन की क्षमता है।
  - यह पोत **60 दिनों से अधिक समय तक समुद्र में टिके रहने में सक्षम** है, **हेलीकॉप्टर संचालन** में सहायक है, और इसमें **15 टन क्षमता वाला सबसी क्रेन** लगा है जो **गहरे समुद्र में पुनर्प्राप्ति अभियानों** में सहायता करता है।
- **परिचालन क्षमताएँ:** INS निस्तार पनडुब्बी बचाव के लिये **गहरे जलमग्न बचाव पोतों (DSRV) के लिये मदर शिप** के रूप में कार्य करता है, इसमें सटीक **स्टेशन-कीपिंग** के लिये **डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम (DPS), समुद्र तल मानचित्रण के लिये साइड-स्कैन सोनार** की सुविधा है तथा यह **खोज, पुनर्प्राप्ति, गोताखोरी और बचाव** कार्यों में सहायता करता है।
  - जलावतरण के बाद, इस पोत को **गहरे समुद्र में गोताखोरी** और **पनडुब्बी बचाव कार्यों** में क्षमताओं को बढ़ाने के लिये **पूर्वी नौसेना कमान** में शामिल किया जाएगा।
    - भारतीय नौसेना **तीन प्रमुख कमानों पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी नौसेना कमान** में संगठित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **विरासत और महत्त्व:** INS निस्तार, उस मूल पोत की विरासत को आगे बढ़ाता है जिसे वर्ष 1969 में सोवियत संघ से प्राप्त किया गया था और 1989 में सेवामुक्त किया गया था। यह पोत भारत की पनडुब्बी बचाव क्षमताओं को अत्यधिक सशक्त बनाता है, रणनीतिक समुद्री आत्मनिर्भरता को मज़बूत करता है तथा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की **"नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर"** की भूमिका को और सुदृढ़ करता है।

सिएरा लियोन का पहला यूनेस्को स्थल: गोला-तिवाई कॉम्प्लेक्स

सिएरा लियोन का **गोला-तिवाई कॉम्प्लेक्स**, जिसमें **गोला रेनफॉरेस्ट नेशनल पार्क (GRNP)** और **तिवाई द्वीप वन्यजीव अभयारण्य** शामिल हैं, को **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)** की **पहली विश्व धरोहर स्थल** के रूप में अंकित किया गया है। यह मान्यता **एनवायर्नमेंटल फाउंडेशन फॉर अफ्रीका (EFA)** नामक एक **गैर-सरकारी संगठन** द्वारा **दशकों से किये जा रहे संरक्षण प्रयासों** के कारण मिली है।

- **तिवाई द्वीप**, जो **मोआ नदी** पर स्थित है, केवल **12 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्र में फैला हुआ है तथा यहाँ **11 प्रजातियों के प्राइमेट्स (कृच्छप/वानर)** पाए जाते हैं, जिनमें **संकटग्रस्त पश्चिमी चिम्पांज़ी** और **किंग कोलोबस बंदर** भी शामिल हैं।
    - **तिवाई** अब **जैव विविधता अनुसंधान केंद्र** और **पश्चिम अफ्रीका में समुदाय-आधारित संरक्षण** का एक **आदर्श मॉडल** बन गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट :

- GRNP सिएरा लियोन का **सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन** है, जो **जैव विविधता** से समृद्ध है। इसमें **पिग्मी हिप्पोपोटेमस** और **अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट** जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- **एनवायर्नमेंटल फाउंडेशन फॉर अफ्रीका (EFA)** की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी और इसने **तिवाई में संरक्षण प्रयासों की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में** की, विशेष रूप से **1991-2002 के सिएरा लियोन के गृहयुद्ध** से हुई क्षति के बाद।
  - युद्ध के दौरान **निर्वनीकरण, शिकार** और **अवैध लकड़ी कटाई** ने तिवाई को लगभग नष्ट कर दिया था, लेकिन **EFA ने पुनर्निर्माण, सामुदायिक भागीदारी** तथा **जैव विविधता संरक्षण** का नेतृत्व किया।
  - **वर्ष 2014 की इबोला महामारी, कोविड-19** और **चरम मौसम परिस्थितियों** के बावजूद, **EFA ने तिवाई तथा आसपास के वनों को पारिस्थितिकीय विनाश से बचाकर संरक्षित किया।**
- **UNESCO की मान्यता** सिएरा लियोन के लिये एक **ऐतिहासिक उपलब्धि** है, जो **स्थानीय सशक्तीकरण** और **पारिस्थितिकीय अनुकूलन** पर आधारित **स्थानीय संरक्षण मॉडल** की वैधता को प्रमाणित करती है।

ELV पर ईंधन प्रतिबंध हटाया

दिल्ली **सरकार** ने **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)** के निर्देशानुसार, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ELV) **15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों और 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल वाहनों** पर ईंधन प्रतिबंध वापस ले लिया है।

- **CAQM दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुद्दों के समन्वित कार्रवाई, वैज्ञानिक अनुसंधान** तथा प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिये एक **वैधानिक निकाय** है।

ELV पर ईंधन प्रतिबंध के लिये कानूनी आदेश:

- **NGT आदेश (2015): NGT ने** दिल्ली-NCR में **10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों** पर प्रतिबंध लगा दिया तथा **उनके पुन: पंजीकरण पर रोक** लगा दी।
- **सर्वोच्च न्यायालय (SC) निर्णय (2018):** ***MC मेहता बनाम भारत संघ, 2018*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने NGT के आदेशों को बरकरार रखा और गैर-अनुपालन वाहनों को जब्त करने की अनुमति दी।
- **मोटर वाहन अधिनियम, 1988: मोटर वाहन अधिनियम, 1988** के तहत, निजी वाहन का पंजीकरण **15 वर्षों के लिये वैध होता है**, जिसके बाद नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है।
- **केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989:** पंजीकरण की अवधि समाप्त हो जाने पर वाहन सड़क पर उपयोग के लिये कानूनी रूप से अनुपयुक्त हो जाता है।
- **पर्यावरण संरक्षण (एंड ऑफ लाइफ व्हीकल) नियम, 2025:** पंजीकरण समाप्ति के 180 दिनों के भीतर वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य है।

भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति:

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन** के अनुसार, वायु प्रदूषण भारत में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है, जो **प्रतिवर्ष लगभग 1.67 मिलियन मृत्यु का कारण बनता है,** तथा **वैश्विक वायु स्थिति 2023** के अनुसार, देश भर में **होने वाली सभी मृत्यु में से 17% के लिये ज़िम्मेदार** है।
- **2024 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट (IQAir) में** भारत को **पाँचवाँ सबसे प्रदूषित देश बताया गया है**, जहाँ औसत **PM2.5 स्तर 50.6 μg/m³ है**, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से दस गुना अधिक है। **दिल्ली विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी** बनी हुई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

अंडमान और निकोबार की जनजातियों की गणना

भारत की नियोजित 16वीं जनगणना (वर्ष 2026-27) में **अंडमान और निकोबार (A & N) द्वीप समूह** की छह प्रमुख स्वदेशी जनजातियों अर्थात् **ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली, शोम्पेन और निकोबारी** की गणना शामिल होगी। निकोबारी लोगों को छोड़कर, अन्य सभी को **विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- **ग्रेट अंडमानी:** कभी अंडमान द्वीपसमूह की सबसे बड़ी जनजाति रही ग्रेट अंडमानी जनजाति की संख्या अब घटकर केवल 43 (जनगणना 2001) रह गई है, और वे अब **स्ट्रेट द्वीप** पर बसे हुए हैं।
  - ऐतिहासिक रूप से, उन्हें एबरडीन की लड़ाई (वर्ष 1859) में ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करने के लिये जाने जाते हैं।
  - वे अब खानाबदोश नहीं रहे, यद्यपि कभी-कभार शिकार और मत्स्यन करते हैं।

- **ओंगे:** भारत की सबसे आदिम शिकारी-संग्राहक जनजातियों में से एक, लिटिल अंडमान में, मुख्य रूप से डुगोंग क्रीक और साउथ बे में निवास करती है।
  - वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, ओंगेस एक अर्द्ध-खानाबदोश जनजाति है जिसकी जनसंख्या 96 है। पारंपरिक रूप से प्रकृति पर निर्भर रहने वाले ये लोग अब सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं और अपने **डोंगी निर्माण तथा शिल्पकला** (Canoe-Making And Crafts) के लिये जाने जाते हैं।
- **जारवा:** वे मध्य और दक्षिण अंडमान के पश्चिमी तट पर रहने वाली एक **खानाबदोश, शिकार-संग्रहकर्त्ता जनजाति** हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उनकी जनसंख्या 380 है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **सेंटिनली:** यह एक **शिकार और संग्रह करने वाली जनजाति** है, जो **उत्तरी सेंटिनल द्वीप** पर निवास करती है और बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रहती है। हालाँकि वर्ष 1991 में इनके बीच कुछ समय के लिये मैत्रीपूर्ण संपर्क हुआ था, लेकिन ये लोग ज़्यादातर बातचीत से बचते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, इनकी जनसंख्या 39 थी।
- **शोम्पेन:** शोम्पेन में मंगोलॉयड विशेषताएँ हैं, जो अन्य नीग्रोइड विशेषताओं वाली जनजातियों (जैसे ग्रेट अंडमानी, ओन्गे, जारवा और सेंटिनली) से भिन्न हैं।
  - शोम्पेन लोग ग्रेट निकोबार में निवास करते हैं, वे **मावा शोम्पेन (Mawa Shompens)** [तटीय, नदी घाटी के निवासी] और **प्रतिरोधी शोम्पेन (Hostile Shompens)** [आंतरिक वन क्षेत्र] में विभाजित हैं।
  - वे अत्यधिक एकाकी, अर्द्ध-खानाबदोश शिकारी-संग्राहक हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, शोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 थी।
- **निकोबारी:** निकोबारी जनजाति निकोबार द्वीपसमूह के 19 द्वीपों में निवास करती है। इनकी उत्पत्ति मंगोलवंशीय मानी जाती है और इनकी जनसंख्या 27,000 से अधिक है। इनकी सामाजिक संरचना छह भौगोलिक समूहों में विभाजित है तथा **यह तुहेत नामक पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली का पालन करती है,** जिसमें भूमि और संसाधनों का स्वामित्व सामूहिक होता है।

ग्रे सील

जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने की गतिविधियाँ **बाल्टिक सागर** में **ग्रे सील** (*Halichoerus grypus*) के लिये खतरा बन रही हैं, लिथुआनिया ने उनकी जीवित रहने की संभावना को बढ़ाने और जनसंख्या संतुलन बहाल करने के लिये एक पुनर्वास प्रयास शुरू किया है।

- **आवास एवं विस्तार क्षेत्र:** ग्रे सील उत्तर अटलांटिक महासागर के तटीय जल क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा से लेकर बाल्टिक सागर और यूरोप के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये पथरीले तटों, द्वीपों, रेत के टीलों तथा बर्फ पर बाहर निकलकर विश्राम करते हैं।
- **आकृति:** नर ग्रे सील की लंबाई 10 फीट तक हो सकती है, जबकि मादाएँ आकार में छोटी होती हैं। नर की सिर की बनावट घोड़े जैसी बड़ी और लंबी होती है। शावक जन्म के समय सफेद लैनुगो (lanugo) फर के साथ जन्म लेते हैं, जो उनके शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है।
- **व्यवहार एवं आहार:** ये प्रजाति प्रजनन और त्वचा झाड़ने (molting) के समय बड़े झुंडों में एकत्र होती है, हालाँकि अन्य समय ये अकेले या छोटे समूहों में रहती है। इनका आहार मुख्यत: मछलियाँ, स्क्विड (squid) और कभी-कभी समुद्री पक्षी होते हैं।
  - "सील्स, शीर्ष शिकारी होने के कारण, उच्च मात्रा में प्रदूषकों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेतक बन जाते हैं।"
- **प्रजनन एवं आयु:** ग्रे सील 25–35 वर्षों तक जीवित रहते हैं। मादा 11 महीनों की गर्भावधि के बाद एक शावक को जन्म देती है।
- **संरक्षण स्थिति:** ग्रे सील की बाल्टिक सागर उप-जनसंख्या को IUCN रेड लिस्ट में "कम चिंताजनक" (Least Concern) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
- **खतरे:** बाल्टिक सागर में ग्रे सीलों को घटती बर्फ की परत, प्रदूषण, मछलियों की घटती संख्या तथा रोगों जैसे गंभीर ख़तरों का सामना करना पड़ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (Software Technology Parks of India- STPI) टियर 2 और 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी आईटी विकास को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक मेट्रो केंद्रों से आगे विस्तार कर रहा है।

- इसका उद्देश्य **राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति (National Policy on Software Product- NPSP)** 2019 के तहत **भारत के सबसे बड़े तकनीकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये सॉफ्टवेयर, व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन** और उत्पाद नवाचार में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है।
- **STPI:** वर्ष 1991 में स्थापित, STPI एक स्वायत्त सोसायटी है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।
- इसकी स्थापना तत्कालीन **इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग** (अब **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**) के तहत सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STP) और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (EHTP) योजनाओं को लागू करने के लिये की गई थी।
- यह उच्च गति डेटा संचार, इनक्यूबेशन सुविधाएँ प्रदान करता है, तथा **उद्यमिता केंद्र (Centres of Entrepreneurship- CoE)** और **नेक्स्ट जनरेशन इनक्यूबेशन स्कीम (Next Generation Incubation Scheme-NGIS) जैसी पहलों के माध्यम से पूरे भारत में स्टार्ट-अप्स को समर्थन प्रदान** करता है।
- **उपलब्धियाँ:** वर्तमान में 67 केंद्रों का संचालन कर रहे STPI ने छोटे शहरों में स्टार्टअप्स और MSME को समर्थन देने के लिये 17 लाख वर्ग फुट का इनक्यूबेशन स्पेस बनाया है, जिनमें से 59 गैर-मेट्रो स्थानों पर हैं।
- वित्त वर्ष 2024-25 में **भारत के कुल 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के सॉफ्टवेयर निर्यात** में STPI-पंजीकृत इकाइयों का योगदान 110 अरब अमेरिकी डॉलर का था। लगभग 90 अरब अमेरिकी डॉलर **विशेष आर्थिक क्षेत्र**-आधारित कंपनियों से आए।
  - STPI ने उत्पाद क्षेत्र में स्टार्ट-अप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिये देश भर में 24 CoE बनाए हैं।
  - वर्ष 2023 से STPI ने 1,500 स्टार्टअप, 800 **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs)** और 2,000 से अधिक उत्पाद नवाचारों का समर्थन किया है।

अस्त्र मिसाइल

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और **भारतीय वायु सेना (IAF) ने स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर** के साथ **स्वदेशी दृश्य सीमा से परे हवा-से-हवा** मार करने वाली मिसाइल (BVRAAM) **'अस्त्र'** का ओडिशा तट से **सुखोई-30 MK-I लड़ाकू विमान** से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

BVRAAM अस्त्र:

- **परिचय: अस्त्र** भारत की पहली स्वदेशी दृश्य सीमा से परे हवा-से-हवा में मार करने वाली **मिसाइल (BVRAAM)** है, जिसे दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है ।
  - यह मिसाइल **DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर** से सुसज्जित है, जो रडार की मदद से लक्ष्य का **पता लगाने, उसे ट्रैक करने और लॉक करने** की क्षमता प्रदान करता है, जिससे अंतिम चरण में उच्च सटीकता सुनिश्चित होती है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **अस्त्र** भारत की पहली **स्वदेशी दृश्य सीमा से परे हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (BVRAAM)** है, जो **ध्वनि की गति से तेज़ और गतिशील लक्ष्यों** को **100 किमी से अधिक दूरी** और **20 किमी की ऊँचाई** तक भेदने में सक्षम है।
  - यह **इनर्शियल नेविगेशन, मिड-कोर्स डेटा लिंक अपडेट्स** और **सक्रिय रडार होमिंग** का उपयोग करती है तथा इसमें **धुआँरहित ठोस ईंधन इंजन** लगा है, जिससे इसकी **गोपनीयता** और भी बढ़ जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- मिसाइल में **DRDO द्वारा विकसित सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर** लगा है, जो इसे **"फायर एंड फॉरगेट" (दागो और भूल जाओ) और "बड्डी लॉन्च मोड"** (जिसमें एक विमान मिसाइल लॉन्च करता है और दूसरा मार्गदर्शन देता है) जैसी क्षमताएँ प्रदान करता है।

स्वदेशी माउंटेड गन सिस्टम (MGS):

- DRDO की व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (VRDE) ने पूरी तरह से स्वदेशी **155 मिमी/52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम (MGS)** विकसित किया है, जिसे मात्र **80 सेकंड** में तैनात किया जा सकता है।
  - MGS एक प्रकार की मोबाइल आर्टिलरी हथियार प्रणाली है, जिसमें **बड़े कैलिबर की तोप (जैसे 155 मिमी हॉवित्जर)** को अलग से खींचने के बजाय पहियों या ट्रैक वाले वाहन पर लगाया जाता है।

Su-30MKI:

- Su-30MKI एक दोहरे इंजन वाला **बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान** है, जिसे रूस की सुखोई कंपनी ने विकसित किया है तथा भारतीय वायुसेना के लिये **HAL (हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड)** द्वारा निर्मित किया गया है।
  - इसे **वर्ष 2002** में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह **हवाई श्रेष्ठता (Air Superiority), ज़मीनी हमला, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और समुद्री हमलों** जैसे कई अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। यह **भारत के लड़ाकू विमान** बेड़े की एक प्रमुख संपत्ति है।

तालिस्मान सेबर अभ्यास 2025

भारत पहली **बार ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तालिस्मन सेबर अभ्यास 2025** के **11वें संस्करण** में भाग ले रहा है।

तालिस्मन सेबर अभ्यास 2025

- **परिचय:** **वर्ष 2005** में शुरू किया गया और **हर दो वर्ष में आयोजित किया जाने वाला तालिस्मन सेबर अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया** और **अमेरिका के बीच** एक **द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में शुरू हुआ** और तब से यह एक प्रमुख **बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास के रूप में विकसित हो गया है, जिसमें** यूरोपीय भागीदारों के अलावा प्रमुख **हिंद-प्रशांत भागीदार भी शामिल हैं।**
  - इस अभ्यास के 11वें और अब तक के सबसे बड़े संस्करण में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान, फ्राँस, ब्रिटेन तथा अन्य 19 देशों के 35,000 से अधिक सैन्यकर्मी शामिल हैं, **जो उन्नत बहुराष्ट्रीय** समन्वय और **क्षमता** का **प्रदर्शन करते हैं।**
  - **क्वींसलैंड, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और क्रिसमस द्वीप** में आयोजित, **पहली बार पापुआ न्यू गिनी में विस्तार के साथ,** विस्तारित क्षेत्रीय सहभागिता को चिह्नित किया गया।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य एक **स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना, सैन्य तत्परता, अंतर-संचालन, संयुक्त परिचालन क्षमता को बढ़ाना** तथा सहयोगी राष्ट्रों के बीच **क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करना है।**
- **स्थान:** **ऑस्ट्रेलिया** और **अपतटीय स्थानों** में कई **रक्षा तथा गैर-रक्षा प्रशिक्षण क्षेत्रों** में **आयोजित** किया गया।
- **प्रमुख सैन्य गतिविधियाँ:** **इसमें लाइव-फायर ड्रिल, फील्ड प्रशिक्षण, जल-थल लैंडिंग, जमीनी बल युद्धाभ्यास, हवाई युद्ध, समुद्री संचालन** और **बल तैयारी अभ्यास** शामिल हैं, जो संयुक्त युद्ध क्षमताओं को बढ़ाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

प्रमुख भारत-ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास

- ऑसइंडेक्स (नौसैनिक), पिच ब्लैक (वायु), ऑस्ट्राहिंद (सैन्य)।

प्रमुख भारत-अमेरिका सैन्य अभ्यास

- युद्ध अभ्यास (सैन्य), टाइगर ट्रायम्फ, कोप इंडिया (वायु) और वज्र प्रहार।

मछलीपट्टनम बंदरगाह का पुनरुद्धार

आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम बंदरगाह कभी एक प्रमुख **प्राचीन बंदरगाह शहर हुआ करता था। वर्तमान में एक** **ग्रीनफील्ड बंदरगाह** के निर्माण के साथ इसका बड़े पैमाने पर पुनरुद्धार किया जा रहा है, जिसके 2026 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है।

- **प्राचीन विरासत: मछलीपट्टनम को मसूलीपट्टनम या मैसोलिया** के नाम से भी जाना जाता है, यह पहली शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में और संभवत: **सातवाहन वंश** (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व - दूसरी शताब्दी ईस्वी) के दौरान एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ।
  - इस बंदरगाह से **रोम, चीन, फारस** और **दक्षिण-पूर्व एशिया** के साथ व्यापार किया जाता था। इसके प्रमुख निर्यात में **मसाले, कपास के वस्त्र, चीनी तथा हाथी** शामिल थे।
  - 1570 के दशक से, **इब्राहिम कुली कुतुब शाह** के शासनकाल में, मसूलीपट्टनम का व्यापार फला-फूला और 17वीं शताब्दी के अंत में **अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासन के** दौरान चरम पर पहुँच गया।
    - **गोलकुंडा के अभिलेखों** में इसे **बंदर-ए-मुबारक** (Bandar-i-Mubarak) कहा गया है। यह **हैदराबाद से सड़क मार्ग से जुड़ा** हुआ था, जिससे **चिंट्ज़ (छपाईदार वस्त्र)** समेत कई वस्तुओं का **एशिया, अफ्रीका और यूरोप** तक निर्यात किया जाता था।
    - **17वीं शताब्दी** में यह **पूर्वी भारत का एकमात्र बंदरगाह** था, जिसकी **पेगू (बर्मा), सियाम (थाईलैंड), बंगाल, मनीला, कोचीन, मेडागास्कर, चीन और मक्का** जैसे केंद्रों से सीधा व्यापारिक संबंध था।
- **सांस्कृतिक विविधता:** मछलीपट्टनम में **मंगोल, तुर्क, फारसी, यहूदी, तमिल, डच, फ्राँसीसी और कई अन्य समुदायों** का सांस्कृतिक संगम देखने को मिलता था।
- **पतन के कारक:** वर्ष 1867 में आए विनाशकारी चक्रवात (जिसमें लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु हुई) और मुगल प्रशासन की उपेक्षा ने बंदरगाह को गंभीर नुकसान पहुँचाया। ब्रिटिश काल में अंतिम झटका तब लगा, जब उन्होंने अपना ध्यान मद्रास (वर्तमान चेन्नई) की ओर केंद्रित कर लिया।
- **पुनरुद्धार:** मंगिनापुडी में नया ग्रीनफील्ड बंदरगाह, जिसका निर्माण कार्य लगभग 50% पूरा हो चुका है, 2026 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। इसे लैंडलॉर्ड मॉडल का उपयोग करते हुए एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) मछलीपट्टनम पोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत विकसित किया जा रहा है।
- **आर्थिक प्रभाव:** बंदरगाह से **निर्यात में कोयला, फार्मा, सीमेंट, उर्वरक** और **कंटेनर** यातायात शामिल होंगे।
  - **तेलंगाना सरकार मछलीपट्टनम** से जुड़ने के लिये एक **ड्राय पोर्ट सुविधा** और **सीधा मालवाहक कॉरिडोर** स्थापित करने पर कार्य कर रही है, जिससे **क्षेत्रीय व्यापार** को बढ़ावा मिलेगा।
  - बंदरगाह निर्माण की प्रगति के साथ **स्थानीय समुदायों को भूमि की कीमतों में वृद्धि** और **रोज़गार के अवसरों** से लाभ मिलने की संभावना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

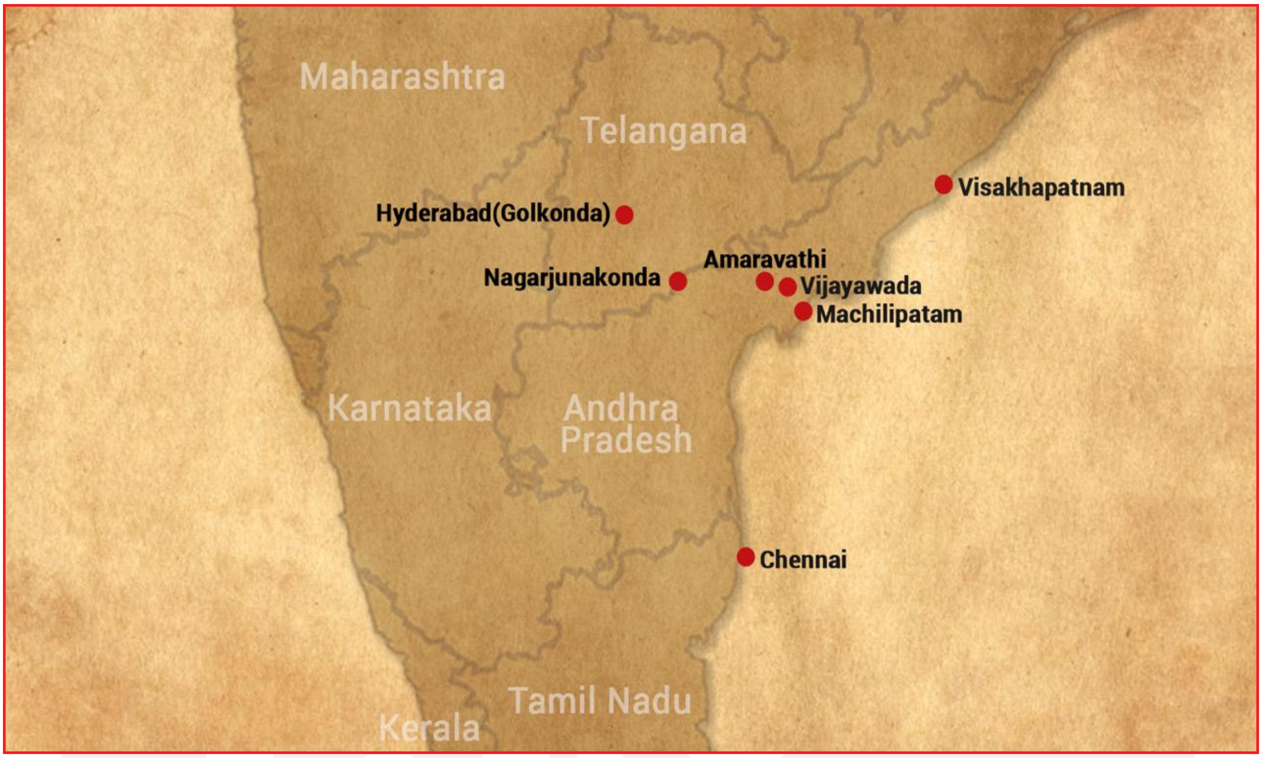

"ट्रेड वॉच क्वार्टरली" का तीसरा संस्करण

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्तूबर से दिसंबर 2024) के लिये अपनी **"ट्रेड वॉच क्वार्टरली" रिपोर्ट** का तीसरा संस्करण जारी किया। यह भारत के व्यापार रुझानों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिये "ट्रेड वॉच क्वार्टरली" रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **भारत का व्यापारिक एवं सेवा व्यापार प्रदर्शन:**
  - **व्यापारिक निर्यात: भारत का व्यापारिक निर्यात** वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में **3%** बढ़कर **108.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया।
  - **व्यापारिक आयात:** आयात **6.5%** बढ़कर **187.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया।
  - **सेवा अधिशेष: भारत का सेवा अधिशेष 52.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रहा, जो सेवा निर्यात में **17% की** वृद्धि के कारण संभव हुआ, जो वैश्विक स्तर पर भारत के सेवा क्षेत्र की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।
  - **निर्यात संरचना: विमान, अंतरिक्ष यान और पुर्जों** जैसे उच्च तकनीक उत्पादों में वर्ष-दर-वर्ष **200% की** उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिससे भारत की निर्यात संरचना में और विविधता आई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **विद्युत मशीनरी** और **हथियार/गोला-बारूद** जैसे निर्यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2014 से अब तक इनमें **10.6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** से वृद्धि हुई है।
  - **डिजिटल सेवाएँ:** भारत वर्ष 2024 में डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं (DDS) के निर्यात में 269 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है।
- **अमेरिकी व्यापार नीति का भारत पर प्रभाव:** इस तिमाही के संस्करण का विषयगत केंद्रबिंदु उभरती अमेरिकी व्यापार और टैरिफ संरचनाएँ तथा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर उनके प्रभाव हैं। प्रमुख प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में भारत का सापेक्ष टैरिफ लाभ अमेरिकी बाज़ार में विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और विद्युत मशीनरी जैसे क्षेत्रों में बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाने का एक कार्यनीतिक अवसर प्रदान करता है। उभरते वैश्विक व्यापार परिवेश में नए व्यापार संयोजनों का लाभ उठाने के लिये बेहतर नीति-निर्माण की आवश्यकता है।

असम के राइनो हॉर्न का DNA प्रोफाइलिंग

असम वन विभाग ने **भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)** के सहयोग से **2,573 राइनो हॉर्न (गैंडे के सींगों) के नमूनों की DNA प्रोफाइलिंग पहल** शुरू की है, जिसका उद्देश्य **संरक्षण को सुदृढ़ करना** और **वन्यजीव अपराधों की जाँच को सशक्त बनाना है**।

राइनो हॉर्न की DNA प्रोफाइलिंग:

- **परिचय:** शिकार-रोधी और संरक्षण प्रयासों के तहत, वर्ष 2021 में जब्त और स्वाभाविक रूप से मृत गैंडों के सींगों के सार्वजनिक दहन के दौरान सुरक्षित रखे गए **राइनो हॉर्न (गैंडे के सींगों)** के नमूनों की DNA प्रोफाइलिंग की जा रही है।
  - ये नमूने मुख्यत: **शिकार के मामलों में जब्त किये गए हॉर्न** और **प्राकृतिक मृत्यु** से प्राप्त हुए हैं, जिनका **काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम** में सत्यापन किया गया।
- **आनुवंशिक विश्लेषण:** नमूनों को **भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून** भेजा गया है, जहाँ पर **RhoDIS (राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम) भारत कार्यक्रम** के अंतर्गत DNA विश्लेषण किया जा रहा है।

RhoDIS इंडिया:

- **RhoDIS इंडिया**, जिसे **वर्ष 2016 में शुरू किया गया, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)**, राइनो की आबादी वाले राज्य, **भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)** और **WWF-India** का एक **सहयोगात्मक प्रयास** है।
- इसका उद्देश्य वन्यजीव अपराध जाँच और **वन हॉर्न राइनो** के **आनुवंशिक संरक्षण** की योजना को समर्थन देने वाले **राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटाबेस** में एकीकरण के लिये राइनो हॉर्न की व्यक्तिगत DNA प्रोफाइल बनाना है।

वन हॉर्न्ड राइनो (राइनोसेरस यूनिकॉर्निस):

- **ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो** (या **भारतीय गैंडा**) राइनो की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसकी पहचान **8 से 25 इंच** लंबे **काले हॉर्न** और **कवच जैसी त्वचा की परतों** से होती है।
- यह सामान्यत: **एकाकी जीवन** जीता है और इसका **घरेलू क्षेत्र (home range)** एक-दूसरे से आंशिक रूप से मेल खाता है, लेकिन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होता। यह एक **चरने वाला शाकाहारी** है, जो मुख्य रूप से **घास**, साथ ही **पत्तियाँ, फल और जलीय पौधे** खाता है।
- **असम** में विश्व की **वन हॉर्न्ड राइनो की लगभग 80% आबादी** पाई जाती है, जिसमें से केवल **काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (1,300 वर्ग किमी)** में ही **70% राइनो** हैं (वर्ष 2022 के अनुसार)।
- **निरंतर संरक्षण प्रयासों** के कारण, **1980 के दशक से भारत के राइनो की आबादी में 170%** की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2024 में लगभग **1,500 से बढ़कर 4,014 हो** गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

गैंडा RHINOCEROS

विश्व गैंडा दिवस- 22 सितंबर (2010 में WWF द्वारा घोषित)

गैंडे की 5 मुख्य प्रजातियाँ			
प्रजातियाँ	क्षेत्र, जहाँ पाए जाते हैं	IUCN की रेड लिस्ट में स्थिति	आवास
अफ्रीकन व्हाइट	अफ्रीका	संकट के निकट	लंबी और छोटी घास वाले सवाना क्षेत्र
अफ्रीकन ब्लैक	अफ्रीका	गंभीर रूप से संकटग्रस्त	अर्ध-रेगिस्तानी सवाना
एक सींग वाले गैंडे	एशिया	सुभेद्य	उष्णकटिबंधीय घास के मैदान
जावा	एशिया	गंभीर रूप से संकटग्रस्त।	उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय वन
सुमात्रा	एशिया	गंभीर रूप से संकटग्रस्त।	सवाना की तरह ही

उजुंग कुलोन नेशनल पार्क (यूनेस्को WHS)
पृथ्वी पर अंतिम शेष जंगली जावा राइनो का घर है

एक सींग वाले गैंडे

केवल भारत में पाई जाने वाली प्रजाति (इंडियन राइनो)

विशेषताएँ

- 5 प्रजातियों में से सबसे बड़ी प्रजाति
- एक काली सींग और त्वचा की सिलवटों के साथ एक भूरे रंग की खाल से पहचाना जाता है

खतरे

- सींगों के लिये अवैध शिकार
- आवास की क्षति
- आनुवंशिक विविधता में कमी

संरक्षित क्षेत्र (भारत)

- **उत्तरप्रदेश :**
  - दुधवा टाइगर रिज़र्व
- **पश्चिम बंगाल :**
  - जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान
  - गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान
- **असम:**
  - पबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य
  - ओरंग राष्ट्रीय उद्यान
  - काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान(गैंडों की अधिकतम संख्या: ~2400)
  - मानस राष्ट्रीय उद्यान

संरक्षण प्रयास (भारत)

- राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति
- इंडियन राइनो विजन 2020 (2005 में लॉन्च)

एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा 2019
5 राइनो रेंज के 5 देशों (भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया) द्वारा हस्ताक्षरित

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट: